राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10]   तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सातवां दिवस   [संख्या : 5

बुधवार

27 फरवरी, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

पाली जिले में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सतत शिक्षा के पद पर पदस्थापित कार्मिक

80. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सतत शिक्षा के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त पद हेतु क्या योग्यता, अनुभव एवं मानदंड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में पदस्थापित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक नियमानुसार पात्रता रखते हैं? नाम, पते, योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पद पर नियम विरुद्ध अपात्र कार्मिक का पदस्थापन किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं उक्त पदस्थापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है? क्या सरकार नियम विरुद्ध पदस्थापन के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) सतत शिक्षा में अतिरिक्त

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

जिला परियोजना समन्वयक का पद नहीं होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का पद होता है। जिला पाली में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का एक पद स्वीकृत है।

(2) उक्त पद हेतु प्रधानाचार्य, सीनियर सैकण्डरी स्कूल अथवा समकक्ष पद पर कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव एवं आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होने वाले अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

(3) श्री मदन लाल पंवार, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, पाली को स्वयं के प्रार्थना पत्र पर मूल विभाग के लिये दिनांक 30.07.2012 को कार्यमुक्त करने पर कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, पाली में सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यरत 2 सहायक परियोजना समन्वयकों में से परियोजना में वरिष्ठ सहायक परियोजना समन्वयक श्री करण सिंह को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यवाहक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। श्री करण सिंह के संबंध में अन्य विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(4) उक्त पद वर्तमान में रिक्त है। कार्य व्यवस्था के तहत सहायक परियोजना समन्वयक को कार्यभार दिया गया है, जो नियमानुसार है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, पाली के रिक्त पद को भरने हेतु दिनांक 16.03.2013 को वाक-इन इंटरव्यू रखे गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साक्षरता एवं सतत शिक्षा अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी के बारे में जानकारी चाही है और आप दे रहे हैं सर्व शिक्षा की। आप 1 से 14 वर्ष के बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं और मैं मांग रहा हूं, 15 साल से ऊपर वाले अशिक्षित रहे, उनके बारे में। उनको पढ़ाने वाले अधिकारी के पद पर जिला स्तर पर कौन अधिकारी लगा हुआ है और उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता के बारे में पूछा है। उसकी योग्यता है, थर्ड ग्रेड टीचर। ये बता रहे हैं कि उसकी योग्यता होनी चाहिये लेक्चरर की, जबकि वह लेक्चरर नहीं है, थर्ड ग्रेड टीचर लगा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन नियमों के तहत उसको लगाया गया है, उसका पूर्व में पदस्थापन कहां था और अब पाली में उसे किस आधार पर लगाया? यह बतायें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह बहुत सीधा सवाल है, सतत शिक्षा में जो इन्होंने पूछा है उसका जवाब हमने दे दिया? सतत शिक्षा में समन्वयक का पद होता ही नहीं है? वह हमने जवाब दे दिया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रहा हूं, सतत शिक्षा के कितने पद स्वीकृत हैं? मैं सतत शिक्षा के बारे में पूछ रहा हूं आप सर्व शिक्षा क्यों बता रहे हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं सर्व शिक्षा का। (व्यवधान) जो 15 साल से ऊपर के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने सतत शिक्षा का ही जवाब दिया है ना?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर्व शिक्षा का दिया है।

श्री अध्यक्ष: दुबारा सुन लें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा का दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए, आप सुनिए। माननीय सदस्य, सुनिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं वही जवाब दे रहा हूं; सतत शिक्षा में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का पद नहीं होता है, यह दिया है जवाब।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसके आगे लिखा है, सतत शिक्षा में कितने पद स्वीकृत हैं?

श्री अध्यक्ष: हैं ही नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सतत शिक्षा में पद ही नहीं हैं!

श्री अध्यक्ष: हां, यही कह रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साक्षरता एवं सतत शिक्षा में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: परियोजना समन्वयक पूछा है आपने।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं अब पूछ रहा हूं कि सतत शिक्षा में कितने लगे हुए हैं? 'परियोजना समन्वयक' शब्द गलत लिख दिया, इसका मतलब यह नहीं...

श्री अध्यक्ष: गलत लिख दिया तो आपने लिख दिया, उसका मंत्रीजी क्या करें?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, गलत नहीं लिखा है; मैंने

(श्री केसाराम चौधरी)

सतत शिक्षा में पूछा है कि सतत शिक्षा में कौन हैं? आपने इसे सर्व शिक्षा कैसे मान लिया?

श्री अध्यक्ष: सर्व शिक्षा नहीं माना, सतत शिक्षा ही मान रहे हैं, सतत शिक्षा का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सर्व शिक्षा के बारे में नहीं पूछा है। मैं अब पूछ रहा हूं, साक्षरता एवं सतत शिक्षा में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कौन लगा हुआ है और उसकी योग्यता क्या है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): इसमें साक्षरता का वर्ड ही नहीं है। जो क्वेश्चन दिया है उसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने जो पूछा है, मेरी जो भावना है...

श्री अध्यक्ष: ये सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो अलग बात है।

श्री अध्यक्ष: सुनिए, सुनिए, मैं आपका जवाब दिलवा रहा हूं। अब आप स्पष्ट पूछिए, क्या पूछ रहे हैं, उसका जवाब दिलवाता हूं। (व्यवधान) डिस्टर्ब नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं यह पूछना चाहता हूं, पाली जिले में साक्षरता एवं सतत शिक्षा में ...

श्री अध्यक्ष: साक्षरता की बात नहीं हो रही है, केवल सतत शिक्षा की बात हो रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि सतत शिक्षा में जो 15 साल से ऊपर के असाक्षर जो लोग होते हैं, उनको पढ़ाने के लिये जिला स्तर पर जो जिला अधिकारी लगाया हुआ है, उसकी योग्यता क्या है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह प्रश्न ही अलग है, साक्षरता से संबंधित है। इससे संबंधित है ही नहीं यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन करें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): (व्यवधान) इनकी तैयारी ही नहीं है। (व्यवधान) इसका पार्ट है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए, आप सुनिए तो सही। आप बैठिए। मैं जवाब दिलवा रहा हूं, आप बैठिए। (व्यवधान) बैठिए पहले। कमाल हो गया, मैं स्पष्ट करवा रहा हूं, आप खड़े हो गये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...(व्यवधान) पांच मिनट तो 'सतत' और 'सर्व' में खा गये।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैं स्पष्ट करवा रहा हूं। आप खड़े हो जाते हो तो कोई अर्थ ही नहीं निकलने वाला। आपको सुनना नहीं है तो ठीक है।

आप साक्षरता छोड़ दीजिए, और चीजें छोड़ दीजिए, केवल सतत शिक्षा के संबंध में इनको जवाब दे दीजिए। इन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है कि सतत शिक्षा में, केवल सतत शिक्षा तक ...(व्यवधान) फिर वही बीच में। ये ज्यादा ज्ञानी लोग आ गये हैं यहां। सतत शिक्षा में जिला स्तर पर आपने जो अधिकारी लगाया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, बिलकुल, सर।

श्री अध्यक्ष: केवल इतना सा बता दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं वही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने पूछा है, सतत शिक्षा के कितने पद स्वीकृत हैं...

श्री अध्यक्ष: छोड़िए उसको, यह नहीं पूछ रहे हैं। यह पूरक प्रश्न केवल इतना पूछ रहे हैं कि सतत शिक्षा में जिला स्तर पर जो आपका अधिकारी लगा है, जिसका जो भी नाम है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। (व्यवधान) आप नहीं चाहते तो मैं अगला प्रश्न पुकारूं? आपके प्रश्न को स्पष्ट कर दिया, स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर चुका हूं, सतत शिक्षा में जो समन्वयक का पद है, वह इसमें स्वीकृत है ही नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं इसको स्पष्ट करा दूं। ये पूछ रहे हैं कि जिला स्तर पर जो अधिकारी है, समन्वयक है, X है, y है, Z है, उसका क्या नाम है, जो भी है, जो जिला स्तर का अधिकारी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इतना पूछ रहे हैं, बस। (व्यवधान) हां, ठीक है, पर्ची तो आयेगी ही; असिस्टेंस तो होगा ही, इसमें क्या बात है? बैठिए। हां, तो क्या पर्ची नहीं आनी चाहिये? क्या बात हो गई यह!

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.ए. पास तो उसकी क्वालिफिकेशन है। भवानीसिंह सोनीगरा पदस्थापित है।

श्री अध्यक्ष: खतम हुई बात।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, उसकी क्वालिफिकेशन एम.ए. पास है; वह थर्ड ग्रेड टीचर है, मगर लेक्चरर लगाया जाता है, वह लेक्चरर नहीं है। आप गलत कोट करके इस प्रश्न को डाइवर्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: डाइवर्ट नहीं किया है, इन्होंने आपको स्पेसिफिक जवाब दिया है। आपने जो पूछा है उसका जवाब दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एम.ए. पास होना किसी भी ग्रेड के अध्यापक के लिए सामान्य बात है, वह उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। सतत शिक्षा के लिए जो अधिकारी जिला स्तर पर होता है...

श्री अध्यक्ष: क्वालिफिकेशन तो माननी पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मान रहे हैं न, वह ही एक आधार नहीं होता है। उसके लिए जिस मापदण्ड का अधिकारी होता है, सतत शिक्षा का, जिला स्तर का अधिकारी होता है; वह सामान्यत: किस कैडर और किस ग्रेड का आदमी होता है, किस कैडर और किस ग्रेड का आदमी होता है, आपके अधिकृत नोर्म्स हैं, जो भी जिला अधिकारी बनता है या उस पद पर रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेड क्या होती है। आज जो लगा हुआ है, उसकी ग्रेड क्या है? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं इसका जवाब इनको भिजवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है? (व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष ने हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मुझे क्या करना चाहिए? (व्यवधान) जवाब सुनें। जवाब सुनिये तो। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): स्टडी करके नहीं आये तो स्थगित करवा दें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्टडी करके नहीं आए हैं। ऐसे तो जवाब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं सुनना? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं जवाब दिलवा रहा हूं। फिर नहीं देने दे रहे तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप भी अपनी विद्वता प्रदर्शित कर दो। (व्यवधान) मैं जवाब दिला रहा हूं, वे खड़े हो गए। उसके बाद सब अपना-अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हों। इस तरह से सदन नहीं चल सकता। कहीं न कहीं तो आपको व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ेगी और इस तरह से ...(व्यवधान) हां, फरमाओ, क्या फरमा रहे हो? अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप भी कुछ फरमा रहे हो क्या? (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: करने दें तब करूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अब यह भी आप तय करोगे कि कौन जवाब दे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जो देना चाहें, कोई भी दे सकता है सरकार की तरफ से, पर आपकी राय से चलेगा कि कौन दे? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अब देने नहीं दो तो आपकी मर्जी है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: केवल माननीय विरोधी दल के नेता, कटारिया साहब ने जो सवाल किया है स्पेसिफिक, केवल उतने तक सीमित रहें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं उतना ही सीमित हूं। थर्ड ग्रेड के अध्यापक को इस पर लगाया जा सकता है और साक्षरता अधिकारी...

श्री अध्यक्ष: साक्षरता नहीं, सतत शिक्षा ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): सतत अधिकारी सोनगरा है और जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज चौहान है जो प्रिंसिपल है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, नाम तो बाद की बात है, जो आपका सतत शिक्षा का जिला अधिकारी होता है, उस अधिकारी की ग्रेड क्या होती है, जो ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सी भी?

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा इसको इस तरह से लें कि सतत शिक्षा का जो जिला अधिकारी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और वर्तमान की क्या है? यही तो पूछना चाह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): क्वालिफिकेशन तो, एम.ए. तो सब होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो भी, होनी चाहिए क्या, और है क्या? क्या होनी चाहिए और क्या है? बस इतना करके ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिला शिक्षा अधिकारी है...

श्री अध्यक्ष: सतत शिक्षा का जिला अधिकारी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): हां, हां, सतत शिक्षा का जो जिला अधिकारी है उसका नाम तो हंसराज चौहान है और वह प्रिंसिपल ग्रेड का है और जो ए डी पी सी है, उसकी थर्ड ग्रेड है, उसका नाम है सोनगरा। सतत शिक्षा के अधिकारी की ग्रेड है, वह है, 15600 से 39000 है, ग्रेड पे 6000 रुपये है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और क्या पूछना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कहने का जो अभिप्राय था, जिस ग्रेड का और जिस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति इस पोस्ट पर, जिला पर लगता है, उसकी जगह एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थर्ड ग्रेड टीचर को लगाकर इस काम को करा रहे हैं, जो बिलकुल नियम विरुद्ध है। उसके कारण से इस क्वेश्चन को खड़ा करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: यह नियमानुसार है ना?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): जब अधिकारी नहीं होता है तो किसी को भी चार्ज दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बाकी रही? खतम हुई बात। चलिये, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक चपरासी को लगवा दो वहां। जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा रियायती गैस सिलेण्डर आपूर्ति

81. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को रियायती रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की पूर्व में घोषणा की थी? यदि हां, तो कब एवं कितने सिलेण्डर प्रत्येक उपभोक्ता को?

(2) क्या इसकी पालना राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सितम्बर, 2012 की घोषणा के अन्तर्गत बजट प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो अब तक कितने बजट का उपयोग हो गया है और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि देश की अन्य राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से रियायती सिलेण्डर उपलब्ध कराने की घोषणा की और उसकी पालना कर दी? यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने तथा कितने-कितने सिलेण्डर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 181/2012 दिनांक 24.09.2012 की अनुपालना में दिनांक 28.09.2012 को राज्य सरकार द्वारा तीन अतिरिक्त सिलेण्डरों पर सब्सिडी दिये जाने की अधिसूचना जारी की गयी। परन्तु मंत्रिमण्डल की आज्ञा

(श्री परसादीलाल)

क्रमांक 15/2013 दिनांक 12.01.2013 द्वारा वित्त विभाग को निर्देश प्रदान किये गये कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा रियायती सिलेण्डरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 या उससे अधिक कर दी जाती है तो राज्य सरकार की अनुदान योजना स्वत: समाप्त मानी जाएगी। तत्पश्चात भारत सरकार के आदेश क्रमांक पी 20012/22/2012–पीपी दिनांक 17 जनवरी, 2013 द्वारा वार्षिक सब्सिडी के 06 गैस सिलेण्डर के स्थान पर 9 गैस सिलेण्डर दिये जाने के आदेश के उपरान्त राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही। भारत सरकार के आदेश दिनांक 17.01.2013 के अनुसार दिनांक 14.09.2012 से 31.03.2013 की अवधि के लिए रियायती घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों की संख्या 3 से 5 की गई है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से यह निवेदन किया गया है कि इस अवधि के लिए रियायती घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों की संख्या 6 की जाए या राज्य सरकार की घोषणा की क्रियान्विति हेतु तेल विपणन कम्पनियों को छठा रियायती सिलेण्डर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु आवश्यक सूचनाएं/आंकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को दिनांक 31.03.2013 से पूर्व छठा रियायती घरेलू एल पी जी सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा सके।

(2) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर में समाहित है।

(3) इस घोषणा के अन्तर्गत बजट का प्रावधान अभी नहीं किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2013 से वार्षिक रियायती घरेलू गैस सिलेण्डरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। भारत सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित अवधि के लिए अतिरिक्त छठा रियायती घरेलू गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया के निर्देश तेल विपणन कम्पनियों को दिये जाने पर तदनुसार बजट प्रावधान किया जाएगा।

(4) प्रदेश सरकार के पास अन्य राज्यों की अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, छह सिलेण्डर केन्द्र सरकार ने उपलब्ध कराने का मानस बनाकर के रियायती आधार पर देने का तय किया और राज्य सरकार ने भी छह चूंकि कम हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिये नौ सिलेण्डर तक बढ़ाने का विचार करके सितम्बर में अपने यहां एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या सरकार को यह पहले से ही पता था कि जनवरी में या फरवरी में ऐसा कोई निर्णय दिल्ली में होने वाला है इसलिये हमारे आदेश का कोई अर्थ नहीं है? जिस दिन आपने घोषणा की होगी मंत्रिमण्डल में लेकर के, कोई बजट प्रावधान तो रखा होगा कि आखिर आप पर कितना वज़न आयेगा, कितना पैसा इसमें लगेगा। या ऐसे ही मंत्रिमण्डल में बैठे और तीन के छह कर दिये, छह के नौ कर दिये? बिना कोई बजट प्रावधन के और बिना कोई अलोकेशन आफ फण्ड के क्या किसी मंत्रिमण्डल में यह निर्णय हो सकता है? मंत्रिमण्डल यह निर्णय करने के लिये सक्षम है क्या? जब तक उसके पैसे के बारे में कोई प्रावधान का उस नोट के साथ नहीं आया होगा कि इस कारण से राज्य सरकार पर सम्भावित इतना खर्चा होगा जो राज्य सरकार वहन करेगी, इसके बिना आपने स्वीकृति कर दी थी क्या?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो छह से नौ सिलेण्डर राज्य सरकार के द्वारा देने का फैसला, जो कैबिनेट का हुआ, उसमें आपने कहा, बजट प्रावधान कितना था, कितना भार आया है; 832 करोड़ रुपये का राज्य सरकार ने प्रावधान किया और भारत सरकार को, तेल कम्पनियों को हमने लिख दिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केंद्रीय मंत्रीजी को लिखा, हमारे सी.एस. ने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा, जब तेल कम्पनियों को हमने लिखा, उन्होंने कहा कि जब तक भारत सरकार हमको निर्देश नहीं देगी, मोडेलिटिज जब तक तय नहीं करेगी कि किन मोडेलिटिज पर आपको गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाएं, जब सितम्बर के बाद दिसम्बर तक हर महीने के तीन सिलेण्डर भारत सरकार ने उपलब्ध करा दिये; यह स्थिति पैदा हुई है जनवरी में, जनवरी में उपभोक्ताओं को सिलेण्डर नहीं मिले।

उसके बाद में हमारी कैबिनेट ने दूसरा फैसला किया, यह 12.01.13 को कैबिनेट ने, कि कैश उनको ट्रांसफर कर दें। यह भी मोडेलिटिज की बात आ गयी। यह 12 जनवरी को जो फैसला हुआ, उसके बाद फिर हमने लिखा कि अब प्रदेश के सामने उपभोक्ताओं को सिलेण्डर लेने की बड़ी समस्या पैदा हो गई है, आप मोडेलिटिज तय करिये। 12 जनवरी को कैबिनेट ने कर दिया कि उनको कैश ट्रांसफर कर देंगे, उनके अकाउंट में उपभोक्ताओं को। उसके बाद में 12 के बाद में 17 तारीख को भारत सरकार ने फैसला कर दिया कि तीन सिलेण्डर हमने पहले दे दिये, दो सिलेण्डर हम मार्च में और देंगे।

(श्री परसादीलाल)

एक सिलेण्डर का जो गैप रहा, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उसके लिये भी हमने भारत सरकार को लिख दिया। अगर वह मोडेलिटिज तय कर देंगे तो मार्च वाला सिलेण्डर भी हम उनको राज्य सरकार के खर्चे पर उपलब्ध कराने के लिये आज भी वचनबद्ध हैं, उपलब्ध कराएंगे। मोडेलिटिज जब तक तय नहीं हों, या तो कैश पैसा हम कम्पनियों को दें, कम्पनियों ने मना कर दिया। जब तक भारत सरकार हमको कोई निर्देश नहीं दे, तब तक हम यह गैस सिलेण्डर आपको उपलब्ध कराएंगे नहीं।

माननीय सदस्य का, जो सवाल आपका है, हमारी भी, सरकार की भी चिन्ता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी चिंता है, हमने केन्द्रीय मंत्रीजी को लिखा है, एक सिलेण्डर के लिये ज्यों ही मोडेलिटिज अगर मार्च में तय हो जाती हैं तो राज्य सरकार जितना भी खर्च आयेगा, राज्य सरकार अपने खर्चे से एक सिलेण्डर उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या जो तीन है, क्या सितम्बर, 12 की घोषणा के अन्तर्गत बजट प्रावधान रखा गया है, आप कह रहे हैं कि इस घोषणा के अन्तर्गत बजट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है और अभी आप कह रहे हैं कि आठ सौ कुछ करोड़ रुपया हमने प्रावधन रखा है। एक तरफ तो आप जवाब जो दे रहे हैं कि नहीं, और जिस दिन कैबिनेट मीटिंग की, उस दिन तीन सिलेण्डर का जो अनुमानित खर्चा था, वह 800 कुछ करोड़ रुपया आप कह रहे हो। मैंने जो प्रश्न पूछा था कि सितम्बर, 12 में जब आपकी बैठक हुई, उसमें मेरा यह था कि क्या सितम्बर, 12 की घोषणा के अन्तर्गत बजट प्रावधान रखा गया है; आप कह रहे हैं, इस घोषणा के अन्तर्गत बजट का प्रावधान अभी नहीं किया गया है। तो पहले वाला जो 800 करोड़ रखा, वह सही है या यह जो लिख रहे हो, यह सही है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 832 करोड़ का टोटल बजट है। जब तक मोडेलिटिज तय नहीं हों, बजट प्रावधान करने में तो कैबिनेट का डिसिजन है, 832 करोड़ रुपये सरकार इस पर होने वाले खर्च को प्रति वर्ष, एक साल का फैसला नहीं था, यह हर वर्ष, भारत सरकार अगर छह से नौ सिलेण्डर नहीं करती तो राज्य सरकार का प्रति वर्ष का फैसला था। कोई एक साल का फैसला नहीं था। तो इस फैसले को लागू करने के लिये जब हमने मोडेलिटिज उनसे पूछीं, कई बार उनको पत्र

(श्री परसादीलाल)

लिखा, मुख्य मंत्रीजी ने लिखा, हमारी तरफ से कहीं कोई कोर-कसर नहीं रही। हम यह चाहते हैं कि मोडेलिटिज तय हों। बजट प्रावधान करने में तो कैबिनेट का फैसला हुआ है 832 करोड़ रखने का, जब तक मोडेलिटिज तय नहीं हों तब तक बजट रखने में, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, क्या बजट प्रावधान करने में समय लगता है? इसलिये बजट की आपको शंका नहीं करनी चाहिए कि बजट सरकार नहीं देती। मोडेलिटिज तय हो जातीं, सिलेण्डर देने का वादा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी कैबिनेट ने किया, उस पर आज भी वचनबद्ध हैं।

एक सिलेण्डर का जो गैप रहा, उसकी आज हमें भी तकलीफ है। मार्च में उपभोक्ताओं को यह रियायती सिलेण्डर नहीं मिलेगा। उसके लिये तेल कम्पनियों से बराबर हम सम्पर्क में हैं। अगर तेल कम्पनियां इजाजत देंगी तो एक सिलेण्डर के लिये भी, क्योंकि 31 मार्च, 2013 के बाद बजट की आवश्यकता नहीं है, नौ सिलेण्डर भारत सरकार देगी लेकिन यह एक का गैप रहा है, उसके लिये भी हम प्रयासरत हैं। अगर वहां से उसकी मोडेलिटिज तय हो जाएंगी तो निश्चित रूप से एक का बजट प्रावधान हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा इस विषय में नहीं है; जो आप कह रहे हैं, आपकी अपनी मजबूरी होगी; मैं तो सवाल कर रहा हूं, जो प्रश्न मैंने आपको दिया, जब आपने पहले दिन, जब बैठक हुई सितम्बर में, तब आपने तय कर लिया, तीन सिलेण्डर जो आपको देने पड़ेंगे, आठ सौ कुछ करोड़ रुपये का राज्य के ऊपर भार आयेगा। इसका मतलब, बजट का प्रावधान तो रखा था ना। यहां जो आप एकदम जवाब दे रहे हैं, नेगेटिव; रखा था, उसका उपयोग नहीं हुआ, वह एक अलग बात है...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं आया। दिसम्बर तक हमको बजट रखने की आवश्यकता नहीं थी। अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर के तीन सिलेण्डर सरकार दे रही थी, इसलिये आवश्यकता क्या थी? जब हमारी चिन्ता हुई जनवरी में, तब हमने कैबिनेट डिसिजन किया कि हम कैश ट्रांसफर करेंगे, कैश पैसा हम उपभोक्ताओं को देंगे। तब जाकर हमारी चिन्ता हुई। हमें तीन महीने तो बजट की आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: आधा घण्टा हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी केन्द्र सरकार का निर्णय हुआ 17 जनवरी को और इनकी मीटिंग हुई 12 जनवरी को। 12/1 में आपको यह पता नहीं था कि 17/1 को केन्द्र कोई नौ करने वाला है। 12/1 की मीटिंग में जो आपने तय किया था, आपके पास कोई तो प्रावधान होगा? तभी तो आप तय करोगे। तय कैसे करोगे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): बजट के लिये आप शंका क्यों कर रहे हैं? खजाने की चाबी अभी अशोक गहलोत के पास है, आपको क्या चिन्ता है अभी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह शंका तो आपके जवाब में हो रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) डा. जसवन्त सिंह यादव।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): शंका तो आपके जवाब में हो रही है कि आपकी जो एफिशिएंसी चाहिए, डिपार्टमेंट की जिस तरह की तैयारी चाहिए और जिस ढंग से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, उस ढंग से देते तो यह सवाल खड़ा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नेता महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि सितम्बर में बजट प्रावधान हमने इसलिये नहीं किया कि हमको दिसम्बर तक बजट की आवश्यकता ही नहीं थी। भारत सरकार दे रही थी। (व्यवधान)

शराब ठेकेदारों से बकाया राजस्व की वसूली

82. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक शराब ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर, 2012 तक उक्त बकाया वसूलने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कितना राजस्व वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 2012 तक कितना राजस्व वसूल किया जाना शेष है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आबकारी मंत्रीजी।

आबकारी मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक शराब ठेकेदारों पर बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) दिसम्बर, 2012 तक उक्त बकाया की वसूली हेतु विभाग ने सभी यथा सम्भव प्रयास किये हैं। इन ठेकेदारों से विभाग ने उनके द्वारा प्रस्तुत सोलवेंसियों में दर्शाई गई सम्पत्तियों की भू-राजस्व अधिनियम के तहत कुर्की कर विक्रय से वसूलियां की हैं। जिन मामलों में बाकीदारों से सम्पूर्ण वसूली नहीं हो पाई है, उन मामलों में सभी विधिक प्रयासों के अलावा समय-समय पर एम्नेस्टी योजनाएं लागू की गई हैं। वर्ष 2010-11 के अंत में जो बकाया राशि थी, में से रुपये 14.21 करोड़ की वसूली माह दिसम्बर, 2012 तक की गई है।

(3) 31 दिसम्बर, 2012 तक शराब ठेकेदारों से बकाया राशि रुपये 164.24 करोड़ वसूल की जानी शेष है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैंने यही क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन संख्या 624, पिछले सत्र में लगाया था और सेम शब्द, एक शब्द का भी मैंने अंतर नहीं किया। क्योंकि मुझे शक हुआ कि शायद मंत्रीजी या विभाग कहीं ठेकेदारों को बचा तो नहीं रहा है, इसलिये यह मुझे दुबारा लगाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जब मैंने पहले पूछा, मैं वह लेकर आया हूं, मंत्रीजी ने, मैंने सेम यही पूछा था कि 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में शराब ठेकेदारों पर कितना राजस्व बकाया था; मुझे मंत्रीजी ने जवाब दिया, 4 लाख 60 हजार रुपये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कब दिया?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह है, पिछले बजट सेशन के अन्दर। अब मंत्रीजी से वही सेम सवाल, इसमें मैंने यीअर भी नहीं बदला।

श्री अध्यक्ष: अन्तर नहीं आ सकता क्या अब?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, अब जो पूछा है, वह है 155 करोड़ रुपए। सेम यीअर का, सेम उसका, उगाही भी नहीं हुई। अगर मान लीजिए, अंतर, मंत्रीजी का है, 14 करोड़ रुपये की उगाही हुई है, पूरे आज तक, मंत्रीजी उस समय साढ़े चार लाख बकाया बता रहे थे, आज मंत्रीजी 155 करोड़ रुपये बकाया बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले साढ़े चार लाख होंगे और अब 155 करोड़ हो गए होंगे उसमें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, किस तरह से हो जाएंगे? एक ही साल का सेम यीअर का, 2008-09 की बात हो रही है, 2008-09 की बात हो रही है; इस तरह से मंत्रीजी पहले तो यह बतायें कि इनमें से कौनसा जवाब सही है? अतारांकित प्रश्नों में तो ये गुमराह करते ही हैं, तारांकित प्रश्नों में भी इस तरह से मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसके अन्दर जब सप्लीमेंटरी पूछूं। उससे पहले आप यह बताइए कि कौनसा जवाब सही है? मैं कौन से जवाब को सही मानूं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष अभी जो प्रस्तुत किया है अपने प्रश्न का उत्तर, वह बिलकुल सही है। आप या तो स्वयं कन्फ्यूज्ड हैं। वह आपका कन्फ्यूजन क्यों है, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं कन्फ्यूज नहीं हूं, मैं लेकर आया हूं, मैं आपको यह कागज दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पहले जवाब सुन लो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका मैंने उत्तर दिया है। फिर भी इनको पहले की किन्हीं बातों का शंका समाधान है तो मुझे ये लिखकर भेजेंगे तो मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन सदन में जो मुझसे पूछा गया है उसका मैंने जवाब दे दिया। उसके बावजूद इनको यदि कुछ पूछना है तो...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खिलवाड़ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनो पहले। (व्यवधान) जवाब आ जाए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सदन जो सर्वोच्च संस्था है, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाए उसके बाद आपको सप्लीमेंटरी की इजाजत दूंगा न। पहले स्पष्ट तो करने दीजिए मंत्रीजी को। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर मंत्रीजी सरेआम असत्य बात कह रहे हैं, तो असत्य बात को कैसे सहन किया जाए?

श्री अध्यक्ष: उनको अपनी बात ही नहीं कहने दे रहे हो। (व्यवधान) वे कह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन होगा तो वे दूर कर रहे हैं, वे स्पष्ट कर रहे हैं। उनको सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कराइए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कन्फ्यूजन दूर कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका। जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दे दिया। इसलिए आप अपने आपको करेक्ट करें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जिस तरह से सदन को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि पिछली बार सेम सवाल का जवाब दिया, इन्होंने साढ़े चार लाख रुपए बकाया बताये और इस बार जवाब दे रहे हैं 155 करोड़ रुपया। तो पहले मंत्रीजी यह बतायें कि उस समय आपने यह गलत जवाब क्यों दिया? सदन को गुमराह क्यों किया?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि मुझसे जो कुछ पूछा गया है, मैं उसका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बेवजह सनसनी पैदा करके, पूरे सदन में यह भ्रम पैदा करके कि उत्तर गलत दे दिया, यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, मैंने पिछली बार भी यही पूछा था और अब की बार भी यही पूछा है, उसके जवाब की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह कतई स्वस्थ परम्परा नहीं है। सदन में जो मुझे पूछा गया है उसका जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इनका स्पेसिफिक जवाब दे दो, खतम बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने जवाब दे दिया न, मैंने वह जवाब दे दिया। उसके अलावा भी यदि कोई ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे सवालों का जवाब नहीं दें और परम्पराओं की दुहाई करें; हमारे सवाल का जवाब नहीं दें और परम्परा की दुहाई दें; एक ही सवाल के दो-दो जवाब हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह सनसनी पैदा करके इस सदन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि सदन में मंत्रीगण तैयारी करके नहीं आते हैं, मंत्री जवाब नहीं देना चाहते; जवाब दे रहे हैं और आप पूछिए सवाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने गलत जवाब पहले दिया था या अभी दिया है? सही कौनसा है? यही तो पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आसन से ही हमारा प्रोटेक्शन चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको दी है न इजाजत पूछने की। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यही प्रश्न पिछले बजट सेशन में इन्हीं माननीय सदस्य ने पूछा था और उसकी एक लाइन भी नहीं बदली, एक शब्द भी नहीं बदला; वर्ष भी वही है; जो वर्ष अभी 2008-09, 2009-10 और 2010-11, तीनों सालों का बकाया कितना था? पहले जो पूछा, वह भी यही प्रश्न है, उसमें उन्होंने चार लाख समथिंग बताया।

श्री अध्यक्ष: उसी साल का?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसी साल का, साल-बाई-साल लिखा है और अभी जो प्रश्न का उत्तर यह जो इन्होंने दे रखा है परिशिष्ट-'1' में, वर्ष 2008-09 में 155.02 करोड़, वर्ष 2009-10 में 152.07 करोड़ और तीसरे साल वर्ष 2010-11 में 151.28 करोड़, इन तीनों को मिला दें तो 458 करोड़ रुपया होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें प्रकरण भी उतने ही हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वही सेम, कोई भी नया बदला नहीं। सेम, वर्ष वही, बकाया वही और वही चीज है। पहले में दिया, चार लाख समथिंग बकाया है और अब आप 458 करोड़ रुपया इन तीनों सालों का बकाया बता रहे हैं। तो या तो यह गलत है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को करेक्ट करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: इनको अपनी बात पूरी कर लेने दो, उसके बाद एक साथ ही ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं इसको क्लीयर करना चाहूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, 2008-09 से, इसका मतलब यह है कि जब से यह बकाया चली आ रही है उससे लेकर 2008-09 तक वह बकाया शेष थी, उसका बता दिया। एक प्रश्न आप यदि यह पूछें कि 2008-09 की क्या बकाया है तो 2008-09 की बकाया बता दी। यदि आप यह पूछते हैं कि 2008-09 से, तो इससे पहले की जितनी भी बकाया चली आ रही है, वह बता दी। इसमें कन्फ्यूजन है कहां?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को मंत्री महोदय गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इसमें छुपा क्या लिया? यदि आप एक वर्ष की पूछते हैं तो मैंने एक वर्ष का बता दिया। (व्यवधान) यदि आप पिछले पूरे 50 सालों का पूछते हैं तो मैंने पूरे 50 सालों का बता दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और न उत्तेजित ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं कोई उत्तेजित नहीं हूं, मैं तो केवल विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन यह चाहता है कि सही प्रश्नों के सही जवाब आएं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में ये दोनों प्रश्न पढ़ रहा हूं। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मंत्रीगण आकर आपके समक्ष अपनी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बात कह सकें, उसके लिए आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। बेवजह यह सनसनी फैलाना कि मंत्रीगण जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यह उचित नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप गुमराह कर रहे हो। सदन को गुमराह किये जा रहे हो। आप सदन को गुमराह कर रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के दो जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उसी सवाल का, वही साल का जवाब आप पहले कुछ दे रहे हो और फिर दुबारा कुछ दे रहे हो, मंत्रीजी। आप गुमराह कर रहे हो सदन को। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब आपके विरोधी दल के नेता महोदय बात कह रहे हैं तो आप बीच में व्यवधान क्यों कर रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पिछले सत्र का प्रश्न था, वह मैं पढ़ रहा हूं; वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 से संबंधित शराब ठेकेदारों पर दिनांक 01.04.2011 को राशि कितनी बकाया थी? अबकी बार जो प्रश्न है, वह भी, प्रश्न की सेम लैंग्वेज है, कोई एक अक्षर भी नहीं बदला, वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक शराब ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया है?

पहले वाले का जो उत्तर आप दे रहे हैं, 'क्रमश: रुपये 4.60 लाख, शून्य, एवं 40.0 लाख बकाया थी।' पहले वाले जवाब में और अभी वाले जवाब में, जो संलग्न परिशिष्ट- '1' किया है, उसमें तीनों सालों को अलग-अलग जोड़कर 458 करोड़ रुपए बकाया है। यह उत्तर सही है या वह उत्तर सही है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आप एक काम करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी आप विराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी हो सकता है कि माननीय मंत्री, महोदय के पास पुराना वाला जवाब नहीं हो, लेकिन अगर यह सदन में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक निवेदन मैं करूं आपसे ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं समाप्त कर रहा हूं बात को, आप जबरदस्ती ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न है एम्नेस्टी स्कीम के बारे में और मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि 1962 से लेकर के 2008-09 तक जो बकाया थे, एक तो वे फिगर हैं, एक है, सिर्फ 2008-09 की फिगर है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभी भी गुमराह कर रहे हैं सदन को, अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसके बाद आप पूछेंगे कि 2008-09 में क्या बकाया था, उसके बाद पूछेंगे कि वर्ष 2009-10 में क्या बकाया था, उसके बाद आप पूछेंगे कि 2010-11 में क्या बकाया था, उसके बाद आप पूछेंगे कि 2011-12 में क्या बकाया था। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल जब एक साल जुड़ जाएगा तो ऊपर-नीचे होगा ही। इसमें ऐसा क्या है? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इस तरह का वातावरण बेवजह बनाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय, यह धमकाने की बात बोलने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय जानबूझकर असत्य बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं दोनों प्रश्न आपके सामने सदन में रखता हूं, दोनों प्रश्न का जो भी आपने ... (व्यवधान) शब्दश:, शब्द वही हैं। आपके अधिकारियों ने गलत उत्तर दिया और उसको आप यहां पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रोटेक्ट करने खड़े हो। (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? क्या मजाक हो रहा है यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या है यह? जवाब दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवाइये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप गुमराह कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप सुनें, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: देखने में क्या दिक्कत हो रही है? आप इसको देख लो। देखने में क्या दिक्कत हो रही है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनिये एक बार। माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, यह पेपर आपने देख लिया न? जिस पेपर से कन्फ्यूजन क्रिएट की बात हो रही थी, वह कागज आपने देख लिया न?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं जवाब दूं?

श्री अध्यक्ष: आप से ही जवाब दिला रहा हूं, वह पेपर पहले देख लो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जवाब दे रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: नहीं, उसको तो देख लिया न?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, मुझे इस कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्य का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई आदमी आकर यह पूछे कि इस एक वर्ष का आज क्या बकाया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं सदन को जो जानकारी देना चाह रहा हूं, उसको सुनने के बजाय ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई नहीं सुनना चाहता तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, नेता, प्रतिपक्ष, आप इतने वरिष्ठ हैं, एक मिनिस्टर जो अपनी बात कहना चाहता है, ट्रांसपेरेंटली कहना चाहता है; बिना किसी भेदभाव और लगाव के कहना चाहता है;, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के नुकसान में नहीं, किसी के नफे में नहीं; अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर मैं अपना जवाब दे रहा हूं। इसके बावजूद इस तरह की सनसनी पैदा करके मिनिस्टर को यह ब्लेम करना, मैं कतई बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे भी यह अपेक्षा करता हूं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन को गुमराह करने का काम किया है। (भारी व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ज्ञान विधायक दल की बैठक में देना।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.43 बजे 12.13 बजे के लिये स्थगित हुई)

(12.13 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल के अन्दर एक प्रकार का कन्फ्यूजन-सा पैदा हुआ है कि पिछले साल के, 2012 में जिस प्रकार का माननीय जसवन्त सिंहजी ने सवाल पूछा था और आज जो पूछा है, यह बताया गया कि वह प्रश्न वैसा का वैसा है, बिलकुल सेम है, एक अक्षर भी नहीं बदला गया है। एक बात तो यह कही गयी। दूसरी बात यह कही गयी कि उस वक्त के उत्तर और इस वक्त के उत्तर में बहुत फर्क है। तो इतना कन्फ्यूजन पैदा हुआ है कि न केवल प्रतिपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी टोटल कन्फ्यूजन में हैं।

मैं यह चाहता हूं, यह बहुत गम्भीर बात है और इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आधा घंटे की चर्चा सिर्फ इस बात पर रखी जाए कि क्या आबकारी मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया, वह सही था या नहीं था और अगर सही था तो प्रतिपक्ष को क्या करना

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

चाहिए था। जिस प्रकार से आरोप लगाये गये कि दोनों प्रश्न एक से हैं, बिलकुल एक से हैं, तो यह बात साफ होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जो बात माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्रीजी ने कही है, वह जो कन्फ्यूजन की बात आयी है, माननीय विरोधी दल के नेता ने भी इस प्रश्न को उठाया है, तो 07 तारीख को आधे घंटे की चर्चा इस पर रखी जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, आसन पैरों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बात ही खतम हो गयी यह तो। बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात दूसरी है। मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष: आधा घंटे की जब चर्चा रख दी तो बात ही खतम हो गयी। आपको मौका मिल रहा है। 06 तारीख को रख नहीं पाऊंगा। 07 को लेटेस्ट मैंने रख दी, इससे जल्दी रखी नहीं जा सकेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत ट्रांसफार्मर कम क्षमता के देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

3. श्री प्रभुलाल सैनी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में पृथक से कृषि बजट की आवश्यकता के संबंध में।

4. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर शहर में फैली स्वाइन फ्लू की महामारी को रोकने हेतु विशेष प्रयास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सरकारी भूमि को भू-माफिया से मुक्त करवाने के लिए जिला कलक्टरों को निर्देशित करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. डा. दिगम्बर सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में सरसों की खरीद पर वैट कर 2 प्रतिशत करने के संबंध में।

7. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर में किसानों को कृषि कनेक्शनों के बिल पिछले साल की तुलना में 10-10 गुना अधिक देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला सिरोही, पाली एवं उदयपुर की बेलकापहाड़ माइंस, खेड़ातरला माइंस में दिसम्बर, 2012 से कुछ गुण्डा तत्वों द्वारा हिंसक गतिविधियां करने से मजदूरों के भूखा मरने की नौबत आने के संबंध में।

9. श्री सुखराम कोली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्राम पंचायत मुख्यालय खरौली एवं मड़ासिल के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

10. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में विद्युत की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री छोटूसिंह भाटी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से खान मालिकों द्वारा धाप्ति खनन पट्टों के लिए पर्यावरण शुल्क लागू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से तहसील आबूरोड में उपखण्ड कार्यालय नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

13. श्री शिवजीराम मीणा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पूर्व स्वीकृत हनुमान नगर पेयजल योजना के चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्रीमती अनिता भदेल एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर शहर के ज्वाला प्रसाद नगर व नाका मदान कालोनियों के ऊपर से गुजर रही 33000 व 11000 के.वी. की लाइनों से होने वाले नुकसान एवं अकाल मृत्यु के संबंध में।

15. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में गरीब व्यक्तियों को प्रशासन-गांव-के-संग अभियान में आबंटित जमीनों का आज तक कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

16. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से राज्य में कम्प्यूटर, मोबाइल व ई-मेल जनित अपराधों पर नियंत्रण लगाने के संबंध में।

17. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली के सरदारसमंद बांध के कैचमेंट एरिया में अनाधिकृत निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

18. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से पुलिस द्वारा प्रदेश में 6 हजार से अधिक लापता व्यक्तियों की तलाश न कर पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

19. श्री अशोक डोगरा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से बूंदी जिले में एक माह में 5 हत्याएं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पी ए डी मंत्रीजी को देखो, जा रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पी ए डी मंत्रीजी धज्जियां उड़ायेंगे तो फिर क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: अभी भी आप अपनी जगह नहीं बैठे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अंजामे गुलिस्ता क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: अब जो हो रहा है, उससे बुरा क्या होगा?

20. श्रीमती कमसा मेघवाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की पंचायत समिति मण्डोर के ग्राम जाजीवाल कलां में पेयजल की टंकी का निर्माण कार्य रोक देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

21. श्री हरि सिंह रावत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में बी.पी.एल. परिवारों को दिए घरेलू विद्युत कनेक्शनों का एक वर्ष का बिल एक साथ देने से हो रही असुविधा के संबंध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संसदीय सचिव, कन्हैया लालजी झंवर को और देखो, खड़े हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सदन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: ये अभी पूरे मंत्री नहीं हैं, डुप्लिकेट हैं। (व्यवधान) कृपया शांति रखें।

(श्री अध्यक्ष)

22. श्रीमती अनीता सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर में वर्ष 2007 से शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण का कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

23. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में गौवंश की वध हेतु तस्करी लगातार जारी रहने से गौवंश एवं अन्य पशुओं के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य, श्रीमती कमसा मेघवाल, श्री हरि सिंह रावत, श्रीमती अनीता सिंह एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली से पिण्डवाड़ा स्टेट हाई-वे की चौड़ाई बढ़ाकर 7 मीटर करने के सम्बन्ध में।

(2) भी भगवानसहाय सैनी, सदस्य की ओर से जयपुर मैट्रो रेल परियोजना को चौमूं, गोविन्दगढ़ तक स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(3) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के किसानों को फसल बीमा का क्लेम फसल नष्ट होने के आकलन के तुरन्त बाद किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से राज्य में भारतीय नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के बगैर चल रहे नर्सिंग स्कूल/कालेजों की ए.सी.बी. से जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से जिला करौली के गांवों में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान हेतु आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों पर रिसीवर नियुक्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की लूणी नदी में पानी का बहाव प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला (सीकर) में सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से दी अजमेर अरबन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, केसरगंज, अजमेर द्वारा 22 हजार परिवारों एवं उन पर आश्रित करीब एक लाख लोगों का शोषण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से शहरों एवं गांवों के सरकारी विद्यालय प्रांगणों में शादी व अन्य सार्वजनिक समारोहों पर न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर के नजदीक शिवकर कुड़ला लिग्नाइट प्रोजेक्ट के नाम से भूमि अवाप्ति प्रक्रिया को रोकने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती संजना आगरी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। मेरे पास आपकी स्लिप आ गयी है, आपको परमिशन दूंगा।

श्रीमती कमसा मेघवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भोपालगढ़ की पंचायत समिति मण्डोर के ग्राम जालीवाल कलां में पेयजल की टंकी का निर्माण कार्य रोक दिया जाना

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2012 में मई और जून महीने में जो पानी की टंकी बनी हुई थी उसके ऊपर 28 लाख 31 हजार रुपये खर्च हो गये

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

और किन्हीं कारणों से वह पानी की टंकी एक साल से बंद पड़ी है। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मण्डोर पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतें आती हैं और उन पंचायतों में पानी की भयंकर समस्या है और यह पानी की टंकी अधूरी पड़ी है। विभाग द्वारा अधूरी पानी की टंकी पूरी नहीं की जा रही है और ठेकेदार ने 28 लाख 31 हजार रुपये लगा दिये। पास ही आर्मी का एरिया आया हुआ है और आर्मी का एरिया आने की वजह से उस टंकी पर विवाद खड़ा हो गया है और आर्मी के विभाग ने उस टंकी को रुकवा दिया है और अधूरी पड़ी हुई टंकी पूरी नहीं हो रही है। अधूरी टंकी पूरी नहीं होने से 6 पंचायतों के अन्दर पानी की भयंकर, विकट समस्या खड़ी हो गयी है। यह जो 6 पंचायतें हैं- जाजीवाल कलां, जाजीवाल कंकराळा, जाजीवाल खींचिया, जाजीवाल दांदला, थबूकड़ा, जाजीवाल गहलोता, जाजीवाल विश्नोईयां, जाजीवाल जाखड़ा और जाजीवाल धोरा, इतनी ग्राम पंचायतों में पानी की भयंकर समस्या है और बार-बार उन गांवों के अन्दर, 6 पंचायतों में जो गांव आते हैं, आर्मी एरिया आने की वजह से वहां

(12.22 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं होता है। अगर ग्रामीण अपने निजी खातेदारी में भी मकान बनाना चाहते हैं तो आर्मी द्वारा रुकवा दिया जाता है। सरकार को चाहिए कि आर्मी का कितना एरिया है, उसका सीमांकन किया जाए। जो पानी की टंकी के ऊपर 28 लाख रुपये लग गये, तो तब तक क्या विभाग नींद ले रहा था? विभाग को क्यों नहीं चेताया गया? यह टंकी का काम शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए था। वह पैसे और जगह लग जाते, पैसे का सही उपयोग हो जाता और वहां पानी की समस्या का हल हो जाता। तो अभी यह जो इतने पैसे खर्च हुए हैं इनका खामियाजा कौन भुगतेगा? विभाग का जो पैसा खर्च हुआ है, तो क्या विभाग नींद ले रहा था? आर्मी वालों ने भी इतनी बड़ी टंकी बन गयी, उसके बाद उसको रुकवाया। तो इन सब बातों पर पहले ध्यान क्यों नहीं रखा गया? इसका खामियाजा जनता भुगत रही है और आये दिन गांवों में पानी की समस्या बहुत भयंकर रहती है। तो इसका समाधान कैसे होगा?

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जो आर्मी एरिया आया हुआ है, वहां का सीमांकन किया जाए और जो पानी की टंकी अधूरी पड़ी है, मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मैं इनसे भी चाहूंगी कि मेरी इस बात का जवाब दें।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

6 पंचायतों के अन्दर पानी की भयंकर समस्या है। बहनों को 6-6 किलोमीटर दूर पानी का घड़ा लेकर पानी लाना पड़ता है। पीने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा जो पानी की मार पड़ती है, वह महिला के ऊपर ही पड़ती है, बच्चा उठते ही मां से ही पानी मांगता है।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो टंकी अधूरी पड़ी है उसको आप कैसे पूरी करवाओगे? जो 28 लाख रुपये उस टंकी पर खर्च हो गये हैं, उनका क्या होगा? उसकी जगह अगर दूसरी भी नयी स्वीकृत होती है तो आप जल्दी से जल्दी दूसरी टंकी स्वीकृत करें और इन गांवों के अन्दर पानी की समस्या से निजात दिलवाएं।

दूसरा, जो मेरी बावड़ी पंचायत समिति है, वहां की भी 12 पंचायतें भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आती हैं। वहां भी ठेकेदार द्वारा हर गांव में ट्यूबवैल खोद दिया जाता है और ठेकेदार की दो साल की जिम्मेदारी होती है लेकिन कई गांवों में आज के दिन ट्यूबवैल खराब पड़े हैं। ठेकेदार को और विभाग को बार-बार फोन करने पर भी जो ट्यूबवैल खराब पड़ें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी हो। तो जो ऐसे लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी हैं और जिन ठेकेदारों द्वारा जो ट्यूबवैल खराब पड़े हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे विभाग को चेताया जाए कि जिन ठेकेदारों को आप टेण्डर देते हो वे अपनी दो साल की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। कौन से विभाग से और किस जगह से ऐसे खटारा पम्प लेकर डाले, जो ज्यादातर पम्प खराब हो जाते हैं और बार-बार शिकायत करने पर भी कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से गांवों के अन्दर जो पानी की भयंकर समस्या है उस समस्या का समाधान कराने का मंत्रीजी द्वारा जवाब दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): मैंने जो पानी की बात उठायी है, वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। पानी सबसे पहले चाहिए और आगे गर्मी के दिन आने वाले हैं और वहां गांवों के अन्दर इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी, मैं मंत्रीजी से चाहूंगी कि जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक इश्यू है।

श्री उपाध्यक्ष: आपके पीछे माननीय सदस्य खड़े हैं। (व्यवधान) माननीय श्री हरिसिंहजी रावत।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मेरा जवाब दिलवा दो।

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, यह मंत्रीजी के ऊपर है, दें, नहीं दें वे। you cannot compel. हर पाइंट पर जवाब मंत्रीजी देवें...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरी बात तो सुन लो।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी हरिसिंहजी रावत के बाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, मेरी एक सैकण्ड की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: हरिसिंहजी रावत के बाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 22 तारीख को यूजर चार्ज के मामले में ...

श्री उपाध्यक्ष: यह अंकित नहीं होगा। नहीं, नहीं, यह अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बाद में, आप इजाजत से बोलेंगे तो।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष जी, मंत्रीजी से मेरा इस टंकी के बारे में जवाब दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हरिसिंहजी रावत। आप बोलना नहीं चाहते हो?

भीम में बी पी एल परिवारों को एक साथ एक वर्ष का विद्युत बिल दिया जाना

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बहुत ही ज्वलन्त समस्या है कि बी.पी.एल. परिवार को कनेक्शन दिये जाते हैं और वह कनेक्शन देने के बाद एक-एक साल तक मीटर रीडर उनकी रीडिंग नहीं लेता है और एक साल बाद उनका बिल आता है पांच-पांच, छह-छह हजार रुपये, जो बिल भरने में बी.पी.एल. परिवार अक्षम हैं और जिसकी वजह से उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। सरकार इतनी संवेदनशील है कि बी.पी.एल. के घर में उजाला हो और उजाले के लिए इतनी योजनाएं बनायीं लेकिन इन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं होती। कारण, कि जो कर्मचारी हैं वे घर पर बैठे

(श्री हरिसिंह रावत)

ही, कभी गांव में जाते नहीं, कभी मीटर चैक नहीं करते हैं और बिना मीटर चैक किये ही, वे मीटर रीडिंग लिये बिना ही बिल भेज देते हैं जिसकी वजह से पाँच-पांच, छह-छह हजार रुपये का बिल आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो बी.पी.एल. के कनेक्शन हुए हैं, उनका जो बिल पांच-पांच, छह-छह हजार रुपये आया है, उन बिलों को निरस्त किया जाए या फिर जो सम्बन्धित कर्मचारी, अधिकारी हैं, जो कि बिना मीटर के भेज रहे हैं, यह उनसे वसूल किये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी समस्या है कि हम एम.एल.ए. लैड से विद्युत कनेक्शन के लिए पैसे देते हैं, हमारा कैश पैसा होता है और उसके बाद भी अगर आठ-आठ, दस-दस महीने तक सामग्री नहीं मिलने की वजह से वे कनेक्शन नहीं हो पाते हैं तो हमारा एम.एल.ए. लैड का पैसा देने का क्या फायदा रहा? मंत्री महोदय विराजमान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.ए. लैड के पैसे देने के बाद भी अगर आपका विभाग सामान सप्लाई नहीं करता है और आठ-आठ, दस-दस महीने तक अगर हमारे वहां लाइट नहीं लगती है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, इस पर मंत्रीजी को बोलें कि इस पर कोई विचार-विमर्श करके और तत्काल सामग्री के पैसे भी दें ताकि जो लाइट के हम एम.एल.ए. लैड से देते हैं उनका काम हो सके।

दूसरा, जो मीटर अभी अलाट हुए हैं, वे मीटर भी, उपाध्यक्ष महोदय, सभी डिफेक्टिव हैं। उसकी जांच भी हो चुकी है और जिस विभाग ने या जिस व्यक्ति ने, जिस ठेकेदार ने ये मीटर भेजे हैं उन मीटरों को भी चैक कराया जाएं। कम्प्लेंट करने के बाद भी अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप थोड़ा विचार करें।

दूसरा, प्राइवेट एजेंसी, एन.जी.ओ. के माध्यम से जो मीटर रीडर जाते हैं वे मीटर रीडर भी बहुत भ्रष्ट हैं। गांवों में जाते हैं तो वे क्या बोलते हैं कि तुम हमें गेहूं की बोरी दे देना, तुम्हारा कनेक्शन डाइरेक्ट करा दूंगा; या उनका बिना मीटर देखे ही उनके बिल बिना पैसे के; मतलब, उनका पैसा चार्ज किये बिना ही उनको लाइट के कनेक्शन देते हैं और कितने ही ऐसे अवैध कनेक्शन चल रहे हैं। उनका केवल यही होता है कि तेरे घर में अगर घी है तो मुझे घी

(श्री हरिसिंह रावत)

दे देना, तेरे घर में गेहूं है तो गेहूं की बोरी भिजवा देना, मैं बिना बिल के तुम्हारा कनेक्शन कर दूंगा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें थोड़ा सजग हों और विभाग को हिदायत दें कि इस तरह से जो काम करते हैं उन एन.जी.ओज. का ठेका तत्काल निरस्त किया जाए।

इसके साथ-साथ ही मेरे क्षेत्र में एक-एक टांसफार्मर पर कम से कम 50-50, 60-60 कनेक्शंस हैं। इसके लिए मैंने कई बार जिला परिषद की मीटिंग में भी बोला है कि ट्रांसफार्मर अगर कम हैं तो उसको तत्काल बड़ा लगाया जाए ताकि जो समस्या है, या तो हाई वोल्टेज आएगा जिससे घरों में उनके एपेरेटर्स जल जाते हैं या फिर बिलकुल डिम लाइट आएगी। तो गांवों की बहुत ही दयनीय हालत है। गांव में एक-एक ट्रांसफार्मर पर 50-50, 60-60 कनेक्शन्स हैं। इसके बारे में हम कई बार शिकायत कर चुके पर कोई एक्शन नहीं हुआ।

तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो तथ्य बताएं, उन पर गौर करें, तत्काल निस्तारण करने का मुझे आश्वासन दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनीता सिंहजी (नगर)।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): जवाब दिलवाइये ना, मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी चाहें तो दे सकते हैं, कम्पेल नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा एक इम्पार्टेंट इश्यू है कि यहां भी जो मीटर्स हैं..

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलें, माननीय सदस्या।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पूरे राजस्थान का इश्यू है, बीस-बीस, पचास-पचास हजार के बिल आ रहे हैं। मीटर डिफेक्टिव हैं।

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनीता सिंह जी का।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनीता सिंह जी का।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रस्ताव लाइये। (व्यवधान) जैन साहब, आप प्रस्ताव लाइये। हर सब्जेक्ट पर बोलें, जरूरी नहीं है। अनीता सिंहजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अभी आपको बोलने का मौका मिला होगा। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनीता सिंहजी का।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको बोलने दें। माननीय सदस्या के विघ्न क्यों डाल रही हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनीता सिंहजी का अंकित होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

भरतपुर में वर्ष 2007 से बंद शस्त्र अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण कार्य

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता सरकार से सबसे पहले कानून-व्यवस्था की उम्मीद करती है, अपनी जान-माल की सुरक्षा की उम्मीद करती है। सबसे पहले उसका यह मन रहता है कि मेरी सुरक्षा हो, मेरे जान-माल की सुरक्षा हो, मेरी सम्पत्ति की सुरक्षा हो, मेरी जमीन की सुरक्षा हो और सुरक्षा के बाद वह विकास की बात करता है। चूंकि विकास की बात सुरक्षा से पहले आती है, इसलिए विकास की बात पीछे रह जाती है।

मुझे बड़े दुःख के साथ आज यह कहना पड़ रहा है कि मेरे भरतपुर जिले के अन्दर आज आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर मुंह देख रहा है। क्योंकि यह मेवात का इलाका है और मेवात का इलाका होने के साथ-साथ इसमें दो सीमाएं हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की, दोनों की जुड़ी हुई हैं और ऐसे-ऐसे क्रिमिनल गांव उत्तर प्रदेश के आते हैं जो बिलकुल सटे हुए हैं। वहां से क्रिमिनल्स तुरन्त बार्डर पार करके हमारे क्षेत्र में वारदात करते हैं। रोज हमारे क्षेत्र में कहीं वाहन की लूट होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं लूट होती है। बैंक की लूट भी, मेरे ख्याल से, पूरे जिले में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां

(श्रीमती अनीता सिंह)

बैंक की लूट नहीं हुई; जहां पर आम आदमी मोटर साइकिल पर जा रहा है, उसकी लूट नहीं हुई। वहां पर वातावरण ऐसा है कि रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है।

उसके बाद वहां का रहने वाला, भरतपुर जिले का आदमी अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर देखता है कि सरकार जो है, एक अदद हथियार का लाइसेंस उसको उपलब्ध करवा दे जिससे वह अपनी सुरक्षा कर सके, अपनी जमीन की सुरक्षा कर सके, अपने जान-माल की सुरक्षा कर सके। लेकिन हमारे यहां भरतपुर जिले में, मैं जहां तक समझती हूं, 2007 के बाद नये लाइसेंस तो बन ही नहीं रहे हैं, उसमें तो अघोषित रूप से रोक लगा दी गयी है जिससे वहां नये लाइसेंस तो बन ही नहीं रहे हैं, लेकिन नये लाइसेंस न बनने के साथ-साथ जो लोग, जिनके पास पहले से लाइसेंस हैं उनके भी नवीनीकरण के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। लोगों के लाइसेंस 2-2, 3-3 साल से वहां पड़े हुए हैं। लगातार कलेक्टरेट के, एस पी आफिस के, थानों के भी चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाए। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर कह देते हैं; सी ओ का तो लिखा हुआ आ गया आपका लेकिन थानेदार का नहीं आया; कभी थानेदार का आ गया तो एस पी का नहीं आया। इस प्रकार से अनेकों उसमें राइडर लगाकर इस नवीनीकरण को लगातार इतना लटकाए जा रहे हैं।

मेरे ध्यान में आता है, अभी 22 तारीख को जो प्रश्न था राठौड़ साहब का, उसमें भी उन्होंने जो लिस्ट दी थी कि यहां पर कितने लाइसेंस के नवीनीकरण बकाया हैं तो प्रदेश के अन्दर भरतपुर दूसरे नम्बर का है जहां पर लाइसेंस के इतने नवीनीकरण बाकी हैं। लगातार लोगों की परेशानियां इससे बढ़ती जा रही हैं।

मेरा आपसे निवेदन था, एक तो वे लोग हैं जो अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए कराना चाहते हैं लाइसेंस रिन्यू, वे चाहते हैं कि उनका नवीनीकरण समय पर हो जाए और जो अनावश्यक रूप से राइडर्स लगाये हैं, अधिकारियों की जो अनावश्यक रूप से लगा रखी है, अघोषित रूप से उनको नहीं कर रहे हैं, उसको किया जाए; उनका नवीनीकरण हो जाए।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे भरतपुर जिले के अन्दर भी...

श्री उपाध्यक्ष: आप काफी कुछ कह चुकीं, थोड़ा संक्षेप में। आज जवाब भी आएगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन सुनिए, वह अलग था, यह मेरा अलग है।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक बात देखिए। आप डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में बैठती हैं, वहां भी चर्चा करती होंगी, हालांकि सदन सर्वोपरि है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं सदन में कोई बात कहना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बात को डाइल्यूट मत करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिला सीमा का जिला है, माननीय सदस्या जो बात कह रही हैं, आप इस बात को गम्भीरता से लीजिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): रिन्यूअल कर नहीं रहे। मंत्रीजी से पूछवाएं, झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया पंचायत राज में। सारे सरपंच, 450 सरपंच थे ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला और उठाना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको बोलने दें। उनके बोलने के बाद कोई बात हो तो बताइये। उनको समाप्त करने दें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह तो आम लोगों के नवीनीकरण की बात है लेकिन हमारे क्षेत्र के अन्दर, भरतपुर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो लोग फौज से रिटायर होकर आ जाते हैं, मैं उन कर्नल या मेजर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं उन सिपाहियों की, उन हवलदारों की जो छोटे रैंक से वहां रिटायर होकर आते हैं, उनके लाइसेंस नहीं बने हुए हैं। वहां से रिटायरमेंट के बाद वे अपने क्षेत्र में आ जाते हैं और फिर भी उनकी आवश्यकता होती है कि उनको रोजगार मिले। तो रोजगार के रूप में गार्ड की नौकरी बहुत आसानी से उनको मिल जाती है लेकिन गार्ड की नौकरी में भी उनके लिए हथियार का लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है। उस नौकरी के लिए जब वे अपनी बात करते हैं तो हर साल जो नवीनीकरण की बात है, उनका जो हथियार है उसका नवीनीकरण होगा और नवीनीकरण के बाद ही उनको कहीं नौकरी मिल पाएगी ।

(श्रीमती अनीता सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि उन फौजियों की जो सेवानिवृत्त होकर आए हैं, उनके रोजगार की बात है। उनके रोजगार के लिए, उनके परिवार के पालन-पोषण के लिए, जिसने अपने बीस-पच्चीस बेशकीमती साल फौज में देश की सेवा के लिए दिए हैं, आज अगर वह अपने गांव में आकर सुख से रहना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: उनकी बात समाप्त होने दीजिए। आप समाप्त करिए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उसके बावजूद भी वह नवीनीकरण के लिए बार-बार घूमता रहता है। मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कम से कम 25 ऐसे फौजी हैं जो इस नवीनीकरण की वजह से नौकरी नहीं लग पाए, लगातार साल भर से। मैं भी कह रही हूं कलक्टर साहब से लेकिन उनको भी यही लगता है कि अघोषित रूप से रोक है। तो उनके लिए तो निश्चित रूप से राइडर्स हटाकर उनके रोजगार को देखते हुए, उनकी नौकरी को देखते हुए, उनकी देश सेवा को देखते हुए इस बात को करना चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भरतपुर जिले का इश्यू है।

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस का विषय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, तीन तरह के इश्यूज हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बात सारी आ गयी। (व्यवधान) कोई नई बात हो, जो माननीय विधायक ने बताई, उससे अलग हो तो बता दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट लूंगा मात्र।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात नई है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट लूंगा। माननीय गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, भरतपुर जिले में नवीनीकरण अपने आप में बहुत बड़ी समस्या

(डा. दिगम्बर सिंह)

है। जो माननीय सदस्या ने उठाया है, इसके अलावा जिनके पिता की डैथ हो गयी या वृद्ध हो गये, वे अपने बच्चे के नाम लाइसेंस करना चाह रहे हैं, वे क्लीयर नहीं हो रहे हैं। नये लाइसेंस तो जब से गुर्जर आन्दोलन हुआ है तब से भरतपुर जिले के अन्दर एक तरह से एक अघोषित बैन लगा रखा है। एक भी लाइसेंस भरतपुर जिले के अन्दर नहीं बन रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है, गृह मंत्री महोदय, आप निश्चित रूप से जिला प्रशासन को हिदायत दें, इंस्ट्रक्शंस दें कि जिनके पिता की डैथ हो चुकी, उनके लाइसेंस थाने में जंग खा रहे हैं, उनके बेटे को कम से कम लाइसेंस इश्यू कराएं। जो नवीनीकरण के प्रकरण पड़े हैं, अभी तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन पिछले दिनों में काफी लाइसेंस रिन्यूअल हुए हैं, इसके बावजूद भी आज भरतपुर जिले के अन्दर 287 रिन्यूअल के केसेज पेण्डिंग पड़े हैं जिनको जल्दी करवाएं।

जो एक्स-आर्मी के लोग हैं, मंत्री महोदय, उनके वास्तव में रोटी-रोजी का सवाल है। किसी का जम्मू कश्मीर से बना हुआ है, किसी का पंजाब से बना हुआ है। उनके वेरिफिकेशन के लिये वापस वहीं भेजते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। विराजिये। विराजिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा तीसरा...

श्री उपाध्यक्ष: कोई डिटेल नहीं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हालत धौलपुर जिले की है। वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। कलक्टर वहां करता नहीं। वहां कोई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, कुछ कहना चाहते हैं? मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते हो क्या? (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते हो मंत्रीजी का जवाब? (व्यवधान) मंत्रीजी का जवाब...(व्यवधान) मैं अगला नाम पुकारूंगा।(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अनुमति ही नहीं देते हो। (व्यवधान) कोई जवाब दें। मतलब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। हर पाइन्ट पर बोलना, आप उनका जवाब नहीं सुनना चाहते हो क्या? वे कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी

(श्री उपाध्यक्ष)

कुछ कहना चाहते हैं। मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): हां, सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं; माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): हमारे लाइसेंस नहीं हुए...(व्यवधान) हमारे लाइसेंस...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हमारे खुद के लाइसेंस...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): हम भी कहना चाह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप नहीं सुनना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): हमारा व्यक्तिगत है यह। तीन... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): निकाल दो बाहर फिर। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जब्त करने के बाद उनके परिवार को दिये जाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आप अपने सदस्यों को कण्ट्रोल कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनके खुद के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हम अपराधी हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अपनी सीमा से ज्यादा बोल रहे हैं। (व्यवधान) सीमा से अधिक नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): इसलिये मेरा निवेदन है, लाइसेंस में भी कुछ न कुछ मंत्रीजी अवश्य कहें। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): यह कोई तरीका है! (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गृह मंत्रीजी...(व्यवधान) यह बहुत जरूरी बात है। मंत्रीजी जवाब देवें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप बैठें। अपने सदस्यों को कण्ट्रोल में करिये। (व्यवधान) बिना चेयर की इजाजत के मंत्रीजी नहीं बोलेंगे। आपके सदस्य ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके सचेतक हैं, सचेतक नहीं जानते, नियम क्या होता है? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी खड़े हो रहे हैं, आप जवाब दिलवा दें..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके सदस्य, एक मिनट, मंत्रीजी, आप इजाजत लेकर बोलिये। आपके सदस्य कण्ट्रोल में नहीं हैं..(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): एक मिनट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल नहीं।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल नहीं। सदन में अनुशासन के बिना एक शब्द नहीं बोला जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित ही नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

माननीय सदस्य, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक माननीय सदस्य बोलता है, उसको बोलने का मौका नहीं देते, 4-4 बोल जाते हैं। माननीय दिगम्बर सिंहजी जब कोई अपनी बात कह रहे थे, आपको नहीं बोलना चाहिये। मंत्रीजी खड़े हो गये, अपनी वही बात रिपीट कर रहे हो जो माननीय अनिता

(श्री उपाध्यक्ष)

सिंहजी ने कहा। (व्यवधान) आप सुनिये। आप पार्टी के पदाधिकारी हो, आप सीनियर आदमी हो गये। नहीं हो तो भी 4 साल हो गये। हर सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। एक की जगह 3-3 बोलेंगे! आप शिक्षा मंत्रीजी रहे हैं, बात को सुनिये। एक की जगह 3-3 बोलेंगे, माननीय दिगम्बर सिंहजी? फिर सदन चलाने का वह नहीं आता। इसलिये आप बैठिये, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनका कहना यह है कि हमारे माननीय सदस्यों के रिन्यूअल नहीं हुए हैं। यह इनकी पीड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समस्या का समाधान चाहिये? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हम स्वयं हैं। स्वयं हमारा खुद का है, चारों विधायकों का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको अपनी बात कहनी चाहिये, आपको यह पाइंट पहले बोलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): आप सुनोगे तो ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका खुद का लाइसेंस है। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): बात सुन लें एक मिनट। बात एम एल एज की है, इसलिये कह रहे हैं हम। आप सुनने की स्थिति में नहीं हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, गम्भीर समस्या है, मानते हैं लेकिन एक-एक बोलेगा। (व्यवधान) एक-एक बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): हाउस में करके ज्यादा तो नहीं हो गया? आप बता दीजियेगा, करेंगे ना हम। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): एक सेकण्ड निवेदन कर देता हूं आपसे मैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): रिकार्ड में रखने के लिये... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हां, इतना सा बोलने देवें। पंचायत राज का सोशल आडिट का एक विरोध था, उसमें अलवर जिले के सारे सरपंच, एम पी, एम एल एज, सभी दलों के उस धरने पर गये थे और धरने के बाद

(श्री रामहेत सिंह)

सरपंचों ने उस पर जाम लगा दिया। कोई जन हानि नहीं हुई। हमारे खिलाफ 3 पी पी डी और एक एफ आई आर ढाई साल पहले दर्ज हो गयी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इश्यू तो भरतपुर का है, अलवर आ गया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सरकार को लिख दिया। ढाई साल से हम चार विधायकों, बहुत सारे सरपंचों के, एम पीज के, प्रधानों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): यह बात थी। सुन तो रहे नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष: इनकी बात सुन ली आपने, इनके व्यक्तिगत लाइसेंस की? या तो रिजेक्ट करें, या दें। इनका करना ही है।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): अब जवाब दे दो आराम से।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिजेक्ट करें तो उसकी अपील है, भाई।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण के विषय को लेकर जो यहां पर अपनी बात रखी, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में प्रश्न के जरिये यह विषय आ चुका है, इस पर चर्चा भी की जा चुकी है लेकिन फिर भी क्योंकि माननीय सदस्या के विधान सभा क्षेत्र के उन रिटायर्ड फौजियों से सम्बन्धित भी यह विषय आपने रखा है, बात सही है, रोजगार प्राप्त करने का जरिया उनका वह हथियार और उसका लाइसेंस भी है। जैसा कि माननीय सदस्य, दिगम्बर सिंहजी ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए रखा, क्योंकि अन्य राज्यों में अपनी सेवा दिये जाने के दौरान उनका किस राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया गया, ये एक जांच का विषय होते हैं। पूर्व के प्रश्न के माध्यम से भी यह बात आ चुकी है।

मेरा निवेदन है, इसकी बाकायदा एक नीति बनी हुई है और नीति के क्रम में लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना, लाइसेंस जारी किया जाना और पिता के या परिवार में सीनियर की डैथ हो जाने के बाद उनके आश्रित को लाइसेंस जारी किया जाना, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने के साथ लाइसेंस जारी किया जाता है।

फिर भी आपने स्थान विशेष की जो बात फरमायी है, मैं भी अपनी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ओर से इसमें ध्यान करूंगा, यदि किसी प्रकार का आप कोई विलम्ब महसूस कर रही हैं, उसको दूर किये जाने का प्रयास किया जायेगा। धन्यवाद।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हमारे प्रश्न का...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): यह बात सभी के साथ लागू हो गयी ना माननीय। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): नहीं, नहीं, हमारे अलवर जिले की बता दो आप। सारे सरपंचों के खिलाफ एफ आई आर हैं। हम अपराधी हैं क्या? आप चालान पेश कराइये, हमको मुलजिम बनाइये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति पूरे राज्य के लिये है, अलग-अलग जिले की नीति नहीं है। (वयवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट सुन लें। मंत्रीजी, इनकी ग्रीवेंस जो सदन समझ पाया, वह यह है कि यह जनरल हो रहा है; डिलेइंग टैक्टिस जो आफिसेज से हो रही है इसका कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हो, एक महीने में यहां से रिपोर्ट आ जाए, दो महीने में आ जाए। चूंकि हमारे सर्विस के वे भी बन गये, राजस्थान में बहुत कुछ कानून आप बना रहे हो, वह हो, जाए और माननीय सदस्यों का जिनको हम गार्ड देते हैं, वे क्या लाइसेंसी इससे करेंगे ? यह इनका ग्रीवेंस है, इसको थोड़ा दिखवा लें आप।

माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

प्रदेश में गौवंश की वध हेतु तस्करी से गौवंश व अन्य पशुओं के अस्तित्व पर उत्पन्न संकट

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके निर्देशों के बाद स्थगन प्रस्तावों पर जब हम चर्चा करते हैं तो माननीय मंत्रीगण उपस्थित रहने लग गये, पर पशुपालन मंत्रीजी यहां उपस्थित नहीं हैं।

मैं एक अत्यन्त लोमहर्षक और एक अत्यन्त संवेदनशील विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश के उन तीन प्रदेशों में शुमार है जहां सर्वाधित पशुधन रहता है। 2007 की पशु गणना के अनुसार 566.6 लाख पशु राजस्थान में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहता है और जो हमारे किसान की अर्थव्यवस्था है, पशुपालन, उसका मेरुदण्ड भी है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसका 9 फीसदी योगदान भी है। आज देश में 10 परसेण्ट दूध, 35 परसेण्ट ऊन और 33 परसेण्ट पशु मांस राजस्थान से निर्यात हो रहा है। इसके अन्दर 1 करोड़ 20 लाख गौ-धन है जो हमारी धर्म संस्कृति का आधार भी है और पूजनीय भी है। अगर एक गाय किसी किसान के पास है, एक यूनिट गाय से वह अपने परिवार का भरण-पोषण भी कर सकता है। परन्तु आजकल गौ-धन की तस्करी, गौ-वध, यह राजस्थान में बड़े पैमाने पर रैकेट बनाकर लोगों ने करना प्रारम्भ कर दिया।

हमें इसमें शक नहीं कि 1995 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने राजस्थान गौ-वंशीय पशु वध का प्रतिबन्ध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का अधिनियम 1995 को लागू किया था और इसमें धारा 5 और 8 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि गौ-वंश का वध गौ-मांस के लिये कोई करेगा तो उसको 7 से 10 वर्ष तक की सज़ा है। परन्तु आजकल पुलिस की लापरवाही, नादिरशाही, अकर्मण्यता के कारण चूरू, सीकर, उदयपुर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, भरतपुर और अलवर, ये तो सिरमौर बन गये गौ-तस्करी के। आवारा गौ-वंश को पकड़ लो, अवैध रूप से कत्लखानों में ले जाओ। यही नहीं, गौ-वंश को पशु मेलों से भी खरीदकर वध के लिये ले जाया जा रहा है। जब कभी भी गौ-भक्त इन अवैध तस्करों के सामने खड़े होकर उनके वाहनों को रोकते हैं, पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज करके इतिश्री कर देती है। उसी समय उस तस्कर की जमानत हो जाती है और वह वाहन भी छोड़ दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय के जिस आदेश की चर्चा दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कल कर रहे थे, इस आदेश के तहत 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन आजकल जो भी पशु मेले हैं, उनमें 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की उम्र 4, 5 वर्ष बताकर उसको बूचड़खानों में भेजने का काम चल रहा है। यह जो अधिनियम बना है 1995 का, उसकी धारा 5 की उप-धारा 7 में उप जिला मजिस्ट्रेट को पशु मेलों में राज्य के बाहर कृषि, डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ पशु धन को निर्यात करने के लिये अनुज्ञा देने का अधिकार है, यानी वह परमिट जारी करेगा लेकिन आजकल पशु मेले जहां भी आयोजित होते हैं वहां उपखण्ड मजिस्ट्रेट पहुंचते नहीं हैं। इससे या तो परमिट जारी होता नहीं है, या एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परमिट जारी हो गया, उसकी फोटो कापी कराकर उसी एक परमिट के आधार पर पशु तस्करी करने वाले उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारा गौ-धन संकट में है, वहीं दूसरी ओर लम्बी-लम्बी बात करने वाली सरकार ने गोचर पर अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। अभी सरकार का एक आदेश जारी हुआ, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, क्र. एफ-2000/2007, 24.04.2011 को, इस एक आदेश को जारी करके राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर तहसील में जितनी भूमि भी गोचर के लिये उपलब्ध थी, उस सारी की सारी भूमि का नामान्तकरण जे डी ए के नाम से कर दिया, यानी एक इंच जमीन भी आज गोचर के नाम पर इस जयपुर तहसील के अन्दर नहीं बची। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने जगपाल वर्सेज पंजाब सरकार में चरागाह, जोहड़, तालाब, इन सब की भूमि का निजी अथवा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग बंद कर रखा है, इसके लिये राज्य सरकार ने 25.04.2011 को आदेश भी जारी कर रखा है, वहीं, दूसरी ओर, इस सरकार की नाक के नीचे गोचर की सारी की सारी भूमि इस जयपुर तहसील के अन्दर जे डी ए को दे दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एनिमल बोर्ड आफ इंडिया की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जनवरी, 2013 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, पूरे देश में बूचड़खाने हैं 2,561 और राजस्थान में बूचड़खाने हैं 658 । आज हो क्या रहा है, यहां से पशु मांस सीधा ही खाड़ी देशों में जा रहा है। अभी अमेरिका के कृषि मंत्रालय की 2012 की रिपोर्ट आयी जिसमें यह कह दिया कि 2012 में गौ-मांस निर्यात में भारत ने आस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष: शोर्ट करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं एक मिनट में खतम करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात बने हैं, आज राजस्थान का ऊंट जो कि राजस्थान का जहाज है, उसकी तस्करी होनी प्रारम्भ हो गयी। ऊंटों की संख्या में 2003 की जनगणना और 2007 की जनगणना का अनुपात जब हम लेते हैं तो 15 प्रतिशत की गिरावट हो गयी। अभी इसी 14 फरवरी को पुष्कर मेले से खरीदे गये ऊंट 1, 2 नहीं, 179 ऊंट, उनको अभी बिहार के अन्दर पकड़ा गया। उनको बांग्लादेश की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करा रहे थे। मेरे पास सूची है, इस गौ-तस्करी में एक-एक ट्रक 4-4 बार पकड़े गये और चारों बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनकी जमानत हो गयी, चारों बार छोड़ दिये गये। गौ-तस्करों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक कारण भी है, अभी केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने एक पुस्तक निकाली, 15 फरवरी को पूरे देश में पुस्तक के कुछ अंश प्रकाशित हुए। उस पुस्तक का नाम है 'पोषण', यह पुस्तक है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की, उसमें लिखा है कि मानव शरीर में खून और आक्सीजन बनाने के लिए हरी पत्तियां, सब्जियां, मुर्गा व गाय का मांस खाना उपयुक्त है। मतलब, हम कर क्या रहे हैं? केन्द्र सरकार के मंत्रालय की पुस्तक में इस तरह की बात लिख दें, गौ-मांस खाने से खून बढ़ता है; मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात नहीं हो सकती है। यह छोटी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कौनसी किताब है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की एक पुस्तक है, 'पोषण' पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के अंश 15 फरवरी, 2013 को राजस्थान सहित सभी जगह पर प्रकाशित हुए। आप कहें तो मेरे पास वह है, मैं आपको निवेदन कर दूंगा, उसमें वह लिखा गया।

श्री उपाध्यक्ष: संबंधित पृष्ठ की कापी आप दे सकते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल। जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, वह मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा।

इस तरह की बात हो तो मेरी आपसे मांग है कि इस तरह की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाये और राजस्थान में जितनी भी पशु गौ-शालाएं हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: यहां हो तो कापी आ जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अभी देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह लो।

उन सभी गौ-शालाओं में हरियाणा की तर्ज पर उनको 50 रुपये प्रति पशु कम से कम दिया जाये। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड पशु धन, वह गौ-वंश जिसको गौ-माता हम कहते हैं, उस पर संकट छाया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, न्यूज के आधार पर नहीं, मैंने

(श्री उपाध्यक्ष)

किताब के उस पृष्ठ की कापी के लिए अनुरोध किया था। चूंकि सदन के सामने कोई चीज आये और कल को वह असत्य साबित हो, या सत्य भी हो, इसलिए मैंने अनुरोध किया है। आप उसको यदि कहीं है तो, न्यूज के आधार पर नहीं, मेरा अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान के लोकप्रिय समाचार पत्र में छपा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष: वह मैं मानता हूं, कोई अप्रिय समाचार पत्र नहीं है, समाचार पत्र सब प्रिय हैं। खैर, आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं वह पुस्तक भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह पुस्तक भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, उपलब्ध नहीं, मैंने अनुरोध किया है, आपसे आशा की जा सकती है, सदन के प्रत्येक सदस्य से आशा की जा सकती है। अतथ्यात्मक बात कोई लायी नहीं जाये और अगर लायी जाये तो वह फैक्ट्स के आधार पर हो। क्योंकि यह बहुत सीरियस मामला है, ऐसी बात पर सदन उद्वेलित हो सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा वक्तव्य, मेरी बात गलत होगी तो सदन से क्षमा मांगकर मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। आपसे भी क्षमा मांगूंगा, आसन से भी क्षमा मांगूंगा। अगर यह बात गलत है तो मंत्री महोदय खड़े होकर के कह दें कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्रीजी ने कोट नहीं किया, माफ करिये। (व्यवधान) होगा, होगा, माननीय सदस्या आप तो जानती हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि हमारी संस्कृति के साथ में गाय का शब्द जुड़ा हुआ है, हम गौ की पूजा करते हैं, माता के समान समझते हैं, आज राजस्थान में गौ-वंश की जो सर्वाधिक गौ-कशी हो रही है, रैकेट बने हुए हैं और वे रैकेट राजस्थान के एक जिले में नहीं, आधे जिलों में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार समय रहते इसके बारे में सख्त कदम उठाये।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह गौ-हत्या का मामला है, कोई मामूली मामला नहीं है। (व्यवधान) लोगों की भावनाएं जुडी हुई हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नयी बात आपके सामने लाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हमारे गंगानगर जिले में एफ आई आर दर्ज हुई है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल पुष्पेन्द्र सिंहजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल पुष्पेन्द्र सिंहजी। आपके सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हर पाइंट पर नहीं बोलेंगे आप। केवल पुष्पेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह डैड नहीं हुआ है मामला। वह किताब रखेंगे तो आप अपनी बात कुछ कह दें। यदि किताब नहीं है, पृष्ठ में नहीं है तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी। आप किताब लायें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी, बोलो। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ था बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। लगभग 2 हजार लोग जो श्रमिक का काम कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 2 बार पुलिस पर फायरिंग की है ... (व्यवधान) लोगों को डराया है, धमकाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बाली से आने वाले माननीय सदस्य, आप केवल 295 पढ़िये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल आपका अंकित हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है। पिछले 3 महीने से 2 हजार से ज्यादा आदिवासी श्रमिकों को ...(व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतकजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य ने जो कहा है कि इनके द्वारा यह काम कराया जा रहा है और मंत्री यह कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको एक्सपंज किया जाए और ऐसी बात नहीं की जाए। मामला सेंसिटिव है तो समझ कर बोला जाए ताकि विवाद न हो।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा कोई शब्द होगा तो उसको डिलीट कर दिया जाए। (व्यवधान) नहीं, नहीं, वह नहीं आएगा। यह सेटल्ड है, यह व्यवस्था हो जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं अंकित हो रहा है। माननीय सदस्य, श्री पुष्पेन्द्र सिंह केवल 295 पढ़ेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह सदन तथ्यात्मक बातों के लिए है, सत्य कथन के लिए है, असत्य कथन के लिए नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी, आप सुनिये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं ...(व्यवधान) आप सुनें तो सही। जिस किताब का माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने नाम लिया है, वह न्यूज के आधार पर है। उस किताब का पृष्ठ ये पेश कर देंगे, इनको कोई बात कहने का अधिकार होगा वह कहेंगे, नियमों के तहत लायेंगे तो कि यह किताब है। यह मेरा अनुरोध है। तथ्यात्मक बात हो जाएगी तो फिर वह ...(व्यवधान) आप सुनिये, धर्म एक आदमी का नहीं है, एक आदमी से धर्म नहीं बनता है। देखिये, माफ करना। इसलिए, माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी, आप 295 पढ़िये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ××× ...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन पर पधारिये। (व्यवधान) आप आसन पर पधारिये। (व्यवधान) माननीय पुष्पेन्द्रजी, आप बोलना चाहते हैं? आप 295 पढ़िये, अन्यथा मैं दूसरा नाम पुकारूंगा। आपका ही अंकित हो रहा है केवल। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ...(व्यवधान) आप हाउस में आर्डर में लाइये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ तब मैं पढ़ू। (व्यवधान) आप हाउस तो आर्डर में लाइये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। (व्यवधान) आप आसन पर जायें तब कोई जवाब आएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, आप हाउस को आर्डर में लाइये।

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन पर पधारें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां खड़ा हूं। मैं तो अपनी सीट पर खड़ा हूं, बोलने के लिए खड़ा हूं। आप हाउस को आर्डर में लाओ तो मैं पढूं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप एफ आई आर की नकल दे दीजिये। (व्यवधान) आप आसन पर पधारिये। (व्यवधान) मंत्रीजी, कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? (व्यवधान) मंत्रीजी अपनी बात कह रहे हैं, आप पधारें आसन पर। (व्यवधान) राजेन्द्रजी भी बिना किताब के आ गये। आप तथ्यों के साथ आते, किताब नहीं लाये हैं। (व्यवधान) अब मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया उसके क्रम में मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी सूचना मात्र भी यदि प्राप्त होती है तो सम्बन्धित थाना क्षेत्र के द्वारा कार्यवाही की जाती है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगे, इसके लिए समाजसेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अपनी जागरूकता का प्रदर्शन कर कार्यवाही किए जाने के लिए प्रशासन को जब कोई सूचना दी जाती है तो प्रशासन त्वरित कार्यवाही करता है।

इस क्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में ...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें तो सही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): अब आपके शब्द तो नहीं बोलूंगा न। अब आप मेरी बात आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) आप ही सर्वोपरि नहीं हैं, सदन का हर माननीय सदस्य सर्वोपरि है। मंत्रीजी अपना कथन कह रहे हैं, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 55 प्रतिशत मुकदमे अधिक दर्ज किये गये। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में ...(व्यवधान) चालानी प्रतिशत भी 52 प्रतिशत अधिक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन क्षेत्र विशेष के बारे में गौ-वंश की तस्करी किए जाने के समाचार आते रहे हैं, ऐसे स्थानों पर प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है, वहां पर नाकाबंदी की जाती है और अलग चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, पिकेटिंग की व्यवस्था भी की जाती है और उन मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

इस मौके पर मैं माननीय सदस्यों को कह सकता हूं कि आपने जो विषय रखा, उसको देखते हुए राजस्थान में गौ वंशीय पशु अधिनियम, 1995 की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि इसके समय के अनुसार और ज्यादा प्रभावी कदम देखने को आयेंगे और इसके ऊपर माननीय सदन की जो भावना है उसके अनुरूप कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आपके लीडर बोलेंगे। माननीय कटारियाजी, यह अखबारों की कटिंग के आधार पर ...(व्यवधान) मेरी अर्ज सुनिये आप। (व्यवधान) आप सुनें मेरी बात को। (व्यवधान) चूंकि आपके लीडर आफ अपोजिशन बोलेंगे, इसलिए कह रहा हूं। उस किताब का पृष्ठ हो तो उसकी कापी दे दीजिए। (व्यवधान) देखिए, इससे सदन उत्तेजित भी हो सकता है, जनता उत्तेजित हो सकती है इसलिए मैंने अर्ज किया। वह किताब का, उसका कोई पृष्ठ आया नहीं, ऐसी किताब सदन के सामने है नहीं, यह सारी बातें देखते हुए आप अपनी बात कहिए। (व्यवधान) हां, तब देखेंगे; तब देखेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे पास किताब है, मैं क्षमा मांग लूंगा वरना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से, क्योंकि यह समस्या, इस प्रकार का अवैध गायों का जाना और उनके प्रति जनता में, गांव-गांव में इस प्रकार के एजिटेशन होते हैं, कई बार वहां अप्रिय घटना भी होती है, केवल आप एक डायरेक्शन जारी कर दें, जो आप कह रहे हो न, राजस्थान गौ-वंश पशुवध और अस्थाई प्रवजन अधिनियम, इस नियम के तहत, इसके सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करो, जमानत नहीं होगी; केवल पशु क्रूरता में अगर आप मुकदमा दर्ज करोगे तो दो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिनट में जमानत हो जाएगी। डायरेक्शन यह देने की जरूरत है कि जहां भी गौ-वंश की तस्करी इस तरह से होती है और पकड़ी जाती है तो इस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करना अगर पुलिस शुरू करेगी तो आपकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। नहीं, तो पुलिस जो है न, वह पशु क्रूरता में जब करती है तो करने के बाद भी उसकी जमानत हो जाती है। वह गाड़ी भी जब्त हो जाती है और महीने-दो महीने तक उसकी गाडी नहीं छूटती है तो उसको कोई भी आदमी ट्रक भी नहीं देता कि इसका कहीं लाने ले जाने में उपयोग नहीं किया जाए। केवल इतना सुधार करने का अगर अपना मन हो तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगाई जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब तो आने दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: लीडर के बोलने के बाद क्या बचता है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्रीजी जवाब तो दे दें इसका।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की भावना मंत्रीजी के पास पहुंच गई है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस बात को आप साधारण मत लीजिए....

श्री उपाध्यक्ष: नहीं ले रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ।

श्री उपाध्यक्ष: कोई साधारण नहीं ले रहा है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): गौ-तस्करों को मत बचाइए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सरकार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गौ-तस्करों का प्रोटेक्शन करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए न आप, अन्यथा मैं दूसरा नाम पुकारता हूं। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): थानेदारों के संरक्षण में गायें जाती

(श्री रामहेत सिंह)

हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में तो पुलिस के थानेदार चौकी खड़ी करके गौ-तस्करों की गाड़ियों को निकलवाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल पुष्पेन्द्र सिंह जी की बात अंकित हो। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भगवानसहायजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को तो कंट्रोल में लाइए।

श्री उपाध्यक्ष: हाउस कैसे कंट्रोल होता है, चेयर जानती है। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जयपुर की मैट्रो रेल परियोजना का चौमूं तक विस्तार

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेट्रो रेल परियोजना की चौमूं, गोविन्दगढ़ तक स्वीकृति के बाबत।

महोदय, उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि मैट्रो रेल परियोजना जयपुर में अम्बाबाड़ी तक प्रस्तावित है। अम्बाबाड़ी से चौमूं की दूरी केवल 25 किलोमीटर है और गोविन्दगढ़-चौमूं से जयपुर के बीच रोड पर वाहनों की संख्या अत्यधिक रहती है। राजस्थान का सबसे अधिक व्यस्त मार्ग जयपुर से चौमूं-गोविन्दगढ़ है। केवल मात्र चौमूं से जयपुर के बीच रोजाना लगभग 50000 लोग यात्रा करते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं जिनसे सैकड़ों लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु हो जाती है। यदि मेट्रो रेल परियोजना को चौमूं-गोविन्दगढ़ तक बढ़ा दिया जाता है तो सैकड़ों लोग जन हानि से तो बचेंगे ही, साथ में, हजारों लीटर रोजाना डीजल-पैट्रोल की भी बचत होगी तथा आम आदमी को यात्रा के लिए सुगमता से मैट्रो रेल उपलब्ध होगी।

अत: आपसे निवेदन है कि जन भावना, जन हानि व जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैट्रो रेल परियोजना को उपनगरीय क्षेत्र चौमूं-

(श्री भगवान सहाय सैनी)

गोविन्दगढ़ तक स्वीकृत करके निर्माण कार्य चालू करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी।

बाली-पिण्डवाड़ा राज्य राजमार्ग की चौड़ाई का विस्तार

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि 62.50 किलोमीटर लम्बे बाली से पिण्डवाड़ा तक जाने वाले स्टेट हाइवे के सिरोही जिले की पंचायत आमलिया से पिण्डवाड़ा तक के लगभग 12 किलोमीटर सड़क भाग को छोड़कर शेष 50.5 किलोमीटर सड़क भाग की चौड़ाई मात्र 3 से 3.75 मीटर तक ही है, जबकि स्टेट हाइवे के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार समूचे स्टेट हाइवे की चौड़ाई कम से कम 7 मीटर होनी अनिवार्य है। इस स्टेट हाईवे पर वर्ष 2009-2010 के दौरान की गई यातायात गणना के अनुसार पी सी यू 6000 से भी ज्यादा थे। पिछले दो वर्षों में पी सी यू गणना बढ़ना स्वाभाविक है। भारी ट्रैफिक दबाव के उपरांत नरेगा योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाकर जिन ठेकेदारों को वर्ष 2009-2010 में इस सड़क के 7-7 किलोमीटर हिस्से के दोनों ओर खुदाई करके सड़क की चौड़ाई बढ़ानी थी, वह कार्य पिछले तीन-चार वर्षो से आज तक अधूरा पड़ा है। ठेकेदारों ने सड़क के दोनों ओर गहरे-गहरे गड्ढे तो कर दिये, जो आम जनता, राहगीरों एवं आने-जाने वाले वाहनों के लिए आए-दिन दुर्घटनाओं के कारण बने हुए हैं। इन गड्ढों से अब तक कई जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। इस स्टेट हाइवे को बी ओ टी आधार पर चौड़ा कराये जाने के आदेश भी पूर्व में किये गये थे लेकिन संबंधित संवेदक फर्म/कम्पनी को कोई प्रतिफल नजर नहीं आया। ऐसे में यह कार्य बी ओ टी आधार पर नहीं हो सका।

इस सड़क का 53.5 किलोमीटर हिस्सा पाली जिले में एवं 9 किलोमीटर हिस्सा सिरोही जिले में पड़ता है। पाली व सिरोही जिले से होकर निकलने वाली, अहमदाबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 को जोड़ने वाली यह सड़क मारवाड़-बीकानेर की अहम सड़क है। बाली क्षेत्र के लिए यह सड़क लाइफलाइन का काम करती है। बाली का लगभग सम्पूर्ण ट्राइबल एरिया

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसी सड़क से जुड़ा हुआ है। वहीं बाली के बड़े कस्बे व घनी आबादी वाले पंचायत मुख्यालय यथा बोया, पातावा, सेवाड़ी, पादरला, बीजापुर, भाटुन्द, बेड़ा, कोठार, भन्दर, चामुण्डेरी, नाना, आमलिया इसी मार्ग पर पड़ते हैं। इस स्टेट हाइवे के अतिरिक्त अन्य मार्ग पर सिरोही के बाद बारी घाटा पड़ता है जहां भारी वाहनों को चढ़ने में मुश्किल होती है। इस स्टेट हाइवे पर कोई घाट सेक्शन नहीं है। अत: सभी वाहन इधर से होकर गुजरते हैं। इसी रोड पर बिनानी सीमेंट प्लांट, राजनगर मार्बल उद्योग, खनन क्षेत्र भीमाणा, वोल्का माइन्स पड़ती हैं। इन सब का तैयार माल व रॉ-मैटेरियल इसी मार्ग से होकर लाया-ले जाया जाता है।

अत: माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि उक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए बाली से पिण्डवाड़ा स्टेट हाइवे की चौड़ाई बढ़ाकर 7 मीटर कराई जावे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कर्नल सोनारामजी चौधरी (बायतू)

बाड़मेर के किसानों को फसल बीमा के क्लेम की राशि का भुगतान

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत बाड़मेर जिले में किसानों की फसल नुकसान से उत्पन्न गम्भीर समस्या के बारे में चर्चा करना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं पशुपालन है। आज भी देश एवं प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था जब पूर्णतया किसान पर आधारित है तो लाजिमी है कि प्रदेश की सभी नीतियों का निर्धारण किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा कृषि एवं किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं।

बाड़मेर जिले के हजारों की संख्या में किसानों ने अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखने के लिए खरीफ की फसल का बीमा करवाया। जिले में चौहटन के 273, सेवडा के 190, गुढामालानी के 366, सिणधरी के 157, सिवाना के 129, बाड़मेर के 232, रामसर के 128, बायतू के 142, शिव के 145 गांवों में अकाल की स्थिति होने के कारण फसल चौपट हो गई। राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल का बीमा मौसम-आधारित-फसल-बीमा-योजना के तहत किये

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

जाने के कारण 32 करोड़ 46 लाख 44 हजार 960 रुपये का बीमा क्लेम मिला, जिसका वितरण उक्त गांवों के किसानों को किया जाएगा। क्षेत्र दौरे पर किसानों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि बायतू क्षेत्र के किसानों को क्लेम राशि में वह राशि भी नहीं मिली, जो उन्होंने फसल बीमा करवाने हेतु प्रिमियम के रूप में भरी थी। बड़ी विडम्बना की बात है कि एक किसान जो अपने खून-पसीने से सींच कर अन्न पैदा करता है, उसको फसल के बीज, खाद व मेहनत का पैसा मिलना तो दूर, मात्र बीमा के प्रिमियम की राशि भी बीमा क्लेम के रूप में नहीं मिले तो उसके क्या हाल होंगे?

राज्य सरकार द्वारा मौसम-आधारित-बीमा-योजना लागू करने के कारण किसानों के ये हालात हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ 2003 से रबी 2009-10 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन तहसील को इकाई मान कर किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत मुआवजे का निर्धारण राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित न्यूनतम 20 फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर किये जाने का प्रावधान था जिससे किसानों के वास्तविक नुकसान का आकलन हो पाता था। अब कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से मौसम-आधारित-फसल-बीमा योजना लागू की है, जिसका खरीफ 2010 से सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन किया गया। इस योजना में NCMSL के माध्यम से स्थापित 504 स्वचालित मौसम केन्द्र इकाई के रूप में प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी की परिधि में स्थापित है जिनमें मौसम संबंधी सूचना संग्रहित होगी। विडम्बना यह है कि उक्त यंत्रों के संकलित आंकड़ों में वास्तविकता नहीं आती। हम सभी जानते हैं कि बरसात तो एक ही खेत के कई बार आधे में होती है और आधे में नहीं। इस योजना में मौसमी मापदण्ड यथा वर्षा, तापमान का कम या अधिक होना, आर्द्रता, लगातार सूखा दिवस, आदि से जोखिम अवधि में फसलों के प्रभावित एवं मौसमी मापदण्डों से विचलन होने की स्थिति में बीमित कृषकों का मुआवजा देय होता है। ये मानदण्ड वास्तविकता से बहुत परे प्रतीत हैं जिसका खामियाजा भोले-भाले किसानों को उठाना पड़ता है और बीमा कम्पनियां मालामाल होती हैं।

मेरा निवेदन है कि किसान हित एवं किसानों की मांग व भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वे/गिरदावरी के आधार पर बीमा क्लेम दिये जाने का

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

प्रावधान करें। बीमा क्लेम की राशि 90 प्रतिशत हो; औसत उत्पादन का पुन: आकलन किया जाए, जिसमें बाजरा 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की जगह 10 क्विंटल, ग्वार का 7 क्विंटल और मोठ का 8 क्विंटल प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन मानकर मुआवजे का किया जाए; फसल बीमा क्लेम का भुगतान फसल नष्ट होने के आकलन के तुरन्त बाद किया जाए; एवं जिन लोगों ने ऋण नहीं लिया है, उनको भी नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

इस विषय पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार कर शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति जारी करने का निर्णय लेना चाहिए।

गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल/कालेजों की ए.सी.बी. जांच

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 78 निजी नर्सिंग स्कूल/ कालेजों पर ए.सी.बी. द्वारा मार्च, 2012 में आकस्मिक निरीक्षण कर मुकदमे दर्ज कराये गये। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त 78 निजी नर्सिंग स्कूल/कालेजों पर ए.सी.बी. द्वारा कार्यवाही किस कारण से करायी गई तथा शेष बचे अन्य संस्थानों की जांच ए.सी.बी. द्वारा क्यों नहीं करायी गई? जो कि पूर्ण रूप से न्यायसंगत नहीं है। इसके क्या कारण रहे?

राज्य सरकार के द्वारा संचालित सरकारी क्षेत्र में चल रहे अधिकतर नर्सिंग स्कूल/कालेज निर्धारित मानदण्डों पर खरे नहीं उतर रहे हैं और अधिकांश नर्सिंग स्कूल व कालेज भारतीय नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली की मान्यता-बिना संचालित किये जा रहे हैं। अत: राज्य सरकार इनकी भी जांच ए.सी.बी. द्वारा करवाकर गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवाकर आवश्यक कार्यवाही करे ताकि वहां अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में सत्र 2012-13 के लिए नर्सिंग कालेज खोलने हेतु नये आवेदन पत्र मांगे जिनके फलस्वरूप 100 नये आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। अत: मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार उक्त प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच ए.सी.बी. द्वारा करवाकर ही मान्यता प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रमेश चन्द मीणा।

करौली जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की उचित भरपाई

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि करौली जिले में दिनांक 23.2.2013 (शनिवार) को लगभग पांच बजे से छह बजे के बीच टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के गांव सोप, शहर, बाड़ा पिचानौत, सांवटा, मिलकसराय, कूंजैला, खूड़ा चैनपुर, गढ़ी, गुडली, बामौरी, बागौर, बांस, बरदाला, सलावद, अलूदा, गढ़खेड़ा, रायसना सहित अनेक गांवों में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण पटवार हल्का ग्राम सोप में (जिला सवाई माधोपुर से लगती सीमा के आस-पास) लगभग 3 हजार एकड़ क्षेत्र में फसल पूर्णत: नष्ट हो गई है। पटवार हल्का ग्राम शहर के लगभग साढ़े तीन हजार एकड़ क्षेत्र में, ग्राम बाड़ा एवं सावटा के दो हजार एकड़ क्षेत्र में, ग्राम बाड़ा पिचानौत में लगभग दो हजार एकड़ क्षेत्र में, ग्राम कूंजैला में लगभग 2 हजार एकड़ क्षेत्र में, ग्राम मिलकसराय में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्र में, ग्राम गुडली में लगभग 1,500 एकड़ क्षेत्र में, ग्राम बामौरी व बागौर में लगभग पांच हजार एकड़ क्षेत्र में, ग्राम बरदाला में लगभग 1800 एकड़ क्षेत्र में, ग्राम सलावद में लगभग 1,500 एकड़ क्षेत्र में, ग्राम गढ़खेड़ा में लगभग 2 हजार एकड़ क्षेत्र में एवं ग्राम रायसना में लगभग 1,300 एकड़ क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण किसानों की सरसों की फसल पूर्णत: नष्ट हो चुकी है। चना, गेहूं, आदि की फसल भी 60 प्रतिशत के लगभग नष्ट हो चुकी है।

विगत वर्षों में सरकार की ओर से ओलावृष्टि, आदि के कारण नष्ट हुई फसल के मुआवजे की राशि अन्यायपूर्ण एवं अत्यन्त कम है। सरसों की फसल एक एकड़ में कम से कम 8 क्विंटल तथा एक हैक्टेयर में 13 क्विंटल का उत्पादन होता है जिसकी बाजार कीमत प्रति एकड़ 32 हजार रुपये एवं प्रति हैक्टेयर 52 हजार रुपये होती है। इसी प्रकार, गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन 20 क्विंटल एवं प्रति हैक्टेयर 32 क्विंटल होता है जिसकी बाजार कीमत प्रति एकड़ 30 हजार रुपये एवं प्रति हैक्टेयर 48 हजार रुपये होती है। अत: किसानों की फसल नष्ट होने के कारण उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता न्यायोचित रूप से कम से कम प्रति हैक्टेयर 40 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाए।

सम्पूर्ण राजस्थान में भी ओलावृष्टि के कारण बहुत सी जगह फसल पूर्णत: नष्ट हो चुकी है। दिनांक 23 फरवरी, 2013 को विधान सभा क्षेत्र

(श्री रमेश चन्द मीणा)

टोडाभीम के लगभग 2 दर्जन गांवों में तथा विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के लगभग एक दर्जन गांवों में हुई ओलावृष्टि के कारण इन गांवों को आर्थिक सहायता एवं बीमा की राशि तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों पर रिसीवर की नियुक्ति

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्न प्रकार सूचना प्रस्तुत करता हूं:-

श्रीगंगानगर यू आई टी क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि पर कई आवासीय कालोनियां बसाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 2012 से पूर्व बसी कालोनियों को नियमित करते हुए पट्टे दिये जाने की घोषणा की गई है। राज्य भर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के बाशिंदों को पट्टे जारी किये जा रहे हैं। इसके विपरीत, श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी सभी कालोनियों पर रिसीवर नियुक्त कर दिये हैं तथा समस्त भूमि को राज रकबा घोषित करने की तैयारी कर ली है। क्या यह राज्य सरकार की घोषणा के विपरीत नहीं है तथा श्रीगंगानगर की जनता के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है?

महोदय, यदि उक्त सभी कालोनियों को राज रकबा घोषित किया जाता है तो उन कालोनियों में बसे सैकड़ों परिवारों को बेदखल कर दिया जाएगा या उन बाशिंदों को मुआवजा दिया जाकर अन्यत्र बसा दिया जाएगा। यदि नहीं, तो कालोनियों पर रिसीवर नियुक्त कर जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर अनावश्यक कार्यवाही क्यों की जा रही है और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सितम्बर, 2012 तक बसी कालोनियों के बाशिंदों को पट्टे बनाकर क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

महोदय, श्रीगंगानगर में हो रहे इस गड़बड़झाले पर चर्चा हेतु मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कानसिंहजी कोटड़ी।

सिवाना की लूणी नदी में पानी का बहाव

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिवाना की लूणी नदी में पानी का बहाव प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिवाना में मारवाड़ की मरु गंगा के नाम विख्यात लूणी नदी स्थित है। मारवाड़ की जीवन रेखा तथा हजारों परिवारों की रोजी-रोटी की आधार इस लूणी नदी का कंठ जलग्रहण क्षेत्र में बिना मकसद बने एनिकटों एवं बांधों के कारण रुंध चुका है। वर्षों से बांधों से सिंचाई भी नहीं हो रही है तथा भू-माफिया नदी के तट पर नजरें गड़ाये बैठे हैं। कुछ रसूखदारों ने नदी के पेटे में खातेदारी तक प्राप्त कर ली है।

जोधपुर सम्भाग में सबसे ज्यादा भराव क्षेत्र वाला जसवंत सागर बांध नौ नदियों-निन्यानवे नालों के पानी से भरता था और इस बांध पर चादर चलने पर जो पानी बहता, वहीं से लूणी नदी का उद्‌गम माना जाता है। अब वही बांध बरसों से खाली पड़ा है। बांध में पुष्कर के नाग पहाड़ तक का पानी आता था। अब स्थिति यह है कि लगातार कम बारिश से न तो छोटे-बड़े एनिकट या बांधों में पानी भरता और न ही बहते पानी को लूणी नदी तक पहुंचने देते हैं।

जिस लूणी का पानी बाड़मेर जिले से होते हुए कच्छ के रण को भरते हुए पाकिस्तान तक पहुंचता था, उसी नदी के उद्गम, बारह कोस लम्बे और बारह कोस चौड़ाई में फैले जसवंत सागर के पेटे में गैर-खातेदारों ने नलकूप खोद डाले। अब जो भी थोड़ा-बहुत पानी इस बांध में आता है, गहरे खुदे नलकूपों के जरिये पानी कुछ ही दिनों के अन्दर भूमिगत हो जाता है और बांध खाली हो जाता है। वर्षों से बांध की इस स्थिति के कारण लूणी में पानी ही नहीं बहा और नदी के किनारे खुदे सैंकड़ों कुओं का जल सूख चुका है। हजारों किसान परिवारों का खेती करना मुश्किल हो गया है। बांध के पानी से जिन गांवों की राजस्व भूमि में पिलाई होती थी, उन गांवों में अब मात्र सावणू खेती हो रही है। उक्त समस्याएं प्रेस, समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं।

अत: जन मांग व किसानों के हितों को देखते हुए नलकूप से जलदोहन को रोकने व बांध क्षेत्र में बने एनिकट या चेक डैमों व रपटों को हटाने की कार्यवाही करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

खण्डेला (सीकर) में सड़कों की दुर्दशा

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित अत्यन्त ही जन हित के प्रकरण की ओर राज्य सरकार का एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पलसाना से खण्डेला मोड़ वाया खण्डेला सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का तीन वर्ष पूर्व टेण्डर हो गया, परन्तु स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। सड़क की हालत बेहद खराब है। इसके साथ ही ग्राम ठीकरिया से मलिकपुर रोड, रींगस बाइपास से जैतूसर तक, कांवट से लोहरवाड़ा तक की सड़कों की स्थिति दयनीय है। सड़कें जर्जर एवं खस्ता हाल में हैं। यदि इन सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया जाता है तो आमजन को रोजाना होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल पायेगा।

इसी प्रकार, मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि खाटूश्यामजी सीकर जिले का ही नहीं, वरन पूरे देश में प्रसिद्ध एवं आस्था का धार्मिक स्थल है। खाटूश्यामजी में होने वाले मेले में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिहाज से रास्ते वन-वे किये जाते हैं। मेरी मांग है कि शाहपुरा से चौमूं पुरोहितान तक जो मार्ग है, उस पर सड़क का निर्माण हो जाता है तो खाटूश्यामजी के मेले में आने वाले दर्शनार्थियों को सुविधा मिल सकेगी।

इसी तरह, ग्राम ढोढ़सर से किशनपुरा वाया दादिया सड़क को बनाकर आम जन को राहत दी जाये। यहां से आगे सड़क जुडी हुई है। खाटूश्यामजी तक वन-वे भी हो सकता है। इस सड़क के बनने से कोई असुविधा नहीं होगी। इसी तर्ज पर ग्राम आभावास से केरपुरा गांव तक सड़क जुडी हुई है, परन्तु केरपुरा से खाटूश्यामजी तक केवल आधा किलोमीटर सड़क नहीं होने से स्थानीय निवासियों को आये-दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अत: केरपुरा से खाटूश्यामजी सड़क का निर्माण करवाया जाना जन हित में अत्यन्त आवश्यक है जिससे जयपुर की ओर से आने वाले यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी।

इसके अलावा, ग्राम कोटड़ी धायलान से रींगस का पुराना रास्ता, जो कि नगरपालिका क्षेत्र में आता था, उस पर सड़क का निर्माण करवाकर खाटूश्यामजी जाने के लिए जो रास्ता है, वह तैयार हो जाता है तो आम जन

(श्री बंशीधर खण्डेला)

के साथ-साथ यात्रियों को भी एक और नया रास्ता खाटूश्यामजी के लिए मिल जायेगा।

अत: मेरी मांग है कि उपरोक्त समस्त सड़कों का कार्य तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत करवाकर आमजन को राहत प्रदान की जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा लोगों का शोषण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अजमेर जिले के 22,000 परिवारों एवं उन पर आश्रित करीब एक लाख लोगों का शोषण रोकने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के क्रम में निवेदन करना चाहती हूं।

अजमेर स्थित अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, केसरगंज, अजमेर के तकरीबन 20,000 सदस्यों, खाताधारकों में से लगभग 15,000 परिवारों के ऐसे सदस्यों के खाते हैं जिनमें अधिकतर वृद्ध, सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड, विधवा और अन्य गरीब लोगों ने अपना धन इस बैंक में एफ.डी. (फिक्स डिपोजिट) के रूप में संचय व जमा करवा रखा है। इनमें से अधिकतर लोग एफ डी से मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं एवं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अजमेर के अलावा भी इस बैंक की दो शाखाएं केकड़ी व बिजयनगर में भी हैं, जिनमें करीब 2,000 खाताधारकों के परिवारों के लगभग 10,000 लोग इस बैंक से जुड़े हुए हैं।

मान्यवर, यह बैंक 12 दिसम्बर, 1923 से संचालित है। इसकी साख को देखते हुए इसमें खाताधारकों का व सदस्यों का तकरीबन 11 करोड़ रुपया सेविंग एवं करंट खातों में जमा है और इन्हीं सदस्यों की करीब 65 करोड़ रुपये की राशि एफ डी के रूप में जमा है।

इस बैंक के पूर्व महाप्रबन्धक एवं उनके सहायकों व संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा की गई अनियमितताएं पाये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा उनके आदेश UBD.CO.BSD-IV No.D.62/12-27-201/2011-12 दिनांक 14.10.2011 के तहत दिनांक 29.10.2011 से इस बैंक के सभी खाताधारकों के खाते व एफ डी की सभी प्रकार की जमाओं पर पैसे की निकासी व सभी प्रकार के लेनदेन पर छह माह की अवधि के लिए रोक लगा दी गई थी, जो दिनांक 28.04.2012 को समाप्त हुई।

(श्री अनिता भदेल)

मान्यवर, इस आदेश का समय पूर्ण होने पर भी सभी खाता धारक आशान्वित थे कि अप्रैल, 2012 के बाद हमारा रोका गया पैसा हमें मिल जायेगा व हमारे सभी रुके हुए कार्य पुनः शुरु हो सकेंगे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के मैनेजर श्री सी.आर. वासन ने एक नया आदेश क्रमांक UBD.COM.BSD-IV/8406/12-7-201/2011-12 दिनांक 13.04.2012 के तहत पुनः इस बैंक व इसकी सभी शाखाओं से अगले छह माह की अवधि के लिए पैसा निकालने पर रोक और बढ़ा दी है। इस कारण बैंक के सभी खाताधारकों को अपना घर खर्च चलाने, शादी-ब्याह, गृह निर्माण, बच्चों की फीस, बिजली के बिल, छोटा-मोटा व्यवसाय करने व सभी प्रकार के कार्य करने में कठिनाई आ रही है। कुछ वसूलियों पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे भी है, जिन्हें बैंक के वर्तमान व्यवस्थापक व वकीलों द्वारा हटवाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। बैंक के कर्मचारियों का वेतन भी खातेदारों की जमा पूंजी से ही किया जा रहा है। इस प्रकार बैंक की देनदारियां बढ़ रही हैं व जमा रकम हर माह कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बैंक बकायादारों को उनका पैसा कैसे लौटा पायेगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

बैंक द्वारा दोषी ऋणधारकों के अवधि पार होने पर उनके व उनके गारंटरों की सम्पत्ति नीलाम करने का भी प्रावधान है लेकिन प्रबन्धक द्वारा इस कार्य को बैंक में बैठकर ही अंजाम दिया जा रहा है जिससे उक्त वसूली भी नहीं हो पा रही है। इस महंगाई के दौर में असहाय लोगों के साथ जो कठोर निर्णय रिजर्व बैंक कर रही है, उससे राहत दिलाई जाये। बैंक के पूर्व बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, संचालक मण्डल के सदस्यों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। जिन बकायादारों का पैसा बाकी है, उनके दूसरे बैंकों के खातों में उनकी चल व अचल सम्पत्ति को सीज कर कार्यवाही की जानी चाहिए, जबकि सहकारिता विभाग ऐसे दोषी बकायादारों पर की जाने वाली कार्यवाही पर स्थगन आदेश दे रहा है। ऐसे में ऋण वसूली पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और जो लोग दोषी हैं, उनको बचाने का काम इस सरकार में बैठे अधिकारी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनके स्टे को तुरन्त खारिज किया जाये और वसूलियां शीघ्र की जायें ताकि खाताधारकों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भवानी सिंह राजावत।

सरकारी विद्यालयों में समारोहों पर न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान पिछले डेढ़ साल से शहरों व गांवों के सरकारी विद्यालयों के प्रांगणों में शादी व अन्य सार्वजनिक समारोहों पर न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद आम लोगों को हो रही भारी परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों, कस्बों व शहरों में शादी-विवाह व अन्य आयोजनों के लिए एक मात्र स्थान सरकारी विद्यालय व उसका प्रांगण ही होता है, जहां वर्षों से ऐसे आयोजन होते आ रहे थे, लेकिन न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लग जाने के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शहरों में पर्याप्त संख्या में निजी एवं सरकारी सामुदायिक भवन उपलब्ध हैं, किन्तु गांवों में लोगों के पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। गर्मी के मौसम में तो खेतों में भी टेंट लगाकर समारोह हो जाते हैं लेकिन सर्दी व बरसात के मौसम में जब खेतों में फसलें खड़ी रहती हैं, कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाता और लोगों को मजबूरन बिना अनुमति के विद्यालयों में कार्यक्रम करना पड़ता है। ऐसे कई मामलों में पुलिस में मामले दर्ज हुए हैं और अनेकों लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। इस गम्भीर समस्या से राज्य के लाखों लोग पीड़ित हैं और हालात ये हैं कि ग्रामीण इलाकों में तो मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना और राजीव गांधी सेवा केन्द्रों से भी अधिक आवश्यकता सामुदायिक भवनों के निर्माण की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि वह जन हित के इस मामले को लेकर सम्बन्धित न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर ऐसे प्रतिबन्ध को हटवाये अथवा गांवों और कस्बों में व्यापक स्तर पर सामुदायिक भवनों के निर्माण का निर्णय लेकर इस सुविधा से वंचित हुई जनता को शीघ्र राहत देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मेवारामजी जैन (बाड़मेर)

बाड़मेर शहर के निकट की जा रही भूमि अवाप्ति

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत अत्यन्त ही जन हित के मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदयजी, मैं आपका ध्यान बाड़मेर शहर के बिलकुल समीप सरकार द्वारा शिवकर कुड़ला लिग्नाइट प्रोजेक्ट के नाम से अवाप्त की जा रही भूमि की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

(श्री मेवाराम जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती जिले बाड़मेर के गर्भ में मिले असंख्य मात्रा में तेल एवं लिग्नाइट के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में अकेले बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में लगभग चालीस हजार बीघा किसानों की भूमि को अवाप्त किया गया जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भूमि अवाप्ति है। बाड़मेर की विकास प्रेमी जनता ने सरकार के साथ आगे बढ़कर सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से भूमि अवाप्ति में सहयोग भी दिया, लेकिन अभी बाड़मेर शहर के बिलकुल समीप शिवकर कुड़ला लिग्नाइट प्रोजेक्ट के नाम से और भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है जो कि जन हित में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले वर्षों से चल रही तेल एवं खनन गतिविधियों से शहर का विस्तार बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। चूंकि बाड़मेर के तीन दिशाओं में आर्मी एरिया है जहां एक तरफ उतरलाई हवाई अड्डा, वहीं दूसरी तरफ जालीपा आर्मी कैंट, तीसरी तरफ जसाई आर्मी कैंट सहित लगभग तीनों दिशाओं में आर्मी का एरिया है।

एक मात्र शिवकर कुड़ला की तरफ ही शहर का विस्तार हो रहा है जो कि नगर परिषद, बाड़मेर के टाउन प्लानिंग में है।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर की आबादी से बिलकुल एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर से ही भूमि को अवाप्त किया जा रहा है जो कि बाड़मेर शहर के पर्यावरण के लिए भी हितकर नहीं है। बाड़मेर शहर एवं इन गांवों की जनता द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में सरकार ने सदन के जरिये मुझे लिखित में आश्वासन भी दिया था कि उक्त भूमि अवाप्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जिला कलक्टर, बाड़मेर की रिपोर्ट में इस जमीन को शहर के बिलकुल नजदीक बताया गया है और शहर के विस्तार एवं पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया को स्थगित करने की बात कही गई है। यहां तक कि वायु सेना ने भी इसको लेकर आपत्ति की है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आम जनता द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, इससे बाड़मेर शहर का विकास एवं विस्तार रुक जायेगा, तो फिर इस प्रकार बाड़मेर शहर के बिलकुल समीप भूमि अवाप्ति क्यों की जा रही है।

अत: मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्री महोदय से मांग है कि बाड़मेर शहर के बिलकुल समीप की जा रही भूमि अवाप्ति प्रक्रिया को अविलम्ब रोका जाये अन्यथा क्षेत्र की जनता आंदोलन पर उतारू है,

(श्री मेवाराम जैन)

किसी भी कीमत पर उक्त भूमि अवाप्ति नहीं होने देगी। इसलिए इस भूमि को अवाप्ति करने से रोका जाये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती संजना आगरी (सोजत) माननीय श्रीमती संजना आगरी (सोजत)

(अनुपस्थित)

पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा। संक्षेप में, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

सूचना

नर्सिंग कर्मचारियों का धरना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज करीब दस हजार से पन्द्रह हजार नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी राजस्थान की विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार, उसके मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत हैं, चार साल से नि:शुल्क दवा योजना भी लागू की है और ज्यादा से ज्यादा पी एच सी, सी एच सी, उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले हैं और हमारे नर्सिंग संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, उन्हीं पर सारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाएं टिकी हुई हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे छठे वेतन आयोग से पहले जो नर्सिंग कर्मचारी थे उनका वेतनमान समान था लेकिन छठे वेतन आयोग के बाद में नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों का जो वेतनमान है, वह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर नहीं है। उनकी योग्यताएं बराबर हैं लेकिन वेतनमान विभिन्न संवर्ग में अलग-अलग होने के कारण से आज उनको गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना पड़ रहा है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड लूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत सब कर्मचारियों को साथ लेकर चलने वाली नीति रखते हैं। इसलिए सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी भाई आज आये हुए हैं, उनकी मांग जो केन्द्र के समान देने की है उनकी मांग को माना जाये जिससे आने वाले समय में हमारी जो अच्छी योजनाएं हैं स्वास्थ्य के लिए, वे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ओमजी बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो कहा...

श्री उपाध्यक्ष: वे भी यही बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज राजस्थान में नर्सिंगकर्मी इस सरकार की मुर्दाबाद करते हुए, हाहाकार करते हुए आ रहे हैं, सरकार से नाराज सारे नर्सिंगकर्मी आज राजस्थान विधान सभा के बाहर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: किससे नाराज हैं वे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए मंत्री महोदय को चाहिए, उनसे वार्ता तो करें।

श्री उपाध्यक्ष: अब पहले बात तो करने दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का पन्द्रह हजार नर्सिंग कर्मचारी, इनकी सरकार ने जो वादा किया था कि हम जब सरकार में आयेंगे तो केन्द्र के समान राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारियों को वेतनमान देंगे। पिछले चार साल तक नर्सिंग कर्मचारी लगातार सरकार से आग्रह करते गये लेकिन सरकार के इस जाते वक्त भी आज राजस्थान का नर्सिंग कर्मचारी इनके किये गये वादे के अनुसार, आज पन्द्रह हजार कर्मचारी इनकी वादाखिलाफी से बाहर बैठे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है, उनकी पार्टी के माननीय सदस्य भी कह रहे हैं, सरकार ने धोखाधड़ी की है, सरकार ने वादाखिलाफी की है और इस वादाखिलाफी के खिलाफ जो नर्सिंग कर्मचारी बैठे हैं, सरकार उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं का समाधान तुरन्त प्रभाव से करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भगवान सहायजी सैनी। (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतकजी,...(व्यवधान) बात को मत बढ़ाओ आप तो खुद। माननीय भगवान सहायजी। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: तीन बोल लिये। एक मिनट, भगवान सहायजी। क्या कह रहे हैं? कोई नई बात हो तो फरमाओ आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी माननीय बिरलाजी ने, राठौड़जी ने और हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले

(डा. दिगम्बर सिंह)

माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया, नर्सिंग का पेशा बहुत ही ऐसा पेशा है जिसके बिना राजस्थान की जनता का काम नहीं चल सकता। अगर सरकार ने वादा किया है, जो सबके सामने है, केन्द्र के समान वेतनमान का, इनको कब तक झांसा देते रहेंगे? नर्सिंगकर्मियों द्वारा हड़ताल करना और सदन के बाहर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होना, मैं समझता हूं, सरकार के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है और जो कुछ वादा किया है, उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। आज भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वाइन फ्लू का कहर चल रहा है राजस्थान के अन्दर और फिर भी सरकार नहीं सुनना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार को उनकी मांगें मंजूर करनी चाहिए, केन्द्र के समान उनका वेतनमान लगाना चाहिए और जो एन आर एच एम में काम करने वाले हमारे नर्सिंगकर्मी और जो हमारा पैरा-मेडिकल स्टाफ है, उनको पक्का, उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनका नियमितिकरण करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने आश्वासन दिया था, उसमें भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भगवानसहायजी सैनी।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्सिंगकर्मी विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए उन पर। सरकार के मंत्री महोदय वक्तव्य दें इसमें। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं विधान सभा क्षेत्र में बेर, आंवला और सब्जियों की फसल होती है...(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सरकार की क्या मंशा है उनके प्रति? पूरे राजस्थान की सारी चिकित्सा व्यवस्था का मामला है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान की सारी चिकित्सा व्यवस्था ठप हो जायेगी। स्वाइन फ्लू से पांच सौ से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, चिंता करे सरकार।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलायें। यह मामला पूरे राजस्थान का है, सरकार गम्भीर होकर इसमें वक्तव्य दे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इसमें

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

गम्भीर होना चाहिए। पूरे राजस्थान में स्वाइन फ्लू है और नर्सिंगकर्मी यहां बैठे हैं। सरकार गम्भीर नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार को इसमें आज ही वक्तव्य करना चाहिए। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय कांग्रेस के विधायक, माननीय विपक्ष के सब लोगों ने यह मामला उठाया है, सरकार अगर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय भगवान सहायजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

चौमूं में वाणिज्यिक फसलों की गिरदावरी

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): पिछले दिनों ओलावृष्टि से बेर, आंवला, ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च हो, टमाटर और मिर्ची की पौध की फसल अस्सी-नब्बे प्रतिशत ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। कृषि विभाग का कहना है कि बेर, आंवला और सब्जियां कृषि में नहीं आती हैं, कामर्शियल क्राप में आती हैं। इसलिए इसकी गिरदावरी नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र के किसानों ने बेर, आंवला, ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च, यह पैदावार कर, बारह महीने की रोजी-रोटी का सवाल है, इसलिए इनकी गिरदावरी कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाय। ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च और उनकी पौध अस्सी-नब्बे प्रतिशत नष्ट हो गई है और बेर, आंवला की फसल ओलों से सारी नीचे गिरकर खराब हो गई है। बारह महीने की रोजी-रोटी को देखते हुए इनकी गिरदावरी करवाई जाय और इनको मुआवजा दिलवाया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पहलवानजी। पहलवानजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट भी नहीं लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट तो बहुत होते हैं सदन के लिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक प्रार्थना थी, कभी मास्टर इकट्ठे

(श्री रणवीर पहलवान)

हुए, कभी वकील इकट्ठे हुए, कभी सरपंच इकट्ठे हुए; इनकी आदत खराब हो गई है, या न्याय दे दो या इनके लट्ठ मरवा दो ना। इन्होंने सरपंचों को मरवाया था। क्या न्याय है! दुनिया न्याय मांगेंगी और आपके पास तो न्याय में लट्ठ है। मरवा दो ना, तो हमारे जैसे को जाकर भाषण देना पड़ेगा। सरपंच +++ के गए साढ़े नौ हजार यहां से, वकील खाकर गए, मास्टर खाकर गए। इनकी भी आदत खराब हो गई थी, ये भी +++ खाएंगे शाम तक, नहीं तो कल खाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह +++ असंसदीय हो तो इसको निकाल दिया जाए।

माननीय श्री सुखरामजी। शून्य काल में बोलने के लिए जो पर्ची हैं, माननीय श्री सुखरामजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बसेड़ी के सरमथुरा क्षेत्र में डांग जलप्रदाय योजना में हो रहा विलम्ब

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बसेड़ी जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें जो सरमथुरा क्षेत्र है वह डांग क्षेत्र है और डांग क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने और हमारी आदरणीया वसुंधरा राजे सिंधियाजी ने डांग जल प्रदाय योजना बनाई थी और उसे वहां पर लागू किया था। उपाध्यक्ष महोदय, 82 गांवों के लिए, पहले 12 गांव के लिए बनाई और 12 गांवों को बनाकर के सैकण्ड फेज में 82 गाँवों के लिए पेयजल योजना बनाई थी और उसके टेण्डर हुए। परन्तु 2004 से लेकर आज 2013 चल रहा है, यह योजना आज तक पूरी नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डांग क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनके पास न तो चिकित्सा सुविधा है, न वहां पर अच्छी एजुकेशन है, आवागमन के साधन भी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में कम से कम जब सरकार राजस्थान में चारों तरफ विकास का ढिंढोरा पीट रही है कि हमने चारों तरफ विकास की गंगा बहाई है, तो हमारे यह डांग क्षेत्र के लिए जो पानी योजना संचालित थी उसको तीन चरणों में इन्होंने लागू किया, एक्सटेंशन दिया उस ठेकेदार को और तीनों बार एक्सटेंशन लेने के बावजूद भी आज वह डांग एरिया की जल प्रदाय योजना शुरू नहीं हुई है।

(श्री सुखराम)

जब ठेकेदार, उसमें जो टर्म्स आफ कंडिशंस हैं, जो मूल विषय है मेरा कि डांग क्षेत्र के लोग यह आशा लगाए हुए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी यह योजना पूरी हो और पूरी होकर के कम से कम उन्हें पीने के लिए पानी मिले...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रवणजी, आप प्रतिपक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए हो या आप... तो बतायें हमें। यहां माननीय तिवाड़ीजी के चक्कर में आया, जो ही काफी हूं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): हमारे डांग एरिया के लोग यह आशा लगाए हुए हैं कि यह योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। उपाध्यक्ष महोदय, उस ठेकेदार की हठधर्मिता इतनी है, मंत्री महोदय चले गए हैं यहां से, वह ठेकेदार अपने प्रभावशाली लोगों को लेकर जो गांव के लोग हैं उनको धमकाता है और उसकी जो जितनी भी पाइपलाइनें डली हुई हैं, वे या तो रोड को खोदकर के डाली गई हैं या जो सी.सी. रोड है उसको खोदा गया है, जबकि निविदा की शर्तों के अनुसार एक ही चीज है कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत की सी.सी. रोड को वे तोड़ता है या राजकीय संपत्ति के रूप में रोड़ को खोदता है तो जितनी वह रोड़ तोड़े या सी.सी. रोड खोदे, उसको उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा, यह उसकी निविदा की टर्म्स आफ कंडिशंस में है। परन्तु जब मैंने उससे शिकायत की, मैंने खुद ने विधायक कोष से शंकरपुर जो ग्राम पंचायत झिरी में पड़ता है, शंकरपुर में साढ़े तीन लाख से मैंने सी.सी. रोड बनवाई और जब उसकी यूसी/सीसी हो गई, उसके जस्ट एक महीना पच्चीस दिन बाद उसने जेसीबी ले जाकर के उस रोड को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद वहां पर लाइन डाल दी। जब मैंने लिखित में उस ठेकेदार से कहा कि कम से कम यह तोड़ी है तो आप इसको बनवा तो दो, उसने एक भी नहीं सुनी और उसने यह धमकी और दी कि तुम एम एल ए हो तो क्या हुआ, मेरी सरकार में बहुत बड़ी पहुंच है और मेरा जो कुछ करना है, कर लो। इसलिए आज मुझे मजबूर होकर के इस सदन के सामने यह बात कहनी पड़ी है कि आखिर ऐसे किस आदमी का संरक्षण प्राप्त है, जिस संरक्षण की बदौलत वह ठेकेदार ग्राम पंचायत के सरपंचों को धमकाता है?

अगर कोई पंचायत समिति सदस्य, जिसमें कांग्रेस और बी जे पी ही नहीं, अपितु सभी सदस्य जिनके गांवों में लाइन नहीं डली है, जहां से वह पैसा ले लेता है वहां वह लाइन डाल देता है और जहां से उसे पैसा नहीं मिलता है

(श्री सुखराम)

वहां वह लाइन नहीं डालता है। खुद मेरे से उसकी बहस हुई, बहस होने के बाद उसने कहा, क्या कर लोगे आप? हमारी यह महा-पंचायत है, इससे आगे हम भी नहीं जा सकते। यह हकीकत है कि हम उसका कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि हम कुछ नियम क़ायदों में बंधे हुए हैं। पर धौलपुर है, करने को तो बता दें उसे कि धौलपुर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसको पता भी नहीं चले कि यहां काम कब किया और कब नहीं किया, परन्तु नियमों और कायदों में बंधा हुआ यह जन-प्रतिनिधि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना जरूर कह सकता है इस सदन के सामने कि ऐसे जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? मैं तो यह कह रहा हूं कि इतनी जो विशालतम योजना बनी है, इस योजना की एक सक्षम अधिकारी से आप जांच करा लें, फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें कि उसने कितनी राजकीय सम्पत्ति का नुकसान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह जो योजना है, इसको जल्दी से जल्दी पूरी करें और जिस ठेकेदार ने जितनी भी राजकीय सम्पत्ति को नष्ट किया है, उस राजकीय सम्पत्ति को उसे आदेशित किया जाए कि पुन: उनको बनायें क्योंकि वह बनाने के लिए बाध्य है।

एक चीज और है इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी किसी राजकीय सम्पत्ति को तोड़ा जाता है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत या सम्बन्धित एजेंसी से उसकी लिखित में परमिशन ली जाती है, परन्तु कहीं पर भी किसी भी ग्राम पंचायत से, किसी भी दूसरे निकाय से उसने परमिशन नहीं ली और मनमानी से उन्होंने लाइन डाली और लाइन में भी, जैसे उसमें बताया गया, 12 गांवों में से मैंने 11 गांवों में पेयजल दे दिया है, परन्तु हकीकत तो यह है कि सिर्फ एक गांव बौरोली को छोड़कर के किसी भी गांव में आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

दूसरी, जो पानी की टंकी बन रही है, उपाध्यक्ष महोदय, डांग राकी एरिया है टोटल और यहां पर प्रत्येक इंसान जानता है कि जब पानी की टंकी पचास फीट ऊपर बनाएंगे तो उसकी गहराई में क्या होना चाहिए। सीधी सी थोड़ी सी ड्रिल करता है और ड्रिल करने के बाद उस पानी की टंकी को खड़ा कर देता है। तो आप जान सकते हो, उपाध्यक्ष महोदय, वह पानी की टंकी कब तक चलेगी।

(श्री सुखराम)

इसीलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि ऐसा जो ठेकेदार हठधर्मिता कर रहा है, उस ठेकेदार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं, 2004 से लेकर अगस्त, 2010 तक उसकी कार्य पूर्ण करने की तिथि थी....

श्री उपाध्यक्ष: समय का ध्यान रखें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): तीन बार एक्सटेंशन लिया और एक्सटेंशन लेने के बावजूद आज तक वह काम पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, पुन: ...

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कार्यवाही में आया है कि धौलपुर में क्या नहीं होता है, क्या कर सकता है, कृपया उसे कार्यवाही से हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: असंसदीय होगा तो निकल जाएगा। असंसदीय होगा तो ही हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): एक्सपंज हो जाए, आपके हित में है, रिकार्ड पर नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, बिलकुल आपकी बात को, यदि असंसदीय शब्द होंगे तो हटा दिए जाएंगे और संसदीय होंगे तो नहीं हटेंगे। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसकी सक्षम अधिकारी से जांच करायें और हमारी जो 82 गांव की पेयजल योजना है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बंशीधरजी खण्ड़ेला। आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, शार्ट में बोलिए आप, प्लीज।

सूचना

खण्डेला के चौकड़ी ग्राम में बसी प्राचीन बस्ती को हटाने का दबाव

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन उठाना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चौकड़ी ग्राम में चालीस-पचास साल पुरानी बस्ती है। वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां बसी हुई हैं, जोगी बसे हुए हैं। वहीं पास में ही 50 मीटर के ऊपर खनन विभाग ने पट्टे दे रखे हैं। बस्ती ने खनन विभाग में ब्लास्टिंग

(श्री बंशीधर खण्डेला)

की जगह-जगह शिकायत की। उसके कारण खनन भू-माफिया वालों ने प्रशासन से मिलकर के इस बस्ती को हटाने के लिए तहसीलदार से नोटिस दिलवाये हैं।

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो पचास साल पुरानी बस्ती बसी हुई है, उसमें लाइट का कनेक्शन है, पंचायत द्वारा पट्टा दिया हुआ है, पानी का कनेक्शन है, उसको आज हटाने के लिए तहसीलदार यह कह रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इसके बजाय जो नियम विरुद्ध ब्लास्टिंग की जा रही है, जो ब्लास्टिंग का लाइसेंस दिया हुआ है, वह नियमों के विरुद्ध दिया गया है। हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं खनन विभाग के, मैं उनको निवेदन करूंगा कि उनका लाइसेंस जब्त किया जाए और उसके हिसाब से उनको जो ब्लास्टिंग का दिया गया है, उसको सेंटर से कैंसिल कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अशोक डोगरा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बूंदी में रैगर समाज के गुमशुदा युवक की बरामदगी

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बूंदी जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले एक महीने में चार मासूम

(14.00 बजे)

बच्चों की हत्याएं हुईं और सब ब्लाइंड मर्डर थे। चान्दा का तालाब जो तालेड़ा थाने में लगता है, वहां एक महीने पहले एक गुर्जर समाज का 17-18 साल का बच्चा बकरियां चराने गया, उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गई। उसके बाद गेंडोली थाने में गुलखेड़ी गांव में दो मासूम बच्चों की जो पढ़ कर आ रहे थे, उनकी हत्या हो गयी। उसके बाद कल डाबी थाने में एक मंदिर के पुजारी की हत्या हुई। ये सब ब्लाइंड मर्डर थे।

उसके अलावा, 23 तारीख को एक महेन्द्र रैगर नाम का लड़का जो अजेथा का निवासी था, अजेथा से कोटा अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीदने गया था; वह कोटा से रात को साढ़े आठ बजे चलता है सामान लेकर के; नौ बजे उसकी उसके पिताजी से बात होती है, उसने कहा कि मैं आ रहा हूं रास्ते में हूं; उसके बाद उसका फोन नो रिप्लाई हो जाता है। 11 बजे तक घर वाले उसके लिए प्रयास करते हैं, बार-बार फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाता। फिर घर वाले प्रयास कर रहे हैं, निकलते हैं तो रात को डेढ़-दो बजे के आस-पास केशोरायपाटन थाने के इलाके में नहर के किनारे उसकी कार मिलती

(श्री अशोक डोगरा)

है जिसमें उसके कार के पीछे उसके जूते खुले हुए मिले हैं, कार के स्टीयरिंग पर और कांच पर ब्लड लगा हुआ है। लोगों में यह अंदेशा है, उसके घर वालों में यह अंदेशा है कि किसी ने कहीं और वारदात करके और वहां लाकर के जूते इसलिए पीछे रख दिये कि पास में नहर थी कि नहर में कूद गया होगा। सब लोगों ने नहर की खूब तलाश कर ली, कहीं नहीं मिला। उसका सब सामान सुरक्षित है, सिर्फ उसका मोबाइल ही नहीं है। अब वह मोबाइल स्विच-आफ आ रहा है।

इस विषय में 25 तारीख को मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से भी मिला था, तो इन्होंने कहा कि मैं पता करके बताता हूं और कार्यवाही कराता हूं। आज अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आज इतना आक्रोश है लोगों में कि आज पूरा रैगर समाज बूंदी में कलक्टर के यहां धरने पर बैठा हुआ है, उन्होंने महा-पड़ाव डाल रखा है। पुलिस वाले यह कह रहे हैं कि साहब, वह कोई लड़की को लेकर भाग गया है। लड़की को लेकर भाग गया तो आज चार दिन हो गये, उस आदमी को बरामद तो करें; जिन्दा है कि मुर्दा है, कैसे है; उस लड़की को बरामद करें। उसमें पूरी तरह से लोगों में आक्रोश है। रोज अखबारों में भरा रहता है। यह पांचवीं घटना है एक महीने के अन्दर-अन्दर।

पहले की घटनाओं में, गुलखेड़ी के सम्बन्ध में आप खुद भी वहां बैठकर आये हैं। आपने देखा है, चान्दा का तालाब मर्डर हुआ, कल डाबी में हो गया। हालांकि एस.पी. ने भाग दौड़ करके कुछ मुलजिम पकड़े हैं, लेकिन पुलिस गश्त की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो अपराधियों के मन से डर बिलकुल गायब रहेगा। जितने अपराधी पकड़े भी गये हैं, वहां सब ब्लाइंड मर्डर हैं, कोई विटनेस नहीं है, सब कोर्ट से बरी हो जाएंगे। जब तक पुलिस पुख्ता गश्त की व्यवस्था नहीं करेगी तो ये पांच घटनाएं तो एक महीने में हो गयीं, अब आगे और बढ़ेंगी।

इस रैगर समाज के बच्चे, महेन्द्र रैगर के विषय में मेरा यह कहना है कि इसको आज चार दिन हो गये, जहां भी है उसको बरामद करके, जिन्दा है या मुर्दा है, कैसा है, ताकि लोगों को राहत तो मिले। उसके घर वाले आज चार दिन से परेशान हो रहे हैं, पूरा उनका समाज परेशान है, पूरे बूंदी के लोग परेशान हैं। इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। माननीय श्री वासुदेव देवनानी।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मंत्रीजी बैठे हैं, थोड़ा इस बारे में जवाब दिलवा दें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है लेकिन आज उसकी कानून-व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि अपराधियों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं, उनके ऐशोआराम का एक तरह से वह आरामगाह बन गया है। निरन्तर प्रात:काल सवेरे महिलाएं इवन मार्निंग वाक नहीं कर सकतीं। जहां से निकलती हैं, वहां रोजाना कहीं न कहीं रोज अखबारों में सुर्खियों में छपता है, चेन स्नैचिंग के मामले खूब वहां पर धड़ाधड़ हो रहे हैं और यहां तक कि बुजुर्गों का भी घूमना वहां पर खतरे से खाली नहीं है। नकली पुलिस वेशभूषा पहन करके उनके साथ खुले-आम लूटने के वारदातें हो रही हैं लेकिन एक भी घटना का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। यहां तक कि बाहर कोई बीमार हो तो वह अपना घर बंद करके नहीं जा सकता क्योंकि उसके यहां चोरी तुरन्त हो जाएगी। आज मेरे शहर में हरिभाऊ उपाध्याय नगर है, पंचशील नगर है, बी.के. कौल नगर है, सुभाष नगर है, ऐसे रिहायशी क्षेत्रों में भी आये-दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। यहां तक कि विवाह समारोह स्थलों से भी लगातार चोरियां हो रही हैं और एक भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है।

और तो और, इन चोरों ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा है। अजमेर में जैन मंदिरों में चोरियां पिछले दिनों हुई हैं। मेरे यहां नला बाजार में गोदा गुवाड़ी है, हाथीभाटा जैन मंदिर है, वहां की मूर्तियां चोरी हुई हैं। एक भी मूर्ति चोर को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। यह स्थिति तो छोड़ो, इनके हौसले जब बुलंद हुए तो गत दिनों, अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, वहां पर एक मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया; माताजी की मूर्ति को वहां से उखाड़ करके नीचे फेंक दिया गया; वहां से भैरूंजी की मूर्ति भी उखाड़ कर फेंक दी; शिवजी के मंदिर को खंडित किया लेकिन वहां पर पुलिस ने अभी तक छह अपराधियों के लिए कहा था, आज 7-8 दिन हो जाने के बाद भी 4 अपराधी अभी भी वहां पर खुले-आम घूम रहे हैं जिनको कोई पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस का केवल एक वक्तव्य आता है कि वहां कोई नशाख़ोरों में झगड़ा था। अगर नशाखोरी हो रही थी तो आप इन नशाखोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? कितने समय से हो रही है, इसका आज तक पता नहीं किया।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इनके हौसले इसलिए भी बुलंद हो रहे हैं कि गत दिनों रावत समाज के, सिन्धी समाज के कुछ लोगों की हत्याएं हुई थीं, उन हत्याओं का भी पर्दाफाश आज तक नहीं कर पा रहे हैं। आज वहां के महंत और धार्मिक लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। ब्यावर में पुलिस चौकी से बिलकुल सौ मीटर की दूरी पर एक महन्त की हत्या हो जाती है। अब जाकर के, उनमें से भी पूरी तरह सरगना नहीं पकड़े गये हैं। लेकिन ये हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।

उसका जो मूल कारण है, वह यह है कि वहां पर कई बांग्लादेशी आकर के रुके हैं, उनकी पहचान पुलिस नहीं कर पा रही है। वे वन भूमि पर अपने अलग से मकान बना करके रह रहे हैं और पुलिस केवल देख रही है।

लगातार रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि नकली नोट पकड़े गये। नकली नोट पकड़ते जा रहे हो लेकिन नकली नोटों का सरगना क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो, ये तो जरा बताओ। आज वहां पर जो नई सड़क बनी है नाथणी में, वहां पर जो मादक पदार्थों की तस्करी करोड़ों रुपये की पकड़ी है, लेकिन उसमें भी केवल माल पकड़कर के, दोषियों को आज तक नहीं पकड़ पाये हैं।

यह जो स्थिति बनी है, ये असामाजिक तत्व हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, वहां पर पुलिस चौकी स्थापित की जाए। जो दरगाह थाना है, थाने के लोग तो केवल वी.आई.पीज. की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वहां पर चोरी और अवैध जो गतिविधियां हो रही हैं, उनको पकड़ने में या काबू करने में बिलकुल नाकाम हो रहे हैं। आज जो इस खुफिया तंत्र की विफलता हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक मिनट लूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आज शहर में स्थिति यह हो गयी है कि वहां पर जो पचास-साठ वर्षों से बंद पड़े मकान हैं, उनको आज खोला जा रहा है। मेरे यहां डिग्गी बाजार परसों बिलकुल बंद रहा, वह बंद इसलिए हुआ कि वहां पर एक मकान सन् 1947 से बंद था लेकिन वहां पर खोल करके और मस्जिद मानकर के उसमें इबादत करना शुरू कर दिया, जबकि उसमें परिवार रहता है और परिवार को कभी मस्जिद नहीं माना जा सकता। इस तरह अजमेर में 268 बंद पड़े मकान हैं जिनको इस तरह का प्रयत्न करके अजमेर का साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उस पर भी पुलिस अंकुश लगाये।

(श्री वासुदेव देवनानी)

ये जो नये मामले सामने आ रहे हैं, आज अजमेर में पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। वहां का एस.पी. ए.सी.बी. से पकड़ा गया है, वह जेल में है; आपका एडिश्नल एस.पी. जो डेढ़-दो महीने से फरार है, उस फरार पुलिस वाले को नहीं पकड़ पा रहे हो तो बाकी किन अपराधियों को पकड़ोगे? आज यह स्थिति हो गयी है। 12 सी.आई., मंथली के आरोप में उनके नाम लिखे गये हैं। वह जो ठेकेदार है, जो इनका दलाल था, वह जेल की सीख़चों में जरूर है लेकिन ए.सी.बी. ने जो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है, उसमें आर पी एस सी के अधिकारी, शायद चेयरमैन का नाम है, लेकिन आज तक उससे पूछताछ नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि हमने उनको क्लीन चिट दी। जिसका एफ.आई.आर. में नाम हो, कम से कम उससे पूछताछ तो करो, लेकिन बिना पूछताछ के उसको खुली क्लीन चिट देने का षड्यंत्र है।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कितना भी संवैधानिक पद पर बड़ा अधिकारी हो लेकिन उससे पूछताछ करके सत्य तो सामने आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूलाल खराड़ी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): केवल एस.पी. के लिए लिखा गया है कि एक थैला उसके हाथ में था, जब बाहर निकला वह थैला उसके हाथ में नहीं था, इस तरह से है और अभी नये एस.पी. आये, उनके आते ही उनका स्वागत जो हुआ है... वह आदर्श नगर थाने का एक एस.आई. भी ए.सी.बी. के द्वारा धरा गया है। इस तरह से रिश्वतखोरी की स्थिति सामने है। जेल में खूनी संघर्ष हो रहे हैं लेकिन आज पुलिस पूरी तरह नाकाम हो रही है और सरकार केवल देख रही है।

अजमेर संवेदनशील है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। यदि आपने समय रहते कार्यवाही नहीं की, क्या घटनाएं होंगी, क्या होगा, इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। समाप्त करें। माननीय, समाप्त करें। श्री बाबूलालजी खराड़ी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर जैसी शांतिप्रिय नगरी को अशांत कर दोगे। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें, इम्पोर्टेंट मामला है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबू लालजी खराड़ी।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): वह एस.सी. का लड़का है, चार दिन से गायब है। मंत्रीजी बैठे हैं, तो जवाब तो दिलवा दें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न।

श्री उपाध्यक्ष: बाबूलालजी खराड़ी बोल रहे हैं। मैं मंत्रीजी को कहां रोक रहा हूं मैंने तो नहीं रोका।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वे दे रहे हैं, आप उधर देखो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सजेशन दीजिये। बैठ जाएं।

झाड़ोल में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार बिजली के क्षेत्र में बहुत कुछ बिजली उत्पादन करके और अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त करने का ढिंढोरा पीट रही है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे झाड़ोल और फलासिया और कोटड़ा दो तहसीलें और एक उप-तहसील हैं, उपाध्यक्ष महोदय, झाडोल तहसील में 45 पंचायतें हैं, वहां पर जी एस एस मात्र 2-3 और एक 132 केवी का जी एस एस। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर लाइट की हालत यह है कि कब आती है, कब जाती है, पता नहीं। किसानों को समय पर लाइट मिलती नहीं है। किसान अपनी मोटर चलाकर खेत तक जाता है तब तक लाइट बंद हो जाती है। दो -दो, तीन-तीन दिन तक लाइट आती नहीं है। किसानों की फसलों का नुकसान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो फलासिया उप-तहसील है, उसकी हालत यह कर रखी है कि उसको खैरवाड़ा के, बावलवाड़ा के जी एस एस से जोड रखा है और वह डय्या, अम्बासा, पानरवा, नालवा, फलासिया तक का कुछ एरिया ऐसा है, जो खैरवाड़ा के अधिकारी/कर्मचारी हैं वे अपने यहां के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये मर्जी आये जब काट देते हैं और यहां का उपभोक्ता परेशान होता रहता है। जब अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वे जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

इसलिए मेरा कहना यह है कि फलासिया में 132 केवी का जी एस एस प्रस्तावित है, मैं सरकार से चाहूंगा कि 132 केवी का जी एस एस फलासिया में स्थापित किया जाये, पास किया जाये तो वहां के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। दूसरा, मेरा निवेदन है कि जो खैरवाड़ा से झाड़ोल का एरिया जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र को क्यों नहीं 132 से जोड़ा जाये ताकि तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं जे ईएन, ए ईएन, वे तो कम से कम जिम्मेदार हों?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा में 31 पंचायतें हैं, जी एस एस मात्र 2 हैं। उनको कैसे बिजली उपलब्ध कराओगे? वहां पर 133 केवी के जी एस एस प्रस्तावित हैं, सरकार स्वीकृति ही नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, समय के अनुसार बिजली एक ऐसी आवश्यकता है कि चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, उसे बिजली की आवश्यकता रहती है। वह बिजली से परेशान रहता है और सरकार बिजली के क्षेत्र में वाहवाही लूट रही है। इसलिए मेरा कहना है कि इस बिजली की समस्या से हमें निजात दिलाई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटड़ा की हालत यह कर रखी है कि उसको सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील से जोड़ रखा है और उसकी दूरी 80 किलोमीटर है। वहां पर भी यही हालत होती है कि डिस्ट्रिक्ट दूसरी होने के नाते वे अधिकारी/कर्मचारी, वहां फैक्टरियां हैं, उद्योग हैं, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये कोटड़ा के हक की बिजली को काट दिया जाता है। एक चीज और है, कोटड़ा में जो इंटर-कनेक्शन होता है, वह सिंगल फेज है, उसको टू फेज किया जाये, दो लाइनों से किया जाये तो एक विकल्प हो जाता है कि एक खराब हो जाये तो दूसरे को चालू किया जा सकता है। दूसरी मेरी मांग है कि गोगून्दा जिले में आता है, 132 केवी का जी एस एस वहां पर है तो कोटडा को क्यों नहीं गोगून्दा से जोडा जाये?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है, मांग है कि ये जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करे। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1999 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

(1) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2011-12; व

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

(2) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री घनश्याम तिवाडी, सभापति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2012-13 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (वर्ष 2012-13) का प्रतिवेदन (क्रम सं. 1)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2012-13 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका

शेरगढ़ में स्वीकृत नलकूपों की शीघ्र खुदाई

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में जलदाय विभाग द्वारा स्वीकृत 33 नलकूपों की शीघ्र खुदाई करवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है और अभिभाषण के पक्ष में मैं यहां पर बोल रहा हूं।

इस सरकार को चार वर्ष पूरे हो गये। हर सरकार चुनाव से पहले अपनी नीति और कार्यक्रम लेकर एक घोषणा पत्र जनता के बीच में प्रस्तुत करती है। पक्ष और विपक्ष में मुकाबला होता है और जिन वादों और मुद्दों के साथ जिस पार्टी की सरकार बनती है, उस पार्टी की मोरल ड्यूटी होती है कि जिन वादों के साथ हम चुनाव जीत कर आये, उन वादों को हम पूरा करें और सरकार में उसका जो संदेश निकलकर आये उसमें सरकार की ईमानदार शो हो। आजादी के इन 65 वर्षों में कई चीफ मिनिस्टर्स आये, कई सरकारें बनीं, अलग-अलग पार्टी की सरकारें बनीं और हर मुख्य मंत्री का एक कार्यकाल रहा, हर सरकार का एक कार्यकाल रहा। इस सरकार ने भी चुनाव से पहले एक घोषणा पत्र जारी किया और मैं आज आपसे कह सकता हूं, इन चार वर्षों के शासन में राजस्थान का हर आदमी यह महसूस करता है, वह चाहे गांव का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आदमी हो, ढाणी का आदमी हो, शहर का आदमी हो, कस्बे का आदमी हो लेकिन वह ईमानदारी से एक बात कहता है कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और सरकार पहली बार ऐसी योजनाएं लेकर आई है जिनका डायरेक्ट रिलीफ आम आदमी के पास पहुंच रहा है। आम आदमी के पास पहुंचने का मतलब यह है कि सरकार तो हर बार आई, सरकार ने वादे भी किये लेकिन आदमी को डायरेक्ट रिलीफ मिला हो, ऐसी योजनाएं लेकर नहीं आये। अबकी बार सरकार एक योजना लेकर आई, उस योजना का हर जगह असर नजर आ रहा है और उस योजना को लेकर भी जब हम बार-बार पार्टीबाजी से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं और यह कहते हैं कि दवाइयां तो मिल रही हैं लेकिन पूरी नहीं मिल रहीं। उस आम आदमी से पूछो जिसके घर में कोई बीमार है, दवाई की कीमत वह जानता है जिसके घर में उसका कोई घर वाला बीमार है। मां, बहन, बेटी या बच्चा जब बीमार होता है और वह अस्पताल में जाता है, जब दवाई की कीमत उसको पता चलती है और जब वह दवाई उसको फ्री में मिलती है तो हिम्मत करके वह शहर में भी घुस जाता है। 800-1,000 रुपये लेकर जाता है लेकिन अपने परिवार वालों का इलाज कराता है।

अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, इस सदन में हंगामा हो रहा था, गाय को लेकर हंगामा किया गया। आजादी के इन 65 वर्षों में सरकार ने नारा दिया, 'चार साल बेमिसाल' ; लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि चार साल बेमिसाल रहे। आपने कह दिया कि गाय की हत्या हो रही है। इस प्रदेश में गाय को बचाने का काम किसने किया? आदरणीय भैरोंसिंहजी भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आदरणीय वसुंधराजी भी मुख्यमंत्री रहीं लेकिन पहली बार पशुओं की दवाइयां किसने फ्री की? गौ-शालाओं को बचाने का काम किसने किया? इस कांग्रेस की सरकार ने संकल्प लेकर फैसला किया कि हम गाय को भी बचायेंगे, बकरी को भी बचायेंगे, भेड़-पालक को भी बचायेंगे, ऊंट-पालक को भी बचायेंगे और गांव की चिंता करके काम करके दिखाया। नारे देकर, धर्म के नाम पर राजनीति करके, धर्म के नाम पर बंटवारा करके, आपस में जाति के नाम पर टकराव पैदा करके इस सरकार ने कोई संदेश देने की कोशिश नहीं की। सरकार ने एक ही काम किया कि यह ईमानदारी से काम करना चाहती है और काम करने के लिए सरकार ने जो भी काम किया, उसकी डायरेक्ट रिलीफ उस आदमी को मिली।

आज कोई भी आदमी जा रहा है, आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे राजस्थान में सब जगह बी पी एल परिवारों को, 38 लाख से ज्यादा बी पी एल

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

परिवारों को दो रुपये किलो में अनाज मिल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लेकर आए, 1 लाख मकान बनने को तैयार हैं, 5 लाख मकान बनाने जा रहे हैं। पहली बार गरीब को मकान देने की तैयारी हुई और यह भी फैसला हुआ कि जितने भी बी पी एल परिवार हैं, उनको 55 हजार रुपये देंगे। काफी लोगों को मिल गए, काफी लोगों को मिल रहे हैं; डायरेक्ट उसको पैसा मिल रहा है।

मैं आज कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के साथी हों या पक्ष के साथी हों, यह विधान सभा है, केवल आरोप-प्रत्यारोपों तक ही सीमित है। क्या आज पूरे देश में, पूरे राजस्थान में हमारी योजनाएं अच्छी हैं? हमारा काम अच्छा है, जो हमारी योजनाएं और हमारा काम है, उस काम के बीच में मैं इतना कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथियों ने जरूर कुछ योजनाओं की तारीफ की, लेकिन कहीं पर तो पक्ष का और विपक्ष का यह संदेश राजस्थान में जाना चाहिए कि कुछ मुद्दों पर विपक्ष और पक्ष एक है और ईमानदारी से उन पर विचार करना चाहता है, उन पर काम करना चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मामलों पर हमें फैसला करना पड़ेगा कि यह सदन सिर्फ पक्ष और विपक्ष के नाम पर बंटकर जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप करता है, जिस तरह से हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे विधान सभा की गरिमा भी कम हो रही है और हमारी खुद की गरिमा भी कम हो रही है और बाहर बैठे हुए लोग यह देखते हैं कि यह विधान सभा सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने का केन्द्र मात्र बन गई है। यदि कहीं से कोई अधिकारी-कर्मचारी गलती करे तो राज में वे होते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, हम होते हैं तो हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं से तो कुछ संदेश जाना चाहिये कि यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी गलती करेगा तो उसकी गलती सरकार नहीं ओढ़ेगी। जहां पर सरकार को यह लगेगा कि यह अधिकारी-कर्मचारी सरकार की अच्छी नीतियां होने के बावजूद गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन होता है। विधान सभा से कुछ लोगों को सज़ा मिलती है तो लोगों में विधान सभा का डर पैदा होता है।

आज पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है यदि कोई, तो वह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। हम परिवार नियोजन के लिए क्या कर रहे हैं? हमें परिवार नियोजन के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम लेकर आने की जरूरत है। आज हमने दवाइयां फ्री कर दीं, आज हमने जानवरों की दवाइयां फ्री कर दीं, आज हम जननी शिशु सुरक्षा योजना लेकर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आ गए, ये बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं, उनसे आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है लेकिन अब हमें वह परिवार नियोजन का कार्यक्रम नजर नहीं आ रहा जिसमें माता-पिता के साथ दो बच्चे नजर आते थे। सवा सौ करोड़ की आबादी इस देश की हो गई, आज राजस्थान की आबादी साढ़े सात करोड़ पार कर रही है, ऐसे में पक्ष-विपक्ष को एक साथ काम करना पड़ेगा और यह फैसला करना पड़ेगा कि यह देश बी जे पी और कांग्रेस के नाम पर बंटा हुआ नहीं है; यह देश हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर बंटा हुआ नहीं है; यह देश राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, जाट, एस टी, एस सी के नाम पर बंटा हुआ नहीं है; यदि इस देश में सबसे पहले कोई है, आज हर आदमी कह रहा है, मैं हिन्दू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, कोई यह नहीं कह रहा कि मैं इंडियन हूं; हर आदमी भारतवासी है, हर आदमी सबसे पहले भारतीय है। ऐसे में इस विधान सभा से कुछ नई बात निकलकर आनी चाहिए, कुछ फैसला होना चाहिए। कम से कम परिवार नियोजन को लेकर राजस्थान एक नई शुरुआत करे कि हम सब इंडियन हैं, दो बच्चों के कानून के लिए हम एक नई शुरुआत करें जिससे हर आदमी को रिलीफ मिले, हर आदमी के पास योजना पहुंच सके, उस योजना का लाभ पहुंच सके। आज हम एक योजना लेकर आते हैं और जो योजना लेकर आते हैं, वह योजना इसलिए फेल हो जाती है कि हमारी आबादी बढ़ने का गणित इतना फास्ट है कि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, हमारी प्लानिंग अच्छी है, हमारे पास पैसा है, हम खूब खर्च कर रहे हैं लेकिन उस पैसे का लाभ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। मैं आज के दिन आपसे कह सकता हूं कि हमें परिवार नियोजन के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैंने देखा, पक्ष और विपक्ष के लोग, दोनों लोग मिलकर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने खुद ने तो परिवार नियोजन के लिए सब कुछ कर लिया ना?

श्री उपाध्यक्ष: व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए ना सदन में।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे दो ही बच्चे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ये व्यक्तिगत कह गये, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, कोई बात नहीं, मेरे दो ही बच्चे हैं; आपके एक है, कोई ज्यादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बोलो, बोलो आप, रिकार्ड में है सब। ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): दोनों एक-दूसरे की पोल जानते हैं, इसलिए बातचीत कर रहे हैं।

(14.25 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पोल मत खोलो; पोल मत खोलो राजेन्द्रजी की।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मीडिया ध्यान नहीं दे रहा; मैंने देखा, मीडिया पर रोज बहस चलती है लेकिन कभी भी बढ़ती हुई जनसंख्या पर बहस नहीं होती। हमें इस पर एक व्यापक प्रोग्राम हर आदमी को इंडियन मानकर, क्या हर आदमी को फख्र नहीं होना चाहिए कि मैं इंडियन हूं? हर आदमी कह रहा है, अपनी जाति का नाम, अपने धर्म का नाम; कोई यह नहीं कह रहा है कि मैं सबसे पहले इंडियन हूं और इंडियन होने पर मुझे गर्व है और इंडियन होने पर, जो भी कानून होगा, उसे मैं सैल्यूट मारकर स्वीकार करूंगा ।

सभापति महोदय, आज की स्थिति में एक और प्राब्लम सबसे बड़ी है, आजकल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम हद से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से सदन में एक ही बात चल रही है, आपने चार बरस पहले यह किया था, आज आप यह कर रहे हैं; कुल मिलाकर एक दूसरे को चोर साबित करने की जो होड़ लगी हुई है, उससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? अगर कोई भी प्रस्ताव आए और हम किसी पर भी भ्रष्टाचार का चार्ज करें तो हमें बाकायदा सबूतों के साथ, सदन के पटल पर उनको रखकर, चुनौती के साथ फिर साबित करना चाहिए। हम इस बात के लिए नहीं आए।

अभी इधर से कोई भी बात आती है, मैंने एक दिन देखा, लैपटाप का इतना बड़ा प्रोग्राम, उसको लेकर; मुझे बड़ा दुःख हुआ। यदि राजस्थान में विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष का कोई एम एल ए या एम पी बोलता तो मुझे अच्छा लगता; आप सिर्फ इसलिए लोगों को बाहर से बुलाकर उनसे चार्ज लगवा रहे हो कि कल को कोई गलती भी हो जाए तो हम यह कह सकें कि हमने तो यह आरोप लगाया ही नहीं था। भाई साहब, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? आरोप

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लगाओ तो खुद खड़े होकर लगाओ, सदन में शपथ पूर्वक उसको पेश करो और शपथ के साथ कहो कि यदि आरोप साबित नहीं हुए, दोनों सदन की कमेटी बने, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा; इस तरह का आरोप लगाओ। दो लिखकर, तो फैसला हो जाए। इतनी बढ़िया योजना; आज वह लैपटाप मिलेगा राजस्थान के सवा लाख बच्चों को; एक बड़ी योजना, जिसका लाभ उनको मिलने वाला है। जमाना लैपटाप का है, एक लैपटाप 30 से 40 हजार रुपये का आएगा और उस बच्चे को मिलेगा। आप उसको रुकवाना चाहते हो? उस योजना के बीच में अड़ंगा डालना चाहते हो? जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, वह व्यक्ति कौन है? कहां से आया? राजस्थान के बारे में क्या जानता है? और यदि आपने उसको अधिकृत किया है तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, सारे एम एल ए लिखकर विधान सभा अध्यक्ष को लिखकर दें कि हम शपथ-पूर्वक बयान करते हैं कि यदि यह एक महीने में साबित नहीं हुआ; राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कह दिया, लीडर आफ अपोजिशन आगे बढ़ें, मैं जांच कराने को तैयार हूं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो साबित करना चाहते हैं, हम एक-दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं लेकिन हमारे प्रति विश्वास खतम हो जाएगा; लोग यह समझेंगे कि विधान सभा में जो आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वे ईमानदारी से नहीं लगाए जाते।

सभापति महोदय, मैं आज के दिन इतना कह सकता हूं, इन चार वर्षों में जितना काम, इस अभिभाषण में जितनी भी बातें कही गई हों, इसमें सरकार ने कोई असत्य बोला हो और आम आदमी तक उसका रिलीफ नहीं पहुंचा हो तो यहां पर सदन का हर सदस्य जिम्मेदार है। अभी विपक्ष के लोग बैठे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आप एक योजना ऐसी बता दो कि डायरेक्ट रिलीफ आपने आम आदमी को दिया हो? यहां तो सीधा डायरेक्ट रिलिफ जा रहा है।

अभी केन्द्र सरकार एक योजना लेकर आ रही है, डायरेक्ट सब्सिडी की योजना, उस योजना का कितना बड़ा लाभ मिलेगा! उस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि करप्शन मिटेगा और डायरेक्ट सब्सिडी के तहत उसको मिलेगा।

अभी सिलेण्डर को लेकर पूरे देश में हंगामा किया गया। किसी ने असलियत समझाने की कोशिश ही नहीं की। केन्द्र सरकार पर, राज्य सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप लगे। इस सदन में भी कहा गया कि सब सिलेण्डर, बरबाद कर दिया देश को, बरबाद कर दिया राजस्थान को। पूरे राजस्थान में, जयपुर में इतना गलत चार्ज लगाया गया। आप मुझे यह बता दीजिए, 40 को 9 से गुणा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

करो, 360 दिन में 9 सिलेण्डर मिलेंगे। अब केन्द्र सरकार ने बाउण्ड कर दिया, केन्द्र सरकार ने कि साल भर में आपको 9 सिलेण्डर देने ही पड़ेंगे। सब्सिडी के 9 सिलेण्डर यदि आप नहीं दोगे, उसके बाद ही आप बिना सब्सिडी का लोगे; पहले 45 दिन की बुकिंग थी, आपको पहले भी 9 ही सिलेण्डर मिल रहे थे, 9 भी पूरे नहीं दे रहा था। आपने गैस एजेंसी की दलाली खतम कर दी, और आपने बाउण्ड कर दिया, नौ सिलेण्डर तो आपको उस उपभोक्ता को देने ही पड़ेंगे जो आपसे सिलेण्डर मांग रहा है। असलियत लोगों तक नहीं पहुंची। आप 40 को नौ से गुणा करो, नौ चौके-360 दिन; 45 दिन की बुकिंग है और नौ सिलेण्डर पूरे मिल रहे हैं। आपने इसको पालिटिकल मुद्दा बनाया, लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश की। मैंने जब जयपुर के लोगों से यह बात बोली, उनके बीच गया, बहुत जगह किसी प्रोग्राम में, उन्होंने स्वीकार किया, आपकी बात सही है। कई बार लोगों को भ्रमित किया जा सकता है लेकिन अंत-पंत लोगों में सच्चाई आती है, लोग यह समझ जाते हैं।

आज जब यह भ्रष्टाचार की बात हुई, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हर बार राजस्थान में उठते हैं, हर बार लोगों पर चार्ज लगे हैं, हर चुनाव में चार्ज लगाये जाते हैं लेकिन जिस ढंग से इस विधान सभा में अब भ्रष्टाचार के मुद्दे उठने लगे हैं, रोज कोई न कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, बिलकुल प्लान बनाकर; मैं मानता हूं, आपका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का; इन्होंने, आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जब लोकायुक्त की बात उठाई, मेरे गले उतरी; इस बात में दम है, लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, यदि कहीं पर कोई संविधान की प्रकियाओं के तहत, इस देश के कानून के अनुसार लोकायुक्त का प्रावधान है, तो लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है, जो करप्ट होगा वह डरेगा। इसमें डरने की कहां जरूरत है, यदि हम ईमानदार हैं? ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो लोकायुक्त आये और आना चाहिए, उसमें कोई डरने की बात ही नहीं है; सूचना अधिकारी की नियुक्ति भी होनी चाहिए।

लेकिन कम से कम मैं एक निवेदन करूंगा कि मंत्री, चाहे उनकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, मैंने उनमें भी देखा; मंत्री सिर्फ खुद के विधान सभा क्षेत्र के थे, बी.जे.पी. के राज में; आज भी खुद के विधान सभा क्षेत्र के मंत्री हैं। मंत्री की मोरल ड्यूटी होती है, वह सिर्फ खुद के विधान सभा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

क्षेत्र का मंत्री नहीं होता। यह बी.जे.पी. और कांग्रेस की बात नहीं है, यह इस स्टेट की बात है। संविधान और नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार, मैं आज कह सकता हूं, पुरानी विधान सभा में, इनके राज में भी एक भी मंत्री ऐसा नहीं होगा जो पूरे जिलों में गया हो, आज भी एक भी ऐसा मंत्री नहीं हुआ जो 32 जिलों में गया हो। कोई हैं तो मुझे खड़ा होकर कह दें, मैं 32 जिलों में जाकर आया हूं, एक मंत्री? आपके मंत्रियों की सार्थकता कहां है? राज उनका था, तब भी यही हालात थे। अपनी कांस्टिट्यूएंसी को सुरक्षित रखना, अपनी कांस्टिट्यूएंसी का काम करना, इससे पार नहीं पड़ती।

आज जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीनों में नगर निगम हैं। क्या हमारी मोरल ड्यूटी नहीं थी, आपको यूजर चार्ज अगर लगाना था, आप तीनों में लगाते? आपने कोटा को साइड में कर दिया, जयपुर और जोधपुर में यूजर चार्ज लगा दिया। यह यूजर चार्ज कहां से आ गया? जयपुर की जनता बेवकूफ है? समझदार नहीं है? यू.डी.एच. विभाग ने तय कर लिया, राजस्थान सरकार के मत्थे मड़ दिया गया। राजस्थान के मुख्य मंत्री खुद जोधपुर से आते हैं, जोधपुर की जनता को यूजर चार्ज में उलझा दिया, जवाब देंगे तो मुख्य मंत्रीजी देंगे। जयपुर में जयपुर की जनता पर यूजर चार्ज लगा दिया, जवाब देगा तो प्रतापसिंह देगा या जयपुर के जन-प्रतिनिधि देंगे। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। यदि आप कोई पालिसी लेकर आये तो फिर वह पालिसी सक्सेस होनी चाहिए, उस पालिसी की सच्चाई सामने आनी चाहिए। यदि आपकी योजना फेल हो जाए तो आपका इसमें बड़प्पन होना चाहिए कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, यदि हमारी योजना फेल हो जाए तो हम माफी मांगें और माफी मांग कर कहें कि हम आज ही यूजर चार्ज को विथड्रा करते हैं। इससे कोई छोटा नहीं होता, इससे आदमी बड़ा बनता है। जो जितना बड़ा दिल रखेगा और बड़ी सच्चाई से, ईमानदारी से बात करेगा, बरकत अच्छी होगी। जिनकी नीयत खराब होती है, उनके यहां बरकत भी नहीं होती; यदि नीयत सही हो, ऊपर वाला बरकत भी ठीक करता है।

इसका उदाहरण है। आप यह बताओ, राजस्थान में चार वर्ष पहले कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस का शासन आते ही बी.जे.पी. के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मेसेज भेजने शुरू कर दिये, कांग्रेस और काल की राशि एक है, राजस्थान बरबाद हो जाएगा; राजस्थान के लोगों ने वोट गलत दे दिया। जितना प्रचार किया काल का, उतना ही सुकाल आया। इतनी जबरदस्त

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बरसात हुई, बाढ़ आई कि लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। क्यों किया, क्योंकि नीयत साफ थी। नीयत में बरकत करने की उम्मीद थी। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत काम करना चाहते थे, राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की ईमानदारी की नीयत थी, भगवान ने सुनवाई की। आज यह बरसात नहीं होती तो राजस्थान के बांधों में पानी नहीं आता। आप और हम क्या कर लेते? पानी कहां से लेकर आते? आपके पास ऐसा कोई पम्प है तो बता दो जिससे आप पानी दे दोगे? है क्या आपके पास कोई पम्प? हमारे पास भी ऐसा कोई पम्प नहीं है जिससे हम पानी दे दें। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: आसन की बगैर इजाजत के जिन-जिन सदस्यों ने अभिव्यक्ति की है, वह अंकित नहीं होगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, ज्ञानदेवजी भाई साहब, डैम खाली हैं तो इसमें आपको चेक-अप कराना पड़ेगा। डेम खाली नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर। ये डैम खाली अलवर के रह गये, फिर तो, ज्ञानदेवजी भाई साहब, चिन्ता हो गई आपके लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप भी आपके मुख्य सचेतक को उनकी अपनी जगह भेज दें तो उचित रहेगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): देखिये, मैं इसलिये कह रहा था नीयत की बात, हमेशा से मेरे मन में मेरी कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां बिलकुल सूखा पड़ गया। बीच-बीच में जब ये मेसेज चले तो मैंने देखा कि बी.जे.पी. वाले इस तरह की बात कर रहे हैं और कल जब पानी नहीं बरसेगा तो अपन क्या जवाब देंगे? इन्होंने तो कह दिया, कांग्रेस वाले आते हैं, पानी बरसना बंद हो जाता है। उल्टा हो गया! इनके टाइम पर बरसा नहीं और कांग्रेस, जिसके लिये कहते हैं, काल लेकर आती है, वह कांग्रेस सुकाल लेकर आई। मावठ की बरसात राजस्थान में बरसों बाद, 25-30 बरस बाद हुई है, जिस मावठ की बरसात में पानी जगह-जगह इकट्ठा हो गया। बहुत बड़ा काम हुआ। मैं इतना कह सकता हूं कि नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी सुनता है काम भी होता है और अच्छे काम का रिजल्ट भी नजर आता है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मेरे खुद से बी.जे.पी. के कुछ लोगों ने कहा कि आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आ गये, लेकिन राज में तो हम आयेंगे। मैंने कहा, यह जो आप जैसे लोग हैं, ये जो हवा में उड़ रहे हैं, एक बात तय कर लो, चाहे कांग्रेस हो या बी.जे.पी., मैं तो हारा ज्यादा हूं, जीता एक ही बार हूं, इसलिये मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के इस चुनाव में ना तो कोई बी.जे.पी. की हवा है, ना कांग्रेस की हवा है; इस बार पार्टियां नहीं, चेहरे चुनाव लड़ेंगे। नेक-टू-नेक फाइट है। जो हवा में उड़ेगा और समझेगा कि हम उनके खिलाफ कुछ भी बोलकर जीतकर आ जाएंगे, इतना आसान नहीं है। यह राजस्थान की जनता बहुत समझदार हो गयी है। राजस्थान की जनता इस बात को समझने लगी है, हमारे लिये काम किसने किया है, गांव की सुनवाई किसने की है। जब वह अस्पताल जाता है, अपने पशु को लेकर जाता है, और राजस्थान की हर महिला को बेटी मानकर जननी सुरक्षा योजना लागू हुई, आने-जाने का किराया मिल रहा है, आती है तो पैसे लेकर आती है। बेटी मानकर जो सम्मान, पहले क्या होता था, पर्ची उठाकर फेंक देते थे बाहर; पहले सामान लेकर आयेगी, उसके बाद महिला डिलिवरी के लिये अन्दर भर्ती होती थी। आज ये इतने बड़े-बड़े काम राजस्थान की सरकार ने किये और काम भी इतने कि विपक्ष के लोग, पक्ष के लोग, दोनों उन योजनाओं को गिनने की स्थिति में नहीं हैं कि कितनी योजनाएं लागू हो गयीं।

कल मुझे आश्चर्य हुआ, जब यह कहा गया..., साहब, पहली बात आप यह बताइये, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, घाट की गूणी टनल को रात के वक्त किसने देखा? हाथ खड़ा कर बता दो मुझे, जितने लोगों ने देखा है। घाट की घूणी टनल को देखा हो तो बता दो। नहीं देखा रात को? रात को देखी है क्या घाट की गूणी टनल?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं देखा? इसमें नाराज होने की बात नहीं है। आपने देखा है घाट की घूणी टनल को, यदि किसी ने रात को, पार्टीबाजी के हिसाब से नहीं बोल रहा, घाट की गूणी टनल में विपक्ष के लोगों से अनुरोध करूंगा, रात के वक्त आप जाना, उसके बाद

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आप खुद इस गहलोत सरकार को धन्यवाद देंगे और कहेंगे, मजा आ गया, इसको काम कहते हैं और उस काम का आप खुद यदि धन्यवाद नहीं देंगे, मैं इस्तीफा दूंगा। आप कहेंगे कि नहीं ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): घाट की गूणी टनल में से सभापतिजी जरूर निकले होंगे, मैं इतना गारण्टी से कह सकता हूं, आते-जाते रहते हैं। आप निकले हो तो आप बताते नहीं, या निकले होंगे तो उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, जल्दी से निकल गये होंगे।

तो मैं इतना कह सकता हूं कि घाट की गूणी टनल को देखकर लगता है, टनल का काम गहलोत साहब के राज में शुरू हुआ, टनल का उद्घाटन प्रधान मंत्रीजी, सोनिया गांधीजी ने किया और उसके बाद जयपुर की पब्लिक, किसी से, यहां रहने वाले किसी व्यक्ति से कोई टोल नहीं लिया जा रहा।

राजस्थान की राजधानी जयपुर पूरे राजस्थान का आइना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर दर्पण के रूप में देखी जाती है। मेट्रो का काम जब जून-जुलाई में पूरा होगा तब वह काम भी नजर आयेगा और लोग देखेंगे। सदियों तक याद किया जाएगा, कहा जाएगा कि यह किसके शासन में बनी, यह मेट्रो किसने बनाई; गुर्जर की थड़ी का अंडर-पास किसने बनाया। आज राजधानी जयपुर बदल गई। जो भी व्यक्ति चार साल बाद आता है और जब सरकार के नारों को देखता है- 'चार साल बेमिसाल' तो वह खुद यह महसूस करता है कि वास्तव में सरकार ने जो दावा किया है 'चार साल बेमिसाल', का, वह दावा बिलकुल ठीक है।

आज के दिन, माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव आपके जरिए सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। सब लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा कि आपने, मैंने यूजर चार्ज की बात उठाई, आदरणीय सीनियर लोग बैठे हैं, जयपुर के लोग बैठे हैं, हमने तो यूजर चार्ज के विरोध में आज बोल दिया और हमने कह दिया कि जयपुर की जनता के साथ अन्याय..., हमने हाउस टैक्स का बकाया भी, इन्हीं अशोक गहलोतजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 380 करोड़ रुपए, हाउस टैक्स के बकाया भी खतम किए हम लोगों के कहने से। जयपुर की जनता के घरों पर दस-दस हजार, बीस-बीस हजार, लाख, पचास

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हजार के बिल पड़े थे, अशोक गहलोतजी के पास हम लोग गए, मैं, डाक्टर महेश जोशी और सारे लोग और जाकर कहा कि इस हाउस टैक्स को विथड्रा कर लो। अशोक गहलोतजी ने हाउस टैक्स, जो बकाया आप छोड़ गए, फिर आपका बी.जे.पी. का नगर-निगम था, उसने कैम्प लगाए वसूली के लिए तो मैंने विरोध किया; जो काम आपको करना चाहिए था, अशोक गहलोतजी ने विथड्रा किया।

अरबन डवलपमेंट टैक्स, नगरीय विकास कर जिस दिन इस विधान सभा में लग रहा था, उस दिन आप लोग सदस्य थे; आदरणीय तिवाड़ी साहब को, कालीचरणजी को, मोहनलालजी को जयपुर की जनता को बताना चाहिए कि आपने अरबन डवलपमेंट टैक्स क्यों लगने दिया। नगरीय विकास कर, आपको उस वक्त मैडम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए था कि मैडम, आप जयपुर पर यह टैक्स मत लगाओ। आप हाउस टैक्स खतम हो रहा है तो अरबन डवलपमेंट टैक्स लगा रहे हो। आज यूजर चार्ज लगा है तो इस यूजर चार्ज के लिए यदि हमने इस सदन में विरोध किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कल विरोध करना छोड़ देंगे। हम जहां पर जनता की बात आती है, जहां पर जयपुर के स्वाभिमान की बात आती है, खुलकर अपनी बात रखते हैं, जाकर हमारे नेता से भी कहते हैं। इस पार्टी में, इस कांग्रेस में सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक गहलोतजी ने हमें कभी यह नहीं कहा कि आप अपनी बात को मत रखिए। आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी बात को रखने का अधिकार है और हम हमारी बात को रखते हैं, हमारी बात का सम्मान होता है। आप बोल कर देख लो, मेरी गारंटी है, अभी, अभी भी हिम्मत है तो कहो कि अरबन डवलपमेंट टैक्स भारतीय जनता पार्टी के शासन में गलत लगाया गया था। आप में हिम्मत है तो एक बार कहो और कहकर बताओ, आज कह दो कि नगरीय विकास कर जो हमारे टाइम पर लगा वह गलत था। मैंने हिम्मत की, हमने कहा कि जयपुर के मान और सम्मान के लिए यूजर चार्ज का हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे और हम जनता के साथ खड़े हैं। आप कहिए कि आपसे गलती हुई। आज नगरीय विकास कर के नाम पर एक-एक घर में नोटिस जा रहे है। जज़िया कर का नारा दे दिया यूजर चार्ज को, मैं भी यूजर चार्ज का विरोधी हूं, वह जज़िया कर नहीं है, नगरीय विकास कर? उससे आम आदमी परेशान है। उसके लिए मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने मुझे कहा, कुछ बी.जे.पी. के साथियों ने मुझे कहा कि उसका

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सिस्टम ही गलत है। नाप करो और नाप करके नगरीय विकास कर अपने आप लागू कर दो।

आज कम से कम आपस में जो सच्चाई की बात हो तो एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए और सच्चाई लोगों के बीच में आनी चाहिए। आलोचना करनी है तो करिए; कुछ बातों में मैं तिवाड़ी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने तारीफ भी की; आलोचना हो तो सार्थक हो, उसका कोई रिजल्ट नजर आए, उसमें हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन बहस हो तो सच्चाई पर तो हो। कम से कम झूठ पर ही बहस कि अब इसको टार्गेट करना है और आप यह बताइये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप यह काम कर सकते हैं और ये सीनियर लोग, जिन लोगों से हम सीखते हैं, आप यह बताइए कि इस सदन में कानून पास हो रहे हैं, उधर वाले और इधर वाले दोनों हंगामा कर रहे हैं, कानून पास हो गया। राजस्थान की जनता सुबह अख़बार में पढ़ रही है, विधायक अख़बार में देख रहा है, देखकर कह रहा है कि कानून बन गया। विधायक को पता ही नहीं है, कानून पास हो गया। हम मजाक कर रहे हैं। हमारे जो ये बैठे हैं न सामने, महात्मा गांधी, ये और इस देश का कानून हमको कभी माफ नहीं करेगा। हम लोग जिस तरह से इस सदन में हंगामा करके कानून को पास कर रहे हैं, विधेयक बना रहे हैं, उन विधेयकों पर हम चर्चा नहीं होने देते। ठीक है, एक नियम बनाइए, दोनों पक्षों को मिलकर बनाना चाहिए कि जिस दिन हंगामा होगा उस दिन विधेयक पास नहीं होंगे, चाहे विधान सभा पांच दिन ज्यादा चल जाएगी। ऐसे कौनसे बिजी हैं, कौनसे ऐसे मंत्री व्यस्त हैं। किसी का भी राज हो, विधान सभा चलती है तो मुख्य मंत्री, हर मुख्य मंत्री उतना ही टाइम देते हैं जितना देते आए हैं। सही कहा था तिवाड़ी साहब ने कि जितनी परम्परा रही है, प्रश्न काल समाप्त हुआ नहीं, मुझे तो आपने बताया है, पहले तो मैं सदन में था नहीं, प्रश्न काल समाप्त हुआ नहीं और पहले आपके इधर के मुख्य मंत्री चले जाते थे और अब हमारे इधर के मुख्य मंत्री चले जाते हैं। तो जो हालात हैं, दोनों तरफ एक हैं। कुछ बातों में यह मानना पड़ेगा कि चाहे बी.जे.पी. आ जाए या चाहे कांग्रेस आ जाए, कुछ मामलों में हम एक जैसे हैं। दुनिया में दिखाने के लिए हम पूरा नाटक करते हैं कि हम अलग ढंग से, अलग तरीके से राज करना चाहते हैं। तो फिर इस विधेयक के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए और यह संकल्प इन सीनियर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

साथियों को, कई बार मैंने देखा है कि अच्छी राय दी है तो भी हम मानने को तैयार नहीं हैं; यह राय अच्छी वहां से आई है, मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे।

मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा जब आदरणीय तिवाड़ी साहब ने हिन्दी की बात कही। मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। अधिकतर लोगों को अच्छा लगा होगा कि चलिए, किसी ने खड़े होकर सदन की भावनाओं से अवगत कराया। सच्ची बात आप कहेंगे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। हम स्वीकार कर लेते हैं तो आप इतने कट्टर क्यों हैं? आप भी स्वीकार कीजिए और आप भी आगे बढ़िए। आप भी बताइए, यदि कोई अच्छा सुझाव आए तो उसमें आपको एक होना चाहिए।

मैं, माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यपाल महोदया का जो यह अभिभाषण है, इसमें लिखने वाले तो कमजोर हैं, मैंने इसको पढ़ा है, लिखने वाले कमजोर हैं लेकिन इसमें किए गए काम बहुत मजबूत हैं, जो राजस्थान की जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं न, अशोक गहलोत जी, ये बहुत ही भले आदमी हैं, वास्तव में। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि कई बार लोग भलाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान की जनता इस बात को मानती है कि ये मुख्य मंत्री वहां तक पहुंचना चाहते हैं, जहां तक कोई नहीं पहुंचा। यदि किसी झोंपड़ी से रोने की आवाज आए तो उसको 55 हजार रुपए दो और उसका मकान पक्का बना दो, यह सोच तो है मुख्य मंत्री में। यह बहुत ही बड़ी बात है।

आज पूरे जयपुर में 8 रुपये 10 पैसे किलो में आटा बिक रहा है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, कोई भी मेरे साथ चलो, मैं सुबह-सुबह खेलने जाता हूं, 200-200 आदमियों की लाइन लगी हुई है। हमारी मानिटरिंग बड़ी कमजोर है, मंत्रीजी। मैं निवेदन करूंगा कि योजना बहुत ही अच्छी है, आप चाहते भी हैं, पहले दो कट्टे मिलते थे, अभी एक मिल रहा है और यह आपने ही चालू किया है कांग्रेस के राज में। इनकी सोच नहीं थी, ये तो ए.पी.एल. का गेहूं ही नहीं उठा पाए, वह शायद आपको भी पता होगा और आदरणीय नागर साहब को पता है, अबव पावर्टी लाइन का जो गेहूं ए.पी.एल. का मिलता था, शायद एक किलो भी इन्होंने नहीं उठाया। मंत्रीजी को पता होगा इस बात का। मेरे पास

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यही आकड़े हैं हो सकता है कि मैं गलत होऊं लेकिन मेरे पास यह आंकड़ा है कि ए.पी.एल. का गेहूं पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिलकुल नहीं उठाया गया। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मैं पहले भी सम्पूर्ण सदन को यह निवेदन कर चुका हूं कि किसी को भी अगर अपनी कोई बात कहनी हो तो आसन की इजाजत से कहें, चाहे वे मंत्री हों चाहे वे सदस्य हों। इसलिए आसन की बगैर इजाजत से जो कहा गया है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो माननीय सभापति महोदय, यह उससे पूछो जो 8 रुपये 10 पैसे किलो में ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन की इजाजत ले लूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराज जाएं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, मैंने यह बात इसलिए उठाई है कि जयपुर में दो-दो सौ लोग इस कांग्रेस सरकार को, मैंने पूछा, धन्यवाद देते हैं अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस की सरकार को कि आटा मिल रहा है 8 रुपए 10 पैसे किलो में। 8 रुपए 10 पैसे किलो में गेहूं नहीं मिल रहा, कांग्रेस की सरकार 8 रुपए 10 पैसे किलो में आटा बेच रही है; दाल बेच रही है, चाय बेच रही है, चीनी बेच रही है, हर चीज। सरकार महंगाई से लड़ना चाहती है।

जब महंगाई की बात आई है तो मैं मेरी सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ बातों पर जो इस राजस्थान की सरकार ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों का आज नहीं, आने वाले हर वर्ष में हर नौजवान धन्यवाद देगा। आज जिस लोक सेवा गारंटी कानून की हम हंसी उड़ा रहे हैं, कल यह राइट-टू-इन्फार्मेशन जितना पावर-फुल बनेगा, धीरे-धीरे लोगों की समझ डवलप होगी और लोग इसको यूज करने लगेंगे। आज सूचना के अधिकार ने पूरी दुनिया में क्रांति खड़ी कर दी। इस देश को लोग फालो कर रहे हैं। जिस सोनिया गांधी जी ने सूचना का अधिकार दिया, जिस कांग्रेस की सरकार ने दिया तो यह सोचकर नहीं दिया, आज उनके भी सामने चुनौतियां आती हैं। तो हमारे कांग्रेस के लोग

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

भी जेल में गए। जैसे ही जेल में जाते हैं, बोले कि कांग्रेस ने नहीं भेजा, तो आपने भेजा है क्या? सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस ने ही भेजा है। कांग्रेस जब स्वीकार कर रही है तभी जेल में जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा उठा तो कहा।

एक मुद्दा, माननीय सभापति महोदय, जयपुर में आपने जल नीति लागू की, पूरे राजस्थान में; उसका रिजल्ट जयपुर में नजर आया। 1,700 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स राजस्थान की सरकार ने राजधानी जयपुर में किये; आज 300 गज तक के मकान में यह कर दिया कि सब में वाटर हार्वेस्टिंग होगा; जयपुर में साढ़े तीन मीटर जल ऊपर आ गया और उसका फायदा मिला। आने वाले समय में यह पालिसी क्रान्ति का काम करेगी, जो राजस्थान प्रदेश सूखा प्रदेश है, वह राजस्थान को पानी से लबालब कर देगी। पानी बरस रहा है। सरकार की नीयत भी अच्छी है, सोच भी अच्छी है, योजना भी अच्छी है।

सरकार का यह जो नरेगा का काम है, जितना भी चल रहा है; बार-बार बीच में कहा गया, नरेगा का काम हमारे समय में बहुत अच्छा था। नरेगा आपकी योजना है क्या? केन्द्र सरकार की योजना है। आपके राज में नई-नई योजनाएं आईं, आपने पैसे खर्च किये, केन्द्र से लेकर किये। ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, आपको ईमानदारी से पैसा दिया, आपने खर्च किया। यहां पर जितनी जरूरत है, उसका नरेगा का सबसे बड़ा एक ही मेसेज था, आप कह रहे हैं, पैसा खर्च करो। केन्द्र सरकार की नीयत थी, सोनिया गांधी की नीयत थी और वह नीयत यह थी, सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी यह चाहते थे कि जब नरेगा लगेगी और गांव के आदमी को गांव में रोजगार मिलेगा, उसकी मजदूरी वैसे नहीं बढ़ रही थी लेकिन सरकार ने जब ज्यादा पैसे देने शुरू किये तो प्राइवेट आदमियों को मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी पड़ी। इस देश में सबसे बड़ा काम यह हुआ, आज उसकी मजदूरी बढ़ गयी। आज जो पूंजीपति बार-बार सरकार को कोसता था, आज जो क्लासवार होने की सम्भावना थी, एक क्लास बहुत गरीब, एक क्लास बहुत अमीर; गांव का आदमी गांव में रुक गया, शहरों की तरफ पलायन होना रुक गया। यदि वह गांव में आ रहा है, फैक्टरी में आ रहा है, उसको मजदूरी ज्यादा मिल रही है।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। उन सुझावों में जनसंख्या नियन्त्रण के लिये राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं, स्पेशल प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों के जो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हालात, जो काम करने के लिये तैयारी मुख्य मंत्रीजी ने कर ली थी, वह क्यों रुका हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी आयेगा। ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं इनकी हर छह महीने में जांच होनी चाहिये; फीस के मामले में, सरकार को फीस तय करनी चाहिये। आज प्राइवेट स्कूलों के नाम पर शोषण हो रहा है, खुलेआम मनमानी हो रही है और उस मनमानी को हम नियन्त्रित नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस सदन से कोई फैसला हो जाये और कानून में उनको बांध दिया जाये तो आम आदमी को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा, कि प्राइवेट स्कूलों की गुण्डागर्दी बंद हो जायेगी; प्राइवेट कालेजेज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की गुण्डागर्दी बंद हो जायेगी। आज एक बच्चे से कहते हैं, तेरी अटेंडेंस शार्ट है; वह बोलता है, मैं तो पूरे साल आया हूं; कि बोले, 25 हजार दे दे, 40 हजार दे दे, 50 हजार दे दे। आपके पास बहुत लोग आ रहे हैं; आप फोन करते हो, आपसे बात नहीं करता; आपका उससे झंझट होता है। आपके पास बहुत बच्चे आते हैं। आपकी मोरल ड्यूटी है कि हम प्राइवेट स्कूलों के लिये एक बिल लेकर आयें और मंहगाई और कालाबाजारी को रोकने के लिये भी लायें। राजस्थान की सरकार को, इस सदन को पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मूल्य नियन्त्रण नीति कानून लागू करना चाहिये। (व्यवधान) सभापति महोदय, हमारा टाइम होगा, उसमें से ...(व्यवधान)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: कन्क्लूड कर दें आप। You have been speaking for the last 40 minutes. He has been speaking for the Last 40 minutes.

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हमारी पार्टी का टाइम अलाटेड है।

श्री सभापति: सदन के नेता का...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन के नेता का टाइम निश्चित किया हुआ है बी.ए.सी. के अन्दर।

श्री सभापति: कितने बजे?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सवा चार बजे नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे, पांच बजे सदन के नेता उसका जवाब देंगे। इसलिये हमारे पास पर्याप्त समय है। यह हमारी पार्टी के टाइम में से टाइम दे दें।

श्री सभापति: अभी कितना समय हो रहा है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अभी तो तीन बजने वाले हैं, माननीय।

श्री सभापति: इधर से चार आदमी हैं बोलने वाले।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अभी तो टाइम है, साहब, सवा चार तक का है। उधर से भी एक-दो माननीय सदस्य हैं। हमारा अपना टाइम जो दिया है, टाइम जो अलाटेड है, हमारी पार्टी को जो टाइम मिला है, उसमें हमारे वैसे ही कम बोले हैं।

श्री सभापति: एक मिनट आपसे निवेदन करूं, आप विराज जाओ। तीन बज रहे हैं। आपके इधर से एक माननीय सदस्य और बोलेंगे, उसके बाद में सदन के नेता का है; प्रतिपक्ष की तरफ से तीन नाम हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं। मेरे पास में पांच नाम हैं सदन के नेता के अलावा और समय तीन बज रहे हैं। अगर आप पांच बजे सदन के नेता का जवाब धन्यवाद पर दिलाना चाहते हैं, पांच को अगर आप डिवाइड कर दें, एक-एक को कितने-कितने मिनट मिलेंगे? इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं और टू-दी-पांइट बोल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पाइंट्स को बिलकुल संक्षिप्त रखकर और उनका जो मेन जिस्ट है, वह आप बोल दें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): प्राइवेट स्कूलों के लिये मैंने कहा; महंगाई और कालाबाजारी रोकने के लिये, सभापति महोदय, हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस राजस्थान प्रदेश ने कीर्तिमान बनाये। जैसे विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 आया, वह लोकपाल से बड़ा कानून है, उसमें मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री से लेकर चपरासी तक सब लोग उस दायरे में आ गये, वैसे ही महंगाई और कालाबाजारी को रोकने के लिये मूल्य नियन्त्रण नीति बनाई जाये। किसी भी चीज का मूल्य बढ़े तो उससे पहले सरकार की परमिशन हो, ऐसे नहीं हो कि हर कोई आदमी जब चाहे रेट बढ़ा देवे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक व्यापक नीति ...(व्यवधान)

+++

श्री सभापति: आसन ने इस बात की स्वीकृति नहीं दी थी, इसलिये अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): भ्रष्टाचार को रोकने के

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लिये व्यापक नीति की जरूरत है। यह राजस्थान पहला प्रदेश है, आजादी के 65 वर्षों में किसी भी स्टेट का आप उदाहरण देख लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि सबसे ज्यादा कार्यवाही कहीं हुई है तो यह राजस्थान पहला प्रदेश है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी न किसी भ्रष्टाचारी को नहीं पकड़ता। यह तब होता है जब राजस्थान के मुख्य मंत्री की नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है; सरकार की योजना अच्छी है और सरकार की नीयत अच्छी है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत यह चाहता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचारी चाहे एस पी हो, चाहे भ्रष्टाचारी किसी भी जाति और धर्म का हो, लेकिन भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं और वह काम, 61 वर्षों में जितने भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े गये, वे 4 वर्षों में पकड़कर गहलोत सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, कोई कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े ओहदे पर बैठा हो। लेकिन सच को सच स्वीकार करना

(15.00 बजे)

चाहिए। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप माननीय सदस्य बैठे हैं, इन चार वर्षों में जितनी कार्यवाही हुई, उतनी किन्हीं भी चार वर्षों में आज तक हुई? किसी भी सरकार के कार्यकाल में हुई? यदि हुई तो आप साबित कर दें; आप जो कहेंगे, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूं। आप बता दें। लेकिन हुई नहीं। आप खुद जानते हैं। भ्रष्टाचार के लिए व्यापक नीति बने और वह इस तरह से बने कि दोनों पार्टियां, पूरा सदन इस बात का संकल्प ले कि हम इस विधान सभा में और इसके बाहर भी कम से कम एक दूसरे पर असत्य आरोप लगाकर बेवजह इस विधान सभा की गरिमा को खराब नहीं करेंगे।

अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही के लिए सरकार कानून लायी है। मैं यह मानता हूं कि इसमें कुछ सुधार नजर आयेगा।

एक जो विकास के मामले हैं, इन विकास के मामलों में अब जनता को भागीदार बनाना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट, विकास का काम का पैसा जनता में खर्च हो तो उसमें वहां की विकास समितियां, वहां की गांव समितियां, वहां की पंचायत कमेटियां और बाकायदा एक वृहद पालिसी बने, उसमें वे लोग शामिल हों जिससे सरकार टारगेट भी नहीं बने। हो क्या रहा है?

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सभापति महोदय, राजस्थान में एक काम और होना चाहिए, उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जिनके विभागों में पैसा लैप्स हो गया, वह पैसा खर्च ही नहीं हुआ। तो क्या उनकी वह मोरल ड्यूटी नहीं है? आपको उनकी मोरल ड्यूटी तय करनी पड़ेगी कि यदि पानी का पैसा था, यदि बिजली का पैसा था, और किसी डिपार्टमेंट का पैसा था और यदि वह खर्च नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पैसा खर्च होना चाहिए।

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा सुझाव, मेरा निवेदन है, राजस्थान की सरकार को, लैण्ड बैंक बनाना चाहिए। आपने यदि लैण्ड बैंक नहीं बनाया, आपने सरकारी जमीनों को नहीं बचाया, आने वाले समय में सरकार के पास किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं बचेगी, लैण्ड माफिया जमीन खा जायेगा। गांव के रास्ते छोटे हो रहे हैं, हम रास्तों पर ध्यान नहीं दे रहे। लैण्ड बैंक बने, लैण्ड बैंक की घोषणा हो। राजधानी जयपुर में आपको बीस हजार करोड़ रुपये की जमीन मिल जाएगी। लैण्ड बैंक सरकार को तुरन्त बनाना चाहिए। गांवों में रास्तों को बचाने के लिए स्पेशल योजना लेकर आनी चाहिए। गांवों में रास्ते छोटे हो रहे हैं, गांवों की स्थिति खराब हो रही है, गांवों में घुसने के लिए रास्ते कम पड़ रहे हैं।

मैं एक निवेदन करूंगा कि अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, एजुकेशन मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, न आपने और न हमने, आज राजस्थान के सरकारी स्कूल्स में जहां बच्चियां पढ़ती हैं, हमारे जयपुर में एक महारानी स्कूल है, मैंने खुद ने, मेरे कोटे से पांच लाख रुपये देकर वहां टायलेट बनवा रहा हूं। जयपुर का सबसे पुराना स्कूल है गर्ल्स का, वहां टायलेट नहीं है। हालत खराब है। आपके राज में हजारों करोड़ रुपये एजुकेशन के नाम पर आया, हमारे राज में आया। कहां गया? कौन ले गया? हम टायलेट नहीं बना पाये! आज भी हजारों करोड़ रुपया आता है, अभी भी हम टायलेट नहीं बना पा रहे। बच्चियों के बीमारी हो जाती है, इंफेक्शन हो जाता है; वे परेशान हैं, वहां की टीचर्स परेशान हैं लेकिन टायलेट नहीं हैं गांवों के स्कूल्स में। भवन नहीं हो लेकिन टायलेट तो हो। बच्चियां टायलेट कैसे जाएं? यह बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय, एक विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, इनमें कोई भी राइडर नहीं होना चाहिए। एक भी राइडर होगा तो हम उनको रिलीफ नहीं दे पाएंगे। पहले आपके राज में राइडर था, अठारह वर्ष का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बच्चा होगा तो नहीं मिलेगी; मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया कि बच्चा 25 वर्ष का होगा तो भी मिलेगी, लेकिन जो अब वह माता-पिता के लिए कानून लायी है सरकार, जो उनका भरण-पोषण नहीं करेगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ राइडर को बिलकुल हटा दीजिए, इस राइडर के कारण वृद्ध, विकलांग और विधवा, ये तीनों परेशान हैं। उनके पेंशन की, जो मांगें उसमें चाहे सौ–पचास रुपये कम कर दो लेकिन जो भी मांगें, उसका भरण-पोषण करना हर जन कल्याणकारी सरकार की मोरल ड्यूटी है। इसलिए इससे राइडर हटाने चाहिए।

जयपुर में एक अमानीशाह नाले का मामला चला, सरकार ने बड़प्पन दिखाया, पुनर्वास नीति लगायी। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गरीब आदमी वकील नहीं कर सकता; कल आपने बहुत बड़ी बात उठाई, भाई साहब, लाखों रुपये चाहिए। गरीब आदमी का पक्ष तो सरकार रखेगी। अधिकारी चाहे जैसे सेन्टर लाइन घुमा रहे हैं। कोर्ट ने फैसला दिया कि खाली जमीन को पहले लो, उसके बाद आबादी क्षेत्र में घुसो। यह तो भला हो अशोक जी गहलोत का और धारीवाल जी का, उन्होंने कह दिया कि बिना पुनर्वास के किसी का भी मकान नहीं टूटेगा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आज अधिकारी विधान सभा से नहीं डरता, विपक्ष से नहीं डरता, सत्ता पक्ष से नहीं डरता, आज अधिकारी कोर्ट से डरता है। इकबाल हमारा कमजोर हुआ है तो आपका भी कमजोर हुआ है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह चाहता है कि मैं किसी को जवाब दूं या नहीं दूं लेकिन कोर्ट को तो दे दूं। ऐसे में कोर्ट के सामने विधायिका को ताकत के साथ जनता का पक्ष रखना चाहिए कि जनता अकेली नहीं है, जनता का जन-प्रतिनिधि जो चुनाव से जीत कर आया है, वह तब तक लड़ेगा जब तक झोंपड़ी से रोने की आवाज आयेगी। भूखा चिल्लायेगा तो लड़ेगा, आम आदमी चिल्लायेगा तो लड़ेगा, वह काम हमको करना पड़ेगा।

आज मैं सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि अभी प्रशासन-शहरों-और गांवों-के-संग अभियान सरकार लेकर आई, मैं आज कह रहा हूं, 1994 में आदरणीय भैरोंसिंह जी इन सोसाइटियों का इलाज करना चाहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस वक्त कोशिश की गई थी लैण्ड माफिया को अरेस्ट करके, लेकिन उस वक्त अधिकारियों ने उनको भी गुमराह कर दिया, डरा दिया और वह काम जो युग-पुरुष नहीं कर पाये, वह काम मुख्य मंत्री अशोक

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जी गहलोत ने कर दिया। वह काम उन्होंने अधूरा छोड़ा, इन्होंने पूरा कर दिया। आज राजधानी जयपुर में, घनश्याम जी भाई साहब जानते हैं, मोहन लाल जी भी जानते हैं, वे कालोनियां, वे कच्ची बस्तियां जो पचास वर्ष से, आजादी के पहले से जिनके पास पट्टा नहीं है, उनको अब मिल रहा है। मैं मानता हूं, कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं लेकिन बार-बार मुख्य मंत्रीजी का बात करना और उनको दूर करना, यह बहुत बड़ा काम हो रहा है। वह आदमी सरकार को पैसे दे रहा है और पट्टा लेकर धन्यवाद दे रहा है। लगभग दो सौ करोड़ रुपये तो जे डी ए को मिल गये। सरकार के पास पैसा भी आ रहा है, पट्टा लेकर जनता धन्यवाद दे रही है; उस पैसे से डवलपमेंट भी होगा, वह सरकार का अधिकार पत्र लेकर बहुत खुश हो रहा है।

मैं आज के दिन, जितने भी लोग, यहां पर जो बहस चली, उसमें, सभापति महोदय, अन्त में एक निवेदन करना चाहूंगा। दस महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, एक फैसला और होना चाहिए, दोनों मेन पार्टियों और सभी पार्टियों को बाउण्ड करना चाहिए कि या तो घोषणा पत्र बनाओ मत और बनाते हो तो एक बिल आना चाहिए कि घोषणा पत्र से हर पार्टी बाउण्ड होगी; घोषणा पत्र लेकर आयेगी तो सच्चा लेकर आयेगी। या तो काम किये हुए बताओ कि ये कार्य हमने किये, या वे बाउण्ड हों कि घोषणा की जाए घोषणा पत्र में कि हम सरकार में आ गये तो यह लागू करेंगे, वे लागू होना चाहिए। ऐसा थोड़े ही होना चाहिए कि हमने कह दिया और फिर वह लागू नहीं हो। ऐसे में हमारी मोरल ड्यूटी है।

हमारे घोषणा पत्र में कहा गया कि हम केन्द्र के समान वेतनमान देंगे, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, आपको भी, जो हमारे घोषणा पत्र में हमने कर्मचारी साथियों से वायदे किए हैं, वह वेतन श्रृंखला केन्द्र सरकार के समान देनी चाहिए। हमारे घोषणा पत्र को पूरा लागू करना चाहिए जिससे लोगों को यह भरोसा हो कि हमने जितने भी काम किये, वह करके दिखाये और जो वायदे किये, वे वायदे हमने पूरे किये।

सभापति महोदय, अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

और एक बात कह सकता हूं कि कभी भी, किसी को भी हवा में उड़ने

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी को एक दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी आदमी की हंसी उड़ाना आसान है, उसकी कमियां निकालना आसान है लेकिन उसकी सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में पूरे राजस्थान और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम पाप करेंगे तो हमें पाप लगेगा लेकिन जनता पाप करेगी तो जनता को भी पाप लगेगा। यह पाप और पुण्य का फैसला हर आदमी पर लागू होता है। सच्चाई और ईमानदारी से तौलना, परखना चाहिए। सिर्फ ग्लैमर से, बातों से, नारों से, बेवजह असत्य आरोप और प्रत्यारोपों से राजस्थान का फैसला नहीं होना चाहिए, राजस्थान का फैसला काम के आधार पर होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से जिन लोगों ने काम किया, मैं यह भरोसा करता हूं कि पूरा सदन, पूरी जनता उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी और अब राजस्थान आने वाले समय में, जो योजनाएं लागू हुई हैं, इन छह महीनों में उन योजनाओं पर और बड़ा काम होगा और एक नये राजस्थान का निर्माण होगा जिसको सदियों तक याद किया जाएगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आदरणीय सभापति जी, आज के दिन आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

यह राज्यपाल का अभिभाषण इस 13वीं विधान सभा का अंतिम भाषण था और आज अंतिम दिन है, अगला भाषण तो अगली विधान सभा में ही होगा और अगली विधान सभा में हम लोग कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, यह वक्त बतायेगा।

आज इस मौके पर सबसे पहले मैं अपना आभार, अपनी कृतज्ञता अपनी नेता माननीया वसुन्धरा राजे जी को, सांसद दुष्यंत सिंह जी को, राजाखेड़ा की जनता को देना चाहता हूं जिनकी वजह से आज मैं खड़ा हूं। मैं तो चुनाव के दौरान एक्सिडेंट-ग्रस्त था, बिस्तर में था, इन सबों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, जो मुझे मदद की, मैं सारी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता और आज उनकी वजह से इस विधान सभा में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार को चार, सवा चार साल हो गये, हर नयी सरकार जब आती है बड़े जोश में आती है, यह सरकार भी बहुत जोश में आयी, अच्छा करने की हरचंद इसने कोशिश की। हमें खुशी है कि अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन करते-करते में, हर वक्त यह बात इनके मन में रहती थी कि मेरी नेता का, मेरी सरकार का, जो चली गयी, उसकी प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, जिस तरह की बातें कही गयीं, दुर्भाग्य की बात है। अगर उन्होंने कोई गलती की और आपकी निगाह में की तो आपने सीखा क्या उनसे? आपने भी वह ही गलती की। जो लांछन आप हमारी सरकार पर, हमारी नेता पर, हमारी पार्टी पर लगाते थे, आज स्थिति यह है।

माननीय सभापति जी, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जितनी फ्लैगशिप योजनाएं आप लाये हों, सुनने में और पढ़ने में उनसे कोई बेहतरीन नहीं है लेकिन वे धरातल पर आते-आते क्यों लड़खड़ा रही हैं? क्या उनका असर आम जनता तक पहुंच रहा है? मैं कोई उनका विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आपकी ये सारी फ्लैगशिप योजनाएं आम जनता तक पहुंच जातीं तो आज आम जनता यह नहीं कह रही होती कि वसुन्धरा जी आ रही हैं। आप मन में जानते हो कि इस वक्त क्या पिलपिलाहट है। मैं थोड़ी सी बात खाचरियावास जी की मानता हूं कि किसी का जमाना नहीं है, ना इनका है, ना उनका है, सब को जवाबदेही देनी पड़ेगी। जब कांस्टिट्यूएंसी में वोट मांगने जायेंगे, अपने पापों का और अपने अच्छे कामों का, दोनों का जवाब वहीं देना पड़ेगा। अंततोगत्वा जनता ही मालिक है और सवाल हिसाब वह ही करेगी।

मान्यवर, मैं तो पहली बार का विधायक हूं, बहुत कुछ मेरी जानकारी में है नहीं और मैं बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूं, सुनने वाला जरूर हूं। मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र से शुरू करना चाहता हूं और कुछ बातें वे करना चाहता हूं जो कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं आयी हैं, जो आपको और हमको, दोनों को बराबर से छूती हैं।

सबसे पहले मैं राज की नौकरशाही के बारे में बात करूंगा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करूंगा और मैं अपना यह भाषण स्वर्गीय सम्माननीय वी.एस. सिंह साहब को समर्पित करता हूं जिनकी मृत्यु रोड के सहारे चलते हुए एक

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

चालक की गलती से हुई। यहां हाउस में ओबिच्यूरी दी गयी। दुर्भाग्य की बात है कि एक ओबिच्यूरी इतने ज्ञानवान, इतने समझदार और ताजिंदगी राजस्थान की सेवा करने वाले अफसर को हम नहीं दे सके, मैं अपना भाषण उनको समर्पित करता हूं। साथ ही मेरे जिले में एक हैड-कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, हैड-कांस्टेबल महेन्द्र सिंह जो अनुसूचित जाति के थे, एक राजेन्द्र सिंह, दोनों की ड्यूटी में मृत्यु हो गयी, उनका कत्ल हो गया। आज उनको भी मैं अपनी सद्‌भावना प्रस्तुत करता हूं और इसके साथ शुरू करना चाहता हूं कि राजस्थान की नौकरशाही के ऊपर मेरा क्या सोच है, हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री करें।

मान्यवर, कहते हुए कष्ट है कि आपका और हमारा कार्यकाल पांच साल का है और जनता चाहेगी तो दोबारा ले आयेगी, नहीं तो घर बैठा देगी, लेकिन इन तीस और पैंतीस साल काम करने वालों को आज की तारीख में इस सरकार ने जाति के आधार पर बांट दिया। दुःख की बात है कि यह जो समुदाय है, हम रहेंगे कि आप रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये जरूर पैंतीस साल तक रहेंगे। इससे छेड़छाड़ करते ही सरकारें पलट जाती हैं। आज की तारीख में नर्सों-कम्पाउण्डरों का, कभी सरपंचों के, पीछे पंचायती राज का, डाक्टरों का, मास्टर लोग, हर वर्ग के लोग, सब लोग आज की तारीख में आन्दोलित हैं। इन आन्दोलनों के पीछे जो कारण हैं अगर उनको नहीं समझा गया तो वे पालिटिकली हमको टोक्सी-प्रोक्सी कर देंगे। यह बात अपने जेहन में आनी चाहिए। एक अच्छा शासन देने के लिए कर्मचारी को निश्चित तौर पर आपको समझना पड़ेगा, उसकी समस्या को समझना पड़ेगा।

हम इस बात से कब तक बचेंगे? कितनी सरकारें ये पलट चुके हैं लेकिन हमने आज तक इस वास्ते सीखा नहीं कि कर्मचारी की मांग क्या है, अधिकारी की सोच क्या है, वह क्या चाहता है। किसी हद तक तो हम उसके साथ बैठ कर इस बात को तय करते हैं जो तय हो सकती हों। गैर-वाजिब बात को मानना, नहीं मानना तो अलग बात है लेकिन जो वाजिब बात है, इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यह क्लास इतनी इम्पोर्टेंट हो गयी, आज मंत्री रो रहा है कि मेरा अफसर नहीं सुनता मेरी, एम.एल.ए. कहते हैं कि हमारी नहीं सुनते और मुख्य मंत्री को शिकायत करते हैं। जब तक कोई भी सरकार, जो इस वक्त बैठी है या कल बैठेगी, इस वर्ग विशेष की बात नहीं सुनेगी, कितने भी अच्छे से अच्छे काम कर लें, रिजल्ट तो उन्हें ही देना है।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

आप हम दवाई बांटने नहीं जायेंगे, आप हम जांच नहीं करेंगे, आप, हम पढ़ायेंगे-लिखायेंगे नहीं, सारा कार्यक्रम तो इसी वर्ग विशेष के द्वारा किया जाना है। जब तक इनको गुड फेथ में नहीं लिया जायेगा, यह प्रशासन लड़खड़ाता रहेगा और किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं आयेगा।

इतने वर्ष हो गये, आजादी के 62 साल हो गये, आज भी हम पानी को तरस रहे हैं, बिजली को तरस रहे हैं, जमीन को तरस रहे हैं, हर चीज को तरस रहे हैं। किसी चीज को हम मुकाम तक नहीं ले जा पाये। आज मैं आपसे कहता हूं कि इस बिजली विभाग का हाल देखिये, 48 हजार करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 60 हजार करोड़।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अब 60 हजार बता रहे हैं। यह सरकार कब तक आंखें मींचगी? अब स्थिति यह है कि ये अपने वेंडरों को पैसा नहीं दे सकते, सामान इन्हें मिल नहीं रहा। लोगों से आपने डिमांड नोटिस जमा कर लिये, पैसे ले लिये, कनेक्शन देने के नाम पर आप आयं, वायं, शायं कर रहे हैं। सरकार घोषित कर चुकी है कि 2008 अक्टूबर से लेकर दिसम्बर तक के कनेक्शन दिये जायेंगे, डिमांड नोटिस के पैसे जमा करा दिये आपने लेकिन अभी तक शायद, मैं समझता हूं, राजस्थान में कहीं भी, कम से कम मेरे जिले का तो मुझे मालूम है, कनेक्शन देने की कोई तैयारी शुरू नहीं है।

इसी तरह से, घरेलू कनेक्शनों के अन्दर 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गये, आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे हो। मंत्रीजी से हमने कई तरह के प्रश्न कर लिए, काल अटेंशन दे दिए, स्थगन दे दिए, कोई जवाब नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा?

अगर सरकार सोती रहेगी और फिर कहेगी, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं बहुत बढ़िया हैं; आपकी फ्लैगशिप योजनाएं इसी हाउस तक होंगी बढ़िया, बाहर नहीं जा रहीं।

यह भी एक पार्ट है कि लोगों से आपने पैसा ले लिया है तो इसका कम से कम चुकारा कीजिए। आज की तारीख में बिजली के देने के घंटे नहीं बढ़े किसानों के, जितने पिछले साल दे रहे थे उतने ही दे रहे हैं। बिजली की रेट नहीं बढ़ाई और दस-दस गुना बिल आप किसानों को एक तरफ दे रहे हो,

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

दूसरे हाथ से ले रहे हो। आप कह रहे हैं, फ्लैगशिप योजनाएं ले आएं, फलानां ले आएं और आप लूट रहे हो। बिजली के बिल दस-दस गुना, कोई कारण बता सकता है इसका कि उतना ही टाइम दिया, उतनी ही रेट है बिजली की और उसके बाद आप दस गुना मांग रहे हो?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): तीन बीघा का पैंसठ हजार का बिल।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बताइये, विधायक कह रही हैं कि तीन बीधे का पैंसठ हजार का बिल। आप भी किसानों की वजह से इस हाउस में आए हों, मैं भी किसानों की वजह से इस हाउस में आया हूं, इनकी बातों को कौन सुनेगा? मंत्रीजी को जवाब देने का टाइम नहीं है, ये सरकार को डुबो देंगे। आप गलतफहमी में मत रहिए। आपको जवाब देना पड़ेगा; हमें भी देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा। (व्यवधान)

पीने के पानी की व्यवस्था, मेरी राजाखेड़ा तहसील में चम्बल कम से कम तीस किलोमीटर बह रही है और राजाखेड़ा कस्बे से छह और सात किलोमीटर दूर है। मैं निरन्तर पानी मांग रहा हूं कि मुझे पानी पिलाइये, चम्बल से पिलाइये। आप धौलपुर को पिला रहे हो, भरतपुर को पिला रहे हो, अलवर को ले जाने की बात है, भीलवाड़ा, बूंदी ले जाने की बात है लेकिन हमको तो बोरिंग का पानी पिला रहे हैं और बोरिंग का पानी पिलाने का मतलब, पानी का जल स्तर निरन्तर बड़ी बुरी तरह से गिर रहा है। डार्क जोन में आ गये हम। सरकार कोई सुनना ही नहीं चाहती, यह कैसी सरकार है? जब आप धौलपुर का पानी भरतपुर को पिला रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं, पीने के पानी को तरस रहे हैं, आप पिलाइये लेकिन हमको तो मत मारिए, हमें भी पिला दीजिए ना। मेरे घर में चम्बल नदी बह रही है और मुझे कह रहे हैं कि आप मत पीजिए, दूसरों को पिलाइये। क्यों आन्दोलन शुरू कराना चाहते हैं आप? क्यों मारा-मारी कराना चाहते हो? ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए।

मैं जो समझ पाया हूं, वह यह समझ पाया हूं, क्योंकि मैं बी जे पी का एम एल ए हूं, इसलिए मेरी जनता को प्यासा मारने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। चूंकि अलवर में वहां के सांसद मंत्री हैं, भीलवाड़ा के सांसद मंत्री हैं, उनके लिए कायदा दूसरा है, रविन्द्र सिंह के लिए कायदा दूसरा है। यह दुभात मत कीजिए।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

हर विभाग में दुभात है। आपने पंचायती राज में आर डी एस शुरू की सेवा, बहुत अच्छी बात है, बधाई देता हूं। पंचायती राज एक स्थायी विभाग है, उसके लिए स्थायी अधिकारी होने चाहिए और आपने 160 अधिकारियों का चयन भी कर लिया। बड़ी मुश्किल से रो-पीटकर मैं अपना आर डी एस, बी डी ओ लगवा पाया। तीन महीने बाद उसको चटका दिया क्योंकि स्थानीय नेता यह चाहते थे कि यह अड़ंगेबाजी से, कानून के आधार पर हमारे कामों को करेगा कि नहीं करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 160 इस काडर के सदस्य थे, उनमें से बीस को ए पी ओ कर दिया गया फार नो राइम एण्ड रीजन। केवल इसलिए जो प्रधान चाहता था, मनमाने तरीके से जो काम कराना चाहता था, विधायक कराना चाहते थे, उनको वह पसंद नहीं आया। नये लड़के थे, कानून से काम कर रहे थे। आर डी एस सर्विस, राजस्थान डवलपमैंट सर्विस।

यह स्थिति आपने उस पंचायती राज की बनाई है जिसका कि महात्मा गांधी सपना देखते थे। जवाहर लाल जी नेहरू ने पंचायती राज 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में शुरू किया था, राजीव जी ने इसको मजबूत करने की चेष्टा की थी, आप अपने नेताओं का ही मजाक क्यों उड़ा रहे हो? एक तरफ वे करते हैं, दूसरी तरफ उनको उलटा-सीधा करते हो, ये सरकारी अधिकारी किसी के नहीं, ये तो प्रशासन जिसका होगा, शासन जिसका होगा उसी के होंगे। इनको काम करने दीजिए, इनको विश्वास में लीजिए। इसमें दो-तीन तरीके के लोग हैं, एक तो घोर बेईमान, जो बिना पैसे के काम नहीं करते, उनको अच्छी पोस्टिंग देते हो; एक वे ईमानदार हैं जो आपकी हर बात के ऊपर नाचते नहीं, उन लोगों को ढंग की न तो पोस्टिंग मिलती है, आए दिन ए पी ओ हो जाते हैं। यह सरकार अच्छे और बुरे का फर्क नहीं कर पाई।

जैसा मैंने आपको कहा कि जाति के आधार पर आपने इस वर्ग को भी बांट दिया, हम पर आरोप लगाते हो कि जाति के नाम पर करते हो, धर्म के नाम पर करते हो राजनीति, आप कौनसे नाम पर कर रहे हो? आप केवल वोट के नाम पर कर रहे हो। आप यह सोचते हो कि ऐसा करने से वोट मिलेगा। इस गलतफहमी में मत रहिए। सरकारी कर्मचारी किसी का नहीं, वह तो हवा देखकर चलता है। अब आप देखिए कि तीन महीने बाद आपके आर्डर फ्लाउट होंगे, कैरी-आउट नहीं होंगे। यह सरकार जा रही है, मानें या मत मानें।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

सर, टाइम हो गया मेरा?

श्री सभापति: पन्द्रह मिनट हो गये। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बहुत पीड़ा भरी है, जितना बोलूंगा उतनी पीड़ा निकलेगी।

यह सरकार इतनी आकण्ठ राजनीति में डूबी हुई है। मेरे यहां आर डी एस हटाकर नेक्स्ट चार्ज मिलना चाहिए था ए ईएन को, एक बी ई ओ को दिलवाया गया, जो गुलाम की तरह काम करता है लोकल नेताओं के। पता नहीं, राजस्थान में कितनी जगह यह हालत होगी। थोड़ा तो शर्म करिए, लिहाज करिए, हम भी आपके साथी हैं, पुराने थे। अब तो कहने में शर्म आती है, हमारा कोई लिहाज नहीं करता। हमको तो यही कहा जाता है कि वसुन्धरा जी के एम एल ए हैं, बी जे पी के एम एल ए हैं; हम एम एल ए जनता के हैं सबसे पहले और हमारी नेता हमको ऐसे छोटे-मोटे, हल्के-पतले काम करने से रोकती हैं, गलत काम मत करो। पांच साल उन्होंने धौलपुर से कांग्रेस के विधायक होते हुए किसी को छेड़ा नहीं; जो उन्होंने मांगा, जो उन्होंने कोशिश की जनता के लिए, उन्होंने कभी ना नहीं की, लेकिन इस राज में, साहब, हमें कोई ना तो करता नहीं और काम देता नहीं। मैं आपको कहता हूं बड़े शर्म से, जैसे तैसे करके मैंने 132 के वी के सब-स्टेशन मंजूर करवाए। मुझे 6 महीने लग गये जमीन लेने में। अगर मैं खुद अपना प्रभाव, अपनी कोशिश नहीं इस्तेमाल करता तो आज तक वह जमीन अलाट ही नहीं होती। उस वक्त के एक उच्चतम अधिकारी ने कहा, रविन्द्र सिंह जी, इस फाइल पर हम 2 साल तक धूल नहीं उठने देते, यह जमीन आप ले जा रहे हो अपने प्रयासों से।

तो मैं तो आज केवल इस आखिरी भाषण पर इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपको सद्‌बुद्धि आए। इसमें जो मैं बोला हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है, इसके अलावा बोला हूं। मुझे खुशी होती कि गवर्नर साहब के एड्रेस पर मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करता लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं और आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि किसी तरह आप लोगों को समय रहते सद्‌बुद्धि आए, इस सरकार को अच्छी तरह चलवाओ। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलूंगा क्योंकि अभिभाषण हमारी सरकार का आइना होता है और सरकार ने जो बजट में घोषणाएं कीं, जो सरकार की नीतियां हैं, उन सभी का एक शाश्वत सत्य सदन के सामने रखा जाता है।

इस अभिभाषण के अन्दर जिस तरह से हर चीज को इंगित किया गया, पिछला बजट आप देख लें, उसके पहले पिछला बजट देख लें, लगभग 4 वर्ष के लगातार जो बजट आए, उन हर बजट के अन्दर राजस्थान की जनता को मुख्य मंत्रीजी ने बहुत कुछ दिया। पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी सदन के अन्दर जब घोषणाएं कर रहे थे, प्रतिपक्ष सन्न होकर हर चीज को सुन रहा था। पूरे सदन के वक्त प्रतिपक्ष के पास कोई शब्द नहीं थे, उस बजट की आलोचना करने के लिये कोई शब्द उनके पास नहीं रहे। हर व्यक्ति पक्ष और विपक्ष का यही कह रहा था कि शानदार बजट दिया मुख्य मंत्री जी ने। मुख्य मंत्री का कर्तव्य भी होता है, सदन के साथ-साथ मुख्य मंत्री पूरे राज्य का मुखिया होता है, तो राज्य की जनता का ध्यान रखा जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार की नीतियों के अनुरूप उनको लाभ दिया जा सके। ये पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने आम आदमी की पीड़ा को समझ करके योजनाएं बनायीं, गांव की पीड़ा को समझ करके योजनाएं बनायीं, किसान की पीड़ा को समझ करके योजनाएं बनायीं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा को समझ करके भी फैसले किये। आज राजस्थान की साढ़े 6 करोड़ जनता के लिये किसी ने सोचा? साढ़े 5 करोड़ पशुधन के लिये किसी ने सोचा?

सभापति महोदय, आज जिन फ्लैगशिप योजनाओं के लिये मेरे से पूर्व अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस फ्लैगशिप योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है, उसके पहले भी प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य बोले हैं, योजनाएं, आप जानते हैं, हर योजना बनती है, उसके क्रियान्वयन में वक्त भी लगता है, उसके फलीभूत होने में, साकार रूप लेने में। शनैः-शनैः सरकार के प्रयास रंग लेकर आते हैं और आज उन फ्लैगशिप योजनाओं का व्यापक असर आ रहा है।

प्रतिपक्ष जो बार-बार यह कह रहा है कि यह सरकार जा रही है, वसुन्धरा जी आ रही हैं, यह गलतफहमी इनको पूरी निकाल देनी चाहिये। ऐसा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

वे माननीय सदस्य ज्यादा बोल रहे हैं जो हमारी पार्टी में थे लेकिन अब प्रतिपक्ष में चले गये, उन लोगों को ज्यादा उफान आ रहा है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान की जनता इस मुख्य मंत्री से बेहतर मुख्य मंत्री नहीं देखना चाहती और यह मुख्य मंत्री इतना बेहतर है कि इससे बेहतर मुख्य मंत्री कोई हो नहीं सकता, जिसने..(व्यवधान) हां, कांग्रेस में भी कोई इनसे बेहतर मुख्य मंत्री नहीं हैं, हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है अशोक जी गहलोत का। आज सोनिया गांधी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद भी छोड़ दिया, उनसे भी योग्य महिला हमारे हिन्दुस्तान में नहीं है, राजनीति के अन्दर, सामाजिक क्षेत्र के अन्दर।

इस मुख्य मंत्री ने आम आदमी के लिये जो नि:शुल्क दवा योजना शुरू की, आपको मैं बताना चाहूंगा, पूरे राजस्थान की जनता को तो लाभान्वित किया ही किया, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लगभग 7 लाख मरीजों ने उन दवाइयों का फायदा उठाया। मध्य प्रदेश के लोग राजस्थान में आकर के चित्तौड़ में इलाज कराने के लिये आ रहे हैं। हमारी इस नि:शुल्क दवा योजना को, जो आज ये प्रधानमंत्री के लिये नाम प्रस्तावित कर रहे हैं गुजरात के मुख्य मंत्री का, उनका एक अध्ययन दल यहां राजस्थान की उस योजना को देखकर गया, राजस्थान के अन्दर इतनी लोकप्रिय योजना कैसे हो रही है। उन्होंने अभी जो चुनाव हुआ, उसके अन्दर इसको शामिल किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय और हमारे दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों को भी कि उनकी अगुवाई में यह काम बहुत बखूबी पूरे राजस्थान के अन्दर चल रहा है। यह योजना अच्छी चले, गांव के लोगों को फायदा मिले, इसके लिये 3 हजार सब-सेण्टर खोलने का राजस्थान की सरकार ने फैसला किया, पी एच सी, सी एच सी खोली गयीं, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी।

जननी सुरक्षा योजना, इसके लिये कह रहे हैं, यह फ्लैगशिप योजना है। इस फ्लैगशिप योजना के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि गांव का गरीब व्यक्ति, उसकी बेटी का, उसकी बहू का प्रसव होगा तो उसकी क्या स्थिति रहेगी। इलाज के लिये कहीं आगे जाना पड़ा, कहीं हायर सेण्टर पर जाना पड़ा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? यह मुख्य मंत्री थे, हमारी यू पी ए की चेयरपर्सन थीं जिन्होंने इस योजना को राजस्थान के अन्दर आकर लांच किया और बखूबी यह योजना आज राजस्थान के अन्दर चल रही है। आज 4 सौ जननी सुरक्षा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

एक्सप्रेस उस योजना के सफल क्रियान्वयन में लगायी गयी हैं। आज आप गांव में जाकर पूछो, जब उनको किराया मिलता है आने का, जाने का, अगर इलाज हायर सेण्टर पर जाने का है तो उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक भी लगेगा तो राजस्थान की सरकार लगाने जा रही है। इससे बड़ी योजना, सभापति महोदय, और क्या हो सकती है? फोन करो, 108 आती है। जननी सुरक्षा योजना की जो एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयी हैं, हर पी एच सी, सी एच सी के ऊपर एक-एक एम्बुलेंस तैनात हो गयी है। यह हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का जो मुख्य मंत्रीजी ने किया है, मैं कह रहा हूं, इससे बढ़िया, यह मील का पत्थर साबित होगा हमारे राजस्थान के लिये और हमारी सरकार के लिये।

पशुओं के लिये किसी ने सोचा? वह साढ़े 5 करोड़ पशुधन जो आज गांव के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला है, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि वह पशुधन जिसके लिये किसान, अगर महंगी दवाई है तो कई बार ऐसे-ऐसे लोगों से इलाज करा लेता है जिससे वह पशु ठीक होने की बजाय काल-कवलित हो जाता है। उसके जीवन की रक्षा के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना शुरू की। आज पशु केन्द्र गांव-गांव के अन्दर खोले गये। आज चित्तौड़ के अन्दर, मैं आपको निवेदन करूं, 64 हजार पशुपालक अपने पशुधन को लेकर आयें और उनका इलाज हमारे उन चिकित्सा केन्द्रों में हो रहा है। इससे आगे बढ़कर के हो रहा है। अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक और घोषणा की कि यदि पशु को किसी तरह से लाया नहीं जा सकता, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही है, हर उप-खण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहेगी, जब किसान फोन करेगा कि गांव के अन्दर मेरा पशु बीमार है, चिकित्सक जाकर उसका इलाज करेगा, उसकी दवाई की व्यवस्था करेगा। ऐसी सोच किसी मुख्य मंत्री की रही कि बीमार को घर से अस्पताल तक लेकर आए? पशु बीमार है तो वहीं जाकर उसका इलाज करे? ऐसी किसी की सोच बनी आज तक?

मुख्य मंत्रीजी का, ये कहते हैं, 4 साल के इस सरकार का विजन ही नहीं रहा। विजन और क्या चाहिये? स्वास्थ्य अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की हो, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हो, आम आदमी, आम किसान सुखी रहे, सरकारी कर्मचारियों की जो मांगें लम्बित हैं, वे पूरी हों...।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मैं सड़कों के बारे में निवेदन करूं, हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत होगा गांवों का, वह तब ही सम्भव है, विकास तब ही सम्भव है जब सड़कों से हमारे गांव जुड़ेंगे। आज मैं मुख्य मंत्रीजी के विजन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिना केन्द्र की सहायता से अपनी सरकार के बलबूते पर, अपने संसाधनों के बलबूते पर, ढाई सौ से पांच सौ तक की आबादी के गांवों को डामर की सड़क से जोड़ने का निर्णय किया और आज लगभग उन सभी सड़कों के लिये टेण्डर लगाये जा चुके हैं, आधी से ज्यादा सड़कों के काम, लगभग 2,750 गांव डामर की सड़कों से जुड़ने जा रहे हैं। यह कोई कम काम नहीं हुआ। धार्मिक सड़कें, ये हमेशा धर्म के नाम पर बात करते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उन धार्मिक स्थलों को जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं कि वे विकसित कैसे होंगे, आम आदमी वहां तक पहुंचेगा कैसे, उसके लिए उन्होंने धार्मिक सड़कें दीं। सभापति महोदय, मिसिंग लिंक, 16-16 किलोमीटर मिसिंग लिंक दीं जिनके माध्यम से कई गांव आपस में जुड़ गये, जो कि वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ है; मेगा हाइवे बनाये गये हैं; राज्य मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है; कई जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको चौड़ा करने का काम हुआ, उनके सुदृढ़ीकरण का काम हुआ है; जिला मुख्यालय की जो सड़कें हैं वे स्ट्रेंथन की गयी हैं।

सभापति महोदय, मैं हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री, भरत सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे राजस्थान के अन्दर, हर जिले के अन्दर जाकर के सड़कों की दयनीय स्थिति को देखकर के मुख्य मंत्रीजी के सामने स्थितियां रखीं। मुख्य मंत्रीजी ने उन सड़कों की मरम्मत के लिए, उन सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी। यह राजस्थान के अन्दर एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार का और भी बहुत बड़ा विजन है जो आने वाली 6 तारीख को बजट में देखा जायेगा कि किस तरह से मुख्य मंत्रीजी इस दिशा में और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आप ऊर्जा का क्षेत्र ले लें, जिस तरह से शरीर में खून की आवश्यकता होती है उसी तरह से हर राज्य में बिजली की आवश्यकता होती है। आज तो यह आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, गांवों में, शहरों में और हर तरफ। 4 हजार मेगावाट का उत्पादन किया। मैं धन्यवाद

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

दूंगा मुख्य मंत्रीजी को, धन्यवाद दूंगा ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह जी को कि उन्होंने ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए 400 केवी के ग्रिड स्टेशन, 750 के ग्रिड स्टेशन, 132 के ग्रिड स्टेशन, 33 केवी के ग्रिड स्टेशन बनायें ताकि जो बिजली का उत्पादन हो, उसका प्रसारण तंत्र मजबूत हो, जिसके माध्यम से आम उपभोक्ता को, आम किसान को और उद्योग को पूरी गति मिल सके, राहत मिल सके।

सभापति महोदय, आज लगभग ढाई लाख कृषि कनेक्शन जारी हुए हैं, 15 लाख घरेलू कनेक्शन जारी हुए हैं। आज सुपर-क्रिटिकल पावर स्टेशन हमारी सरकार बनाने जा रही है। सौर ऊर्जा से कैसे बिजली पैदा हो, हवा से कैसे बिजली पैदा हो, गैस से कैसे बिजली पैदा हो, हर क्षेत्र के अन्दर सरकार कोशिश कर रही है कि ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। पन बिजलीघर दूसरे प्रदेशों के अन्दर बनाकर के कैसे राजस्थान उनका लाभ ले सकता है, उसके बारे में हमारी सरकार प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, चिकित्सा हो गयी, सड़क हो गयी, शिक्षा हो गयी। विजन और क्या होता है? आज शिक्षा के क्षेत्र में आई आई एम यहां पर खोला जा रहा है; आई आई टी यहां पर खोली जा रही है; 7 नये विश्वविद्यालय राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट के अन्दर दे दिये, 5 निजी क्षेत्र के अन्दर विश्वविद्यालय मंजूरी के कगार पर हैं; हमारी स्कूलें खुल गयीं, सीनियर सेकण्डरी स्कूल, सेकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल, नये प्राइमरी स्कूल; सब्जेक्ट खुल गये; मदरसे अपग्रेड हो गये; किस क्षेत्र के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमी रखी है?

आप अपने क्षेत्र में चले जाओ, नहीं तो आप मेरे साथ चलो चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में। राजस्थान में घूमो आप। आपके दिमाग पर जो चश्मा है, उस पर जो धुंध आयी हुई है, उसको आप दूर करो। राज आपका नहीं आ रहा है, यह आज लिख लेना। अगला बजट भी यही मुख्य मंत्री पेश करेगा, यह और लिख लेना बात।

आज मैं इस पवित्र सदन के अन्दर बोल रहा हूं, मैं राजनीतिक पंडित नहीं हूं, लेकिन मैं भी राजनीति के अन्दर 32 साल से हूं, जनता की नब्ज पहचानता हूं। अगर राजस्थान की जनता इस सरकार से त्रस्त होती, आपने कई आंदोलन खड़े करने की कोशिश की लेकिन आपके हर आंदोलन की हवा निकल

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

गयी। जनता ही इकट्ठी नहीं हुई, कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए तो मामूली इकट्ठे हुए और उन्होंने भी दायें-बायें देखकर के अपनी झेंप मिटाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर हमारी योजनाएं अच्छी नहीं होतीं तो आपके प्रतिपक्ष के नेता और आपकी पार्टी के जो पूर्व उप नेता हैं, वे हमारी सरकार की नीतियों की तारीफ सार्वजनिक रूप से नहीं करते, उन्होंने तारीफ की है कि हमारी सरकार में काम हुए हैं। आम जनता तारीफ करती है।

सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारियों की डी पी सी हुई। हजारों लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी कभी प्रमोशन होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एल डी सी बनने जा रहा हैं, आर ए एस, आई ए एस बन गये; नायब-तहसीलदार, तहसीलदार बन गये; तहसीलदार आर ए एस अधिकारी बन गये। सचिवालय कर्मचारियों को देख लीजिये, उनके कितने प्रमोशन हो गये। सारे विभागों में टाइम बाउंड, पूरा प्रोग्राम देकर के मुख्य मंत्रीजी ने पदोन्नतियां दी हैं। यह कोई कम काम हुआ है?

सभापति महोदय, 1 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरियां दी हैं; एन आर एच एम के अन्दर जो कर्मचारी हैं वे नियमित होने जा रहे हैं; पंचायत राज के कर्मचारी जो संविदा पर लगे हैं वे नियमित होने जा रहे हैं; शिक्षा विभाग के अन्दर शिक्षकों की भर्ती हुई है। बेरोजगार युवकों के सामने यह अंधकार समाप्त किया जा रहा है कि पढ़-लिख लेने के बाद आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो योग्यताधारी हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस सरकार ने जो भर्तियां की हैं उसमें मजाल है कि भ्रष्टाचार के नाम पर कोई उंगली भी उठा सके। आज 1 लाख भर्तियों के अन्दर 1 रुपये का आरोप भी ना तो मंत्री के ऊपर लगा सकते हैं, ना किसी अधिकारी के ऊपर लगा सकते हैं। यह जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी का जो सबसे बड़ा अलंकार है, खूबी जिसको कह सकते हैं, इस देश के अन्दर, वह यह है कि यह मुख्य मंत्री है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना तो पहले कोई लगा सका और यह आदमी जब तक जियेगा तब तक कोई लगा सकेगा। यह इतना ईमानदार आदमी, समर्पित होकर के राजस्थान की जनता के लिए काम कर रहा है।

सभापति महोदय, अभी लैपटाप, लैपटाप हम उन नौजवान लोगों को दे

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

रहे हैं जो अच्छे पढ़-लिखने वाले हैं। जिस लैपटाप में गड़बड़ आयी, जो लैपटाप अच्छा नहीं था, अच्छी कंपनियों का दिया तो इनके एक बड़े नेता आकर के कह रहे हैं कि लैपटाप के अन्दर करोड़ों का घोटाला हो गया, हर चीज में घोटाला देखने की जो आदत पड़ी है, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हर चीज में मंत्रीजी को घेरना चाहते हैं।

कल अमराराम जी, एक वरिष्ठ सदस्य, उनको ध्यान ही नहीं कि 38 लाख लोगों को जो 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, उसमें 10 किलो 20 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। धन्यवाद दूंगा हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी को कि वे सदन में थे और उन्होंने उनको करेक्ट किया कि आप सदन के अन्दर गलत मत बोलिये। आज किस तरह से प्रतिपक्ष ने माननीय आबकारी मंत्रीजी की एक बात को लेकर के तूल पकड़ लिया। 'में' और 'तक' का जो अंतर था, उसको ले जाकर के, तिल का ताड़ बनाकर के पूरे सदन को ही अव्यवस्थित कर दिया और हमारा जो प्रश्न काल है वह नहीं हो पाया। यह जो फितरत है, उसको हमको कम करनी पड़ेगी। जो अच्छी चीज है, उस पर हमको सोचकर के बोलना पड़ेगा। खाद्य मंत्रीजी अगर नहीं बोलते तो मीडिया कल लिख देता कि यह तो 10 किलो 20 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, 2 रुपये किलो गेहूं केवल 25 किलो दे रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हर चीज कही कि अगर आटे में भी गड़बड़ निकल जायेगी तो वह कर्मचारी नहीं बख्शा जायेगा और वह मिल नहीं बख्शी जायेगी।

मेरा निवेदन है कि यह सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रशासन-गांवों-के-संग पिछले अभियान में साढ़े 87 लाख लोगों को फायदा मिला; अभी जो चल रहा है प्रशासन-गांवों-के-संग और जिसका एक फेज होना और बाकी है, उसका लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। साढ़े 3 लाख लोगों को आज तक पट्टा दिया जा चुका है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान रहता है, उनको, जो हमेशा पट्टे के लिए भटकता रहता था। सरकार ने कड़े निर्देश देकर के यह पाबंद किया है कि हर पंचायत के अन्दर आपको नि:शुल्क पट्टे देने होंगे। किसान आज खुश है। वह अगर खेत में भी मकान बनाकर रह रहा है तो उसको वहां भी पट्टा दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, प्रशासन-शहरों-के-संग, मैं धन्यवाद दूंगा स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल साहब को कि मुख्य मंत्रीजी की अगुवाई में उन्होंने, आज

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

तक के इतिहास में शहरी जनता को जो फायदा नहीं मिला, वह नियमों का सरलीकरण करके दिया। स्टेट ग्रांट का पट्टा 1 रुपये में; कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 1 रुपये में मुझे पट्टा दिया जायेगा। 1991 से पहले की जिनकी बसावट है, पहले रेट कर दी 750 रुपये, मंत्रीजी के ध्यान में आया, मुख्य मंत्री जी के ध्यान में आया तो उसको घटाकर के सिर्फ 150 रुपये कर दिया।

बी पी एल और स्टेट बी पी एल, कच्ची बस्तियों में रहने वालों पर हमेशा तलवार लटकी रहती थी कि कभी नगर परिषद का कर्मचारी आ जायेगा, राजस्व विभाग का कर्मचारी आ जायेगा और मुझे हटा देगा या मेरा शोषण करेगा। एक अभियान चलाकर के उन सबको पट्टा देने का फैसला किया।

जो शहर के अन्दर रह रहा है, उन 1 लाख लोगों को 55 हजार रुपये देने का फैसला किया, मकान बनाने के लिए। गांवों के अन्दर 10 लाख लोगों के लिए मकान बन रहे हैं। 3,400 करोड़ रुपया। कभी सरकार के किसी नुमाइंदे ने सोचा कि उसका आशियाना नहीं है, उसकी छत नहीं है, मैं 50 हजार की उसको सहायता दूं? 10 हजार की शौचालय के लिए सहायता दूं? यह मुख्य मंत्रीजी का विजन नहीं हुआ तो और क्या हुआ?

किसानों के लिए किसी ने सोचा? 100 रुपये बोनस दे रही है हमारी सरकार किसानों को। कभी किसी ने आज तक किसानों को बोनस देने की बात सोची? हमारी सरकार अभी 10 हजार करोड़ का ऋण किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से देने जा रही है; 152 करोड़ रुपया भूमि विकास बैंक के माध्यम से उन्होंने अभी अल्पकालीन ऋण दिया है। एक लाख रुपये 6 महीने के लिए अगर किसान ब्याज पर लेता है तो उसको 24 हजार रुपये ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन यह मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हैं, मैं परसादीलाल जी मीणा को भी धन्यवाद दूंगा, सहकारिता मंत्रीजी को कि इन्होंने बहुत अच्छी मानिटरिंग की, एक किसान को, 24 हजार रुपये उसकी जेब में राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत डाल रहा है कि आप ऋण लो, अपनी कृषि उपज बढ़ाओ और राजस्थान की सेवा करो। इस तरह से किसान को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

यह जितना भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 10 लाख मकान गरीब को, गांव के गरीब को मिल रहे हैं, आज 38 लाख लोगों को जो दो रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, वह किसकी कल्पना है? बताओ आप। एक गरीब आदमी जिसकी 150 रुपये की कमाई हो, मजदूरी हो, घर में 5 आदमी खाने

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

वाले हों, वह 50 रुपये लेकर के जाता है और 25 किलो आटा लेकर आता है तो वह मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देता है कि आपने मेरे बारे में सोचा।

वह आदमी जिसके छत नहीं थी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कभी साथ चलें, ऐसी-ऐसी कालोनियां विकसित की हैं 15-15, 20-20 घरों की। जो बी पी एल आदमी है, बीपीएल आवास योजना जो मुख्य मंत्रीजी ने दी है, वह आवास बनाकर उनमें आज रह रहा है। इससे बड़ा काम सरकार और क्या करेगी? हर वर्ग का ध्यान रखा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष ने जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं, उनके बारे में कहा है कि आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी मानिटरिंग अच्छी नहीं है। मानिटरिंग में मुख्य मंत्री जाकर खड़ा नहीं रहेगा, मंत्री नहीं खड़ा रहेगा और विधायक भी नहीं खड़ा रहेगा। यह तो स्वविवेक आना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन-शहरों-के-संग, प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में सरकार की मूल भावना के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों ने काम किया है और इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं जहां 6 लाख लोगों को नि:शुल्क दवा देने की बात हो, जहां 5 करोड़ पशु धन को नि:शुल्क दवा देने की बात हो, आम आदमी को फायदा देने की बात हो, वहां कुछ न कुछ त्रुटि तो रहती ही है, उस त्रुटि को हम सब मिलकर निकालेंगे। आपके जमाने की कोई अच्छी योजना थी, हम केवल उसकी त्रुटि-त्रुटि ही निकालते रहे तो कोई सुधार नहीं होगा। आपकी भी उतनी ही ड्यूटी है, आप भी जनता के नुमाइंदे हैं और हम भी जनता के नुमाइंदे हैं, हम सब मिलकर जो योजनाएं राजस्थान की सरकार ने बनाई हैं उन योजनाओं का लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले उसका प्रयास करें।

आज मुख्य मंत्रीजी का अपना पूरा प्रभाव काम आया, कल का जो रेल बजट घोषित हुआ, लगभग 25 प्रतिशत रेल बजट के अन्दर जो सौगातें मिलीं, वे राजस्थान को मिली हैं। नई ट्रेनें शुरू हो रही हैं; आमान परिवर्तन हो रहा है; विद्युतीकरण हो रहा है; भीलवाड़ा में नई कोच फैक्टरी लग रही है; यहां पानी का, रेल नीर का कारखाना लगाया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि मुख्य मंत्री के विजन का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश में जो है, कि ईमानदार शासक हो, तो इससे बढ़िया

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

ईमानदार शासक, न भूतो न भविष्यति, जिसके ऊपर सोता हुआ, जागता हुआ आदमी कोई लांछन नहीं लगा सकता, जिसकी जिन्दगी सुबह राजस्थान की जनता के समर्पण के साथ शुरू होती हो और जब आंख लगती हो तब भी वह राजस्थान की जनता के बारे में सोचता हो। इससे कोई बढ़िया जन सेवक इस राजस्थान के लिए आ सकता है? यह आम आदमी सोचता है। हर बुद्धिजीवी सोचता है कि इससे बेहतर मुख्य मंत्री राजस्थान के अन्दर नहीं हो सकता, एक अच्छा शासन, एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा जन नेता, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता।

आप सोचो, एक साल के बच्चे के लिए किसी ने सोचा कि इसको पेंशन दी जाए? जो विकलांग है, यह मुख्य मंत्री का विजन है कि उसको 250 रुपये पेंशन देने का फैसला किया। मंदिर जो बिलकुल अव्यवस्थित थे, लगभग 48 हजार मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनकी सेवा पूजा की जो राशि है, उसको मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। यह मुख्य मंत्रीजी का विजन नहीं है तो और क्या है? बताओ आप। हर चीज, हर सेक्टर पर ध्यान दिया है। 75 साल से ज्यादा के हैं तो उनकी पेंशन ज्यादा बढ़ाई है।

यह बात जरूर है कि कुछ जो चीजें सदन के अन्दर आई हैं, जिनको हम भी सोचते हैं, उन सबका समावेश करके, हमको पूरा विश्वास है कि ऐसी चीजों को मुख्य मंत्रीजी नहीं छोड़ेंगे अपने आने वाले बजट में। जिस तरह से आपने दिल थाम कर पिछले बजट को सुना, उसी तरह से दिल थाम कर 6 तारीख को सुनना, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंहजी। आप पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन पर सिर्फ इन्फोर्मेशन देंगे, भाषण नहीं देंगे और इन्फोर्मेशन जो है आपकी, वह देकर आप अपना आसन वापस ग्रहण कर लें।

सूचना

ब्यावर-पिण्डवाड़ा निर्माणाधीन सड़क के जालिया क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

(श्री शंकर सिंह)

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर से पिण्डवाड़ा तक फोर लेन का जो रोड बन रहा है, उस रोड के ऊपर जालिया प्रथम के पास रोड क्रोसिंग हो रहा है। उस रोड क्रोसिंग का कार्य तीन महीने से रुका हुआ है और वहां के लोगों में भयंकर आक्रोश है। 25 ग्राम पंचायतें उस मुख्य रोड से होकर गुजरती हैं। स्थानीय प्रशासन को, उप खण्ड अधिकारी को, कलक्टर को, चार-चार बार वहां पर मौका दिखा दिया और मौका देखने के बाद उन्होंने भी ऊपर अपने स्तर पर कार्यवाही की है लेकिन आज तक वहां पर ओवरब्रिज बनाने के लिए विभाग ने कोई परमिशन दी नहीं है। यदि वहां पर ओवरब्रिज नहीं बना तो वहां पर एक टिन शेड और श्मशान घाट बनाना पड़ जाएगा क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होंगी। ऐसी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, शंकर सिंह जी। आपका पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सदन के पटल पर आ गया है। आप विराज जाएं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): तीन महीनों से कार्य रुका हुआ पड़ा है, वह कार्य शुरू नहीं कर दें, बस इतना ही आपसे निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय, इस ओर कार्यवाही करवाओ, वहां ओवरब्रिज बनाने के लिए हमारी मांग है। धन्यवाद।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, 3-4 दिनों से बहस चल रही है और बहस चल रही है धन्यवाद प्रस्ताव पर, सरकार चाहती है कि सब मिलकर इस अभिभाषण पर धन्यवाद दें। मेरा मानना है कि धन्यवाद का पात्र वह व्यक्ति होता है जो कागज पर लिखकर योजना लेकर आता है और उस योजना को वापस धरातल पर लेकर उसकी सफल क्रियान्विति करता है। जनता के मुख से जब यह बात निकलती है कि यह काम हुआ है तो वास्तव में सरकार को धन्यवाद मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है?

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

(15.57 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

पिछले चार सालों में जितनी भी इनकी योजनाएं थीं, बड़े-बड़े नामों से योजनाएं लेकर आए, यह लेकर आए 'हरित राजस्थान', 'शुद्ध-के-लिए-युद्ध', उन सारी योजनाओं का हश्र आप अगर फील्ड में जाकर देखेंगे तो हरित राजस्थान के नाम पर अरबों रुपये खर्च हुए हैं, अगर उसका 10 प्रतिशत भी फील्ड में फलीभूत हुआ है, मैं गारण्टी से कहता हूं कि 10 प्रतिशत पौधे भी आज अगर जीवित हों तो योजना का क्रियान्वयन आपने सही किया और आप धन्यवाद के पात्र हैं। विधान सभा की एक कमेटी बनाई जाए और उस योजना में जो अरबों रुपये खर्च हुए हैं, मैंने कई रोड ऐसे देखी हैं, प्रतिवर्ष उन रोडों पर पेड़ लगाये जाते हैं, उन पर शेल्टर लगाये जाते हैं और हर वर्ष पौधों के नाम पर पैसे खर्च किए जाते हैं। सभापति महोदय, 'हरित राजस्थान' का जो हश्र हुआ, वही हश्र हुआ 'शुद्ध-के-लिए-युद्ध' अभियान का। दो-चार महीने ढोल पीटे गये कि इस राजस्थान में मिलावट समाप्त हो जाएगी, आम जनता को सारी चीजें शुद्ध मुहैया कराई जाएंगी, आज उस शुद्ध-के-युद्ध के सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं और जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, एक भी आदमी को आज तक दंडित नहीं किया गया है। पूरी योजना पूर्णत: फेल रही है चार साल में।

शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने जो काम किया है, स्कूल खोलें, अध्यापकों की भर्ती भी की लेकिन जो सबसे बड़ा अपराध किया है, वह यह किया है कि आठवीं तक का बच्चा जो स्कूल में आता है उसको बिना पढ़े आपको पास करना है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सभापति महोदय, और उस षड्यंत्र के तहत ग्रामीण जनता का जो भी बच्चा है, उसका पूरा जीवन नष्ट करने का षड्यंत्र है। गांव का कोई भी बच्चा आठवीं के बाद आगे नाइन्थ में जब एडमिशन लेगा तो वह नहीं पढ़ सकता, वह पास नहीं हो सकता है।

प्राइवेट स्कूलों का, आदरणीय खाचरियावास जी कह रहे थे, जितना बढ़ावा इस सरकार में मिला है, वे हर साल कहते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। उन प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए और उनसे मनमानी करवाने के लिए सरकारी स्कूलों की +++ करवाई जा रही है।

(16.00 बजे)

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कोई आदमी आज सरकार के स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती नहीं करवाना चाहता। अगर उसकी हैसियत सौ रुपये फीस देने की है तो निश्चित रूप से वह प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाएगा, सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं करवाएगा। उस सरकारी स्कूल में अरबों रुपये मिड-डे मील के नाम से और न जाने, किन-किन योजनाओं के नाम पर खर्च कर रहे हैं लेकिन शिक्षा का जो स्तर है, वह स्तर हम समाप्त कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा अपराध इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार और नेताओं का आचरण, मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो स्थिति नेता जाति की है, इतनी दुर्गति इस नेता जाति की कभी नहीं हुई थी। जो आपके दिल्ली और राजस्थान के शासन ने, आपने जो कारनामे किये हैं, भ्रष्टाचार और चरित्र को लेकर आज नेता जाति बदनाम हो चुकी है और हमारे माननीय गुलाब जी भाई साहब तो कभी-कभी दुःखी होकर यह तक कह देते हैं कि अब ऐसी स्थिति में हर आदमी चोर कहलाने लग गया, हर आदमी भ्रष्ट कहलाने लग गया, हर आदमी चरित्रहीन कहलाने लग गया। ऐसी स्थिति में राजनीति में कैसे रहा जाए या कैसे काम किया जाए? यह इस सरकार की देन है।

सभापति महोदय, मेरे भीलवाड़ा जिले का भगवान ही मालिक है। वहां अशोक जी गहलोत का शासन नहीं चलता, वह केन्द्र शासित प्रदेश है। जब भी कोई बात रखते हैं, अशोक जी गहलोत कहते हैं कि सी पी जी से पंगा नहीं लूंगा, पंगा लूंगा तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी।

श्री सभापति: आपको कहा?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरी बात सुन लो, आप बाद में जवाब दे देना।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो बातें कहीं इंडोर्स ही नहीं हुई हैं, कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, ऐसी बात न तो कार्यवाही में आए, न की जाए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आप सुनिए।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मेरा अधिकार है कहने का।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं अभी आपको तथ्य

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

बताऊंगा। आप सुनिए मेरी बात, तथ्य बताऊंगा मैं। अभी दंगा हुआ, 11 दिन कर्फ्यू लगा भीलवाड़ा जिले में, आसींद और गुलाबपुरा कस्बे में और केवल और केवल उस कलक्टर के कारण से दंगा हुआ है, उसकी बेवकूफी से दंगा हुआ है। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि विधान सभा की एक कमेटी से जांच करवाइए और उस जांच में अगर वह कलक्टर दोषी नहीं पाया जाए तो मैं विधान सभा से त्याग पत्र देता हूं। जब भी दंगा होता है, वह मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि दंगे के लिए जिम्मेदार एस पी और कलक्टर रहेगा, आज तक वह कलक्टर हमारे यहां बैठा है। 11 दिन वहां की जनता ने कर्फ्यू का दु:ख झेला ओर उस कलक्टर को क्योंकि वह कलक्टर नहीं है, वह किन्हीं लोगों का मुनीम बनकर वहां बैठा है, +++ का।

जो हालात भीलवाड़ा जिले में +++ ने किये हैं, 17 सौ हेक्टेयर जमीन +++ के नाम पर दी गई, उसमें 7 सौ बीघा चरागाह वन भूमि और कम पड़ी तो 1,256 बीघा अभी +++ होने के बाद, ऐसा कोई नियम नहीं है कि काश्तकार की जमीन बिना उसकी सहमति के खान मालिक को दी जाए, 1,256 बीघा जमीन केन्द्र सरकार ने अभी अधिग्रहित करके रीको को देकर उस +++ को दी। उस +++ ने मस्जिद खरीदी, 65 लाख रुपये में कलींदरी मस्जिद खरीदी और उस कलींदरी मस्जिद को, ऐसा इतिहास में राजस्थान के पहली बार हुआ है कि आज चिट्ठी गई है भीलवाड़ा जिला कलक्टर से, दूसरे दिन वक्फ बोर्ड से चिट्ठी आई, तीसरे दिन कलक्टर और सब ने मिलकर मस्जिद को शहीद कर दिया। 65 लाख रुपये आज भी उस प्रताप नगर थाने में जमा हैं। इस सरकार ने मस्जिद बिकवाई, इस सरकार ने +++ के द्वारा धार्मिक मंदिर तुड़वाये। तालाब के पेटों की जमीन, तालाब के पाल की जमीन सारी खुदाई में जा रही है, सारे कानून ताक में रख दिये गये हैं। चरागाह की जमीन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं दी जा सकती, 7 सौ बीघा चरागाह उस +++ को अभी अलाट किया गया है। उस +++ ने मेजा डैम की मुख्य नहर को बंद कर दिया, दायीं मुख्य नहर और दो महीने के लिए सरकार ने उसको यह स्वीकृति दी कि आप इस नहर को बंद करके, उसका आवागमन चलाओ और यह लिखा कि इसके बाद आपको परमिशन नहीं बढ़ाई जाएगी, उसके बाद एक साल की परमिशन और बढ़ाई गई।

मनमर्जी चल रही है वहां। किसी का राज है वहां तो पादुका शासन है। सभापति महोदय, जैसे राम राज्य में भरत जी ने पादुका लेकर शासन किया था लेकिन भरत जी तो भरत जी थे, आज वहां जो शासन चल रहा है, वह राम

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

भरोसे चल रहा है और उस कलक्टर के भरोसे चल रहा है। कोई धणी नहीं, कोई धोरी नहीं है।

इन मुख्य मंत्रीजी को मैंने कहा था कि मेरा एक पूर्व कस्बा है, 50 हजार की आबादी है, आसपास एक लाख आबादी थी, और प्रभावित होता है, 35 सालों से वहां पी एच सी खुली हुई थी, उस कस्बे में सी एच सी के लिए लगातार तीन साल से डिमाण्ड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संवेदनशीलता है, मुख्य मंत्री ने बहुत पी एच सीज, सी एच सीज खोलीं, उस पूरे भीलवाड़ा शहर में एक सी एच सी खोलना तीन साल में सम्भव नहीं हो सका। यह चौथा साल भी खतम हो गया। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, संवेदनशीलता का कोई पैमाना होना चाहिए, केवल कहने से संवेदनशील नहीं होता व्यक्ति। लिख कर देने पर, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है, वाजिब मांग की सुनवाई नहीं होती है तो दिल में दर्द होता है और फिर आवाज निकलती है।

सभापति महोदय, मेवाड़ मिल का घोटाला, डालडा मिल का घोटाला, उस घोटाले में +++ पिछले साल भी स्थगन के माध्यम से यह सवाल उठाया था। उस डालडा मिल को देने में जो शर्त थी, वह यह शर्त थी कि दो साल में उद्योग स्थापित करके उस उद्योग को चलाया जाएगा लेकिन आज तक वहां न तो उद्योग स्थापित हुआ है, वहां आवासीय कालोनी विकसित की जा रही है और मनमर्जी से 11 करोड़ में 7 सौ करोड़ की जमीन लेकर उद्योगपतियों के साथ में मिलीभगत करके सरकार और सरकार के नुमाइंदे डकार रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है उस जिले में। भीलवाड़ा जिला केन्द्र शासित प्रदेश है।

मैं आज फिर कह रहा हूं, मुख्य मंत्री साहब पधार गये हैं, हमारी सुनो, वहां की जनता की सुनो, वहां जनता की योजनाओं में कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल भू-माफिया, केवल भू-माफिया और केवल भू-माफिया की सुनी जा रही है। शहर के चारों तरफ हजारों बीघा, 5 हजार बीघा जमीन खरीद ली गई है। जैसे-जैसे मेन रोड निकल रही हैं, हमारे वहां के यू आई टी चेयरमैन साहब ने कहा, मेरा सपना है, 28 रोड चौड़ी करूंगा और 10 हजार मकान गिराऊंगा। एक तरफ 10 लाख मकान आप बनवा रहे हैं और हमारे यू आई टी चेयरमैन साहब भरी सभा में कहते हैं कि मेरा सपना है कि 28 रोड चौड़ी, पूरे भीलवाड़ा में 28 रोड नहीं हैं और 10 हजार मकानों में से एक हजार तो गिरा चुके हैं। सरकार की

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

नीति है कि मुआवजा दिये बिना कोई मकान नहीं गिरेगा, आज मुआवजे के लिए वे दर-दर भटक रहे हैं और अभी भी तैयारी चल रही है, जो जमीनें भू-माफिया ने खरीद रखी हैं, कच्ची बस्ती के आगे, उन बस्तियों की रोड चौड़ी की जाएं, सौ फीट की जाएं, डेढ़ सौ फीट की जाएं और हमारी जमीनों की वैल्यू बढ़े, इसके अलावा कोई योजना है।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) कौनसी डालडा मिल की बात कर रहे हैं? पूरे सदन से जांच करवा लें ढंग से और तथ्य सामने रखें। बार-बार चिल्लाते रहते हैं। भीलवाड़ा को कोई एक रुपया देने वाला नहीं था, उस समय 11 करोड़ रुपये पेमेंट किये हैं और इण्डस्ट्री की जमीन ली गई है और इण्डस्ट्री आज चालू भी हो गई है वहां। माननीय सदस्य वहीं के रहने वाले हैं, जाकर कर लें मुआयना। बेबुनियाद बात करने की आदत पड़ गई इन लोगों की। इन पर रोक लगाई जाए पूरी तरह से।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सदस्य, आप बोलिए, अपनी बात रखें आप। मैं आपको कह रहा हूं कि चार जिला कलक्टरों ने ...(व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): बिना बात बातें करने की आदत पड़ गई है। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): चार जिला कलक्टरों ने 10 साल में उस जमीन के लिए लिखा है, यह जमीन इनको दिया जाना उचित नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): और जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): कि यह सरकारी जमीन बहुत कीमती जमीन है, शहर के बीच की जमीन है ...(व्यवधान) और इसलिए इनको दिया जाना उचित नहीं है। जाने किस माध्यम से और किस दबाव में यह जमीन 11 करोड़ में दी गई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): जिला कलक्टर ने सवा सौ

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

करोड़ की जमीन की वैल्यू आज से 10 साल पहले बताई थी और चार जिला कलक्टरों ने साफ-साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह जमीन किसी कीमत पर नहीं दी जाए। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): जिस समय यह जमीन ली गई है और 11 करोड़ रुपये उस समय बैंक में जमा कराये हैं ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मिल-मिलाकर वह सरकार के दबाव में मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग बुलाई और उसके दबाव में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, एक मिनट।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): असत्य बोलने की आदत पड़ गई है इनकी। (व्यवधान)

श्री सभापति: भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता को बोलना है, प्रतिपक्ष के नेता को बोलना है, उसके बाद नेता को बोलना है। यह जो आप बार-बार इस विधान सभा के अन्दर आरोप लगाते हैं, या तो तथ्य के साथ आप प्रस्तुत कर दो ...(व्यवधान) एक मिनट। (व्यवधान) अभिभाषण के ऊपर आप, जो विषय अपना है, आप उस विषय के ऊपर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने अगर इसी विवाद के अन्दर इसको रख दिया, तो अभिभाषण पर आज प्रतिपक्ष के नेता को बोलना है, सदन के नेता को बोलना है। वातावरण अच्छा रहे, स्वस्थ वातावरण रहे, यह मेरी आपसे अपील है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैंने जो भी बात बोली है, मैं इस सदन में चैलेंज करता हूं कि अगर उसके तथ्य गलत हों....

श्री सभापति: ऐसे चैलेंज करने से नहीं होता है। चैलेंज करने से और कहने से नहीं होता है कि आपने चैलेंज कर दिया और हो गया। आपके पास तथ्य हों तो आप ध्यान में लाओ। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ... तो मैं अभी इसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार हूं। ये जो माननीय सदस्य हैं, जो असत्य बोलते हैं, मैं इसी वक्त इस सदन से इस्तीफा दूंगा अगर डालडा मिल में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो। चार जिला कलेक्टरों की जो रिपोर्ट है, वह आप मंगवाकर देखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं होगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: आप अपनी विषय वस्तु पर आओ, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं उनको भी कह रहा हूं, आप उनको तो कहो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री रामलाल (मांडल): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये, आप विराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप थोड़ा उनसे कहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य, आप विराजो। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) बैठ जाओ आप। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो पीछे से। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हो? (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दी है कि कोई तथ्य है तो आप रखिये। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: सार्थक बहस हो, आप भी चाहते हो। आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: आसन पांवों पर है माननीय सदस्य, आप विराजें। आप विराजो, माननीय सदस्य, आप भी विराजो। (व्यवधान) आप विराजिये। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (मांडल): ×××

(16.16 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

(16.18 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री रामलाल (मांडल): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। कोई अंकित नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया, प्रतिपक्ष के नेता को मैंने निश्चित समय दिया था और उस समय के अनुसार मैं उनको अवसर दे रहा हूं। कृपया गुलाबचन्दजी कटारिया। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। आपसे बात हो गई थी, सवा चार बजे का समय देने के लिए। (व्यवधान) हां, सवा चार। क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई चर्चा नहीं होगी, अंकित नहीं होगा। केवल श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। केवल श्री गुलाबचन्दजी कटारिया को मैंने इजाजत दी है। कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, बहुत अच्छी बहस चल रही है, सभी लोग ठीक तरह से बात कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: इसी तरह की? यह जो चल रही है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इससे पहले भी। क्योंकि सदन के नेता बोलने वाले हैं लेकिन उसके पहले जानबूझकर किस तरह से इस हाउस को गरम किया जाए ताकि हमेशा कोई न कोई विघ्न खड़ा हो। अब तक इतनी बहस हुई, कहीं भी....

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। जो कुछ यहां हुआ है, उसमें अगर कोई आपत्तिजनक चर्चा हुई होगी तो मैं देखकर के उसको एक्सपंज कर दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

दूसरी चीज, एक बात मुझे और कहनी है, अभी कुछ चर्चा चली कि दो अजनबी सदस्य हैं .... उससे भी सदन की मर्यादा गिरती है, बहुत गलत बात थी। उस चर्चा को भी एक्सपंज करता हूं। श्री कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण इस सदन में रखा गया, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं- ''मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार 15 राज्य फ्लैगशिप योजनाएं लागू कर उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इन योजनाओं ने आम आदमी की रोटी, दवा, आवास और शिक्षा की कठिनाइयों को हल किया है।'' मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इतने, 65 साल के बाद इस देश के लोकतंत्र के इन प्रहरियों को रोटी, दवा, मकान और बाकी सुविधाओं की चिंता करनी पड़ी। इसके पहले क्या इसके बारे में नहीं सोचा जा सकता था? इतने वर्षों तक, 59 वर्षों तक दिल्ली में राज किया, इतने प्रधानमंत्री बना दिये; राजस्थान में 50 वर्ष तक जिस पार्टी ने राज किया, 25 वर्ष तक तो बिलकुल बेरोकटोक किया, कोई दूसरी पार्टी ही हिन्दुस्तान में नहीं थी, ऐसे समय में आपको रोटी, कपड़ा और मकान याद नहीं आया और अब आपने कर दिया, तो कोई जादू का डंडा है? ये परिस्थितियां पैदा करने वाले उन दोषियों को भी तो कम से कम इंगित करो ना जिन्होंने देश की नीतियां इस ढंग से बनाईं कि जिसके कारण से आज 65 साल के बाद इस सदन को और इस प्रदेश को इन आवश्यक आवश्यकताओं के लिए विचार करके यहां मेजें थपथपानी पड़ रही हैं। हम अपने किये हुए कर्मों पर ही मेजें थपथपा रहे हैं 65 साल के लोकतंत्र में, उसमें मैं भी शरीक हूं। आखिर इस तरह से जनता को कब तक इन लुभावनी बातों से... और अगर यह इतना ही बढ़िया है तो फिर राज्यपाल महोदया ने जो कमेंट्स किये हैं, उन पर भी विचार करो। यह तो आपने डाक्यूमेंट बनाकर दे दिया, उनकी मजबूरी थी, संवैधानिक नियम है, उसके आधार पर आप जो भी लिखोगे, उनको यहां आकर पढ़ना है लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कमेंट्स किये हैं, उसके ऊपर भी तो कभी विचार करो कि आखिर उन्होंने किस पीड़ा से अपनी पीड़ा को जाहिर किया है।

राज्यपालों की मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने कहा कि यह जो आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट है, 12.08, इसमें से राजस्थान में अभी केवल 30 परसेंट खर्च हुआ है, उनके नाम से जो पैसा है, उसमें से। यह राज्यपाल महोदय ने ही कहा है ना? जो आप कहलाओगे, वह तो वे जरूर पढ़ेंगी।

इसी तरह से राज्यपाल महोदय ने राज्य की बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था पर अपनी चिंता व्यक्त की है। समय-समय पर उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, वे भी तो आपको इस कार्य के लिए दिग्दर्शन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? महिलाओं व सुरक्षा पर राज्यपाल महोदय ने चिंता जाहिर की; प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिये; हाई कोर्ट में 40 में से 18 जजों के पद खाली रहने से स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है; ये राज्यपाल के स्टेटमेंटों में से हैं। शिक्षकों के खाली पद, सेवानिवृत्ति की आयु, ये यू जी सी के मापदण्डों पर उन्होंने कहा; बिना आधारभूत सुविधाओं के निजी विश्वविद्यालय खोले जाने जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने गहरी चिंता जाहिर की। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल, जो वस्तुस्थिति है, उसके बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करती रहीं।

अब यह जो आपने वार्षिक योजना, जिसके बारे में आपने पैरा-11 में लिखा है, आप भी यह पैरा पढ़ें, मैं इसी में से पढ़ देता हूं, यह जो आपका पैरा-11 है, आप बजाओ ताली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बजाना होगा वह बजाओगे- ''राज्य में योजनागत विनियोजन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012-2013 की वार्षिक योजना, राजस्थान विधान सभा द्वारा 33 हजार 141 करोड़ 35 लाख रुपये की पारित की गई। योजना आयोग द्वारा, राज्य के संसाधनों के मद्देनजर, वार्षिक योजना का आकार 33,500 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया है, जो अब तक स्वीकृत वार्षिक योजनाओं में सर्वाधिक है।'' इसके आगे आप ही लिख रहे हो, इन्हीं के भाषण में लिख रहे हो ''इसके मुकाबले दिसम्बर, 2012 तक 17,379 करोड़ रुपये खर्च हुआ है'', जो इस योजना का मात्र 50 प्रतिशत है। नौ महीने में जो एफिशिएंट सरकार, जिसका प्रशासनिक तंत्र योजना का केवल 50 प्रतिशत खर्च कर सके और वह बचे हुए तीन महीनों में 50 प्रतिशत को धुआं लगा दे, यह बेइमानी का रास्ता इसमें से निकलता है, यह पैसे की लूट इसमें से निकलती है। बार-बार डिपार्टमेंट्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन्स जारी होते हैं कि आपको समयबद्ध, चरणबद्ध, अपनी सारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

योजनाओं की प्लानिंग करके इस पैसे को खर्च करना है। अब यह केवल पैसा बुकिंग ही होगा, इधर से उधर होगा, इधर से उधर खाते में जायेगा और लास्ट में जाकर बता देंगे। यह आपका ही भाषण है ना इसमें? यह आपकी सफलता का रहस्य है?

मतलब यह आपकी इतनी बड़ी प्लानिंग है, जिसके कारण से आपने कहा कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। अब इसमें से भी आप देखिये, मतलब यह है कि आप योजना कितनी ही अच्छी बनाओ, जब तक क्रियान्विति पर कोई ध्यान नहीं देगा, मानिटरिंग पर कोई ध्यान नहीं देगा, केवल अपने मन को खुश करोगे। सच में आपने जो कुछ भी किया, वह धरती पर उतर नहीं रहा है, उस गली और किसान तक पहुंच नहीं रहा है, उस व्यक्ति को, जिसके लिए आपने योजना बनाई, उसका लाभ उसको नहीं मिल रहा है। इस सच्चाई से अगर आप आंख मूंदोगे तो स्वयं का तो नुकसान होगा जो होगा पर इस प्रदेश का बहुत बड़ा अहित होगा। इसको गहराई से सोचने की जरूरत है।

यह एक नजर में दिसम्बर तक का खर्चा है, वानिकी में आपने 320 करोड़ रुपया रखा, खर्च हुआ मात्र 20 करोड़ रुपया, यानी छह प्रतिशत; ग्रामीण विकास पर आपने 1,098 करोड़ रुपया रखा, खर्च हुआ 582 करोड़ रुपये, यानी 55 प्रतिशत; सिंचाई पर आपने रखा 490 करोड़ रुपया, 161 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी 32 प्रतिशत; परिवहन पर आपने रखा 2,287 करोड़ रुपया, 688 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी 30 प्रतिशत; सड़क पर आपने रखा है 1,690 करोड़ रुपया, खर्च हुआ 418 करोड़, यानी 24 प्रतिशत। चिकित्सा पर आपने खर्च किया, 205 करोड़ रुपये के अगेंस्ट, जिसके लिए आप कह रहे हो कि जननी सुरक्षा, वह सुरक्षा, वह सुरक्षा, वह सुरक्षा; डाक्टर्स लगा दिये, ये लगा दिये तो फिर यह पैसा यहां बचा कैसे? आखिर यह खर्च क्यों नहीं हुआ? आपने खर्च किया केवल 76 करोड़ रुपये, यानी 37 प्रतिशत। जलापूर्ति, जो आप आवश्यक समझते हो, गांव का हर आदमी जिसके कारण से परेशान है, दु:खी है, उसमें 1,395 करोड़ रुपये के अगेंस्ट आपने 324 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह दिसम्बर तक के मैं आंकड़े दे रहा हूं। सामाजिक न्याय, 815 करोड़ रुपया आपके पास था, मात्र 72 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी 08 प्रतिशत। आप क्या करना चाहते हो? यानी कोई मानिटरिंग करता है? कोई विभाग इस बात को देखता है कि जो हमको बजट मिला है, उसका खर्चा हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किस तरह से कर रहे हैं और हमारे बजट का उपयोग हो नहीं रहा है? केवल घोषणा ही घोषणा से पेट नहीं भरेगा। आप इस बात पर अपने आपको केन्द्रित करिये कि जो योजनाएं हमने बनाईं, जिनको हमने जनता के लिए दिया, उनकी आपका अधिकारी या आपका मंत्री ठीक प्रकार से मानिटरिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें सफलता मिल रही है कि नहीं।

अब राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। विकासशील राज्यों में 10 में से हमारा स्थान था और आज की तारीख में 10 'बीमारू' राज्यों में राजस्थान आ गया है। यह आपकी तरक्की है ना? इस तरक्की के कारण से आप अपने आपको कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, जब हम आंख बंद कर लेते हैं ना तो हमें ठीक प्रकार से विषय के बारे में नहीं दिखता है। आप आलोचनाएं भी करिये। अच्छे काम हैं, उनको हमने अच्छा कहा है। जो योजना अच्छी है, जो जनता के लिए उपयोगी योजना है, जिसके लिए जनता वास्तव में महसूस करती है लेकिन क्रियान्विति ऐसी है। आपने चार साल में, पहले साल में 18,000 करोड़, फिर 24,000 करोड़, फिर 27,000 करोड़, फिर 33,000 करोड़; कुल 93,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद राजस्थान जो 10 विकसित राज्यों में से था हिन्दुस्तान में, आज 'बीमारू' 10 राज्यों में क्यों आया? इस सवाल का जवाब कौन देगा?

औसत वार्षिक विकास दर हमारी 6.5 प्रतिशत थी, आज की तारीख में वह 4.5 प्रतिशत है। ये आंकड़े क्या गलत हैं? क्या यह मापदण्ड गलत है? यह हो क्या रहा है? यानी हम ऊपर ही ऊपर से, हवाई-हवाई में, यह जो अच्छे -अच्छे शब्द लिख देते हैं, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, वे सब बढ़िया बातें हैं, ऐसे शब्द इस डाक्यूमेंट में हैं; ये जितने भी भाषण आपके हुए हैं ना, कृपा करके, सदन के नेता, मेरी प्रार्थना है, ये जो भाषण होते हैं, एक किसी अधिकारी को इस बात के लिए जिम्मेदार लगाओ, इसकी प्रत्येक लाइन को महीने में एक बार पढ़कर देखे कि इसमें से कौनसी तो क्रियान्वित हुई और कौनसी नहीं हुई। अगर मान लो, नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, अगले अभिभाषण में, अगली बार जब आते हैं तो कम से कम उसका व्याख्यान तो करो, उसको लिखो तो सही कि ये-ये घोषणाएं हमने पिछली बार राज्यपाल महोदय से कराई थीं लेकिन हम इन-इन कारणों से इनकी क्रियान्विति नहीं कर सके। कम से कम मन को यह तो संतोष रहेगा कि हमने हकीकत को पहचानने की कोशिश की।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में राज्य सातवें स्थान से गिरकर 11वें स्थान पर चला गया; यह इन्वेस्टमेंट में, फिर एक नकारात्मक कीर्तिमान, जहां राजस्थान का दर्जा छठे से गिरकर 15वें स्थान पर चला गया। यह क्या है? ये इंडिकेशन क्या दिखाते हैं? कोई देखता है? किसी अधिकारी को इस बात का अहसास होता है कि आखिर इन सब पर इतना कर रहे हैं, इतना पैसा देने के बाद भी हम इन मापदण्डों में खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? इसके बारे में भी तो किसी को विचार करना चाहिए।

आपने कहा, एकल खिड़की; इस एकल खिड़की में राजस्थान का भला हो जायेगा? इस एकल खिड़की का परिणाम देखा, इस एकल खिड़की के करने के बाद क्या हुआ? आपने 07 जनवरी से 09 जनवरी तक आयोजित भारतीय प्रवासी सम्मेलन में दो हजार प्रवासियों को बुलाया, मुझे बता देना जवाब में, इन दो हजार प्रवासियों को बुलाकर यहां करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट के नाम से कितना पैसा आया? और किसने क्या काम किया? तो समझ में आयेगा कि आपने प्रयत्न जो किया है उस प्रयत्न का कोई लाभ बैठता है।

अब उद्योगों में रोजगार में पीछे; पूरे देश की कुल फैक्टरियों में प्रदेश के पास जहां वर्ष 09-10 में 4.2 प्रतिशत उद्योग थे, जब आल इण्डिया के फिगर्स के आधार पर लेते हैं तो हमारी स्थिति 09-10 में 4.2 उद्योग की दृष्टि से थी और अब 10-11 में 3 प्रतिशत उद्योग राजस्थान में रह गये। हम केवल अपने-अपने हिसाब से नहीं, वास्तव में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, फैक्टरियों की संख्या में प्रदेश का हमारा स्थान आठवां पहुंच गया है हिन्दुस्तान में और हम अपने-अपने ही केवल खुश होने की बात कर रहे हैं।

यह विशेष राज्य का दर्जा, आप कितने साल से हैं; दिल्ली आपकी, यहां आपका और सब कुछ आपका होते हुए भी आप अपना जो पैकेज लेने गये, चार साल मिला? यानी बिहार को मिल सकता है, उत्तर प्रदेश को 45 हजार करोड़ रुपया मिल सकता है; हम अपनी पानी की समस्या को लेकर पैकेज के लिए गये, उन्होंने हमको एक फूटी कौड़ी नहीं दी? तो हमारा क्या प्रभाव है वहां? क्या हमारा दबाव है? और क्या हमारे छह-छह मंत्री वहां बैठने के बाद भी, इतना बड़ा हिस्सा हमारा राज में होने के बाद भी अगर हमारी समस्या के लिए एक जो पैकेज हमने पानी का मांगा, वह पैकेज भी हमारा पूरा नहीं हो सकता है? हम क्या, किस बात पर खुश होते जा रहे हैं?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो आपने चुनाव में और घोषणा पत्रों में जो कहा है न, उसमें से देखो, हम चार वर्ष में एक भी नया जिला बना सके? आपने इन्हीं भाषणों में कहलाया, अपने घोषणा पत्र में, चार जिले में नहीं! आप कब करोगे? जब वोट नजदीक आयेगा? मतलब हम विकास नहीं चाहते हैं, हम तो अपना उल्लू कैसे सीधा हो, जनता कैसे ढोल बजावे, इन दिनों में उसका लाभ लेने के लिए, उस समस्या का।

ग्रामीण क्षेत्र में हर वर्ष एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, दे दिया न? दे दिया न रोजगार? इसी तरह से, पेट्रोल-डीजल के दाम बाकी सब राज्यों के समान लायेंगे, हो गया न समान? यानी हमारा वैट परसेंटेज क्या है, दूसरे राज्यों का क्या है; हमारे यहां पैट्रोल किस भाव से मिलता है, वहां पैट्रोल किस भाव है और इसके कारण से पड़ोसी राज्य के और हमारे बीच में यह जो पेट्रोल और डीजल की चोरी होती है, उधर से इधर आता है, टैक्स भी मारा जाता है, कोई अर्थ भी नहीं निकलता, लेकिन हम नहीं कर सकते।

अपने तो छह-छह मंत्री हैं न, क्या हुआ रिफाइनरी का? हमारे लिए तो, सम्भव था कि ऊपर की सरकार शायद हमारी नहीं सुनती, आपके तो सब सुनने वाले लोग बैठे हैं न वहां पर, और उसे सुनने वाले के बाद भी, आज चार साल निकल जाने के बाद भी रिफाइनरी नहीं हुई। अब अंतिम टाइम में अगर कुछ होगी तो केवल घोषणाएं होंगी, जमीन पर आयेगी तब तक क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि इसका क्या होगा।

अभी आपने घोषणा की थी, झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, हो गई न स्थापना? आप इन भाषणों में कहलाते हो पर इसकी कोई प्रोपर मानिटरिंग नहीं करता है। आखिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि हमने जो घोषणा की है, इसका क्या हुआ।

इसी तरह से आपने कहा कि हम हर उपखण्ड स्तर पर स्पेशलिस्ट डाक्टर की नियुक्ति करेंगे; स्पेशलिस्ट तो छोड़ो, डाक्टर लगाने में हम पूर्णत: असफल। उसका कारण यह है, हमारी नीति पर विचार करना पड़ेगा हमको। यह जो आप सोलह हजार में डाक्टर लाना चाहते हो न, यह न आज आयेगा, न कल आयेगा। आपको अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा, यदि वास्तव में अपने हास्पिटल में...। अब आपकी, बहुत अच्छा है, मुफ्त दवाई मिलती है, गरीब आदमी को बहुत बड़ी मदद होती है। मैंने यह हाउस में भी कहा था, और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने पहले भी यह कहा था कि जितने भी, बी पी एल को जितना पैसा आप खर्च करते हो, जितना पेंशनर का खर्च करते हो, इस पैसे को ही क्लब कर दो तो आपकी इतनी सस्ती दवाई मिल जायेगी कि आपका काम निकल जायेगा। आपने वह प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है लेकिन डाक्टर पर्ची लिखेगा तो दवाई मिलेगी। मिलेगी किसको? गांव में डाक्टर के दर्शन नहीं होते हैं और गांव का आदमी दवाई लेने के लिए अगर झाड़ोल हैडक्वार्टर पर पहुंचे तो दिन भर बापड़े का बरबाद होता है, दो सौ रुपये उसकी मजदूरी जाती है और उसके बाद भी तीन दिन की दवाई लेकर जाता है, आने-जाने का किराया यानी क्या भाव पड़ती है? यानी हम कम से कम इन समस्याओं को जब तक ईमानदारी से नहीं समझेंगे और उनको हल करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, देखने में अच्छा लगता होगा लेकिन वह नहीं लगेगा।

सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिला मुख्यालयों पर ट्रोमा केन्द्र की स्थापना हो जायेगी, हो गई न? लग गया न? स्टाफ लग गया? काम हो रहा है? कौन-कौन से हो गया, उसके नाम गिना देना कि कौन-कौन से पर हो रहा है?

महिलाओं को रोडवेज की बसों में किराये में तीस प्रतिशत की छूट के आदेश, अभी तक जारी नहीं हुए हैं। यानी कोई देखता नहीं है। हम इतने बड़े डाक्यूमेंट में महामहिम से बात कहला देते हैं और उसके बाद उसकी पालना नहीं होती है, जो केवल आर्डर से हो सकती है। लेकिन कोई चिंता नहीं करता है कि उसके आर्डर कब निकलें।

जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनेंगे, कहां-कहां बन गये, बता देना। जयपुर में इंटरनेशनल म्युजियम की स्थापना की जायेगी, हो गई न? प्रत्येक पंचायत समिति पर आई टी आई संस्थान बनेंगी, बन गईं न? मतलब क्या?

''विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति अभी तक खराब होती जा रही है इस दिशा में...'' लगता यह है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को बरबाद करने पर लगे हुए हैं, और निजी विश्वविद्यालय, केवल एक परिवार की बपौती बन गये हैं। मैं हमेशा हाउस में यह कह रहा हूं, कम से कम एक प्राइमरी और एक मिडल स्कूल भी सरकारी मान्यता का जब खुलता है न, तो साल में एकाध बार कोई न कोई अधिकारी जाकर उसके कागज-पानड़े चेक करता है कि क्या वह ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मापदण्डों के आधार पर चलता है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं। हमने इन दुकानों को सर्व अधिकार दे दिया। ये लूट रहे हैं बच्चों को बेरहमी से और उसके बाद भी, उसके बाद भी उसके अन्दर जो स्टाफ काम करता है उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? वह आठ हजार और बारह हजार में वहां लेक्चररशिप कर रहा है। आपके यहां चपरासी को पन्द्रह हजार तनख्वाह मिलती है और इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाने वाले बच्चे को आठ हजार और दस हजार मिल रही है। क्या यह सरकार को दिखाई नहीं देता है? किसी की आंख के सामने नहीं आता है कि आखिर यह क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? यानी इतना यहां सब कुछ करने के बाद भी स्थिति हमारी कितनी भयानक है।

उपखण्ड स्तर पर सभी कालेजों में वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोले जायेंगे, अगर नहीं हो सकती तो कोई जरूरी नहीं है, हम इस साल नहीं खोलेंगे तो दो साल बाद खोलेंगे, लेकिन कम से कम जब हम घोषणा करते हैं तो उस जनता को क्यों गुमराह करते हैं?

छठा वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग, यह छठा वेतन आयोग कब मिलेगा? यानी हम अपने घोषणा पत्र में लिख देते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं, छठा वेतन आयोग देंगे लेकिन चार वर्ष निकल जाते हैं तब तक छठा वेतन आयोग याद नहीं आता है; पांचवें वर्ष में जब जिंदगी का अंतिम समय आ जायेगा तब एकदम याद आयेगा राजनेताओं को; क्योंकि अपने आप को बचाना कैसे चाहिए, इसलिए कुछ भी कह करके अपना काम बनना चाहिए, देश जाये भाड़ में। बातें कहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है अपने।

महंगाई ने जिस तरह से कमर तोड़ी है न, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं, सदन के नेता महोदय, किसी आदमी की घर की आमदनी, पांच हजार रुपया देकर के फिर उसके पांच बच्चों को रोटी खिलाने के लिए उसको छोड़ दो तो पता लगेगा कि वह रोटी खा सकता है क्या इस महंगाई के जमाने में। इतनी दर्दनाक स्थिति है। उसमें भी मैं बाकी और किसी के बारे में नहीं, उसका कारण यह है कि हमारा वैट इतना अधिक है, और जब पैट्रोल-डीजल महंगा होगा तो बाकी चीजें तो अपने आप महंगी हो जायेंगी। अगर हमको लगता है कि काबू से बाहर जा रही है महंगाई, तो कम से कम हम वैट दो परसेंट छोड़ देंगे तो भी जब हमने बजट बनाया था, उस समय की रेट के आधार पर जो राजस्थान को आय हो रही थी, कम से कम +++ आय पर तो स्टैण्ड कर लो जिसके कैलकुलेशन के आधार पर आपने बजट बनाया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके बाद जो बढ़ता है, उसमें तो छूट देकर कम से कम उसे किसी तरह से बचाने की कोशिश करो, लेकिन उसके बारे में नहीं।

आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा फर्क है, आज की तारीख में इस महंगाई के जमाने में कैसे आदमी जीता है और कैसे रहता है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से काम करने वाला जब स्कूटर चलाता है न और शाम को जब घर आता है न, तो उसकी खोपड़ी घूम जाती है क्योंकि सत्तर रुपये का पैट्रोल उसके स्वयं के स्कूटर में खतम हो गया। यहां तक आ गये आप। परिवार कैसे चलेगा? और जब आपका बिजली का बिल आता है न, दो हजार का, वह पकड़ता है तो पहले रीडिंग नीचे की पढ़ता है, ऊपर नाम तो बाद में पढ़ता है। यह अच्छे-अच्छे की स्थिति है। अगर पड़ोसी का भी बिल डाल गया न, तो वह यह नहीं देखेगा कि यह पड़ोसी का बिल है, वह नीचे का आंकड़ा सबसे पहले, आते ही हाथ में आंकड़ा देखता है। आप देओ, खूब बिल देओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आमदनी बढ़ाने के बारे में भी तो सोचो। मेरी कैपेसिटी बने और फिर मुझसे लेओ, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है, मजबूरन मुझे जीना है, किसी न किसी रास्ते से।

इसके कारण से आपने देखा होगा, चालीस रुपये का पैट्रोल बहत्तर रुपये में; चौबीस रुपये का डीजल उस समय था, आज बावन रुपये में; सीमेंट का कट्टा एक सौ पच्चीस, आज की तारीख में तीन सौ पच्चीस; स्टील तेइस हजार, आज पचास हजार; दालें चौबीस और पच्चीस रुपये किलो, आज साठ और सत्तर रुपये; चीनी बारह रुपये किलो, आज चालीस रुपये किलो; घी सौ रुपया, आज तीन सौ रुपया। इस महंगाई के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण होगा? अगर नियंत्रण नहीं हो, कोई चिंता नहीं, अगर इसका पैसा भी किसान को मिल जाय और वह साठ परसेंट जो खून-पसीना बहा रहा है न, उसके बच्चे को भी अच्छे कपड़े मिल जाएं तो भी यह जहर पीने को भी तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह जब लहसुन पैदा करता है तो तीन रुपये किलो में बिक जाती है, वह जब प्याज पैदा करता है तो चार रुपये किलो में बिक जाता है। उसका सामान कौड़ियों में जाता है और फिर ये धन्ना सेठ उन गोदामों में पैक करने के बाद सारा मुनाफा कमाते हैं। हम राज चला रहे हैं, हम लोकतंत्र के हैं, हमारे हाथ से कानून नहीं बन सकते? इसमें रोक-टोक नहीं हो सकती? इसका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई तरीका नहीं निकल सकता? इन मुनाफ़ाख़ोरों को हम कैसे रोकें और वास्तव में जो मेहनत करता है ना, उसको कैसे पैसा मिले?

अब आपने एक और कहा कि पंचायती राज सशक्तिकरण, आपका सम्मान मिल गया; क्या नया कर लिया आपने? पिछली बार भी आपने 29 डिपार्टमेंट लास्ट में, जाते-जाते, जब अंतिम दिन आ रहे थे, 29 डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए थे। फिर वापस हम आये, तब लौट करके आ गए। अभी आपने पांच डिपार्टमेंट वापस दे दिए हैं। हुआ क्या? फण्ड्स, फंक्शंस एण्ड फंक्शनरी दीं क्या? शिक्षा विभाग की तनख्वाह कौन देता है? मास्टर कौन रखता है? चिकित्सा व्यवस्था की क्या है, महिला बाल विकास की क्या है? कोई देखने वाला नहीं है और हम यह कहते हैं कि पहले हमने दे दिये पांच डिपार्टमेंट, छह डिपार्टमेंट, बस इसीलिए उनके गुण गाओ। अरे हुआ क्या? किया क्या इस डिपार्टमेंट ने? यह कर क्या सकता है? इसके हाथ में ताकत क्या दी आपने? कोई ताकत नहीं दी है, बस पंचायती राज सशक्तिकरण, पंचायती राज सशक्तिकरण। अब इसके बोलने मात्र से तो पंचायती राज का सशक्तिकरण नहीं होता है।

नरेगा की जो दुर्गति आपने की है, आप सब लोग आये हुए होंगे, चुनाव के दिनों में भाषण दिए हुए होंगे सब जगह, हमारे टाइम पर 100 दिन का नरेगा का काम मिलता था; आप सबने कहा, हमारा राज बनेगा, हम 200 दिन नरेगा के लिए आपको देंगे। 200 दिन नरेगा। अरे, 200 दिन तो छोड़ो, जो था, वह भी नहीं है। इन आंकड़ों को कोई देखता है कभी? इस नरेगा की क्या 'मरेगा' जैसी स्थिति लाकर के खड़ी कर दी। मजदूरी के पेटे में हमने 2008-09 में 4,271 करोड़ रुपया खर्च किया है और अभी आपका 2011-12 में और 2012-13 में 1,505 करोड़ रुपया हुआ। 4,200 की जगह 1,500 ! और उसके बाद में, जो आपका मजदूरी के अलावा दूसरा जो मैटेरियल भी था, इन सबका मिलाकर 6,175 करोड़ रुपया हमारे टाइम पर हमने खर्च किया ताकि कम से कम विकास का काम हो। आपने कितना किया है? आपने किया है, 1,998, मतलब 2 हजार करोड़। 6 हजार के अगेंस्ट में 2 हजार करोड़! परिवारों को कार्य कितना मिला था हमारे टाइम में, 67 लाख 69 हजार 565 दिन और आपका अभी कितना मिला है, 39 लाख। औसत कार्य दिवस क्या आ रहे हैं आज? कोई देखता ही नहीं है। ईमानदारी से इन अधिकारियों को कंखेलने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जरूरत है। इन पर मेहरबानी होने का जो तरीका आ गया ना, लोकतंत्र का भट्ठा बैठा दिया है। जिसकी तनख्वाह पर आप और मैं अपने बच्चे पाल रहा हूं, पहली तारीख को, आपके मुल्क का मालिक आपको और मुझे तनख्वाह देता है। लेकिन कोई इसके बारे में चिंता नहीं करता है कि वास्तव में यह काम भी करते हैं कि नहीं। एक-एक लाख रुपए की तनख्वाह लेकर के घर जाते हैं और एक-एक लाख की तनख्वाह के बाद यह दो घंटे नहीं बैठते हैं। कोई स्कूल जा नहीं रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहा है, जिसकी बस नौकरी लग गयी कटिंग करने का एक पाचना और दे दिया, ताकि और जेब काटता रहे जनता की। जो जनता उसको पालती है, वह जनता आज बेसहारा होकर पड़ी है और इसका किसी को दर्द नहीं होता है। इतनी बड़ी तनख्वाह है ना, औसत कार्य दिवस 76 से आज की तारीख में 37 आ गये हैं। 100 कार्य दिवस का 2008-09 में कितने लोगों ने काम किया, 25 लाख 94 हजार ने और आज कितना किया, 1 लाख 3 हजार। 1 लाख 3 हजार केवल मजदूरों ने 100 दिन की मजदूरी राजस्थान में की। क्या बात कर रहे हो +++?

अभी आपने बनाया हाउसिंग स्कीम, ये पांच लाख बनेंगे। मुझे आप एक बता देना कि उदयपुर में यह एक मकान बना और इस आदमी को दिया यहां यह बता देना, तो मेरे को संतोष यह हो जाएगा कि आप पांच लाख मकान जो शहरों में बना रहे हो, वह मकान वास्तव में किसी को मिला है कि नहीं मिला है। कहीं भी, कुछ भी परिणाम जो है ना, वह नहीं दिखाई देता है। हमें लगता बहुत अच्छा है, इतने 3,400 करोड़ रुपये हम ले रहे हैं; किसके खाते में ले रहे हो, जिला परिषद के खाते में। जिला परिषद काम करा सकेगी उसका? दस साल तक जिला परिषद रोएगी, विकास के लिए एक कौड़ी खर्च नहीं करेगी। सारी की सारी पंचायतों को मार के खतम कर दिया। आपने टेण्डर-फेण्डर, पता नहीं, क्या-क्या व्यवस्था लगाई है कि वह सरपंच एक कौड़ी का काम अपनी पंचायत में नहीं करा सकता है। पिछले डेढ़ साल से, पूछना, कितने तो आपने टेण्डर दिए और कितने टेण्डर हुए और कितना विकास का काम हुआ?

मेरी विनम्र प्रार्थना है, सदन के नेता महोदय, मैं एक शिक्षक रहा हूं और इसमें मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूं, भगवान के लिए +++ इस गरीब की जिंदगी कहीं सुधरेगी ना तो यह शिक्षा से सुधरेगी लेकिन हमने सरकारी विद्यालयों को बूचड़खाना बना दिया। शब्द बहुत हल्का प्रयोग कर लिया, माफी चाहता हूं। आज जितने भी शहर के अन्दर स्कूल हैं ना, आप और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम कभी एक टीम बनाकर के भेजें, ये जो सरकारी विद्यालय जितने हैं कभी वहां 2 हजार की स्ट्रेंथ थी, आज की तारीख में वहां 400 बच्चे नहीं हैं। 15-15 बच्चों से स्कूल चल रहा है क्योंकि मास्टर साहब वहीं रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ गांव का बच्चा रो रहा है कि मास्टर नहीं है। यहां ओवर-स्टाफ है, एक-एक स्कूल में 17-17 चपरासी बैठे हैं। कोई भी तो देखने वाला नहीं है। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति हमने बनाई है और गुणवत्ता की दृष्टि से जो हमारी स्थिति है और अब तो बचा-खुचा और भी आपने कहा कि 8वीं तक अब पास होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, इस सरकारी बूचड़खाने में गरीब का बच्चा जाता है जिसके बाप के पास दो पैसे नहीं हैं, यहां हम जितने बैठे हैं ना, हमारे सबके बच्चे कहीं-न-कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां तो कोई ठेले वाला और कोई खोमचे वाले का बच्चा है, वह पढ़े या नहीं पढ़े, अपने को क्या लेना-देना? उसको तो जिंदगी-भर तक आपका ठेला ही ठेलना है, यह उसके भाग्य में लिखा है। इसके कारण उन सरकारी स्कूल में कोई देखता नहीं कि यहां कुछ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है।

आपके कपिल सिब्बल ने एक किताब का विमोचन किया, उसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें उसने बताया कि हमारे यहां का पांचवीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता है, हमारे यहां का छठी और सातवीं का बच्चा भाग नहीं कर सकता। यह स्थिति है। और अभी तो आपने सारे अधिकारियों को भेजा था ना, आपके अधिकारियों की रिपोर्ट को एक बार क्लब कर दो और क्लब करके एक बार उसको पब्लिश कर दो। आपके अधिकारियों की क्या रिपोर्ट है आपके स्कूलों की? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं! पचास-पचास हजार तनख्वाह दे रहे हैं, मास्टर को चालीस हजार की तनख्वाह दे रहे हैं और उसके बाद परिणाम क्या है, कोई देखने वाला भी नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय सदन के नेता के बोलने और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता के बोलने और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की इजाजत से समय बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, महामहिम राज्यपाल के पैरा संख्या-80 में आपने यह लिखा है और इसमें आपने लिखा है कि कक्षा एक से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा एक अथवा प्री-प्राइमरी स्कूल में कुल प्रविष्ट बालकों में 25 प्रतिशत दुर्बल एस सी/एस टी के बालकों का एडमिशन होगा। मुझे आप बता देना, राजस्थान में कौनसा ऐसा स्कूल है जो इसकी पालना कर रहा है? हम लोगों ने कौड़ियों में इनको जमीनें दी हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं हमने कौड़ियों में और यह इनके पीढ़ी दर पीढ़ी खाने का साधन दे दिया है, इतनी महंगी जमीन जिसको पचास करोड़ में वह नहीं खरीद सकता, उसको हमने कौड़ी में जमीन इसलिए दी कि हमारा गरीब का बच्चा भी वहां जाकर के पढ़ेगा। लेकिन एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो गरीब के बच्चे को वहां एडमिशन देता है और गरीब का बच्चा वहां पढ़ता है। नियम भले ही आपने बना दिया लेकिन नियम की पालना के लिए न तो आपके पास स्टाफ है, न आपके जो डी.ई.ओ. और डिप्टी डायरेक्टर हैं, न इसकी मानिटरिंग करने वाला है।

यह सारे प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से चल रहा है, आपको मैं आज एक बहुत कटु सत्य, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूं और मैंने नौकरी भी की है इसलिए मैं बता रहा हूं यह शिक्षा के क्षेत्र में आज जो हजारों प्राइवेट स्कूल हैं, हर गांव में चार-चार, पांच-पांच स्कूल होंगे, हर मोहल्ले में होंगे, उस मोहल्ले में चलने वाले स्कूल के अध्यापक की तनख्वाह निकाल कर के लाओ आप। मेरी गारंटी है, वहां वह एम.ए. पढ़ी हुई बच्ची, गांव में शादी करा दी और उसने अपनी गरीबी के कारण से वहां 1,500 रुपए, 1,800 रुपए में अध्यापक बनकर के रोज जाती है कपड़े पहन करके, 2,200 रुपए में, 2,000 रुपए में, 2,500 रुपए में। कम से कम +++ एक मजदूर का आपने मिनिमम वेज बढ़ा दिया है, कम से कम +++ मेरे इस शिक्षक को जो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपनी मजबूरी में, क्योंकि आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे, भर्ती हो नहीं रही, उस बच्चे को पेट तो आखिर कहीं-न-कहीं भरना है। यह जो आपका अकुशल कारीगर का 166 रुपया है, कम से कम +++ 166 रुपया तो मेरे उस प्राइमरी स्कूल में जो गांव में पढ़ा रहा है...

श्री अध्यक्ष: बार-बार जो .... आ रहा है उसको एक्सपंज कर दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कम से कम उस बालक को चार हजार की तनख्वाह तो दे दो और मिडल में जो बच्चा पढ़ा रहा है, उसको छह हजार की तनख्वाह तो दे दो। इंजीनियरिंग में जो पढ़ा रहा है, उसकी कुछ तनख्वाह तो तय करो कि आखिर इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाला बालक क्या तनख्वाह लेगा। बी.एड. में पढ़ाने वाला बालक क्या तनख्वाह ले रहा है? एक तरह से ऐसा लगता है कि जितने प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं ना, ईमानदारी से कोई छापा मारो इनके ऊपर, उनको लगेगा कि बारह हजार में टीचर काम कर रहा है, यह चौदह हजार में टीचर काम कर रहा है और हमारे यहां एक लाख में रीडर और प्रोफेसर हैं। क्या हम कानून बनाकर के, दस दुकानें बंद हो जाएंगी, पचास परसेंट बंद हो जाएंगी; हो जाने दो, कोई बात नहीं लेकिन उस बच्चे का भविष्य तो नहीं बिगाड़ेंगे। क्या हम उसके लिए, जब मिनिमम वेजेज तय कर सकते हैं कानून के द्वारा तो कम से कम इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले उस बच्चे को जिसको अपनी मजबूरी के कारण से वहां उसको पढ़ाना पढ़ रहा है, क्योंकि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक भूखे मरने से तो अच्छा है कि दो दाने उसको खाने को मिलेंगे, इसलिए वह वहां जाकर नौकरी करता है। लेकिन उसकी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है।

आज आपने जितने विश्वविद्यालय खोले हैं, आप हर बार यहां तर्क करते हैं कि ये तो आपने शुरुआत की; हां, निजी विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए, निजी क्षेत्रों में कई संस्थाएं आनी चाहिए, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती पर उनकी मानिटरिंग का कोई सिस्टम तो हो, वे क्या कर रहे हैं इसका अता-पता तो हो। मतलब, चाचा, बाबा, नाना-नानी और बच्चे-बच्ची, ये ही तो पूरी की पूरी उनकी कमेटी है। मैनेजिंग बोर्ड और क्या है? आजकल तो सब बड़े-बड़े जितने पूंजीपति थे न, उन सबने फैक्टरियां बद कर दी क्योंकि ये नयी फैक्टरियां इतनी बढ़िया हैं कि 15-20 करोड़ रुपये खर्च करो और आराम से डिग्रियां यां बांटने का धंधा करो। 35-35 लाख, 40-40 लाख रुपये लेकर के मेडिकल कालेज में बच्चा एडमिशन ले रहा है। जब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके पड़ोसी के बच्चे का एडमिशन हो जाता है, आकर के रोता है और उसका बाप अपने खेत, वगैरह सब गिरवी रखकर के उस बच्चे को वहां पढ़ाने भेजता है। क्या यह सरकार का काम नहीं है? इस तरह से खुली छूट दे दें इन सब विश्वविद्यालयों को कि ये इस तरह से लूटें और हम सब बैठे-बैठे तमाशबीनों की तरह से केवल देखते रहें? आखिर हम कहां तक कंट्रोल करेंगे?

जिस विद्युत को लेकर आपने बहुत बातें कीं, चार बजटों में हमेशा हमने सुना कि 50%, 48%, 45% किस पर खर्चा होगा, विद्युत पर खर्चा होगा। विद्युत पैदा हुई, तो गई कहां? यह तो बताओ। हम तो गांव के आदमी हैं और गांव के आदमी को, हमको, यह लगता है, हमारा किसान कहता है कि मुझे बिजली मिलती नहीं है, गांव का आदमी कहता है कि मेरे घर में बिजली आती नहीं है; यानी 4 घंटे आती है, 6 घंटे आती है, 5 घंटे आती है; आखिर बिजली गई कहां? और अगर मान लो आपने, मुझे आप जब जवाब दें तो बता देना, जिस बिजली की आपने आधारशिला रखी हो और उसमें उत्पादन करके आपने बिजली पैदा कर दी हो, उस जगह का आप नाम बता देना तो मन को संतोष होगा कि वास्तव में आपने कुछ न कुछ तो किया है। मेरी जानकारी के हिसाब से] जिसका भूमि पूजन आपने इस राज में आने के बाद 2009 से किया हो और अभी उसमें से बिजली पैदा होकर निकली हो तो मैं सोच सकता हूं। हम लोगों ने सिंगल फेज के 24,000 गांवों को चौबीसों घंटे बिजली दी थी। आज की तारीख में बिजली कहीं दिखाई नहीं देती। आपने फीडर रिनोवेशन का कहा कि हम सुधार कर रहे हैं किसके लिए, छीजत कम करेंगे। छीजत कम हो गई? आप अपने डिपार्टमेंट से पूछना कि जो छीजत हम 26 प्रतिशत पर ले आये थे आज की तारीख में 36 से 38 प्रतिशत पर फिर से छीजत जा रही है। आप चोरी तो रोक नहीं सकते हो और जो पैसा देता है उसकी जेब काटते हो। ये क्या प्रशासन है शासन है? इसके बारे में कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ जीतना है बस। बाकी सब चीजें भाड़ में कोई चिन्ता नहीं है, मैं जीत कर आना चाहिए इसलिए कोई नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रशासन नहीं चलता है प्रशासन डंडे से चलता है। ताकत से चलता है और मन के अन्दर जो पीड़ा है न उस पीड़ा के अनुसार काम करने के आधार पर चलता है। अभी आपने देखा होगा आपके जितनी भी बिजली की कंपनियां हैं ये 48 हजार करोड़ का पिछले साल था और इस बार 60 हजार करोड़ के घाटे में जा रहा है। ये बड़े-बड़े हाथी जो हमने बांधे हैं न, पहले भी बिजली मिलती थी पहले भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

काम होता था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था लेकिन हमने कम्पनियां बनाकर के सोचा था कि शायद इसमें सुधार आएगा; यह सुधार आया कि हमने 48 हजार करोड़ की गारंटी की जगह, इस साल हमको 60 हजार करोड़ की गारंटी देनी पड़ रही है और इसके खर्चे पर और इसकी बाकी चीजों पर कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये जो राज्य में छह विद्युत इकाइयों का कार्य एक वर्ष से आगे बढ़ाने के कारण से 1,860 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो अटका है, क्यों अटका है? इसकी अवधि क्यों बढ़ाई?

सौर ऊर्जा का ढोल पीट रहे हैं, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है कहां? कम से कम बताओ तो सही। सौर ऊर्जा वाले भी अपनी खाना-पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि दस रुपये यूनिट में आप खरीद रहे हो, इसलिए इंजन चला-चला करके सौर ऊर्जा पैदा करके आपको दस रुपये में बेच रहे हैं। ये क्या धंधा निकाला है? यह क्या चीज हो रही है? इतनी जमीन हमने दी, हमने सब प्रकार की सुविधाएं दीं, पानी दिया, उसके बाद भी उसमें से कुछ तो निकले। हम तो चाहते हैं कि आप उसमें उपलब्धि हासिल करें, काम करें, हम तो आपके काम की सराहना करेंगे, हम आपके काम की आलोचना नहीं करेंगे लेकिन आखिर उपलब्धि नहीं आती न तो मन को दुःख होता है।

आपने बार-बार कहा था कि पांच साल तक दाम नहीं बढ़ायेंगे, दाम नहीं बढ़ा? सच तो बोलो। कम से कम किसी किसान का नवम्बर, 2008 का बिल ले लो, जो हमारी सरकार के समय में था और अबकी बार नवम्बर, 2012 का बिल किसान के खेत का ही निकाल करके, दोनों को एक जोड़ में देखो, सामने रख करके; आपको समझ में आ जाएगा कि बिजली का बिल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डाक्टर साहब। केवल जनता को कहो कि हम पांच साल तक बिल नहीं बढ़ायेंगे, आपने .5% तो उप कर लगा दिया रजिस्ट्री का; ये जो अरबन टैक्स का है न, 15 पैसा प्रति यूनिट, उसमें आपने लगा दिया; सफाई के लिए आपने यूजर चार्ज लगा दिया, जो वैट चार प्रतिशत था उसको आपने पांच प्रतिशत कर दिया; जो साढ़े बारह प्रतिशत था उसको आपने चौदह प्रतिशत कर दिया और उसके कारण से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?

स्वास्थ्य सेवा, डाक्टर साहब, कितनी भी मुफ्त दवाई दो, जब तक डाक्टर नहीं होगा न मुफ्त दवाई का कोई अर्थ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब नहीं हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नवाब हैं पर मैं अभी डाक्टर ही कहूंगा क्योंकि हमारे लिए तो ये ही इलाज करेंगे। और क्या?

चाहे आपका मन कितना भी अच्छा हो लेकिन परिणति नहीं है। आपके विभाग में कोई भी आदमी गांव में रहना नहीं चाहता और अगर आपने थोड़ा सा भी कसा तो वह अपना त्याग-पत्र साथ में लाता है और हमारी मजबूरी है कि जो हैं, उनसे काम तो चलाना पड़ेगा। इसलिए आप इनकी उम्र को, जब तक आपके पास डाक्टर उपलब्ध नहीं हों, बढ़ा कर पैंसठ साल करो, कम से कम ये चार-पांच साल की समस्या तो नहीं रहे। आज मेरे यहां उदयपुर जैसे जनरल हास्पिटल में, जो एक हजार बेड से अधिक का है, मात्र दो सर्जन हैं; पूरे के पूरे डिपार्टमेंट खाली। ये जितने भी आपने प्राइवेट मेडिकल कालेज खोले हैं न, अगर हम देते हैं इनको अस्सी हजार, तो वह देता है सवा लाख। सब छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं, यानी हमारे हास्पिटल खाली हो रहे हैं। कोई नौकरी करना नहीं चाहता है। वह कुड़की बांधेगा तो भी आपके सोलह हजार से ज्यादा कमा सकता है। आप उसको सोलह हजार पर दो साल तक रखना चाहते हो, क्या रह सकता है डाक्टर? यह सम्भव नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें संभावना नहीं है, तो सबके लिए एक नियम नहीं बना करके, उसके लिए आपको कोई न कोई नियम आपको बदलना होगा। और यह आपकी दवाई देने की प्रथा है न, इस दवाई देने की प्रथा को भी ठीक करो। इसमें और सुधार की गुंजाइश है। इसमें ठीक करने का प्रयास करो तो इससे लाभ मिलेगा।

भ्रूण हत्या रोज अख़बार में पढ़ते हैं, आपने सब तरह की मानिटरिंग कर ली, एक आदमी को भी सज़ा मिली? एक आदमी के खिलाफ भी मुकदमा बन कर वह जेल गया? यह क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? मतलब इतने केस बनाना, इतनी फौज को दौड़ाना और सब दौड़ाने के बाद भी एक आदमी को हम सज़ा नहीं दिला सकते, एक आदमी का हास्पिटल बंद नहीं कर सकते और उसको जेल में नहीं डाल सकते। कुछ नमूने के लिए भी आपको करना पड़ेगा, पर कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा।

अब यह जननी सुरक्षा योजना के बारे में चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ऐसे कह रहे थे जैसे कोई इन्होंने उतारी होगी इस धरती पर। यह योजना 2005 में ही लागू हो गई थी। अगर नहीं मालूम तो किताब पढ़ लेना। जननी शिशु सुरक्षा, यह आपने बाद में जोड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये जननी शिशु सुरक्षा आपके समय में और एड करके उसको भी कवर करने की कोशिश की, वह अच्छी बात है लेकिन जो उठे, वह ही जननी सुरक्षा; यह जननी सुरक्षा 2005 में ही लागू कर दी थी।

अब पेयजल की दृष्टि से हम आठवें पायदान पर पहुंच गये, 2011-12 में। हमारा देश में पहला स्थान था, अब आठवें स्थान पर हैं। केन्द्र सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही का, 6 अक्टूबर से लेकर 12 दिसम्बर, 12 की रैंकिंग का मैं पढ़ रहा हूं, हम आठवें स्थान पर चले गये। इसके पहले हम इसी साल में इसी पीरियड में नम्बर-1 पर थे।

सिंचाई, आंकड़े देखकर कई बार लगता है कि कहीं मैं गलत हूं, या क्या है? मैं आपको कह रहा हूं कि वर्ष 2007-08 में 64 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी राजस्थान में और आज की तारीख में 58 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है, मतलब 6 लाख हैक्टेयर सिंचाई का एरिया कम पड़ रहा है। हमने सब विकास किया, हमने नई योजनाएं बनाईं तो फिर यह एरिया घटा क्यों?

सड़क की दृष्टि से जो हमारी स्थिति बनी है, मैं आपकी वर्किंग पर संदेह नहीं करता हूं, मैं पूरे मन से आपकी वर्किंग को लाइक करता हूं लेकिन इन आंकड़ों का मैं क्या करूं? इनको देखने के बाद मुझे लगता है कि क्या कारण है, आखिर ये नहीं हो रहा है? भाजपा शासन के जो चार वर्ष थे, उनमें सड़क निर्माण में हमने 24,931 किलोमीटर सड़कें बनाईं और आपके चार वर्ष में 5,885 किलोमीटर, केवल 23 प्रतिशत; जो गांवों को जोड़ा है, उसमें हमने 7,700 गांवों को जोड़ा और आपने 643 गांवों को जोड़ा, 8.6 प्रतिशत; राष्ट्रीय राजमार्ग में हमने 1,264 किलोमीटर सड़कें बनाईं और आपने 776 किलोमीटर बनाईं, 61.39 प्रतिशत।

(17.00 बजे)

सड़क तो छोड़ो, मैं तो जिस-जिस रास्ते से निकलता हूं, वहां खड्डे नहीं निकल पा रहे हैं। लोग जब जाते हैं तब यह कहते हैं कि आखिर यह क्या है? यह तो अटल बिहारी वाजपेयीजी की ग़नीमत है, उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहिये कि उस आदमी ने हिन्दुस्तान को सड़कों से जोड़ दिया। उनकी योजना और उनका पैसा होने के बाद भी हम अपने काम को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। बड़ी भावनापूर्ण आप भाषण दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपके दिल से आवाज निकल रही है क्योंकि आपके दिल में दर्द है गरीबों के प्रति, मैं उसको एप्रिशिएट करता हूं, पर आप कह रहे हो, 6 लाख हैक्टेयर कम हो गया। 6 लाख हैक्टेयर का मतलब आप समझते हैं, क्या होता है 6 लाख हैक्टेयर?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अंतर है, मेरे पास आंकड़े हैं, 6 लाख हैक्टेयर; बोलने में, निश्चित रूप से आपने करेक्ट किया, धन्यवाद।

सड़क की दृष्टि से मैं बता रहा था, केन्द्र सरकार के धन से राज्य में 7,400 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति हुई लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण 13 में से 11 योजनाओं का कार्य अधूरा पड़ा है। चार वर्ष में सरकार केवल दो योजनाओं का कार्य पूर्ण कर सकी।

भ्रष्टाचार के आरोप, हमेशा आपका कोई मेम्बर खड़ा होता है और वसुंधराजी ने यह किया, वसुंधराजी ने वह किया; मैंने पिछली बार भी कहा था, बोलने का अधिकार जनता ने हमको दिया है क्योंकि हम विपक्ष में हैं; आपके पास कलम दी है, जनता ने आपको काम करने का अधिकार दिया है। यह बार-बार बोलकर के, बार-बार बोलकर के आप अपने कौन से मन को संतोष दे रहे हो। जितने तीर आपने चलाये, वे वापस घूमकर आपके तरकश में आ गये। उसके बाद भी बोलना बंद नहीं हो रहा है। आपको ध्यान है ना, आपको अपने 13 मंत्रियों को बदलना पड़ा, वह सब उनके गुणों के कारण बदलना पड़ा, योग्यता के कारण से बदलना पड़ा। 5 मंत्रियों को हटाना पड़ा। क्या विशेष काबिलियत थी, इसलिए हटाया था? आपको जरूरत नहीं थी उनकी?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरी नहीं कि रिशफल कोई हो, वह चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्य में हो; आप अनुभवी नेता हैं, मंत्री रहे हुए हैं, जरूरी नहीं कि रिशफल के वक्त करप्शन के चार्जेज के आधार पर ही हटाये जायें। यह प्रेरोगेटिव होता है चीफ मिनिस्टर का और प्रधान मंत्री का, उसके आधार पर फैसले होते हैं। यह आपकी जानकारी में है। यहां पर ऐसी बातें बोलने का कोई तुक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, टू-द-पाइंट बात करें; जो आपके पास आंकड़े हैं, उनके आधार पर बात करें तो वह बैटर रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने किसी का भी नाम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकर इंगित नहीं किया, मैंने तो आपके सोचने के लिये दिया और इन लोगों को भी कम से कम समझ में आये कि बहुत अधिक काबिलियत थी, इसलिए उनको ड्राप किया, मैंने तो यह कहा था। मैंने यह कहां कहा कि उनमें खराबी थी इसलिए किया? पर कोई न कोई बात तो रही होगी, जनता तो उसको समझ रही होगी।

मैं आज राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कोई तो है जिसने एक एस पी को ट्रैप किया, कम से कम कोई तो माई का लाल है...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...(व्यवधान) इनको क्या श्रेय जाता है? यही तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि राजस्थान वह राज्य है, आप बैठिए, प्लीज, देश में राजस्थान वह राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने कहा, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, उसके अन्तर्गत ही स्पेशल कोर्ट लागू किया गया। राष्ट्रपति महोदय के साइन हो, चुके हैं, नम्बर एक। ए सी बी के जितने छापे राजस्थान में पड़े हैं, चाहे आई पी एस अधिकारी एक हो, चाहे दो हों, अन्य अधिकारी हों, लगातार जो छापे पड़ रहे हैं, वे देश के किसी राज्य में नहीं पड़ रहे हैं। इस बात को आपको एप्रिशिएट करना चाहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो किया है, मेरी बात को आपने सुना नहीं, मैंने आपके ए सी बी के डिपार्टमेंट को और उसके अधिकारियों को धन्यवाद दिया है कि कम से कम कोई तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना मर्द है जो उस एस पी पर हाथ डाले, जो बेइमान है। वसूली करते हुए आपको इतने सालों तक दिखा नहीं। यह भी डिपार्टमेंट के ऊपर एक काला धब्बा नहीं है? क्या यह अचानक प्रकट हुआ था? ऐसे एक नहीं, मैं उस डिपार्टमेंट में रहा हूं, ऐसे कई दागी लोग हैं जिनको सब लोग जानते हैं लेकिन क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी की छत्रछाया में पल जाता है, इसके कारण से यह डिपार्टमेंट नहीं सुधर पाता है। बाकी क्यों नहीं सुधर पायेगा?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पांच साल में कुछ तो पकड़ते आप लोग भी, साहब। पांच साल में आप तो पकड़ते कुछ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं जो कर सकता था और जो मेरे ध्यान में आया, मैंने एक को भी कभी छोड़ा नहीं और कभी बचाने की कोशिश नहीं की ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन में आपने कहा है तो ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में इंटरप्ट नहीं करें। अंकित नहीं होगा। इंटरप्ट नहीं करें बीच में। फिर कल को इधर से बातें आयेंगी, फिर इधर से बातें आयेंगी, तो मतलब नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ला एण्ड आर्डर के बारे में कोई प्रायोरिटी है ही नहीं; राजस्थान की ला एण्ड आर्डर के बारे में कोई प्रायोरिटी है, ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता कि इस सरकार की कोई प्रायोरिटी है। आपने देखा होगा कि हमारे क्राइम का जो आंकड़ा है, क्राइम के आंकड़े के आधार पर किसी राज्य को सफल या असफल, कम से कम मैं नहीं कहता हूं लेकिन फिर भी आपके जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं वर्ष 2009 में सारे के सारे, मैंने केवल हत्या, अपहरण, बलात्कार, तीन केसों को लिया है, 5,784 थे, 2010 में यह 5,977 हुए और 2011 में 6,400 हुए। बढ़े हैं, बढ़ सकते हैं, इसके कारण से मैं यह मानूं कि 50 बढ़ गये या 50 घट गये, इसलिए कानून-व्यवस्था ठीक हो गई या नहीं हो गई, यह नहीं है। चेन स्नैचिंग में हिन्दुस्तान में हमारा जयपुर पहला शहर है और क्राइम की दृष्टि से हिन्दुस्तान के शहरों में हमारे जयपुर का तीसरा स्थान आता है। इस पर भी, हमें विचार करना चाहिये कि क्या कारण है। एक अच्छा कमिश्नर होने के बाद भी या तो उसको जिस तरह की ताकत और स्ट्रेंथ मिलनी चाहिये, वह कहीं न कहीं नहीं मिल पा रही है। मैंने पहले दिन से कहा था कि आपने दोनों कमिश्नर अच्छे चुनकर लगाये हैं लेकिन उनको कुछ स्वतंत्रता दो, काम करने के लिये अच्छा स्टाफ दो। वह जब यह अख़बार में कहे कि 12 सी आई मेरे पास ऐसे हैं जो एक दिन भी थाने में रहने लायक नहीं है; सदन के नेता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, शहर में आपके जितने भी सी आई लगे हैं ना, ये सब भू-माफियाओं के साथ मिले हुए लोग हैं और सबसे ज्यादा भू माफिया इस कारण से पनप रहा है कि यह पुलिस की छत्रछाया में चल रहा है। कृपा करके इनको रोटेट करो और इनको बदलकर देखो कि क्या परिणाम आता है। आपको लगेगा, वास्तव में कोई न कोई परिणाम आयेगा।

मेरे एक क्वेश्चन के जवाब में आया, मुझे सुनकर हैरानियत हुई, वर्ष 2009 से 2011 तक राजस्थान में 2,273 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जनता और अपराधियों द्वारा मारपीट की गई; 22,273 पुलिस-कर्मी पीटे गये और 1,175 घटनाएं हुईं, मेरे पास पूरी सूची है, आपके 12 अधिकारी और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कांस्टेबल मौत के घाट उतार दिये गये। एक-एक थाने की सूची है। थाने में जाकर पुलिस को मार दे और हमारे यादगार के सामने कोई मुंड डालकर चला जाये, शांति धारीवाल जी के उस स्टेटमेंट को कई लोगों ने बुरा माना होगा, पर मैं यह कहता हूं कि नहीं, मेरी पुलिस पिटकर आये, यह कभी बरदाश्त नहीं हो सकता। कैसे पिटकर आयेगी? क्यों पिटकर आयेगी?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस के द्वारा जो शर्मनाक घटनाएं हुईं, क्या इनको आप घर नहीं भेज सकते हो? इनकी जो प्रक्रिया आपको करनी है, वह करो लेकिन इनकी विदाई करो। ये केस जीत कर आ जायेंगे, अपन पूरा पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेकिन इनकी शर्मिंदगी के कारण से सारा का सारा पुलिस विभाग डिमोरेलाइज होता है, उसको भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा होगा, मेरे ऋषभदेव के थाने में पुलिस कांस्टेबल की ही बच्ची के साथ पुलिस के ही कांस्टेबल ने रेप किया और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की। उसमें स्थान क्या बताया कि यहां से इतना दूर। किस तरह की रिपोर्ट दर्ज होती है, क्या होता है! यह तो एस पी को मैंने कहा कि जो कुछ होना है, होगा, इनका कागज बनाकर इनकी विदाई करो। इन दो की विदाई से भी चमत्कार तो होगा। मैं जल्दी खतम कर रहा हूं, एक मिनट। इसी तरह छोटी सादड़ी थाने में भी इसी प्रकार का कर्म हुआ। आपके वारंटी हैं, चूंकि बड़े लोग हैं, वे वारंटी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। सीकर वाली घटना जो मैंने हाउस में उठाई थी, जिसके अन्दर डायरेक्टर स्वयं यहां बैठा था, वह भी उस डायरेक्टर की लिस्ट में था लेकिन चूंकि वह सदन में बैठता है इसलिए वह गिरफ्तार नहीं हो सकता है। यह जो तरीका है, इससे आपको कभी भी ठीक तरीके से नहीं लगेगा।

मैं एक सैकण्ड में खतम कर रहा हूं। पिछली बार परसादी लालजी मीणा ने मेरे को चुनौती दी थी। मैंने आपको 157 के तहत प्रिविलेज मोशन का एक नोटिस दिया था, मैंने यहां हाउस में जब बात उठाई थी, मैंने कहा था कि फाइल पर जिन्होंने गलत पट्टों के आधार पर हेराफेरी का धंधा किया, उनकी सारी जांच होने के बाद कोआपरेटिव रजिस्ट्रार ने अपनी फाइल पर इनको निलम्बित करने के लिए लिख दिया। लेकिन वह फाइल घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही और आपने उसको कहा, कोर्ट में क्या फैसला हुआ, वहां क्या फैसला हुआ, इसका क्या फैसला हुआ, उसका क्या फैसला हुआ, यह नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपके सेक्रेटरी को, दोनों को लोकायुक्त ने बुलाया है, मेरे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पास सम्मन, मैंने उस दिन सम्मन भी दिया था लेकिन आप कहां मानने को तैयार हैं। इसके कारण मैंने उस डाक्यूमेंट के साथ, आपके साथ प्रिविलेज मोशन मूव किया। मैंने कहा, या तो आप सदन छोड़कर चले जाओगे या गुलाबचन्द कटारिया चला जाएगा। मैं जब कभी बोलता हूं ना, पहले मैं सब चीजों को बराबर देखने की कोशिश करता हूं और मुझे आज यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आपका यह जो कोर्ट है, इस कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। आपने नहीं डाला। आप तो उनको बचाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, बचाते रहे लेकिन कोर्ट की जब पेशी पर गये तो उन दोनों को उन्होंने अन्दर ठोक दिया। आज उनको गिरफ्तार हुए इतने दिन हो गए हैं, 48 घण्टे में सस्पेंड हो जाना चाहिए लेकिन आज भी वे सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। यह किसकी करामात है? यह किसकी करामात है? 7 तारीख का, यह कोर्ट का जो है, आपका यह सारा का सारा, मेरे पास इसका रिकार्ड है कि ये आपके दोनों अधिकारी हैं, इन दोनों अधिकारियों को, यह 7 तारीख से ही हो गया लेकिन आज दिन तक यह नहीं हुआ। इस तरीके से यदि व्यक्ति हमारी चोइस बन जाएगी तो हम न्याय नहीं कर सकेंगे, हम अपने आपको धोखा देंगे।

आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं नेता से कहना चाहता हूं कि वास्तव में हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हमें ईमानदारी के साथ, जिस चीज को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उस गरीब तक पहुंचाना चाहते हैं, उस किसान तक, उस गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, यह चीज उन तक पहुंचे, यह मानिटरिंग करके हमें इसको कसने की जरूरत है। प्रशासनिक तंत्र कमजोर होने के कारण राजस्थान में परिणाम नहीं आ रहा, यह मेरा अपना रीडिंग है। धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, गोविंद डोटासराजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष के करीब 42 साथियों ने चर्चा में भाग लिया, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि यही अवसर होता है, जब पक्ष-विपक्ष की भावनाओं से सरकार में बैठे हमारे तमाम साथी और मैं खुद अवगत होता हूं। यह लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा है। उसके माध्यम से फीडबैक भी मिलते हैं और सुशासन देने में न ज्यादा कारगर तरीके से काम करने का अवसर मिलता है। इस सदन में पक्ष-विपक्ष के जो

(श्री अशोक गहलोत)

सदस्य हैं, दिल से, सच्चाई से, तथ्यों से, बिना पूर्वाग्रह के बोलते हैं, उनको मैं हमेशा एप्रिशिएट करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार साल बेमिसाल, हमने बात कही थी, सोच समझकर कही थी। चार साल का अगर आप विकास देखेंगे तो आप खुद पाएंगे, चार साल में जो काम हुए हैं उनकी प्रशंसा करेंगे; आलोचना करना दूसरी बात है। किसी भी सरकार में पूरी तरह 100 परसेंट सब काम नहीं हो सकते। आपका भी अनुभव है, ऐसा नहीं है। आप आजादी के बाद में अगर एक बार भी सत्ता में नहीं आए हुए होते, कोई वक्त था, आपने ठीक कहा, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तो हो सकता है, मैं यह बात नहीं कहता पर आप दिल्ली में भी और राजस्थान में भी तीन बार नहीं चार बार सत्ता में आ चुके हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? चार बार सत्ता में आ चुके हो; इसलिए आपको भी अनुभव हो चुका है।

अभी आपने कहा कि बजट का 50 परसेंट ही, 55 परसेंट ही खर्च हुआ। कोई नई बात नहीं है। आप सरकार में थे तो ही 50-55 परसेंट ही, 60 परसेंट ही खर्च होता, दिसम्बर तक खर्च होता है। परन्तु असली खर्चा देखा जाता है तब पूरा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, जब मालूम पड़ता है कि वास्तव में खर्चा कितना हुआ है। इसका लेखा-जोखा अपन बाद में करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, यह मैं कहना चाहूंगा।

चार साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी, पानी की स्कीमों में भी, आपने पांच साल बरबाद कर दिये, धौलपुर पानी लेकर आ नहीं पाए आप चम्बल से, जो कि सदियों से तरस रहा था। बाड़मेर तरस रहा था, वहां आप लेकर नहीं आए पानी। नागौर की स्कीम हमारी थी। सरकार चली गई। उसमें ज्यों ही आपने पाइप पुराने बिछाये, सरकार हमारी आ गई, उसके बाद पानी आया पर करीब करीब वहां पानी की स्कीमें पूरी होने की आ रही थी यह मैं स्वीकार करता हूं। अभी हमने नागौर के सैकण्ड फैज करीब तीन हजार करोड़ का, भीलवाड़ा का करीब ढाई हजार करोड़ का, हम लोगों ने मंजूर किए हैं, उनचालीस योजनाएं मंजूर की हैं। तो चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर, पानी की बात करें, चाहे बिजली की योजनाओं की बात करें, उनमें जरूर हम पीछे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है; किसमें, कि जो सुपर-क्रिटिकल पावर प्लांट की नई टैक्नीक आई है देश के अन्दर, उसमें हमने जिस तरीके से स्वीकृति दी थी बांसवाड़ा के लिए, छबड़ा के लिए, सूरतगढ़ के लिए, वह काम पूरे मुल्क के अन्दर रुक गया था, नो गो एरिया, पर्यावरण की दृष्टि से बंद करने से उसमें हमारे टेण्डर रह गए थे

(श्री अशोक गहलोत)

परन्तु जब टेण्डर खुले तो इस सदन में एक सदस्य ने आरोप लगाए थे कि आपने जान-बूझकर, मेरे ख्याल से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ही कहा होगा, यह इनकी फितरत में है, इस प्रकार के आरोप लगाना; सवाल यह नहीं है, आरोप कौन लगाए; आरोप अगर इनकी खुद की, दिल की आत्मा में सच्चाई है तब ये आरोप नहीं लगाते; इनको मालूम है कि आरोप बेबुनियाद है तब भी आरोप लगाए गए कि साहब किसी कम्पनी को, किसी कम्पनी के थ्रू फायदा पहुंचाने के लिए आपने उन टेण्डर को कैंसिल कर दिया। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हमने ऐसे नहीं किया। जहां-जहां 6-6 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हों, आपके समय में कालीसिंध में क्या हुआ, सब जानते हैं, परन्तु हमारे वक्त में हमने टेण्डर कैंसिल इसलिए किए, हमें मालूम था कि मार्केट के अन्दर रेटें गिर चुकी हैं, नो-गो-एरिया खुल चुका है, तब हमने टेण्डर कैंसिल करके वापस टैण्डर किए हैं, तो एक हजार करोड़ के नीचे दरें आई हैं, मैं यह सदन को कहना चाहूंगा, एक हजार करोड़। उस वक्त दो कम्पनियों ने भाग लिया था, प्रतिष्ठित कम्पनी थी, कंटिन्यू आ नहीं पाई थी कुछ कारणों से, उनकी कुछ शर्तें थीं, हम मान नहीं रहे थे; एल एंड टी सहित तमाम कम्पनियां आई हैं।

इसलिए इस प्रकार से जान-बूझकर के, मन में जानते हैं कि आरोप में बुनियाद नहीं है, तब भी इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं समझता हूं, कोई मानव हो, सदन के अन्दर हो, बाहर हो, जिंदगी में सच्चाई का विकल्प नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य को ईश्वर कहा था, भगवान महावीर की तरह। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के आरोप कई लगाए गए, मुझे मालूम है, लेकिन कोई दम उनके अन्दर नहीं है।

इस कम्पनी का जिक्र आपने किया, 900 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी सौंप दी गई है वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की, एक कौड़ी की सम्पत्ति नहीं सौंपी गई किसी को। जिस कम्पनी का नाम लिया है आपने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस कम्पनी को 400 करोड़ के ठेके मिले आपके राज के अन्दर। हमारे राज में 15 करोड़ के उनको स्विस चैनल सिस्टम के ठेके नहीं मिले, बल्कि मैनेजमेंट कैसे हो गोदामों का, कम्प्यूटराइज्ड हो, लेबोरेटरी लगे, रिनोवेशन हो, चपरासी भी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का बैठेगा वहां पर, बिना चपरासी की परमिशन के वह कम्पनी अन्दर नहीं घुस सकती है, इस प्रकार का ठेका दिया गया। मेरे पास आंकड़े हैं, जिसमें आपके 9 करोड़ के बजाए 30 करोड़ प्रोफिट होने लग गए हैं, जहां 9 करोड़ के प्रोफिट नहीं हो पा रहे थे, आज 30 करोड़ के प्रोफिट हो गए, 15 करोड़ लगाने के बावजूद भी। तो मैं कहना चाहूंगा..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रोफिट किसको हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शुभम लोजिस्टिक्स को क्या दे दिया आपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): किसी को हो रहा हो। 15 करोड़ लगाकर 9 करोड़ की बजाए 30 करोड़ का प्रोफिट दे रही है कम्पनी और कम्पनी का, किसी भी नागरिक को अधिकार है ठेका लेने का। उसी कम्पनी को आपने 400 करोड़ के ठेके दिए, वह प्रोफिट किसको हुआ था? इसलिए कहने का मतलब यह है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, आप विराजें। देखिये, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, जब विरोधी देल के नेता बोले थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपने तरीके से उठाइये। अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं कहना चाहूंगा, यह तो मैंने एक बानगी दी है आपको, यह खाली मैंने बानगी दी है। कृपा करके इतने अपराध बोध से ग्रसित मत हो, अख़बार में मैंने पढ़ा सुबह कि मुख्य मंत्री आरोप लगाएं तो हम सदन में बोलने नहीं देंगे। मुख्य मंत्री का इतना बड़ा हव्वा है क्या? मुख्य मंत्री सदन का नेता है। आपने ही चुना है मेरे को। पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी है कि एक सीमा तक, ये आज कटारिया साहब बने हैं, नये नेता, प्रतिपक्ष, मैं उम्मीद करता हूं कि पुरानी परम्पराएं जो आजादी के वक्त से खड़ी हुई थीं, 02 या 03 तक बनी रही थीं, कृपा करके उन परम्पराओं को वापस लाओ। मुझे इतना यकीन होना चाहिए, मैं नेता, प्रतिपक्ष को कहूंगा, कोई कण्ट्रोवर्सी हो गयी सदन के अन्दर या बाहर, तो नेता, प्रतिपक्ष के प्रति इतनी क्रेडिबिलिटी मेरे दिल में होनी चाहिए कि वे न्याय करेंगे, सदन के साथ में, जनता के साथ में। यह होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मुझे विश्वास नहीं हो नेता, प्रतिपक्ष पर और नेता, प्रतिपक्ष को भी मुख्य मंत्री पर विश्वास नहीं हो। यह सदन किस प्रकार से चलेगा?

श्री अध्यक्ष: वह बात पुरानी हो गयी, वह बात पुरानी हो गयी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिये मैं कहना चाहूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम मैंने कल कहा, लैपटाप का मामला, ढाई हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है; ठेका ही ढाई सौ करोड़ का है, ढाई हजार करोड़ का हो गया। बच्चों का भविष्य देखो साथ में। कोई चीज बोलें हम लोग, तो अन्तिम उद्देश्य होना चाहिए कि किसके लिये, बेनिफिशियरी कौन है उसका। बेनिफिशियरी कौन है, उसको केन्द्र बिन्दु बनाकर राजनीति होती है, चाहे वह गरीब हो, जो आप बोलते हैं बार-बार, आदिवासी हो, छात्र हो, युवा हो, एस.सी., एस.टी. हो, माइनोरिटी का हो, महिलाएं हों, कोई हो।

अब एक तरफ शानदार योजना हमने लागू की कि बच्चों को लैपटाप देंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमारी जनरेशन सुधरेगी। आई.टी. क्रांति हो चुकी देश के अन्दर, उस क्रांति का हम भी लाभ उठाएं। हमारा मानव संसाधन ऐसा बने जो आई.टी. के सेक्टर में आगे बढ़े। हमने 56 हजार लैपटाप देने का तय किया, कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, ए.पी.एल., बी.पी.एल., सब हों। आज उसका ठेका निकाला। 10 इंच का लेपटाप हमने खरीद लिया। मैंने खुद ने रोका। प्रधानमंत्रीजी के सामने मुझे खुद को संकोच हुआ, जब मैंने देखा कि छोटा सा लैपटाप था। मैंने कहा, इतना कैसे दे दिया यह? मैंने चीफ सेक्रेटरी को आकर कहा कि लैपटाप बांटे गये, दूदू के अन्दर, इतना बड़ा प्रोग्राम था। वह लैपटाप मेरे को कोई समझ में नहीं आया। मालूम किया, लैपटाप 10 इंच का था। मुझे फील हुआ कि जब देना ही है, अपग्रेडेशन हो सकता है उसके अन्दर; पूरा जो लैपटाप होता है 14 इंच का वह मिलना चाहिए। तो मैंने खुद ने कहा। 160 करोड़ रुपये लगेंगे प्रति वर्ष, 160 करोड़, 165 करोड़, 330 करोड़ रुपये लगेंगे, एक लाख 11 हजार बच्चों को लैपटाप मिलेगा, कांफिडेंस बढ़ेगा।

और तो और, मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से नाराजगी नहीं हो सकती है कि प्रतिस्पर्धा में ...(व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बोले आप? क्या कह रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, कोई बात नहीं, तारानगर का पानी ऐसा ही है। तारानगर में जो आते हैं, उनका दिमाग जो है, वे तेज ही बोलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तभी तो मैं कह रहा हूं आपको। आप कौन से कम खास हो।

श्री अध्यक्ष: आप भी खास हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप तो वह व्यक्ति हो जो कभी पार्टी में मेरे साथ आने के लिये तैयार थे। मत भूलो आप, हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): क्यों पोल खुलवाते हो? बैठ जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपके नम्बर नहीं कटेंगे। सुनिये, जो आपकी परफार्मेंस है ना, आपकी परफार्मेंस इतनी अच्छी है हाउस के अन्दर, हाउस के बाहर भी कि जिससे आपकी नेता आपको छोड़ेंगी नहीं। आपके बिना उनका काम चल ही नहीं सकता है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ। इसलिये चिन्ता मत करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: जिसको आप नहीं समझ पाये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके मेरी भावना समझो, 56 हजार बच्चे प्रतिस्पर्धा में आने के लिये, लाखों बच्चे जो ट्राई करेंगे उसके अन्दर आने के लिये, अच्छी पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, उससे उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। यह रिलेटिव टर्म है, यह रिलेटिव टर्म है। वह जो क्वालिटी बढ़ेगी, वह देश की, प्रदेश की और समाज की सेवा के काम आयेगी। यह सोचकर इतनी बड़ी योजना हमने लागू की। उसको आपको उस रूप में लेना चाहिए कृपा करके, और कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी चाहिए।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा, जो योजनाएं हमने बनाई हैं, शैक्षिक प्रोग्राम की आपने तारीफ की, कटारिया साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। परन्तु साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा ...(व्यवधान) बात करेंगे आप तो मुझे बोलने नहीं देंगे, सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कोई बात नहीं। कृपा करके, मेरे पर कृपा रखो कुछ तो। धमकी तो आपने दिलवा दी, कोई बात नहीं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आज से नहीं है, पहले से ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): भोग तो अपने कर्मों से रहा है आदमी कोई भी। मैं मेरी जिन्दगी में, मेरे दुश्मन को कभी मैं, कोई उसका दिल दुखे, यह काम नहीं करता हूं। यह आपको बहुत भारी गलतफहमी है। अगर आप सिद्ध कर दो, अगर आप सिद्ध कर दो कि आप मेरे कारण ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप अगर सिद्ध कर दो कि आपके कारण, मैंने आपके बारे में किसी व्यक्ति से कोई चर्चा भी की है दिल्ली के अन्दर, कहीं पर, जो आपने अफवाहें खूब फैलाई हैं, मेरे को मालूम है, तो मैं आज इस पद से इस्तीफा दे सकता हूं। मैं वह व्यक्ति हूं। साथ में आप सुन लो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुन लें, बैठिये आप। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते भी हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके नेताओं ने दिल्ली के मंत्रियों के घरों में चक्कर लगाये होंगे, कहा होगा, आज तक मैंने जुबान नहीं खोली है पर जिस प्रकार से मेरे बारे में कहा गया, जैसे कि मैं आपको कोई फंसा रहा हूं, दुश्मन को भी मैं फंसाना कभी नहीं चाहूंगा गलत तरीके से, यह मैं कहना चाहूंगा आपको, क्या समझ रखा है आप लोगों ने? जिन्दगी बिताई है। तो मैं एक यह भी कह दूं आपको, आपकी सात पीढ़ियां भी तरस जाएं ना तो भी मेरे ऊपर करप्शन के आरोप कभी नहीं लगा सकती हैं। इस प्रकार मैंने इंतजाम कर रखा है। आपने जिस प्रकार...(व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: शांति रखिये। शांति रखिये। माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैंने गरिमा कोई कम करने का प्रयास किया है तो आप मुझे बता दें, मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं अपनी बात को स्वीकार करूंगा, मैं यहां गलती कर रहा हूं। मैं खाली इतना कह रहा हूं आपको।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं आपको कहना चाहूंगा, इसलिये कि सदन के बाहर के नेता हों, चाहे अन्दर के नेता हों, पूरे प्रयास कर लिये, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तैयारी कर ली अपनी सब तरफ से। मैंने मेरी भावना बताई है कि मैं मेरी जिन्दगी को समर्पित किये हुए हूं, समाज के लिये, देश के लिये और मैंने जो तय कर रखा है, मैं जानता हूं, यह दिल जानता है। आप अगर, आपके नेताओं पर आरोप लगे हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगे हैं तो आपको चाहिए, रिसर्च करके हमारे मंत्रियों पर, मुझ पर आरोप लगाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, इश्यू भी बनाओ, यह लोकतंत्र है। क्योंकि चार साल तक मैंने कोई इश्यू नहीं बनने दिया, मुझे गर्व है कहते हुए कि एक बार फायरिंग नहीं हुई, लाठी चार्ज नहीं हुआ राजस्थान के अन्दर।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इस प्रकार से अगर प्रयास किये हैं तो चार साल में कोई आरोप नहीं लगा पाये आप लोग, स्कैंडल कोई नहीं बन पाया है, इश्यू नहीं बन पाया है। इक्का-दुक्का आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, आप सत्ता में नहीं हों तब भी कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृपा करके ध्यान रखो। कोई दिक्कत नहीं है।

नई शुरुआत हुई है आपके नेता से, मैं समझता हूं कि सदन उस रूप में चले। क्योंकि जब-जब नेता चाहे घनश्याम तिवाड़ी रहे हों, चाहे अब ये आये हैं, मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं कि सदन के नेता को आप जनरल डिबेट पर नहीं बोलने दो, फाइनेंस बिल पर नहीं बोलने दो, अभिभाषण पर नहीं बोलने दो, ऐसा कभी होता नहीं है पर यह हुआ है, इतिहास गवाह है और मैं समझता हूं कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने गलतियां की हैं। गलतियां हम करेंगे तो हम भुगतेंगे। तो कृपा करके नई परम्पराओं की शुरुआत करो, उसी में हम सब की भलाई है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो फ्लैग-शिप प्रोग्राम हमारे हैं, वे वास्तव में बेमिसाल हैं, यह मानना चाहिए। मानिटरिंग में कमजोरी रह सकती है, यह कोई नई बात नहीं है, चाहे सरकार आपकी थी, आपने फैसले किए, उसमें कमजोरी भी होगी पर हम सब मिलकर, कटारिया साहब, आपने सुना होगा, मेरे भाषण के अन्दर मैंने कई बार पब्लिकली कहा है कि योजनाएं सरकार की हैं परन्तु चाहे कोई पालिटिकल पार्टी के वर्कर्स हों, एन.जी.ओ. हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं का लाभ उस गांव के गरीब आदमी तक कैसे पहुंचे जिनके लिए ये योजनाएं बनती हैं, यह हम सबका कर्तव्य है। खाली विज्ञापन देने से, पैम्फ्लेट्स निकालने से योजनाएं नहीं पहुंच सकती हैं। तो मैं आज फिर सदन से अपील करना चाहूंगा कि जो स्कीम सरकार की हैं, सरकार आप सबकी है, योजना जो बनाई है, एक-एक आलीशान बनाई है चाहे वह दो रुपये किलो अनाज देने की योजना हो, उत्तर-भारत में हम लोग दे रहे हैं; 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवाई योजना' हो, जिसको आपने एप्रिशिएट किया है, मैं आपका आभारी हूं; 'जननी शिशु सुरक्षा योजना' हो, आज करीब 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला है।

पशु धन, तो पशु न तो कोई ज्ञापन दे सकता है और न कोई मांग कर सकता है, हमने पशुओं की दवाई फ्री की है। आज पशु-मालिकों को मालूम है कि उसका कितना बड़ा फायदा उनको मिला है।

(श्री अशोक गहलोत)

आवास योजना की आपने बात की, आपने कहा कि मुझे कहीं आवास दिख ही नहीं रहे हैं; नेता, प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, शहरों के लिए आप कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो यह बात, शहरों में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। जो बी.पी.एल., जो योजना हमने बनाई थी उस योजना को बनाने में, नियम बनाने में, लागू करने में टाइम लगता है पर जो आवास योजना है- 'मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास योजना', वह योजना बहुत शानदार चल रही है। मैं अभी देवास योजना को देखने गया था तो आपको जानकर खुशी होगी, एक गांव का नाम मैं भूल गया हूं, उस एक गांव पंचायत में करीब 300 मकान एक साथ बन रहे हैं, मैं खुद दो मकान देखकर आया हूं। योजना शानदार है।

आपने कहा कि पंचायतें दिवालिया हो जाएंगी, कैसे पैसा चुकाएंगी, मैं इस बात को पहले भी कई बार क्लीयर कर चुका हूं कि कर्जा पंचायतों के माध्यम से लिया गया है, कर्जा, एक-एक रुपया सरकार चुकाएगी। एक रुपया भी पंचायतों के ऊपर भार नहीं आएगा, यह मैं कह चुका हूं, पूरा सरकार चुकाएगी, ब्याज सहित चुकाएगी।

मैं पूरे हाउस से अपील करना चाहूंगा कि राइट-टू-शेल्टर, जब आज केन्द्र सरकार ने, यू.पी.ए. चेयरपर्सन सोनिया गांधीजी ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी अधिकार महानरेगा के माध्यम से, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है, अधिकार देने की जो शुरुआत की है पूरे देश के अन्दर, आजादी के बाद में, उसकी तो तरीफ आप करोगे ही करोगे। नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आप बहुत ही भावुक आदमी हो, अधिकार देकर के, देना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा, मैंने पैरवी, एन.डी.सी. में भी की है, डिलिवरी भी की है। मैं पूरे सदन का सपोर्ट चाहूंगा कि राइट-टू-शेल्टर, पक्की छत का अधिकार भी हर गरीब को मिले। कच्ची झोंपड़ी में लोग रहते हैं; आग लगती है तो झोंपड़े जल जाते हैं; 1500 रुपये मिलते थे उनको। बाढ़ आती है या अतिवृष्टि होती है, रात को तूफान, आदि आता है तो रात को निकालना मुश्किल होता है उस घर के अन्दर। छोटे बच्चे, दो महीने का, दो दिन का है, दो साल का है। हमने कहा कि पक्की छत का एक कमरा बन जाए, एक बरामदा बन जाए, टायलेट बन जाए; उसकी व्यवस्था की है। मैं देखकर आ रहा हूं। 15, 20, 25 गांवों में मैं गया हूं, शानदार तरीके से काम हो रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस योजना को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे आप सबके सपोर्ट से। मैं यह

(श्री अशोक गहलोत)

चाहूंगा कि हम सबका यह संकल्प होना चाहिए कि हम, क्यों नहीं राजस्थान में यह सम्भव है? झुन्झुनूं जिला वह जिला है जो मेरे ख्याल से इस साल से, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस योजना की, सब पक्के मकान बन चुके हैं; सीकर जिला आपका करीब-करीब इस वर्ष तक पहुंच चुका है; अलवर पहुंचने वाला होगा। तो जब तीन जिले पहुंच सकते हैं तो आपके सारे जिले पहुंच सकते हैं, जहां पर पक्का मकान ही हो। अगर एक कमरा बन जाएगा गरीब का, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी दूसरा कमरा बनाने की, आने वाले जमाने के अन्दर और धीरे-धीरे परिवार ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार की शानदार योजनाएं हैं, उनमें आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। यह मैं आपको कहना चाहूंगा। कमी है गांवों के अन्दर तो आप मुझे बतायें, उनको सब मिलकर दूर करेंगे। योजना पूरी कामयाब हो।

अभी दस लाख की ही बात है और संख्या बढ़ेगी और योजना लेकर ही हम नहीं आते, इंदिरा आवास योजना की तरह, जब काम चल रहा था, जहां गांवों में 15-20 मकान प्रति वर्ष मिलते थे, 22 साल लगते उस पूरी लिस्ट को पूरा करने में। हम चाहेंगे, इसके अन्दर बी.पी.एल. नहीं भी हैं, स्टेट बी.पी.एल. नहीं भी है, असहाय हैं, तकलीफ में हैं तो उसको भी इस स्कीम से जोड़ें। किसी भी रूप में हर व्यक्ति का पक्का मकान हो, यह मैं चाहूंगा।

पानी पी सकता हूं? तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, पानी पी सकता हूं मैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी अच्छी पालिसी बनी, पूरे कंट्री में उसको एप्रिशिएट किया गया। उसमें कुछ कमियां थीं, उनको हमारे मंत्री महोदय ने ठीक करवाया है। उम्मीद करते हैं, करीब-करीब 30 हजार मकान बन चुके हैं, 46 हजार मकान निर्माणाधीन हैं, पर जो मेरी कल्पना है, उस रूप में योजना और तेज गति से आगे बढ़े जिससे कि मिडल क्लास फैमिली के भी, ई.डब्ल्यू.एस. के भी, उनको मकान पक्का मिल जाए। इस योजना को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।

लोक सेवा गारंटी एक्ट, इसमें 18 विभागों की 153 सर्विसेज हैं। 1 करोड़ 13 लाख प्रकरण दर्ज हुए और 1 करोड़ 12 लाख प्रकरण, 99.1 परसेंट काम का निस्तारण हुआ है, यह मैं कहना चाहूंगा आपको।

(श्री अशोक गहलोत)

मुख्य मंत्री ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना, करीब 26 लाख किसानों को देने की योजना है, 10,500 करोड़ की; 25 लाख 90 हजार लोगों को दिया जा चुका है 10,706 करोड़ रुपये का। इस योजना में भी करीब 262 करोड़ रुपए सरकार ने अनुदान दिया है। तब जाकर यह योजना पूरी तरह से लागू होगी।

लैपटाप की बात मैं कह चुका हूं, इसको वापस आपको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहूंगा, आपको मैंने कह दिया है।

मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा योजना, एक लाख छात्रों को छात्रवृत्ति, मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में एक मात्र राजस्थान है जिसने एक लाख छात्रों को जो 12वीं पास करेंगे, पहले एक लाख की आमदनी थी, हमने उसको बढ़ाकर ढाई लाख किया है जिससे कि बच्चों की संख्या बढ़े; एक लाख बच्चों को पांच साल तक 500 रुपये प्रति माह वज़ीफ़ा मिलेगा। यह योजना भी बहुत अच्छी योजना है, यह मैं कहना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना, इसमें काम अभी शुरू हुआ है। साल भर लग गया हम लोगों को। करीब 16 के बजाए 30-35 कम्पनियां आ चुकी हैं, अनुबंध हो रहा है, करीब छह-सात सौ केन्द्र खुल चुके हैं। हम चाहेंगे कि इनको वहां पर कौशल विकास का काम मिले। पांचवीं पास के जो युवा होंगे, सबको तो सरकारी नौकरियां मिल नहीं सकती, एक लाख 45 हजार नौकरियां सरकार अभी तक दे चुकी है, एक लाख चार हजार प्रक्रियाधीन हैं परन्तु इस योजना के अन्तर्गत हम चाहेंगे कि दो लाख सत्तर हजार नौजवानों को ट्रेनिंग मिले। आठ महीने रोजगार की गारंटी होगी उसके अन्दर ट्रेनिंग के बाद में, इस प्रकार की योजना है। इस योजना को, मैं चाहूंगा कि और आगे बढ़े जिससे नौजवानों को उसका लाभ मिल सके।

इसी प्रकार से, राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास योजना, जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना 500 की आबादी तक की थी, टी.एस.पी. और डेजर्ट एरिया में 250 की आबादी तक में सड़कें बन गईं, हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर डेजर्ट और टी.एस.पी. एरिया के अलावा भी पूरे प्रदेश के अन्दर 250 की आबादी के गांव जुड़ें। इसके लिए नाबार्ड से और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर हम लोग 2,900 गांवों को, 3,300 किलोमीटर सड़कों के निर्माण करने का हमने निश्चय किया है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

कुछ उदीयमान राजस्थान, आपने कह दिया कि बहुत पिछड़ गया है, आपके वक्त में विकसित हो गया था; वह विकसित खाली अखबारों में ही हुआ

(श्री अशोक गहलोत)

था, विकसित नहीं हुआ था। जौ पैरामीटर्स हैं, वे पैरामीटर्स सबके सामने हैं। खाली मेरे एक खड़े होकर कहने से कि मेरा राजस्थान अब विकसित हो गया, कोई मायने नहीं हैं। सर्वे आते रहते हैं, सर्वे में राज्य कई बार ऊपर-नीचे होते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले चुनाव में सर्वे आया था 'ओ आर जी मार' का नम्बर वन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, नम्बर वन गवर्नेन्स राजस्थान की, हमारी सरकार चली गयी! इसलिये कृपा करके खाली आप उस पर मत जाइयेगा।

अब मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राजस्थान जैसे प्रदेश को, जहां पर अकाल-सूखे पड़ते रहे हैं, आपको मालूम है रेगिस्तानी इलाका हैं, दलहन को लेकर वहां पर, अगर मान लीजिये नम्बर वन राजस्थान आया है दालों के उत्पादन में, तो कृषिकर्मण पुरस्कार प्रधान मंत्रीजी ने, कृषि मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री को बुलाया, कृषि मंत्रीजी को बुलाया और एक करोड़ रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया है, भारत सरकार ने। दूसरे साल भी, दालों के अन्दर भी और फूड ग्रेन के अन्दर भी, हमें दूसरी बार पुरस्कार मिला है, जो राष्ट्रपति महोदय ने दिया। कृषि मंत्रीजी थे वहां पर, हमारे कृषि मंत्रीजी गये वहां पर और पुरस्कार लेकर इस साल आये हैं। कहने का मतलब है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। अकाल-सूखे के बावजूद भी मानसून ने साथ दिया, उसका भी इम्पेक्ट रहा और हम लोग रेगिस्तानी इलाके वाले कहलाते हैं, मैंने कहा, मैं इसका श्रेय राजस्थान के किसानों को देता हूं जिनकी मेहनत से यह काम सम्भव हुआ है।

इसी प्रकार, पंचायती राज को अधिकार दिये गये। आपने ठीक कहा कि आपने जाते-जाते पहले 29 विषय दे दिये थे; कटारिया साहब, 29 विषय तो नहीं दिये थे, जहां तक मुझे याद है, 16 विषय के अधिकार हमने देने का प्रयास किया था, आदेश जारी कर दिये थे, आपकी सरकार ने उसको वापस विद्थड्रा कर लिया था। एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिकमंडेशन के आधार पर आपने कहा था कि हम वापस इसलिये ले रहे हैं, अच्छे ढंग से लागू करना चाहते हैं। वह अच्छा ढंग कभी आया ही नहीं; कमेटी की रिपोर्ट तो आ गयी, अच्छा ढंग कभी नहीं आया। आपकी सरकार चली गयी और हमारी गवर्नमेंट वापस आ गयी। हमने इस बार सोच-समझकर पांच अधिकार ही दिये। मैं जानता हूं, आप भी अनुभव रखते हो, वह अधिकार देने के बावजूद भी कई तरह की तकलीफें आती हैं, हैण्डपम्प की हम बात करते हैं, वे पंचायतों

(श्री अशोक गहलोत)

को दे दिये, वे ठीक नहीं कर पाते। ऐसी प्राब्लम आयेंगी पर अधिकार देने की जो हमने शुरुआत की है, उसके लिये भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम घोषित करके, कम से कम शुरुआत तो की राजस्थान ने, प्रधानमंत्रीजी ने एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया है। यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

इस प्रकार से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें मैं आपको पहले कह चुका हूं, प्रथम स्थान पर रहा देश के अन्दर। यह आपकी जानकारी में है। अभी पिछले साल ही मदन कौर साहिबा, जो हमारी प्रमुख साहिबा हैं बाड़मेर की, उन्होंने बाड़मेर में 44 हजार टांके नरेगा के अन्तर्गत बनाये, उनको भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है।

भारत सरकार का जो श्रम एवं नियोजन मंत्रालय है, जिसका आफिस चंडीगढ़ में है, आज सदन को जानकर खुशी होगी, लेबर ब्यूरो ने जो सर्वे किया है सन् 2011-12 का, उसके अन्तर्गत रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अन्तर्गत सबसे कम बेरोजगारी के मामले में राजस्थान तीसरे पायदान पर है देश के अन्दर। जहां तक, मैं समझता हूं, प्रति एक हजार व्यक्ति पर बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत 38 के मुकाबले में राजस्थान में 17 है, राष्ट्रीय स्तर पर 38 है, राजस्थान में 17 है और मेरे ख्याल से, राजस्थान से ऊपर दो ही राज्य हैं; जहां तक मैं समझता हूं, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा गुजरात होगा। आज राजस्थान तीसरे पायदान पर है। यह मेरा सर्वे नहीं है, जो आप सर्वे की बातें कह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, सर्वे यह भी है।

पर्यटन के क्षेत्र में द्वितीय सर्वोत्तम राज्य के रूप में नेशनल ट्यूरिज्म का अवार्ड मिला है राजस्थान को।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 2011-12 के अन्दर 75.37 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने देश के अन्दर।

उदयपुर को तो अवार्ड मिला ही है 2011 का, कोण्डो-नास्ट ट्रैवलर अवार्ड; देश के अन्दर सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल, डेजर्ट डेस्टिनेशन के रूप में एक मात्र उदयपुर का नम्बर आया, जो आपका क्षेत्र है। आपको बधाई कि वह अवार्ड आज राजस्थान को मिला है।

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के अन्तर्गत पिछली बार, इस बार तो एक लाख से ज्यादा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने इनको धन्यवाद क्यों दिया? आपका और इनका, दोनों का क्या योगदान है इसमें? उदयपुर पहले नम्बर ठहरने के लिये आया...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब आप ज्यादा बोलोगे तो आरोप लग जायेगा। पहले मैं आपसे मिला हुआ था...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोग बनाकर चले गये, साहब, उनको धन्यवाद दो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब आप कृपा करके बैठो, वरना मैं पहले आपसे मिला हुआ था, अब इनसे मिला हुआ माना जाऊंगा। इसलिये आप ज्यादा इन्टरवीन मत करो।

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में 95,702 नि:शुल्क आवासीय पट्टे दिये पिछले अभियान में। उसके कारण हमें 346 करोड़ रुपये इनाम के रूप में अतिरिक्त रूप से मिले भारत सरकार से। इस बार हमने एक लाख से ज्यादा नि:शुल्क पट्टे दिये हैं। अभियान की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है।

इसी प्रकार से, साक्षर भारत कार्यक्रम में अजमेर जिले को बेहतरीन प्रयासों के लिये पिछले साल 8 सितम्बर को विश्व साक्षरता दिवस पर भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है।

ई-वर्ड इंटरनेशनल द्वारा नेशनल इंफोर्मेशन सेंटर जो बना हुआ है राजस्थान में, अपना खाता वेबसाइट को, पब्लिक सर्विस की डिलिवरी के लिये, पब्लिक चोइस के आधार पर ई-वर्ड अवार्ड यू एन डी पी ने दिया है।

राजस्थान कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पंचायती राज के कार्यक्रमों को आन लाइन मानिटरिंग के सर्वश्रेष्ठ आई टी प्रोजेक्ट के लिये स्काच डिजिटल इंक्लूजन अवार्ड 2012 से सम्मानित किया गया।

कामन सर्विस सेंटर, इसको लेकर जो मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके डिजिटल हस्ताक्षर करने के माध्यम से जो काम शुरू हुआ है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ई-इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग को आन लाइन आवेदन प्रक्रिया में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार से जन सामान्य को मिलने वाली सुविधाओं के लिये ई-इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया।

इस प्रकार से, जैसा आपने कहा, राजस्थान ने कई मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। फिर भी आपने जो आंकड़े दिये हैं, उनका मैं विश्लेषण करवाऊंगा। उसमें कहां-कहां कमी रही है, उसको मैं दूर करने का

(श्री अशोक गहलोत)

प्रयास करूंगा जिससे कि राजस्थान उन इंडेक्स में पीछे नहीं रहे, बल्कि आगे निकलने का प्रयास करे। यह मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अब आपने जो कहा राजस्थान के बारे में कि प्रति व्यक्ति आय कम हो गयी है, बड़ी आपने चिन्ता व्यक्त की, शायद आपको जानकारी नहीं है कि 2008-09 के अन्दर 31,279 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी राजस्थान के अन्दर। आपको जानकर खुशी होगी, सदन को जानकर खुशी होगी, 2005 से 2009 तक जब आपका शासन था तब हम 21वें स्थान पर थे, 2009 से 2012 तक के पीरियड के अन्दर प्रति व्यक्ति आय 31,279 से बढ़कर 53,735 रुपये हो चुकी है और 21वें नम्बर पर हम थे, उससे बढ़कर हम 15वें नम्बर पर आ चुके हैं। यह मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, नम्बर एक।

दूसरा, नम्बर दो, 2005 से 2009 जो आपका समय था, राजस्थान की औसत विकास दर, जिसका आपने जिक्र किया, वह 8.15 प्रतिशत रही, आपके वक्त में 8.15 प्रतिशत रही और देश में हम 20वें स्थान पर थे; आज 2009 से 2012 की अवधि में विकास दर 8.15 से बढ़कर 9.36 हो चुकी है और 20वें स्थान से हटकर हम 11वें स्थान पर आ गये हैं। 20वें से 11वें स्थान पर आ गये हैं हम लोग, यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 9 तो नहीं हुई।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कोई बात नहीं, यह तो आंकड़े हैं, आप मालूम भी कर सकते हैं।

रेवेन्यू डेफिसिट, उस वक्त हम सत्ता में आये थे, रेवेन्यू डेफिसिट 47,47 करोड़ का हो गया था, जो 2011-12 के अन्दर सरप्लस में परिवर्तित हो गया और 3,357 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस हो गया राजस्थान के अन्दर। यह जानकर खुशी होगी।

राजकोषीय घाटा जो 2009 में जब हम सरकार में आये थे, तब 3.91 था, फिस्कल डेफिसिट, वह आपको जानकर खुशी होगी, 2011-12 के अन्दर 0.98 पर हम लोग आ गये हैं।

इसी प्रकार से, 13वें वित्त आयोग की जो शर्तें थीं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी, यह बात मैं बैठकर बता सकता था, लेकिन जब बात आपने छेड़ दी है तो मैं यह कहना चाहूंगा, 13 वें वित्त आयोग के जो नार्म्स थे

(श्री अशोक गहलोत)

उनके आधार पर हम और लोन ले सकते थे लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी और हमारा काम चल गया।

इसी प्रकार, ऋण, सकल और घरेलू उत्पाद के रेशो में राजस्थान में निरन्तर सुधार हो रहा है, उसकी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने तारीफ की है आर बी आई ने वित्तीय स्थिति की, फाइनेंशल मैनेजमेंट की और फाइनेंशयल डिसिप्लिन के लिए राजस्थान के द्वारा किये गये सुदृढ़ प्लान की सराहना की है; माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंहजी खुद अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने खुद ने राजस्थान के डिसिप्लिन की तारीफ की है। यह आप सबकी जानकारी में होना चाहिए।

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का देश के अन्दर जो चिन्ता का विषय बना हुआ है, राजस्थान उन छह राज्यों में आता है जहां यह रेशो खराब था, उसमें हम लोगों ने बढ़त हासिल की है। वर्ष 2008 के अन्दर जब आपका शासन था तब शिशु मृत्यु दर 63 थी, आज आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2011 के अन्दर, जिसमें जननी शिशु सुरक्षा योजना का योगदान भी है, हमारे एफर्ट भी हैं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना भी थी, आज 63 से घटकर हम 52 पर आ गये हैं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है। इसी तरह से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2004 से 2006 तक, आपके शासन में 388 थी, जो आज घटकर के 318 पर हम आ गये हैं, परन्तु राष्ट्रीय एवरेज अभी भी हम से कम है। हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है, इससे हमें संतोष नहीं करना, यह मैं कहना चाहूंगा। इससे और आगे हमें बढ़ना है।

इस प्रकार से, राजस्थान में हमने हर क्षेत्र में ये प्रयास किए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े काम भी किये हैं। आज जयपुर में मेट्रो का बड़ा काम हाथ में लिया गया, समय पर हाथ में लिया गया; काफी हद तक पूरा हो रहा है; फर्स्ट फेज और सैकण्ड फेज पूरा होगा। मैट्रो का काम, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, राजस्थान के लिए, हालांकि अभी तो यह राज्य में शुरू भी नहीं हुई है। घाट की गूणी बड़ी योजना थी, वह पूरी हो गयी। डूंगरपुर-बांसवाड़ा वाया रतलाम लाइन, उसमें हमने 50 परसेंट शेयर दिया, वह करीब-करीब पूरा हो रहा है। तो उसकी आपको खुशी होनी चाहिए। रेल बजट के अन्दर जो कल घोषणा हुई है कि भीलवाड़ा में फैक्टरी लगाने की...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेलवे लाइन के लिए क्या मिला?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उसका सर्वे हो चुका है, जमीन एक्वायर हो रही है और टेण्डर भी जल्दी होने वाले हैं। वह कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है। नई रेल लाइन बिछाने का काम बड़ा होता है, वह काम उस गति से चल रहा है। मैं अभी बांसवाड़ा गया था तब मैंने पता किया था और मैं मालूम करूंगा। यदि आपको कोई आशंका है तो उस आशंका को दूर करने का प्रयास करूंगा।

इस प्रकार से, हर क्षेत्र के बारे में अगर मैं आपको बताने लगूंगा विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े, तो आप पायेंगे कि सरकार ने, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सहकारिता का क्षेत्र हो, पिछली सरकार के कम्पेरिजन में मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगा जिससे कि, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है, सदन को, सबको जानकारी रहे। डिग्गी निर्माण आपके वक्त में, क्योंकि स्प्रिंकलर और ड्रिप इर्रिगेशन हमारी प्रायोरिटी है, उसी रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी रूप में हमने जो काम हाथ में लिया, हमें उसमें बहुत कामयाबी मिली है। डिग्गियों के लिए हम तीन सब्सिडी दे रहे हैं, 12 हजार 251 डिग्गियां हमारे वक्त में हमने बनाई हैं और आपके वक्त में 2,960 डिग्गियां बनी थीं; 16,093 और आपके वक्त में 788; मिनी किट्स का वितरण, बाकी मैं सब छोड़ रहा हूं, बहुत सारे पाइंट्स हैं, 34 लाख 20 हजार 42 मिनी किट्स बांटे गये और आपके वक्त में 18 लाख 3 हजार 279 बांटे गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो बांटे गये बाजरे के मामले में, तो सारे राजस्थान के किसानों को रुला दिया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चारा मिनी किट्स वितरण ... (व्यवधान) 2 लाख 34 हजार 542 आपके वक्त में बांटे गये; कृषि बीमा में 2 करोड़ 02 लाख रुपये कृषकों के बीमे हुए जिसमें से 5 लाख आपके वक्त में हुए और 634 करोड़ का भुगतान प्रीमियम का हुआ, उसके अगेंस्ट में 1,236 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है; लाभान्वित कृषक 1 करोड़ 5 लाख हैं। इस प्रकार से, इन्पुट सब्सिडी जो कि आजादी के बाद कभी नहीं मिली थी, आपको जानकर खुशी होगी कि यह पहली बार, बिफोर लास्ट ईयर, 857 करोड़ रुपये की इन्पुट सब्सिडी दी गई और अभी परसों जब आपने मुझे आब्जेक्ट किया

(श्री अशोक गहलोत)

था उस मीटिंग के बारे में, उसमें हमने 600 करोड़ रुपये इनपुट सब्सिडी देने का तय किया है।

इस प्रकार बिजली की दरों की बातें आपने कीं, बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। आपने बिल का उदाहरण दे दिया, मैं चाहूंगा कि आप वह मेरे को जरूर बतायें। बिजली की दरें नहीं बढ़ाये जाने का कारण यह है, दरें तब नहीं बढ़ी हैं, जब हमने बिजली कम्पनियों को 4,396 करोड़ रुपये दिये हैं, तब जाकर बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, जो कि हमने पांच साल तक नहीं बढ़ाने का वादा किया था। नंबर दो, इससे बड़ी बात यह है, किसानों को बिजली सप्लाई निश्चित रखने के लिये 13,971 करोड़ रुपये की राजस्थान के लिये अतिरिक्त बिजली खरीदी गई, तब जाकर बिजली की सप्लाई मेंटेन रही है। यह मैं कहना चाहूंगा। (व्यवधान) 6 घंटे का कहा था। 2 लाख 47 हजार के करीब कनेक्शन जारी किये गये।

माइक्रो-इर्रिगेशन में ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर इर्रिगेशन में कोई मुकाबला नहीं है। आपके वक्त में 8,545 हैक्टेयर और हमारे वक्त में 41,640 हैक्टेयर ड्रिप इर्रिगेशन राजस्थान में हुई; स्प्रिंकलर में 4 लाख 19 हजार 952 हैक्टेयर में राजस्थान में हो रहा है और आपके वक्त में 1 लाख 48 हजार 284 हैक्टेयर हुआ। इस प्रकार, आज माइक्रो-इर्रिगेशन में राजस्थान नंबर वन पर है, 11 लाख 5 हजार हेक्टेयर के आधार पर; जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में कहना चाह रहा हूं मैं आपको। इसीलिए 90 परसेंट बूंद-बूंद पद्धति में और 70 परसेंट स्प्रिंकलर इर्रिगेशन के लिये सब्सिडी दी जा रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में आपने जो बातें कही हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की हो उसमें हमने प्रोग्रेस की है और लोगों को रोजगार मिले हैं; आपके वक्त में 2 लाख 66 हजार के फिगर थे और हमारे वक्त में 3 लाख 76 हजार फिगर है। यह 50 महीने के फिगर मैं आपको दे रहा हूं। सिंगल विंडो के माध्यम से 52 हजार 918 करोड़ रुपये के राजस्थान में अनुबंध हुए हैं। आपका जो 'रिसर्जेंट राजस्थान' प्रोग्राम था, जिसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया 'गुजरात वाइब्रेंट' की तरह, उस वक्त भी मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि ये तमाम फर्जी आंकड़े हैं क्योंकि उस वक्त जो एम ओ यू साइन हुए थे, वे लोग मुझसे दिल्ली में आकर मिले थे तब उन्होंने कहा था कि हमारी तो 10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़ की औकात ही नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती बुलाकर के 15 हजार करोड़ के एम ओ यू पर साइन करवा लिये हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

उस वक्त मेरी बात लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी पर आंकड़े गवाह हैं। 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये की उस वक्त में बात की गई थी, उसमें से 76 हजार 710 करोड़ के एम ओ यू करने वाले लोगों का तो अता-पता ही नहीं है और 40 हजार 375 करोड़ रुपये के एम ओ यू उन्होंने निरस्त करवा दिये। इस प्रकार 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपये वाले लोग गायब हो गये। बाकी की प्रक्रिया चल रही है। कोई आयेगा, कोई नहीं आयेगा, यह स्थिति है।

इसलिए आपने अभी मुझे जो कहा कि आपने एक करोड़ रुपये उड़ा दिये हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन तो भारत सरकार

(18.00 बजे)

का प्रोग्राम था, जो राष्ट्रीय स्तर की एक इवेंट थी, जिसको अगर राजस्थान में हम लेकर आयें तो आपको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें वहां बैठकर कोई सौदे होते नहीं हैं, ना कोई सौदे हो सकते हैं। नम्बर एक। पर उसकी तारीफ पूरी दुनिया के अन्दर हुई, जयपुर का नाम दुनिया में गया कि वहां के इन्वेस्टर यहां पर आये थे, तीन दिन रहे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मुम्बई भी जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं, अभी केरला भी गये थे और दिल्ली में भी प्रोग्राम होते रहते हैं। यह प्रोग्राम भी जब हमने शुरू किया, पहली बार अन्तरराष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, डा. एल.एम. सिंघवी एम.पी., मेम्बर आफ पार्लियामेंट थे, उस जमाने में हमारे इवेंट को देखने, अटेंड किया था, उसको देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री को एडवाइज किया। उसके बाद में वह इवेंट शुरू हुई है जो आज तक चल रही है। लेखा-जोखा करना हो वह अलग बात हो सकती है, उसका कितना फायदा, कितना नुकसान है, वो अलग बात है परन्तु एक इवेंट राजस्थान में बहुत कामयाबी के साथ में हुई, जिसकी सबने तारीफ की। नम्बर दो।

नम्बर तीन, मैं यह भी कहना चाहूंगा, अभी 'चिन्तन शिविर' की चिंता आपको लग रही थी, मैं समझता हूं कि जिस रूप में 'चिन्तन शिविर' हुआ, वह हमारी पार्टी का इफेक्ट था, उसमें तो अलग मामला है, वह बहुत कामयाब रहा, हमें इस बात का गर्व है और खुशी है पर आपका जो आब्जेक्शन है उसको मैं खारिज करता हूं। क्योंकि आपको शायद जानकारी होगी, हमारे नेताओं ने, हाई कमान ने विशेष रूप से इंस्ट्रक्शंस दिये हम लोगों को, जो कभी नहीं होता कंट्री के अन्दर, कोई केन्द्रीय मंत्री आयेगा या राज्य का मंत्री आयेगा, आटोमेटिकली

(श्री अशोक गहलोत)

उसको स्टेट गेस्ट बनाते हैं, पर, तिवाड़ी साहब, यह मैं कहना चाहूंगा कि यह इवेंट वह थी जब हमने तय किया कि जो गेस्ट आयेगा, टेक्निकली वह स्टेट गेस्ट होता है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी प्रोटोकोल में आदमी लगता है पर सारा खर्चा उनका होटल का, सारा उनका ट्रांसपोर्टेशन का पार्टी भुगतान करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं पड़ेगा। आपको जानकर यह खुशी होनी चाहिए इस बात की।

इसके विपरीत, यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश के अन्दर ऐसी इवेंट हुई थी बी.जे.पी. की, जब दिग्विजय सिंहजी मुख्य मंत्री थे 2002 के अन्दर, तब मुझे पता नहीं, आप में से कौन गया, नहीं गया आप गये होंगे, तब वहां पर तत्कालीन मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंहजी ने आपके तमाम नेताओं को स्टेट गेस्ट ही नहीं बनाया, बल्कि आपकी वर्किंग कमेटियां, जो भी आपके कमेटियां थीं, उन तमाम लोगों को रात्रि भोज पर घर पर बुलाया गया कांग्रेस मुख्य मंत्री द्वारा; यह भी किया गया। यह तो आपको चाहिए था कि आप हमें आकर कहते कि भाई, आपके इतने बड़े-बड़े गेस्ट आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, सोनियाजी आ रही हैं, पूरी हाई कमान आ रही है, आप इनको सम्मान दो, हमें कोई एतराज नहीं है। आप उसमें कह रहे हो, विज्ञापन के पैसे खर्च कर दिये? कौन से विज्ञापन में पैसे खर्च कर दिए? कौन से विज्ञापन में पैसे खर्च कर दिये उस इवेंट के लिए? हम इतना ध्यान रखते हैं कि सरकार, जब हम बार-बार कहते हैं और आप भी मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत होंगे, हम सब जनता के ट्रस्टी हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं करें, वह कैसे सम्भव होगा कि हम करोड़ों रुपये विज्ञापन में खर्च कर दें 'चिन्तन शिविर' के नाम पर? यह कैसे हो सकता है? कैसे आपने यह बात कह दी? मेरी समझ के बाहर है। आपको किसने ब्रीफ किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

इस प्रकार से आपने जो कहा है, आपको इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि सोशल वेलफेयर में, सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें तो काफी सारी हैं, वह अलग बात है परन्तु प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप हो, एस.सी. की, एस.टी. की, माइनोरिटी की, ओ.बी.सी. की, एस.बी.सी. की, उसमें तमाम जो स्कीमें बनी हैं, उन पर सरकार पूरा ध्यान रही है, चाहे अनुप्रति योजना हो, चाहे वह पालनहार योजना हो या नि:शक्तजन के लिए योजनाएं हों। आगे और इस कारवां को, इन भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए गर्ल एजुकेशन, चाहे वह एस.सी.

(श्री अशोक गहलोत)

की हो, एस.टी. की, ओ.बी.सी. की, एस.बी.सी. की, माइनोरिटी की या इकोनोमिक बैकवर्ड की, जो भी होगा, सरकार चाहेगी कि गर्ल एजुकेशन पर चाहे छात्रावास खोलने पड़ें, चाहे हमें उनके लिए स्कूटी देनी पड़े, चाहे हमने साइकिल योजना लागू की, पहले नाइन्थ, टेन्थ के बाद थी, हमने आठवीं-पास की तमाम गर्ल्स को, चाहे ए.पी.एल., बी.पी.एल. है, कोई भी है, उन तमाम गर्ल्स के लिए इस साल से साइकिल योजना घोषित कर दी है, उसका लाभ बच्चों को मिलेगा इस साल से। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का है, उसका हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से, और मैं सदन को कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार द्वारा कोई कमी नहीं आने दी जायेगी; इसकी जो भी योजनाएं होंगी, लोन देने की बात है, सब्सिडी की बात है, उसके आधार पर हम चाहेंगे कि इन योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं और महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, उस दिशा में हम आगे बढ़ें।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी प्री-मैट्रिक, पहले बहुत कम बच्चे तालीम ले पाते थे पर आज, आपके वक्त में 8,775 जो प्री-मैट्रिक स्कालरशिप मिलती थी, आज करीब 1,48,816 प्री-मैट्रिक और 20,779 पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप मिल रही हैं, 3,303 की मेरिट-कम-छात्रवृत्ति अलग से मिल रही है; बालिकाओं के लिए छात्रावास बन रहे हैं और उनको लोन की जो स्कीम थी, उसमें 25 करोड़ की गारंटी के बजाय 100 करोड़ की गारंटी दी गयी, उसका लाभ उनको मिल रहा है।

वक्फ सम्पत्तियों के लिए तीन करोड़ की राशि हमने भुगतान की है, उसका अच्छा इम्पेक्ट है। आई.टी.आई. के माध्यम से उनके एरियाज में, जहां माइनोरिटी की संख्या ज्यादा है, उस स्कीम को हम आगे बढ़ाएं। आई.आई.टी., आई.आई.एम., इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेज के लिए एक लाख रुपये का पुनर्भरण करने की जो योजना हमने घोषित की थी, वह चल रही है।

इस प्रकार से एस.टी. के छात्रों को भी साइकिल की, स्कूटी की स्कीम बनायी गयी है, वह पूरी तरह से कामयाब हो रही है, बराबर आगे बढ़ रही है।

सहरिया आदिवासियों के लिए, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है आदिवासियों में, मैं कहना चाहूंगा कि सहरियाओं के लिए भी स्पेशल पैकेज देकर 35 किलो प्रति माह नि:शुल्क गेहूं के साथ में दो किलो दाल, दो किलो

(श्री अशोक गहलोत)

तेल और एक किलो देशी घी का पैकेज उपलब्ध करवाया गया। अभी सहकारिता मंत्रीजी गये थे, बहुत अच्छे ढंग से लांचिंग हुई और बहुत अच्छे ढंग से उसका वहां पर एप्रिशिएशन है।

मिड-डे मील को हमने लागू किया है, पहली बार वहां उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए भी दुगना पोषाहार के रूप में और पहली बार मदरसा के अन्दर भी मिड-डे मील स्कीम वहां पर लागू हुई है। इस प्रकार से ये तमाम कदम उठाये गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): विधान परिषद की घोषणा की थी आपने और पूरे हाउस से आपने पास कराया, थोड़ी नजर उस पर भी डालें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हां, अच्छा पाइंट उठाया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी, आपका अल्पसंख्यकों पर बहुत जोर है और मैं आपका स्वागत करता हूं लेकिन एम.जे. अकबर...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप भी अल्पसंख्यक ही लगते हो मुझे तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यही कह रहा हूं मैं। अभी एम.जे. अकबर ने परसों एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा है कि सरकारी संरक्षण के हिसाब से अब अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ओ.बी.सी. ये सब संरक्षित हैं...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): एस.बी.सी.।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...और ब्राह्मण बेचारे जो हैं वे अल्पसंख्यक हो गये हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैंने कह दिया न आपको, आप खुद ही अल्पसंख्यक लगते हो।

महंगाई की मार से हम सब त्रस्त हैं, आपने भी चिंता व्यक्त की और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, सदन को जानकर खुशी होगी कि जो प्रयास किये हैं, मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में शायद नहीं हुए होंगे, जिसमें हमने हर वक्त में केन्द्रीय बिन्दु बनाकर के, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई की मार है, इसलिए हमने, जैसा मैंने आपको कहा, मुख्य मंत्री आवास योजना का मैंने आपको बताया, 3,400 करोड़ की योजना, उसमें मुख्य मंत्री आवास योजना, बी.पी.एल. रक्षा कोष, मुख्य मंत्री सहायता कोष, आप में से पक्ष-विपक्ष के कई

(श्री अशोक गहलोत)

सदस्य बराबर उसका लाभ ले रहे हैं, गरीबों को राहत देने के लिए, इलाज के लिए।

इस प्रकार, गेहूं का समर्थन मूल्य 200 रुपये, 100 रुपये हमने पिछली बार घोषित किया उसका, पशुधन की दवाई फ्री-ब्याज मुक्त फसल; इनपुट सब्सिडी, फसल बीमा योजना; अतिरिक्त बिजली; किसानों के लिए कृषि कनेक्शन, विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं की गयी, एल.पी.जी. के उपभोक्ताओं को 50 रुपये बढ़ गये थे तो 25 रुपये सरकार ने भरना कबूल किया, वह चल रहा है; केरोसीन का और खाद्यान्नों का, अन्य सामग्री का वैट समाप्त कर दिया। पिछली बार 300 करोड़ रुपये उस पर भार पड़ा;

डीजल की दरें बढ़ी थीं तो हमने वैट नहीं लिया, 250 करोड़ का उसमें रेवेन्यू नहीं आया; पैट्रोल के दाम पिछली बार मैंने दो परसेंट कम किये थे, 125 करोड़ रुपये; करीब 26 हजार 846 करोड़ रुपये का प्रयास किया गया, किस प्रकार से मंहगाई कम करने का प्रयास करें। यह मैं कहना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यानी आप फिर से मुख्य मंत्री नम्बर 1 बन गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। आपको किसी ने अलाउ किया क्या?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपका निवेदन स्वीकार है हमें, आप तो निवेदन करते ही रहते हैं।

इसलिए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जिस रूप में आपने जो सुझाव दिए हैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने, उसके हिसाब से जो आपने बताये हैं आंकड़े, कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में बात आपने की, बाई-एण्ड-लार्ज कानून-व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में अच्छी रही है हमेशा। आप भी गृह मंत्री रहे हैं और आप भी उस वक्त यह कहते थे कि राजस्थान वह राज्य है जहां पर हम लोग एफ आई आर दर्ज करने में कभी मना नहीं करते हैं, जबकि कई राज्यों में एफ आई आर दर्ज भी नहीं होती है। इसलिए आंकड़ों की कमी-बेशी सामने आती रहती है। उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो आंकड़े आपने दिए हैं, उनको मैं दिखवा करके यह पता करूंगा कि कहां-कहां कमी है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा।

(श्री अशोक गहलोत)

एक पाइंट आपने कहा था कि निजी स्कूलों के अन्दर भर्ती नहीं हो रही है, खाली कागजों में है और बहुत भावुक होकर के आपने ये बातें कही थीं; उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, 24,381 निजी स्कूलों में अभी तक 1 लाख 15 हजार 09 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पच्चीस परसेंट उन बच्चों का स्थान सुरक्षित है, पच्चीस परसेंट, उस दृष्टि से आप एक बार अपने डी ई ओ को भेजकर उन सारे स्कूलों के आंकड़ें मंगवाएं। उससे आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में वे स्कूल इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह आप जो बता रहे हैं, देखिए, कमी जो है उसको स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है और न आपको होनी चाहिए। राजस्थान की बात है, गांवों में स्कूल आप और हम लोग खोलते हैं, पी एच सी, सी एच सी खोलते हैं, सब सेण्टर्स खोलते हैं, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सैकण्डरी, सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी खोलते हैं परन्तु यह कमी हमेशा बनी रह रही है। आपकी सरकार ने भी बहुत प्रयास कर लिए, हमने भी प्रयास किये हैं; आपने भी करने का प्रयास किया, हमने भी कमी नहीं रखी है परन्तु इसके आपको-हमको सम्मिलित प्रयास सोचने पड़ेंगे कि किस तरह से कोई तरीका निकालें जिससे गांव, ढाणी, स्कूल के अन्दर डाक्टर, टीचर, नर्स सुनिश्चित रह सकें। क्या करना चाहिए, मैं उसमें आपका भी सहयोग चाहूंगा और तमाम प्रतिपक्ष के लोगों का, किस प्रकार से हम सब साथी मिलकर के रूल्स चेंज करें। रूल्स चैंज करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अलाऊ नहीं करता है, कोई बाड़मेर में भर्ती हो रही है तो बाड़मेर जिले का ही लड़का लगेगा, अलाऊ नहीं करता है; वह कहता है, हिन्दुस्तान में कोई बिहार का, उड़ीसा का छात्र भी आ सकता है।

कुछ समस्याएं हमारे सामने कामन हैं, कामन समस्याओं के समाधान कामन तरीके से निकल सकते हैं। समय-समय पर हम अगर बैठकर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई रास्ता निकलेगा। सरकार का माइंड ओपन रहेगा ऐसे फैसले करने में जिनसे कि अवाम का भला हो, जिसके लिए आप और हम लोग सब जनता का विश्वास प्राप्त करके जीतकर आते हैं। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

एक आपको और बताना चाहूंगा, जो अभी आपने आंकड़े दिए थे,

(श्री अशोक गहलोत)

आपके शासन के वक्त में कृषि में वृद्धि जो हुई थी वह 8.60 की हुई थी, कृषि के अन्दर और अभी हमारे वक्त में कृषि की वृद्धि दर जो है, 29.79 है। कहां तो 8.52 और कहां 29.79! उद्योगों के अन्दर आपके वक्त में 16.98, हमारे वक्त में 17.18; सेवा क्षेत्र में आपके वक्त में 14.82, हमारे वक्त में 20.18; प्लान एक्सपेंडिचर के भी जनवरी तक के जो फिगर आए हैं उसमें 49.60 आए हैं। तो जो आपने कहा कि पचास परसेंट पर आपकी गाड़ी अटक गयी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कभी होता भी नहीं है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने हाउस में विधान परिषद की बात उठाई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ, उसके लिए तो मैं फिर आप सबको धन्यवाद दूंगा कि हमने सबने मिलकर प्रस्ताव पास किया था और कैबिनेट के अन्दर भी बाकायदा डिस्कस हो चुका है एक बार। कुछ कारणों से उन्होंने उस आइटम को डेफर किया है । उम्मीद करते हैं कि हमने जो विधान परिषद का प्रस्ताव पास किया, उसको अपन पूरा करवायेंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

पहले मैं आपको कह दूं, तीस परसेंट किराये में छूट सम्बन्धी बात जो है वह करीब-करीब फाइनल स्टेज पर है, महिलाओं के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।

भ्रूण हत्या को लेकर भी सवाल उठे यहां पर, उसमें दस लोगों को सज़ा हो चुकी है। सरकार बहुत गम्भीर है, कन्या भ्रूण हत्या महापाप है और हम सबको मिलकर के, पक्ष-विपक्ष सबकी बात आती है, रेशो बिगड़ जाएगा तो बहुत खतरनाक स्थिति आने वाले वक्त पैदा होगी। उससे बचाव करने के लिए राजस्थान में हमें आगे बढ़ना चाहिए।

आपने कहा, सेलेरी 16,800 के करीब नहीं है, बल्कि तीस हजार हमने कर दी है। तब भी डाक्टर आज मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना बढ़ चुका है कि तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद भी, उनकी ग्रेड बढ़ाने के बावजूद भी हमें डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। डाक्टर खुद बैठे हुए हैं दिगम्बर सिंहजी, ये जानते होंगे, अगर ये मदद करें तो हम तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे, कहीं डाक्टर पैदा करके ला सकते होंगे तो। डाक्टर आ नहीं रहे हैं, हैं ही नहीं हमारे पास।

(श्री अशोक गहलोत)

विधान परिषद की बात जो आपने कही है, उसके लिए मैंने कह ही दिया कि उसको हम दूर करेंगे, कैसे हम इसको कर सकते हैं।

रिफाइनरी के लिए फिर मैं कहूंगा, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपकी सरकार ने, वह समय प्रोपर था, तेल हमारे वक्त निकला था जब हम सरकार में थे, सरकार चली गयी थी, जाने के बाद में खाली कुओं का नामांकरण हुआ है, परिवार के नाम पर खाली और कुछ भी नहीं हुआ। सरकार वापस हमारी आयी, तेल निकलने लगा, डाक्टर मनमोहन सिंहजी को हम लेकर वहां पर गये, उसके बाद में रेवेन्यू मिलने लगा। यह बहुत भारी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उस रेवेन्यू के कारण से ही रेवेन्यू बढ़ गयी है और हमारे सब पैरामीटर्स ठीक हो गये हैं। कोई कहता है बीस हजार करोड़ मिल रहे हैं, कोई कहता है पच्चीस हजार करोड़ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, करीब पांच हजार करोड़ मिल रहे हैं मुश्किल से। आने वाले वक्त में बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं परन्तु उस वक्त में जो पैकेज मांगा गया था आपसे ओ एन जी सी के माध्यम से, पैसा वहीं से आता आपका, आप लगाते, पैकेज की बात करते; हो सकता है, मैं दावा तो नहीं करता, क्या होता, पक्का क्या होता, पर हो सकता है, बात आगे बढ़ती, रिफाइनरी लगने का फैसला हो जाता। आज वह रिफाइनरी लग चुकी होती। आपने लापरवाही दिखाई, परवाह ही नहीं की। (व्यवधान) उस कारण से कुछ नहीं किया आपने।

अब जाकर के केलकर कमेटी आयी थी, तेरहवें वित्त आयोग की कमेटी थी, उस वक्त हमने जो तय किया और जिस रूप में हमने त्रिपाठी कमेटी बनवाई, उसकी रिकमंडेशन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट की खुद की भागीदारी होगी उसके अन्दर, 15 से 26 परसेंट के बीच में और उसके आधार पर हम रिफाइनरी लगाने की बात कर रहे हैं। जो पैकेज मांगा गया है, वह मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने वहां लिखकर भेजा लैटर मंत्रीजी को भी, मैंने वादा किया है कि अगर आप रिफाइनरी लगाते हो तो हम, सरकार पैकेज देने को तैयार है। अगर वह पैकेज के बावजूद लग जाती है रिफाइनरी तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में करीब, वह रिफाइनरी कैपेसिटी जो पहले 4.5 मिलियन टन की बात चल रही थी, वह नौ मिलियन टन की हो चुकी है, पैट्रो-केमिकल के आइटम भी उसमें होंगे। इस प्रकार से, करीब 37-38 हजार करोड़ की रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट, जो पहले 20-25 हजार

(श्री अशोक गहलोत)

करोड़ की बात हो रही थी, आज वह 38-40 हजार करोड़; आज इतनी बड़ी रिफाइनरी का लगना राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं, कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जायेगा, अभी तक के। इन्वेस्टमेंट होगा, लाख-डेढ़ लाख लोगों को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्रीजी से भी निवेदन किया है, आप सबकी भावनाओं को मैं बताता रहता हूं, हमारी नेता सोनिया गांधी जी को बताया मैंने; पहले मुरली देवड़ाजी थे तब भी हमने बात की; जयपाल रेड्डीजी साहब थे तब तीन-चार बार जाकर मैं उनसे मिला; अभी मैं तीन बार उनसे भी मिल चुका हूं, मैं सम्पर्क में हूं। मैं सदन को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि रिफाइनरी राजस्थान में लगे, यह हमारा सबका प्रयास होना चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हम लोग कामयाब होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबका एक बार पुन: धन्यवाद करता हूं कि आप सबने जो भाग लिया है, जो मैंने पढ़े हैं, आपकी प्रोसीडिंग्स के मिनट्स पढ़े हैं, मुझे अच्छा लगा, हमारे दो-तीन दोस्तों को छोड़ दीजिये, दो-तीन दोस्त तो होते ही हैं जो आलोचना कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, उनको छोड़ करके, उनको छोड़ करके, उनको छोड़ करके बाकी लोगों ने जो है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): क्या बोल रहे हैं ये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुनिये, मेरी बात सुनिये। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है ना, बार-बार, क्योंकि इतना घुस चुका है उस सरकार के अन्दर, आपके दिमाग में हमेशा वही बात लगती है। मैं कुछ बोलता हूं, मैं कुछ भी बात बोलूं, कुछ भी इंगित करूं तो आपको सीधा करप्शन ही सामने आता है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि लम्बी कहानी है, मेरे मुंह से मत सुनो वापस क्योंकि मैंने जो कहा था अखबारों के अन्दर, उसको आपने खुद ने पढ़ा होगा। मैंने कहा क्या, वह सब जानते हैं। मैं आज भी कहना चाहूंगा आपको कि माथुर कमीशन मैंने बनाया था, मैंने ईमानदारी बरती उसके अन्दर, एक्ट नहीं लगाया उसके अन्दर, इंक्वायरी एक्ट...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, आपने मना नहीं किया। मैं कब कहता हूं, आपने...? मैं कब कह रहा हूं आपको ? मैं नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि आपने कहा था, या वसुन्धराजी ने कहा था, या और किसी ने कहा था। मैंने खुद ने सोचा कि हमारे बिना एक्ट लगाये हुए और मैंने, अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट बार-बार दिया था उस वक्त में जो रिकार्ड के अन्दर है, हम चाहते हैं कि कोई बदले की भावना किसी के साथ नहीं हो। नम्बर एक...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप बैठो, बैठो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैंने कहा, बदले की भावना से कोई काम करने की इच्छा नहीं है; भावना नहीं रखते हैं हम लोग। नम्बर एक।

नम्बर दो, माथुर कमीशन जब मालूम करेगा कि कहां-कहां गलतियां हुई हैं, किस कारण से गलती हुई है, हो सकता है, मैं खुद भी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी भी, मेरी सरकार भी वे गलतियां नहीं करे।

नम्बर तीन, आने वाली सरकारें भी गलतियां नहीं करें, यह कहने का साहस होना चाहिये, आने वाली सरकारों के लिये भी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): करो ना आप भी। यह कहा था आपने। (व्यवधान) अब बैठो ना आप। आप पढ़ लेना आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। कृपया आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें। विराजें आप। विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उस पाइन्ट पर भी मैं आ रहा हूं, आपने ठीक याद दिलाया मुझे, धन्यवाद आपका।

तो उसमें जो है, मैंने कहा, आने वाली सरकार भी गलती नहीं करे कोई, इसमें क्या बुरा है? बता दीजिये मुझे। मैं सदन से पूछना चाहता हूं। मैंने इतनी ईमानदारी बरती। कोई बदले की भावना की बात मैंने नहीं की। उसके बाद भी, मान लीजिये, कुछ कारणों से, उन कारणों को मैं यहां डिस्कस तो कर नहीं सकता; आपका दिल जानता है, सब जानते हैं कि मान लो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि आप काहे के लिये यह लाते हो जब आपके यहां लोकायुक्त है तो? वे तमाम फाइलें लोकायुक्त में गयी हुई हैं। आपराधिक केस यदि कोई होता है और वास्तव में यदि गलती नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती की है किसी ने, तो वह क्रिमिनल केस कभी खतम नहीं होता है। आज नहीं, 5 साल बाद भी वापस जाग जाता है वह केस। मत भूलो इस बात को। मैं यह भी कहना चाहूंगा आपको कि आज वे केस वहां भेजे हुए हैं मैंने तो खतम नहीं किये हैं, वहां भेजे। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बैठ जाओ। तो मैंने कहा कि वहां भेजे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आदेश दिये हैं...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां गये हुए हैं।

अब मैं तीसरी बार यह कहना चाहूंगा कि जब इतनी बात हो चुकी है तो आप मुझे बता दीजिये। फिर भी आप अगर, जो आपके दिगम्बर सिंह जी या आपके साथ लोग कहना चाहते हैं कि उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो क्या यह दुनिया मान लेगी ? आज हमने, मान लीजिये, गलीचा चोरी हो गया खासा कोठी का, बीकानेर हाउस का, ठीक है; आप और बेनीवाल जी तो मित्र हैं आपस में, मित्र ही हों आपस में, तो आप बता दीजिये, कि...

(श्री अशोक गहलोत)

(व्यवधान) आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कौन से नोटिस आ गये, तो मैंने आपको ऐसे ही कह दिया क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो आपको मैं कहना चाहूंगा, उस पाइन्ट पर मैं आ रहा हूं, आपने ठीक याद दिलाया मुझे, आज आमेर की हवेलियां थीं, करोड़ों की थीं आमेर की हवेलियां, वहां आपके मीनल मोदी, ललित मोदी, सबके नाम से हवेलियां हो गयीं करोड़ों रुपये की। सरकार ने जब्त कर ली, कोई लेने ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं होगा। वह ललित मोदी जो कण्ट्री का एब्सकोंडर है, कण्ट्री का भगोड़ा आदमी जो है, तो कुछ तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सोच-समझकर कार्यवाही शुरू की होगी। आज भगना पड़ा कण्ट्री से उसको, रेड कार्नर वारण्ट निकला उसके खिलाफ में। क्या मैं उससे दोस्ती रख सकता हूं? क्या आप मुझे इजाजत देते हो, मैं लंदन में जाऊं, उससे मिलूं जाकर के? मिल सकता हूं मैं? मिलना चाहिये मुझे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। विराजिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो मैं यह कह रहा हूं आपको... (व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं खाली पूछ रहा हूं आपको, क्या एक चुने हुए जन-प्रतिनिधि को, एम एल ए हो, एम पी हो, मंत्री हो, मुख्य मंत्री, कोई भी हो, कण्ट्री का भगोड़ा आदमी है, जिसके ऊपर इतना बड़ा चार्ज है, रेड कार्नर वारण्ट निकला हुआ है, पासपोर्ट खतम हो चुका है, भगोड़ा है, क्या उससे मैं जाकर मिलूं? दोस्ती करूं ? आप भी बोलो। (व्यवधान) आप लोगों ने कहा है क्या?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप बैठो। आप तो बैठो; बैठो। मैं कहना चाहूंगा, अगर जो आरोप लगे हैं, और भी...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुनो भाई। और भी आरोप लगे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, सुनिये। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने जो कहा है मुझे...(व्यवधान) आपने जो कहा कि जो आरोप और भी लगे होंगे, मान लीजिये, उन तमाम आरोपों के बारे में; मान लीजिये, जो आरोप सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं, तो मैंने यह कहा कि वहां से नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को भी आये हैं। आपने कहा, कौनसा नोटिस आया है ? यह तो आपने मुझे कहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि नोटिस आये हैं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जो अभी अपनी एस एल पी फाइल हुई है वहां पर, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था केस चरागाह की जमीन का, उसको लेकर हाई कोर्ट के जजेज के नाम भी थे उसके अन्दर, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया था केस को, उसकी एस एल पी हुई थी, उस एस एल पी के अन्दर तीन जजों ने बैठकर, आपस में सलाह-मशविरा करके जो नोटिस जारी किये हैं, वह हाई कोर्ट को खुद को किया है, स्टेट गवर्नमेंट को किया, उसका मैंने जिक्र किया है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा आपको, ऐसे ही नहीं है, और भी बात हुई है...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जो इश्यू बने हों, वे किस-किस पर बने हैं, किस-किस पर नहीं बने हैं, यह तो वक्त बतायेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कटारिया साहब भी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अगर आप चाहेंगे, सदन चाहेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूं, जो चैलेंज किया है घनश्याम तिवाड़ीजी ने कि आप जलमहल पर एक व्हाइट पेपर निकालिये, मैं कहना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं यहां पर, उनकी अपनी हैसियत होती है कानून के अनुसार, जो जलमहल प्रकरण है, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और मालूम हो जायेगा कि नम्बर वन दोषी कौन है। आप क्यों खड़े हो रहे हो? मैं आपको कह रहा हूं क्या? मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि जलमहल प्रकरण हो या कोई सा प्रकरण हो, अगर कानून की बात करें तो वह चाहे किसी का भाई हो, भतीजा हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उससे क्या मतलब है? कानून को अपना काम करने देवें। कानून अपना काम करे। उसमें मैं चाहूंगा कि अगर नेता, प्रतिपक्ष तैयार हों तो जो पूरा एपिसोड है जलमहल का, वे देख लेवें; हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, ये कन्विंस हो जायेंगे, उसमें कहीं गलती है या खाली झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं किसी पर, मालूम पड़ जायेगा आपको।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात सुनी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी आप जो ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप अध्यक्षजी से बात करना, जो भी करनी हो। (व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और तमाम सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भाग लिया। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं, मंत्रीजी को क्या हुआ?

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.32 बजे बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2013 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बायतू में संचालित छात्रावासों पर व्यय राशि

83. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कितने आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है?

(2) उक्त छात्रावासों में कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं तथा प्रति वर्ष कितनी राशि उक्त छात्रावासों पर व्यय की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बायतू विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने छात्रावास संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बायतू, पाटोदी में संचालित छात्रावासों में छात्र संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति के 432 एवं जनजाति के 249 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

(2) उक्त छात्रावासों में कुल 26584 विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 में लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त छात्रावासों पर प्रति वर्ष छात्रावास संचालन पर 1250 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह के हिसाब से व्यय किये जाने का प्रावधान है जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। उक्त छात्रावासों पर वर्ष 2011-12 में 2935.63 लाख रुपये का व्यय किया गया है जिसका छात्रावासवार व्यय विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बायतू में राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) छात्रावास बायतू जिसकी स्वीकृत क्षमता 25 एवं लाभान्वित संख्या 25 है एवं राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) छात्रावास पाटौदी जिसकी स्वीकृत क्षमता 45 एवं लाभान्वित संख्या 45 है, संचालित हैं।

(4) सरकार के पास बायतू, पाटौदी में संचालित छात्रावासों में सीटें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। इन छात्रावासों में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अतिरिक्त प्रवेश की संभावना के आंकलन उपरान्त यदि आवश्यकता हुई, तो नियमानुसार सीटें बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के कारागृहों में व्याप्त अनियमितताएं

84. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्ष में प्रदेश के कारागृहों से कैदियों के भागने की कितनी घटनाएं हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर कैदियों के भागने की घटनाओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के कारागृहों में मादक पदार्थ पाये जाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कितने प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में राज्य की कारागृहों से बंदी फरारी की 20 घटनायें एवं बंदी खुला शिविरों से बंदी फरारी की 17 घटनायें कुल 37 घटनाएं घटित हुई हैं जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत चार वर्षों की अवधि में राज्य की कारागृहों से फरारी की कुल 20 घटनाओं की जांच करवाई गई है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) गत चार वर्षों में राज्य की कारागारों में मादक पदार्थों के पाये जाने की कुल 60 घटनाऐं घटित हुई जिसमें से 21 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में दोषी वाहन चालकों से वसूली गई राशि

85. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

भीलवाड़ा जिले में गत 2 वर्षों निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान तेज गति से चलने वाले वाहनों में से किस-किस वाहन के किस-किस दिनांक को किस स्थान पर खड़े होकर एवं मोबाइल वाहन द्वारा कितने चालान बनाये गये एवं कितनी राशि जुर्माने की वसूल की गई ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा में पिछले दो वर्षों में तेज गति से वाहन चलाने वालों के मोबाइल वाहन द्वारा बनाये गये चालानों की सूचना निम्नानुसार है -

वर्ष-2011

स्थान का नाम	दिनांक	चालान	वाहन	राशि
गंगापुर चौराहा	28.06.2011	01	आटो रिक्शा	400
अण्डर ब्रिज	24.02.2011 07.03.2011 02.04.2011	03	1. क्रूजर 2. मो.सा. 3. ऑ.रि.	1200
	योग	**04**		**1600**

वर्ष-2012

स्थान का नाम	दिनांक	चालान	वाहन	राशि
रेलवे फाटक	18.06.2012	01	ऑ.रि.	400
अण्डर ब्रिज	05.10.2012	01	ऑ.रि.	400
गंगापुर चौराहा	05.04.2012	01	ऑ.रि.	400
	योग	03		1200

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग को सरकारी बैंकों से ऋण

86. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक प्रदेश में जिलेवार कितना-कितना ऋण किस-किस बैंक द्वारा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(2) सरकार द्वारा जिला अलवर में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया? ग्रामवार, नामवार राशि व किस रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । राज्य में अल्पसंख्यकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी बैंकों से वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक जिलेवार उपलब्ध कराया गया ऋण की सूचना जिलो के बैकों से प्राप्त होने पर शीघ्र उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(2) जिला अलवर में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कुल 98 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को रुपये 59.88 लाख का ऋण वितरण किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर के राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय

87. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कुल कितने राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में ऐसे कितने विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां विज्ञान संकाय दो अथवा इससे कम राजकीय विद्यालयों में संचालित हैं?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में केवल एक ही राजकीय विद्यालय में विज्ञान संकाय संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर में विज्ञान संकाय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश के कुल 876 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित हैं। विद्यालयों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रदेश में कुल 25 विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां विज्ञान संकाय दो अथवा इससे कम राजकीय विद्यालयों में संचालित हैं।

(3) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवांची गेट एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रताप नगर के प्रस्तावों की अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन करते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत विज्ञान संकाय खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में संचालित शुद्ध के-लिए युद्ध अभियान की उपलब्धियां

88. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शुद्ध-के-लिये-युद्ध अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक? उक्त अभियान की उपलब्धियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान को बंद करने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष से यह अभियान मृतप्राय: पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियान जिला कलक्टरों के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खाद्य, उद्योग, कृषि, स्वायत्त शासन एवं परिवहन विभागों की गठित संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक 22.06.2009 से प्रारम्भ किया गया था।

शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियान में समस्त विभागों द्वारा दिनांक 30.09.2012 तक 1,64,792 निरीक्षण किये जाकर कुल 45,533 नमूने सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा लिये गये हैं। 238 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है, जिसमें 133 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। रुपये 48,48,633.00 की प्रतिभूति जब्त की जाकर 10,194 विभागीय प्रकरण दर्ज किये गये हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार खाद्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अपमिश्रण अधिनियम/एफ.एस.एस. एक्ट में अब तक कुल 20,594 सैम्पल लिये गये इनमें से 3,897 अपमिश्रित पाये गये। अपमिश्रित पाये गये कुल सैम्पलों में से 2,874 के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अभियान का प्रगति चार्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय सरकार के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्यवाही का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 12.10.2012 के द्वारा चलप्रयोगशालाओं को यथास्थिति मय स्टाफ, उपकरण, अभिलेखों एवं सम्बन्धित सूचनाओं के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को खाद्य विभाग से स्थानान्तरित कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या-2 के अनुसार है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित शराब की दुकानें

89. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान समय पर कितनी शराब की दुकानें संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोली गई दुकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब-कब? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त दुकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान में 803 देशी मदिरा की दुकाने एवं 118 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानें संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा लिखे गये

(आबकारी मंत्री)

पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इस पत्र में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत नशे में वाहन चलाने के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के साथ-साथ राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग से शराब की दुकानों को हटाने जैसे सुझाव दिये गये हैं।

(3) वर्तमान में इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र हेतु उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

90. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र सेठी कालोनी, जयपुर में वर्तमान में कितने बालक-बालिकाएं रह रहे हैं तथा उक्त किस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं? आयुवर्ग व विकलांगता की श्रेणी 0-6, 6-14, 14-18 व 18 से अधिक के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त केन्द्र पर कितने नये बच्चों की भर्ती की गई तथा कितनों की मृत्यु हुई? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत छह वर्षों में इस केन्द्र के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने कब-कब तथा क्या-क्या दिशा-निर्देश/आदेश प्रदान किये? माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/दिशा-निर्देशों पर जनवरी, 2013 तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, सेठी कालोनी, जयपुर में 65 बालक, 26 बालिकाएं एवं 26 महिलाएं आवासित हैं, जो सीवियर, प्रोफाउण्ड, मोडरेड, माइल्ड श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित हैं, जिनका आयु वर्ग एवं विकलांगता की श्रेणी के अनुसार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विगत तीन वर्षों में 86 बालक एवं 52 बालिकाओं को प्रवेश दिया गया। विगत तीन वर्षों में 12 बालक एवं 14 बालिकाओं की मृत्यु हुई जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विगत छह वर्षों में मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, सेठी कालोनी, जयपुर के संदर्भ में किसी प्रकार के दिशा-निर्देश/आदेश प्रदान नहीं किये गये हैं।

(4) मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, सेठी कालोनी, जयपुर को विगत 6 वर्षों में गृह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दिशा-निर्देश नहीं दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में नियुक्ति प्रक्रिया

91. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर स्थित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा गत चार वर्षों में किन-किन शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया कब-कब आयोजित की गयी? महाविद्यालयवार, पदवार व तिथिवार प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा आयोजित उक्त नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन पदों पर कब-कब नियुक्ति/पदस्थापन किया गया? तिथिवार एवं पदवार नियुक्त/पदस्थापित किये गये कार्मिकों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समाचार पत्रों में छपी खबरों व फोटो के अनुसार गत वर्ष उक्त महाविद्यालयों द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया में परीक्षा के नाम पर अभ्यर्थियों से खढ्ढे खुदवाये गये एवं मैदान की सफाई, झाड़ियो की कटाई आदि का कार्य करवाये गये थे? यदि हां, तो किन नियमों, प्रावधानों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर एवं महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर द्वारा गत चार वर्षों में शैक्षणिक, अशैक्षणिक पदों के लिए आयोजित नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त महाविद्यालयों द्वारा आयोजित नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत तिथिवार एवं पदवार नियुक्ति/पदस्थापित किये गये कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत लिखित, प्रायोगिक/दक्षता परीक्षा निर्धारित होने से कार्यालय से सम्बन्धित कार्य एवं शारीरिक दक्षता के लिए बागवानी आदि से सम्बन्धित साफ-सफाई में, शारीरिक कार्य करने के मापदण्ड हेतु परीक्षा ली गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़-डेरा-बांदीकुई जयपुर मार्ग पर बस सेवा का पुनः संचालन

92. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बन्द पड़ी बस सेवा राजगढ़ (अलवर) से वाया डेरा बांदीकुई, दौसा, जयपुर जाने वाली बस को पुन: संचालित करने के आदेश जारी कर दिये गये लेकिन अभी तक उस क्षेत्र की जनता को बस की सुविधा नहीं मिली है? यदि हां, तो क्या सरकार किये गये आदेशानुसार इस मार्ग की बस का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि परिवहन निगम आगार ने ऊछट स्टैण्ड जो गढ़ी सवाईराम से लक्ष्मणगढ़ (अलवर) मार्ग के बीच स्टैण्ड है, वहां बस स्टाप स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या बसें वहां रुककर यात्रियों को चढ़ाती व उतारती हैं तथा क्या बसों में ऊछट में यात्रियों को टिकट दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस बस सेवा का माह अप्रैल, 2004 से अक्टूबर, 2004 तक संचालन किया गया था परन्तु पर्याप्त यात्रीभार न मिलने के कारण इसका संचालन बंद कर दिया गया। संचालन अवधि में इस बस सेवा की

(परिवहन मंत्री)

माहवार आय प्रति कि.मी., लागत प्रति कि.मी., अन्तर हानि प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	आय प्रति कि.मी. (रुपयों में)	लागत प्रति कि.मी. (रुपयों में)	अन्तर हानि प्रति कि.मी. (रुपयों में)	यात्रीभार (प्रतिशत में)
अप्रैल, 2004	1100	15.96	- 4.96	59
मई, 2004	1204	15.52	- 3.48	65
जून, 2004	1160	16.49	- 4.89	62
जुलाई, 2004	1089	16.28	- 5.39	59
अगस्त, 2004	985	17.33	- 7.48	53
सितम्बर, 2004	833	17.32	- 8.99	45
अक्टूबर, 2004	**5**77	16.42	- 10.65	31

संचालन अवधि में इस बस सेवा को प्राप्त हुए आय प्रति कि.मी./ यात्रीभार तथा निगम के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए फिलहाल इस बस सेवा के संचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लेकिन राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत निजी जन सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर परिशिष्ट "1" में अंकित मार्गनुसार बस सेवा संचालन का प्रस्ताव है।

(2) जी हां। ऊछट स्टैण्ड को साधारण बस सेवाओं का बस स्टाप घोषित किया हुआ है लेकिन इस मार्ग पर साधारण बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है अपितु द्रुतगामी वाहनें संचालित हैं। जिनके लिए प्रार्थना बस स्टाप घोषित है। जिनमें ऊछट से यात्री चढ़ाये/उतारे जाते हैं किन्तु ऊछट से बैठने वाले यात्रियों को टिकट द्रुतगामी बसों के लिए निर्धारित बस स्टैण्ड झालाटाला एवं बीचगांवा से ही जारी किये जाते हैं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा के अन्तर्गत निजी जनसहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर जोड़े जाने वाले प्रस्ताव

मार्ग :- राजगढ़ (अलवर) डेरा-बांदीकुई-दौसा-जयपुर।

दौसा से डेरा

दौसा-खानभाकरी-प्रेमपुरा-नगाभाटा-जोपारा फाटक-खोरा कालान-भडोली-नीमली-कोलवा-झूपडा-नाथनवाडी-जोटा की ढाणी-चतरावास-बनिधि-डेलाडी-धारापुरा-श्यामसिंहपुरा-प्रतापपुरा-भोराडी-जीपाडा खुर्द-श्यामलावास खुर्द– बांदीकुई-पंडितपुरा–केसरीसिंहपुरा-गुलाना-झांझी रामपुरा-बसवा-सपराली-ग्वाडा-जनरोली-डेरा

दौसा से राजगढ़

दौसा-खानभाकरी-प्रेमपुरा-नंगाभाटा-जोपारा फाटक-खोरा कालान-कलोला-भण्डोली-कुण्डल-भावता भावती-गडरतावाडा, गूजरान मोड-गुढा कटला-खातेरी मोड -चपावन-रावास-सांवरियाजी-खोरा-करवार-फुलेरा-अगवाली-सुरेर-राजगढ़

सवाईमाधोपुर जिले में मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना हेतु चयनित मदरसे

93. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कितने मदरसों का चयन किया गया है? विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने मदरसों का चयन किया है और कितनी-कितनी राशि आबंटित की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सीआईडीसी योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने बेरोजगार युवाओं को किस-किस प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आरकेसीएल कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी भी जिले में मदरसों का चयन नहीं किया गया है। कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) एसपीक्यूइएम योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में 16 मदरसों का चयन किया गया है। मदरसावार आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) सीआईडीसी योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में वर्ष 2011-12 में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जो निम्न हैं:-

क्र.सं.	**वर्ष/बैच**	**विधा (ट्रेड)**	**प्रशिक्षणार्थी**
1.	2011-12 प्रथम बैच	डीजल मेकेनिक	28
2.	2011-12 द्वितीय बैच	जनरल वर्क सुपरवाईजर	24
3.	2011-12 तृतीय बैच	जनरल वर्क सुपरवाईजर	22
4.	2011-12 चतुर्थ बैच	जनरल वर्क सुपरवाईजर	33
		कुल	**107**

(4) आरकेसीएल कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 2767 अल्पसंख्यक युवाओं को तथा 925 अल्पसंख्यक बालिकाओं को नि:शुल्क कम्प्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2012-13 में प्रथम बैच में 1408 अल्पसंख्यक युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा 810 अल्पसंख्यक बालिकाएं नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण ले रही हैं। (सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।)

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बसेड़ी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत व्यय राशि

94. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान संचालित हैं? उक्त अभियान के तहत बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2010 से जनवरी, 2013 तक कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के तहत बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालय लाभान्वित हुए हैं और उन विद्यालयों में क्या-क्या कार्य किये? विद्यालयवार किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखराम)

(3) उक्त अभियान के तहत बाल उपयोगी कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की गई हैं, तथा उन पर कितना व्यय किया गया? व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना से किस-किस विद्यालयों के कितने छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए हैं? विद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा कराये गये कार्यों में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र हेतु आबंटित राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

विधान सभा	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
बसेड़ी	47.497 लाख	373.942 लाख	169.986 लाख

(2) उक्त अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में लाभान्वित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का वर्षवार व कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :-

1	एसएफजी, टीएलएम, रखरखाव आदि से लाभान्वित विद्यालय	परिशिष्ट "क"
2	निर्माण कार्यों से लाभान्वित विद्यालय	परिशिष्ट "ख"
3	कल्प योजना से लाभान्वित विद्यालय	परिशिष्ट "ग"

(3) उक्त अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों पर तीन वर्षो के दौरान कुल रु. 879.07 लाख का व्यय किया गया। गतिविधिवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(4) सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों से विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राएं लाभान्वित होते हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है।

(5) जी हां। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत का विवरण निम्नानुसार है :-

(शिक्षा मंत्री)

वर्ष 2011-12 में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बसेड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत की जांच कराकर तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री गोपाल शर्मा तथा एस.एम.सी. सचिव श्री राजवीर शर्मा को संस्कृत विभाग द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 में दोषारोपित किया गया है तथा सम्बन्धित से 4671 रुपये की वसूली की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले में अवैध शराब के दर्ज प्रकरण

95. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक अवैध शराब के कितने प्रकरण दर्ज हुए? उक्त में कितनी-कितनी देशी व अंग्रेजी शराब व किन-किन वाहनों को जब्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे प्रकरण भी हैं, जिनमें दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? यदि हां, तो ऐसे दोषियों को गिरफ्तार किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? अब तक गिरफ्तारी नहीं हाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गिरफ्तारी से शेष दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन पर न्यायिक कार्यवाही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में जनवरी 2009 से जनवरी 2013 तक अवैध शराब के आबकारी विभाग में 127 तथा पुलिस विभाग में 366 प्रकरण दर्ज हुये हैं। इन प्रकरणों में जब्त देशी व अंग्रेजी शराब तथा जब्त वाहनों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट- '1' व '2' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिन प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नही हुई है, उनके विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 173 (8) एवं 299 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करते हुये न्यायालय से स्टेण्डिंग वारन्ट जारी कराये गये हैं तथा दोषी व्यक्तियों की तलाशी जारी है।

(आबकारी मंत्री)

(3) जी हां। दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जिनकी गिरफ्तारी होने पर न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही हेतु पेश किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में वृद्घावस्था पेंशन हेतु जारी निर्देशों में शिथिलता

96. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वृद्घावस्था एवं अन्य कितनी प्रकार की कितनी-कितनी राशि पेंशन स्वरुप दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पेंशन जारी करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को बिना शर्त पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या बिना शर्त पेंशन जारी करने का कोई आदेश विभाग ने वर्ष 2012 में जारी किया था? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राज्य वृद्घावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विशेष योग्यजन पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दी जा रही है।

वर्तमान में 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 750 रुपये, 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को राशि रुपये 500 प्रतिमाह एवं 0 से 8 वर्ष आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

(2) राजस्थान वृद्घावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य वृद्घावस्था पेंशन एवं राज्य विधवा पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य विशेष योग्यजन पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इन्दिरा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के आदेशों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 पर संलग्न है।

(3) 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को बिना शर्त पेंशन देने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिना शर्त पेंशन दिये जाने का निर्णय लिये जाने पर पेंशनरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि सम्भावित होने के फलस्वरूप वित्तीय भार में भी वृद्धि सम्भावित होगी।

(4) 65 वर्ष व अधिक के स्थान पर 60 वर्ष व अधिक आयु के सहरिया परिवार के व्यक्तियों को बिना शर्त पेंशन देने के आदेश जारी किये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा में आई.आई.आई.टी. स्थापना प्रकरण

97. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में आई.आई.टी. की स्थापना किया जाना प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान निजी जन सहभागिता के आधार पर स्थापित की जा रही है? यदि हां, तो सम्बन्धित अनुबन्धों की शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान की स्थापना का कार्य कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि व्यास कमेटी द्वारा कोटा में एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की अनुशंसा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार व्यास कमेटी की अन्य सिफारिशों की भांति उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकृत कराके उक्त इंस्टिट्यूट की स्थापना कोटा में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार से अनुमति उपरान्त पीपीपी मोड के अन्तर्गत कोटा में IIIT की स्थापना हेतु चिन्हित स्थल का केन्द्र सरकार के स्तर से गठित दल द्वारा मौका मुआयना किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार से प्राप्त सम्बन्धित अनुबन्ध की शर्तें परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) संस्थान की स्थापना हेतु कार्य पूर्ण किये जाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(4) जी नहीं। व्यास कमेटी द्वारा एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना हाड़ोती क्षेत्र में किये जाने की अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा गुणावगुणों के आधार पर भरतपुर में एक राज्य स्तरीय एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कोटा में एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंस्टिट्यूट खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

विराट नगर में निगम बस सेवा में लाभान्वित ग्राम

98. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विराट नगर विधान सभा क्षेत्र की किन-किन ग्राम पंचायतों को गत दो वर्षों में निगम बस सेवाओं से जोड़ा गया तथा सरकार की इस वर्ष कितने नये गांवों को निगम बस सेवा से जोड़ने की योजना है?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में गत दो वर्षों में निम्न 2 ग्राम पंयायतों को वर्ष 2012 में निगम बस सेवा से जोड़ा गया है :-

1. पालड़ी
2. भामोद

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत निजी जन सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर दिनांक 30.04.2013 तक निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस विधान सभा क्षेत्र की निम्न 10 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है:-

(परिवहन राज्य मंत्री)

1. बडनगर
2. तुलसीपुरा
3. सोडानी
4. तालवा
5. बजरंगपुरा
6. रामपुरा
7. बडौदिया
8. खुवाड़ा
9. कुनेड़
10. तेवड़ी

शेरगढ़ में संचालित विद्यालय

99. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में सरकार द्वारा दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक कौन-कौन से नवीन विद्यालय खोले गये तथा कितने प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? वर्षवार व विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नवीन स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व किन कारणों से?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों में नवीन पद सृजित कर पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में अनार्थिक व एकीकरण में बन्द किये गये विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? बन्द किये गये विद्यालयों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में विद्यार्थी मित्रों को लगाकर

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

विद्यालय संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप खण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर,2008 से अब तक स्वीकृत किये गये नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोले नहीं जाकर, विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाता हैं, अत: उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2008 से वर्तमान तक राउप्रावि से मावि स्तर में तथा मावि से उमावि स्तर में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का वर्षवार, विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(2) जी हां। भूमि एवं भवन के अभाव में विद्यालय प्रारम्भ नहीं हुये हैं, का कारण सहित विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा विद्यालयों के लिये भूमि आबंटन के प्रयास किये जा रहे हैं, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यालय संचालन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

(4) जी हां। दिसम्बर, 2008 से 2011-12 तक क्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजित कर भरे गये हैं तथा वर्ष 2012-13 में नवीन खोले गये प्राथमिक एवं क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद स्वीकृत किये जा चुके हैं।

विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद पंचायतीराज विभाग द्वारा भरे जाने हैं तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापकों एवं अन्य रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरे जा सकेंगे।

(5) जी नहीं। अनार्थिक एवं एकीकरण योजना में बंद/मर्ज किये गये विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने का प्रस्ताव वर्तमान में विभाग के विचाराधीन नहीं है।

अनार्थिक एवं एकीकरण में बंद किये गये विद्यालयों की सूची विवरण सहित परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(6) नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए विद्यार्थी मित्र लगाये जाकर शिक्षण व्यवस्था की जाती रही है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर उड़द खरीद केन्द्र

100. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा खरीफ की बम्पर पैदावार होने से भीलवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर उड़द क्रय हेतु कहां-कहां पर सरकारी उड़द खरीद केन्द्र बनाये गये हैं तथा किस-किस संस्था के मार्फत उड़द खरीद करने की स्वीकृति दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले में किस-किस केन्द्र पर कब से समर्थन मूल्य पर उड़द खरीदने का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में कितनी तारीख तक उड़द खरीद की गई एवं उड़द खरीद के कार्य को बीच में बंद कर देने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उड़द खरीद केन्द्र जहाजपुर में किस तारीख से किस तारीख तक उड़द खरीदने के लिए काश्तकारों को पर्चियां लेकर तारीख दी गई थी? उसमें से कितनी तारीख तक की पर्चियों वाले काश्तकारों का उड़द खरीद लिया गया है तथा शेष काश्तकारों से उड़द नहीं खरीदने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समर्थन मूल्य पर उड़द क्रय करने का कार्य पुन: प्रारम्भ कर काश्तकारों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु नेफेड को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। राज्य में राजफैड द्वारा नेफेड के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर उड़द की खरीद का कार्य किया गया है।

समर्थन मूल्य पर उड़द की खरीद हेतु भीलवाड़ा जिले में राजफैड के पत्र दिनांक 31.10.2012 (परिशिष्ट-1) द्वारा नेफेड के निर्देशानुसार क्रमश: भीलवाड़ा, माण्डलगढ एवं गुलाबपुरा क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे। तत्पश्चात दिनांक

(सहकारिता मंत्री)

9.11.2012 को नेफेड से स्वीकृति प्राप्त होने पर शाहपुरा एवं जहाजपुर क्रय केन्द्र समर्थन मूल्य पर उडद की खरीद हेतु स्थापित किये गये। उक्त सभी क्रय केन्द्रों का संचालन क्षेत्र की सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा किया गया।

(2) समर्थन मूल्य पर उड़द की खरीद हेतु सभी प्रारम्भिक तैयारियां पूर्ण कर खरीद आरम्भ करने के निर्देश राजफैड के पत्र क्रमांक 4914-5043 दिनांक 31.10.2012 (परिशिष्ट-1) से जारी किये गये थे।

भीलवाड़ा जिले में केन्द्रवार उड़द की खरीद आरम्भ करने एवं क्रय की गई उड़द की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है-

नाम केन्द्र	**समर्थन मूल्य खरीद प्रारम्भ का दिनांक**	**समर्थन मूल्य खरीद बंद का दिनांक**	**मात्रा (बोरियों में)**
भीलवाड़ा	24.12.**20**12	01.02.**20**13	2441
गुलाबपुरा	10.12.**20**12	01.02.**20**13	7952
शाहपुरा	15.12.**20**12	01.02.**20**13	10101
जहाजपुर	19.12.**20**12	01.02.**20**13	1612
माण्डलगढ़ (बिजौलिया)	एफ.ए.क्यू. श्रेणी की उड़द की आवक नहीं होने के कारण खरीद नहीं हुई।		

क्रय केन्द्रों पर उड़द की खरीद का कार्य राजफैड द्वारा बीच में बंद नहीं करवाया गया है। नेफेड के पत्र क्रमांक 4302 दिनांक 19.2.2013 (परिशिष्ट-2) के अनुसार राज्य में दिनांक 19.11.2012 से दिनांक 31.1.2013 तक खरीद जारी रही है। नेफेड के दूरभाष निर्देशानुसार दिनांक 01.02.2013 से समर्थन मूल्य पर उड़द की खरीद का कार्य बंद कर दिया गया था।

(3) उड़द खरीद जहाजपुर केन्द्र पर दिनांक 19.12.2012 से 20.2.2013 तक उडद खरीद के लिये पर्चियां दी गयी थीं, उनमें से दिनांक 23.12.2012 तक की पर्चियों वाले काश्तकारों की उड़द समिति द्वारा क्रय की गयी।

शेष काश्तकारों से उड़द नहीं खरीदने के निम्नांकित कारण रहे हैं :-

1. नेफेड द्वारा खरीद केन्द्रों की जगह भण्डारगृहों में गुणवत्ता निरीक्षण करने की शर्त रखी गई। दिनांक 23.12.2012 तक क्रय की गई उड़द

(सहकारिता मंत्री)

बडी मात्रा में भण्डारगृहों पर अमान्य कर दी गई, इस बात का क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने विरोध किया। जिसके कारण क्रय प्रक्रिया प्रभावित हुई। निरस्त की गई उड़द की सूचना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

2. दिनांक 31.1.2013 को बिना पूर्व सूचना के अचानक नेफेड द्वारा खरीद बंद कर भण्डारगृहों से अपने गुणवत्ता निरीक्षक हटा लिये गये। अत: शेष पर्चियों की उड़द क्रय नहीं की जा सकी।

(4) जी नहीं। नेफेड के पत्र क्रमांक 4302 दिनांक 19.2.2013 (परिशिष्ट-2) के अनुसार समर्थन मूल्य पर उड़द क्रय करने का कार्य तकरीबन तीन माह (नवम्बर 12 से जनवरी 13) तक जारी रहा। राज्य में उड़द का पीक आवक सीजन माह अक्टूबर से दिसम्बर होता है फिर भी समर्थन मूल्य पर उड़द खरीद कार्य दिनांक 31.1.2013 तक चलाया गया ताकि अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्राप्त हो सके। अत: कार्य पुन: प्रारम्भ करने की अभी कोई सम्भावना नहीं है।

(प्रतियां व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

सोजत में अवैध खनन

101. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 में एन.एच.आई. व एल. एण्ड टी. कम्पनी को खनन हेतु कितने लीज प्रमाण पत्र कहां-कहां आबंटन किये गये? प्रमाण पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एल. एण्ड टी. कम्पनी को कितने नदी, नाले एवं तालाब, पहाड़ी एवं गोचर भूमि खनन हेतु लीज पर दिये गये हैं? नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एल. एण्ड. टी. कम्पनी द्वारा अवैध खनन किया है तथा ग्रामीणों के विरोध होने के बाद भी कम्पनी के विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई? यदि कार्यवाही की है, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 में मैसर्स एल.

(खनिज मंत्री)

एण्ड टी. लिमिटेड को कोई लीज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, वरन् राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक खनिजों के खनन के लिए 20 अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ए पर तथा अल्पावधि अनुमति पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट- ए-1 से ए-20 तक उपलब्ध है।

(2) राज्य में मैसर्स एल. एण्ड टी. लिमिटेड को वर्ष 2012 में नदी, नाले, तालाब एवं पहाड़ी में खनन हेतु लीज नहीं दी गई है, वरन् कुल 29 अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है, गोचर भूमि में कोई खनन लीज अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र जारी नहीं किया गया है।

अल्पावधि अनुमति पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 63 के तहत जारी किये गये हैं । नियम की प्रति परिशिष्ट-सी पर उपलब्ध है।

(3) एल. एण्ड टी. कम्पनी द्वारा दिनांक 2.5.12 को बागावास तालाब (सोजत) में व दिनांक 29.12.12 को ग्राम राजियावास (ब्यावर) में अवैध खनन किया जाना पाया गया जिस पर नियमानुसार पंचनामा बनाया जाकर कार्यवाही की गई । कम्पनी द्वारा अवैध रूप से निकाले गए खनिज की कीमत एवं प्रकरण को कम्पाण्ड किए जाने हेतु कम्पाउण्ड राशि जमा करा दी थी, इसलिए कम्पनी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई। अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-डी पर उपलब्ध है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमन्द जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

102. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द जिले में 1 जनवरी, 2010 से जनवरी 2013 तक कितनी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं विशिष्ठजनों को कितनी-कितनी राशि जीवनवृति के रूप में उपलब्ध करवाई गई तथा इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये? प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह की स्थिति दर्शाते हुये विधान सभा क्षेत्रवार वर्गवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) क्या जीवन वृति का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या-कारण रहे हैं तथा उसे दूर करने के क्या प्रयास किये गये?

(3) क्या जीवनवृति राशि लाभान्वितों के बैंक खातों में प्रतिमाह जमा करवाई जा रही है? यदि नहीं, तो किस प्रक्रिया से भुगतान किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में माह जनवरी, 2010 से माह जनवरी, 2013 तक भुगतान की गई पेंशन की दर एवं लाभान्वितों का वर्षवार कोष/उपकोषवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विधानसभावार रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(2) जीवनवृत्ति (पेंशन) का भुगतान 2-3 माह में किया जा रहा है। स्टाफ की कमी के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है। प्रत्येक माह पेंशन भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पेंशनर को भुगतान प्रतिमाह निर्धारित हो सके इसके लिए स्टेट पेंशनर के लीगेसी डाटा फीड करवाये जाकर आनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

(3) जीवनवृत्ति (पेंशन) राशि का भुगतान दो-तीन माह में दो ग्राम पंचायत की जीएसएसएस (मिनी बैंक) के माध्यम से व नगर परिषद् में 107 पेंशनर को उनके एसबीबीजे की शाखा में खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। शेष को पेंशन मनीआर्डर से भेजी जा रही है। पेंशनरों के खाते खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यालय जिला कोषाधिकारी राजसमन्द

परिशिष्ट-1

कोष/ उपकोष का नाम	जनवरी 2010									जनवरी 2011				जनवरी 2012				जनवरी 2013			
	विधवा	वृद्धावस्था							विकलांग	विधवा	वृद्धावस्था		विकलांग	विधवा	वृद्धावस्था		विकलांग	विधवा	वृद्धावस्था		विकलांग
पेंशन की दर	400	100	200	300	400	500	600	योग	400	500	500	750	500	500	500	750	500	500	500	750	500
राजसमन्द	1861	8	63	14	1944	69	544	2642	454	2146	2569	614	506	2178	3060	558	508	2298	3265	554	521
नाथद्वारा	1736	2293	320	55	425	5	26	3124	683	2078	5083	183	715	2240	5047	478	804	2538	6148	676	1084
भीम	1415	81	152	0	2825	192	378	3628	528	1718	4345	640	707	2119	5194	776	908	2205	5628	867	1014
देवगढ़	537	265	842	0	2102	0	0	3209	382	780	1862	1485	435	940	1865	1543	510	1096	1947	1610	574
आमेट	912	0	0	0	1482	0	314	1796	327	1151	2366	0	411	1217	2464	78	428	1011	2659	242	467
कुम्भलगढ़	1196	188	37	238	2532	161	111	3267	599	1641	3963	480	737	1622	3944	419	729	1674	4164	462	755
रेलमगरा	507	40	0	22	1089	27	135	1313	141	1001	1783	304	179	1125	1805	316	213	1257	2133	334	269
योग	**8464**	**2875**	**1414**	**329**	**12399**	**454**	**1508**	**18979**	**3114**	**10515**	**21971**	**3706**	**3690**	**11441**	**23379**	**4168**	**4100**	**12079**	**25944**	**4145**	**4684**

नोट :- कोष/उपकोष कार्यालयों में विधान सभा क्षेत्र वार रेकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। विभिन्न पेंशन योजनाओं का कोष/उपकोष कार्यालयों के द्वारा तहसील स्तर पर पेंशन भेजी जाती है। रिकार्ड भी कोष/उपकोष (तहसील) स्तर पर संधारित किया जाता है।

जिला कोषाधिकारी
राजसमन्द

अलवर जिले में संचालित अलवर वाहिनी सेवा

103. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलवर वाहिनी का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कुल कितने अलवर वाहिनी के लाइसेंस सरकार द्वारा जारी किये गये हैं? जारी लाइसेंसों के नामवार व विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर वाहिनी के कुल जारी लाइसेंस वाहनों में से कितने वाहनों की किश्तें समय पर प्राप्त नहीं हो रही हैं? ऐसे वाहन मालिकों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 02.12.2011 से अलवर वाहिनी का संचालन किया जा रहा है।

(2) अलवर जिले में अलवर वाहिनी के जारी अनुज्ञापत्रों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

शहरी क्षेत्र	**ग्रामीण क्षेत्र**	
	ग्रामीण मार्ग	अन्य श्रेणी मार्ग
558	89	104

अलवर वाहिनी के जारी अनुज्ञापत्रों की नामवार विधानसभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रश्न का यह भाग विभाग से सम्बन्धित नही है ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर जिले में संचालित शराब एवं बीयर बार बिक्री केन्द्र

89. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर जिले में गत वर्ष कितनी शराब की दुकानें एवं बीयर बार आबंटित किये गये? अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान नम्बर एवं इससे सरकार को कितनी राजस्व प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीयर बार आबंटित करने हेतु नियम व मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं, जहां पर बीयर बार संचालित नहीं है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में गत वर्ष 2011-12 में देशी मदिरा की कुल 62 दुकानें, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की कुल 11 दुकानें आबंटित की गई। धौलपुर जिले में गत वर्ष 2011-12 में कोई बीयर बार स्वीकृत नहीं किया गया अपितु 1 रेस्टोरेंट बार वर्ष 2010-11 में स्वीकृत होकर गत वर्ष भी संचालित रहा।

धौलपुर जिले में स्वीकृत एवं संचालित देशी मदिरा दुकानों, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों एवं रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञाधारी का नाम एवं दुकान का नाम तथा इससे प्राप्त राजस्व का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1, 2 व 3 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान में बीयर बार आबंटित करने हेतु कोई नियम एवं मानदण्ड निर्धारित नहीं है अपितु राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम, 2004 के अन्तर्गत रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं, जिनकी छायाप्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश के भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, दौसा, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, बून्दी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द व सवाई माधोपुर ऐसे जिले

(आबकारी मंत्री)

हैं जहां रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं है। उक्त 12 जिलों में रेस्टोरेंट बार स्वीकृत नहीं किये जाने का कारण विधिवत नियमानुसार कोई निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होना है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर जिले में अवैध शराब व डोडा पोस्त तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

90. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर जिले में गत दो वर्षों में पंजाब से अवैध शराब, पोस्त आदि की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आये तथा इसकी रोकथाम हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये?

(2) उक्त अवधि में श्रीगंगानगर जिले में कितनी मात्रा में नकली शराब व पोस्त पकड़ा गया तथा तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में गत दो वर्षों में पंजाब राज्य से अवैध शराब तस्करी के 160 मामले व पोस्त तस्करी के 04 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। तस्करी रोकने के लिये निम्न प्रयास किये गये हैं:-

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को क्षेत्राधिकार जिलों में आबकारी निरोधक दल की निरोधात्मक गतिविधियों हेतु नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है। साथ ही इन्हें विशेष अभियानों के आयोजन के भी निर्देश हैं।
2. आबकारी थानों के लिये भवन उपलब्ध करवाने हेतु इनके निर्माण की स्वीकृतियां जारी करते हुये कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं तथा आबकारी निरोधक दलों को राजकीय/अनुबन्ध पर वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं।
3. आबकारी निरोधक दल में 1739 सिपाही, 216 जमादार, 2 वाहन चालकों की रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं तथा सिपाही व जमादार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
4. आबकारी निरोधक दल के धावों व विशेष अभियानों के साथ-साथ पुलिस विभाग के समन्वय से संयुक्त अभियान भी चलाये जाते हैं।

(आबकारी मंत्री)

5. शराब व मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन व बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष मुखबिर प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 से लागू की गई है।
6. तस्करी की रोकथाम के लिये श्रीगंगानगर जिले में पंजाब राज्य से लगती हुई सीमा पर नाकाबंदी तथा प्रभावी गश्त करवायी जा रही है।

(2) उक्त अवधि में श्रीगंगानगर जिले में नकली शराब का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ परन्तु इसी अवधि में पकडी गई अवैध शराब व डोडा पोस्त की मात्रा तथा तस्करों के विरुद्ध आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खनन लीज आबंटन में एम.ए.डी.आर. एक्ट, 1957 की पालना

91. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) व **श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एम.ए.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 11(3) में खान आबंटन के क्या प्रावधान हैं और धारा 11/2 में प्राथमिकता तय करने के क्या प्रावधान हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त धाराओं के तहत कितने प्रकरण में आवेदनकर्ताओं को बुलाकर प्राथमिकता तय की गई? वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक के प्रकरणों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में सुनवाई वाले प्रकरणों में बनाये गए चार्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एम.ए.डी.आर. एक्ट 1957 के नाम से कोई एक्ट नहीं है वरन् एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 11(3) में एक ही तिथि को अथवा निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त खनिज रियायत आवेदन पत्रों में से किसी एक आवेदन पत्र का आबंटन हेतु चयन करने के लिए विचारित किए जाने वाले बिन्दुओं का वर्णन है । धारा 11(2) में यह प्रावधान है कि जो क्षेत्र रिक्त पड़े हैं उनमें पहले प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को बाद की तिथि के आवेदन पत्र पर वरीयता दी जाएगी एवं यदि एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन पत्र

(खनिज मंत्री)

प्राप्त होते हैं तो उनमें वरीयता का निर्धारण धारा 11(3) में दिये गए बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा । साथ ही यदि रिक्त क्षेत्रों पर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं तो अधिसूचना से पूर्व के आवेदन पत्र एवं अधिसूचना की निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को एक ही तिथि में प्राप्त होना माना जाएगा व वरीयता का निर्धारण 11(3) के बिन्दुओं के आधार पर होगा।

धारा 11(2) एवं 11(3) की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) वर्ष 2008 से 2013 के मध्य एक ही क्षेत्र पर निर्धारित अवधि में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 26(1) के तहत नोटिस जारी कर 31 प्रकरणों में आवेदनकर्ताओं को एम.एम.डी.आर. एक्ट की धारा 11(3) के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर व सुनवाई कर प्राथमिकता तय की गई। उक्त अवधि में जिलेवार तय किये गये प्राथमिकता के प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त अवधि में जिन प्रकरणों में प्राथमिकता तय की गई, उनका विवरण परिशिष्ट-3 से 33 पर उपलब्ध है ।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले के खनिज लीज धारियों पर बकाया राशि

92. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खनिज अभियन्ता कार्यालय, अलवर में गत चार वर्षों में विभिन्न लीज होल्डर्स पर वर्षवार किस-किस पर कब से व कितनी-कितनी राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त बकायादारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कार्यालय खनि अभियंता, अलवर में गत चार वर्षों में खनन पट्टाधारियों पर वर्षवार बकाया का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। उक्त बकायादारों से बकाया राशि की वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्र में खनन कार्य हेतु अधिकृत संस्था

93. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में खनन करने का एकाधिकार सरकार ने राजस्थान स्टेट माईस एण्ड मिनरल्स (आर.एस.एम.एम.) को देने का नीतिगत निर्णय लिया था? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया व अब तक निर्णयानुसार कितने स्थानों पर खनन कार्य प्रारम्भ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में खनन कार्य करने के लिए सरकार ने कई निजी कम्पनियों के साथ ज्वाईट एग्रीमेंट किया है? यदि हां, तो कितनी कम्पनियों के साथ? उक्त में से कितनी कम्पनियों को कार्य आदेश जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आर.एस.एम.एम. के साथ राज्य सरकार के हुए अनुबंध अनुसार जिस जनजाति क्षेत्र में खनन कार्य होंगे वहां उसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की शर्तें थीं? यदि हां, तो अब तक इस कार्य में कितने लोगों को रोजगार दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.3.2010 के पश्चात् जनजाति क्षेत्रों में प्रधान खनिजों के खनन रियायती अनुदान केवल आर.एस.एम.एम.एल. को दिये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के पश्चात् आर.एस.एम.एम.एल. को कोई खनन रियायतें जारी न होने से खनन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। आदेश दिनांक 10.3.2010 की प्रति परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.3.2010 के पश्चात् जनजाति क्षेत्र में प्रधान खनिजों के स्वीकृत किए जाने वाले खनन पट्टों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय आदिवासियों को दिया जाने का प्रावधान है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई खनन पट्टा स्वीकृत न होने से उक्त प्रावधानों के अनुसार रोजगार नहीं दिया गया।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक 14(10)खान/ग्रुप-2/99 जयपुर, दिनांक 10 मार्च, 2010

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.07.2009 के क्रम में निम्न आदेश जारी किये जाते हैं :-

1. राजस्थान राज्य के अधिसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रधान खनिजों के नये रिकोनेसेन्स परमिट/पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र/खनन पट्टे केवल राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. (RSMML) को दिये जायेंगे। RSMMLयदि चाहे तो निजी निवेशकों के साथ संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) भी कर सकेगी, पर उसमें RSMMLकी कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्वीकृत खनन पट्टों में खनन से होने वाले लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत स्थानीय आदिवासियों के कल्याण पर खर्च किया जायेगा तथा यह राशि डेड रेट और रायल्टी के अतिरिक्त होगी। अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्वीकृत खनन पट्टों में खनन कार्य हेतु सम्बन्धित पट्टाधारी कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय आदिवासियों को नियोजित करेगा।

2. प्रधान खनिज के जो खनन पट्टे सितम्बर, 2000 से पूर्व से प्रभाव में है, वे खनन पट्टे यथावत रहेंगे तथा उनका नवीनीकरण भी नियमानुसार हो सकेगा। नवीनीकरण के सम्बन्ध में न्यायालय के विभिन्न आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जाए।

3. अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से प्रधान खनिज के सभी लम्बित आवेदन पत्र (न्यायालय स्थगन आदेशों को छोड़कर) निरस्ती योग्य होंगे।

अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अप्रधान खनिजों के अनुदान बाबत पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

धौलपुर जिला कारागृह में व्याप्त अनियमितताएं

94. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिला कारागृह में जेल प्रहरियों के स्वीकृत पदों में से कई पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारागृह में महिला पुलिस कर्मी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त धौलपुर जिला कारागृह में निरीक्षण के दौरान कई कैदियों के पास मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री बरामद हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराकर दोषियों विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर जिला कारागृह पर प्रहरियों के स्वीकृत 31 पदों में से 09 पद वर्तमान में रिक्त हैं। कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये 10 बोर्डर होमगार्ड एवं 09 शहरी/ग्रामीण होमगार्ड स्वंयसेवकों की सेवायें भी ली जा रही हैं। वर्तमान में जेल विभाग में प्रहरियों के 550 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होने पर रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। यह सही है कि कारागृह पर वर्तमान में महिला प्रहरी पदस्थापित नही है, अपितु वैकल्पिक व्यवस्था बतौर एक महिला प्रहरी अवकाश आरक्षित कार्यरत है।

(3) जी नहीं। जिला कारागृह धौलपुर का उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान किसी भी कैदी के पास से गत तीन वर्षो में मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री बरामद नही हुई हैं। नियमित गेट तलाशी एवं नियमित जेल तलाशी के दौरान नियम विरुद्ध सामान बरामद हुआ है जिसका विवरण एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

जिला कारागृह धौलपुर में गत तीन वर्षों में बंदियों के पास से बरामद मोबाइल फोन एवं अन्य अवांछित सामग्री का विवरण एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	बंदी का नाम जिससे निषिद्ध सामग्री बरामद हुई	निषिद्ध सामग्री बरामद होने की तिथि	निषिद्ध सामग्री का विवरण	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1.	बंदी अभय उर्फ दुर्गा उर्फ कालू	02.04.2010	सिम कार्ड एक	गेट तलाशी के दौरान बंदी से निषिद्ध सामग्री बरामदगी होने पर अधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर द्वारा चालानी गार्ड के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, बूंदी से अनुरोध किया गया।
2.	बंदी धर्मेन्द्र	20.04.2010	1 मोबाइल, 2 सिम	कारागृह के अन्दर तलाशी के दौरान बंदी से निषिद्ध सामग्री बरामदगी के लिए अधीक्षक, जेल धौलपुर द्वारा बंदी को उसकी 15 दिवस की मुलाकात से वंचित किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
3.	बंदी दानजी पुत्र श्री लेखराज	10.02.2011	260/- रुपये	गेल तलाशी के दौरान बंदी से निषिद्ध सामग्री बरामदगी होने पर अधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर द्वारा बंदी को उसकी तीन माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के व दण्ड से दण्डित किया गया।

राजकीय मन्दिरों में पूजा अर्चना हेतु देय राशि में वृद्धि

95. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में कौन-कौन से मंदिर विभाग के अधीन हैं और कौन-कौन से मंदिर विभाग के अधीन लिये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत चार वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को पूजा सामग्री हेतु पुजारियों को प्रदान की गई है क्या सरकार पूजा सामग्री हेतु राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में देवस्थान विभाग के अधीन राजस्थान राजपत्र के अनुसार निम्नलिखित विभागीय मंदिर हैं :-

1. प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर

1. मंदिर श्री बाणनाथजी आसिन्द-भीलवाड़ा
2. मंदिर श्री माताजी व आसिन्दरायजी, आसिन्द - भीलवाड़ा
3. मंदिर श्री माताजी सा. का नया मं. आसिन्द - भीलवाड़ा
4. मंदिर श्री दुलेगोपालजी, आसिन्द - भीलवाड़ा
5. मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी, आसिन्द - भीलवाड़ा
6. मंदिर श्री नवलबिहारीजी, आसिन्द - भीलवाड़ा
7. मंदिर श्री महासतियाजी, आसिन्द - भीलवाड़ा
8. मंदिर श्री गोपलेश्वरजी, आसिन्द - भीलवाड़ा
9. मंदिर श्री राठौड़जी, आसिन्द - भीलवाड़ा
10. मंदिर श्री महादेवजी, बाडी में, आसिन्द - भीलवाड़ा
11. मंदिर श्री चारभुजाजी, करजालिया, तहसील-आसिन्द-भीलवाड़ा

2. आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर

1. मंदिर श्री गणेश मंशापूर्णजी जहाजपुर - भीलवाड़ा
2. मंदिर श्री बृजनन्दनजी, जहाजपुर - भीलवाड़ा
3. मंदिर श्री शान्तेश्वरजी सोमेश्वरजी एवं धर्मशाला जहाजपुर - भीलवाड़ा

(देवस्थान मंत्री)

4. मंदिर श्री राज राजेश्वरजी, जहाजपुर - भीलवाड़ा

5. मंदिर श्री बलदाऊजी शक्करगढ़ - भीलवाड़ा

6. मंदिर श्री चारभुजाजी, शाहपुरा - भीलवाड़ा

7. मंदिर श्री चतुर्भुजजी सिंगोली - भीलवाड़ा

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में जिला-भीलवाड़ा के किसी भी मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन लिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) गत चार वर्षों में पूजा सामग्री हेतु पुजारियों को प्रदान की गई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा संख्या 214 के तहत मंदिरों में वर्ष 1997 में तय की गई भोगराग राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

परिशिष्ट-1

विगत चार वर्षों में पूजा सामग्री हेतु पुजारियों को प्रदान की गई व्यय राशि का विवरण

आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिर से संबंधित बिन्दु संख्या **2** के क्रम में सूचना

2008-09

दिनांक	गणेश जी मंशापूर्ण	बृजनन्दन जी महाराज	शान्तेश्वर जी	राजराजेश्वर जी	बलदाऊ जी शक्करगढ़	चारभुजा जी शाहपुरा	चारभुजा जी सिंगोली
7.5.08	-	4510	-	-	-	-	-
23.5.08	-	-	-	-	-	-	10232
20.8.08	2940	2404	-	-	-	2656	-
15.9.08	-	600	-	-	7020	-	7401
22.9.08	2329	-	-	-	-	-	-
12.12.08	-	-	-	-	-	-	10265
15.12.08	4651	-	-	-	-	-	-
6.1.09	-	-	-	-	-	2280	-
13.1.09	-	6973	-	-	-	-	-
15.1.09	-	-	-	-	-	-	10393
योग	**9920**	**14487**	-	-	**7020**	**4936**	**38291**

2009-10

दिनांक	गणेश जी मंशापूर्ण	बृजनन्दन जी महाराज	शान्तेश्वर जी	राजराजेश्वर जी	बलदाऊ जी शक्करगढ़	चारभुजा जी शाहपुरा	चारभुजा जी सिंगोली
14.5.09	-	-	-	-	-	-	11620
4.8.09	9000	9144	-	-	-	-	-
8.9.09	-	1200	-	-	-	-	-
10.9.09	-	-	-	-	-	-	12779
5.10.09	6310	-	-	-	-	-	-
9.10.09	-	-	-	-	13000	-	-
20.10.09	-	-	-	-	-	-	10575
11.11.09	2645	-	-	-	-	-	-
8.2.10	-	-	-	-	-	-	12187
16.2.10	-	-	-	-	-	9173	-
योग	**17955**	**10344**	-	-	**13000**	**9173**	**47161**

2010-11

दिनांक	गणेश जी मंशापूर्ण	बृजनन्दन जी महाराज	शान्तेश्वर जी	राजराजेश्वर जी	बलदाऊ जी शक्करगढ़	चारभुजा जी शाहपुरा	चारभुजा जी सिंगोली
2.5.10	6900	-	-	-	-	1089	-
29.5.10	-	-	-	-	-	-	12622
7.7.10	-	-	-	-	9000	-	-
10.8.10	-	-	-	-	-	2628	-
13.8.10	-	-	-	-	-	-	12331
8.9.10	-	4219	-	-	-	-	-
13.9.10	6201	5700	-	-	-	3718	-
11.10.10	-	-	-	-	-	6239	-
14.10.10	10285	-	-	-	-	-	-
14.10.10	2000	4000	-	-	4100	4000	-
14.10.10	-	2180	-	-	-	-	-
14.10.10	-	4550	-	-	-	-	-
4.11.10	-	-	-	-	-	-	11084
17.2.11	-	-	-	-	-	-	13260
योग	**25386**	**20649**	-	-	**13100**	**17674**	**49297**

2011-12

दिनांक	गणेश जी मंशापूर्ण	बृजनन्दन जी महाराज	शान्तेश्वर जी	राजराजेश्वर जी	बलदाऊ जी शक्करगढ़	चारभुजा जी शाहपुरा	चारभुजा जी सिंगोली
1.4.11	3450	-	-	-	-	-	-
27.4.11	-	1600	-	-	-	-	-
15.6.11	-	-	-	-	-	-	13078
6.7.11	-	4450	-	-	-	-	-
10.8.11	-	-	-	-	-	-	13966
24.8.11	-	-	-	-	3325	-	-
8.9.11		-	-	-	-	2282	-
9.9.11	9385	-	-	-	-	-	-
10.9.11	-	5050	-	-	-	-	-
14.10.11	-	2525	-	-	2967	-	-
20.10.11	-	-	-	-	-	-	13504
21.10.11	4404	-	-	-	2450	5421	-
4.1.12	-	3995	-	-	-	-	-
27.2.12	-	-	-	-	3175	-	-
27.2.12	-	-	-	-	-	-	13151
योग	**17239**	**17620**	-	-	**11917**	**7703**	**53699**

प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर से संबंधित बिन्दु संख्या 2 के क्रम में वर्ष 2008 से 2012 तक सूचना

क्र.सं.	मन्दिर का नाम	राशि	2008	2009	2010	2011	वर्ष 2012	
							दिनांक	राशि
1	चारभुजा नाथ	9000	28.2.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	-
2	आसिंद राय माता जी	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	11625
3	गोपालेश्वर महादेव	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	23595
4	नवल बिहारी जी	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	15443
5	बाणनाथ जी	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	-
6	दुल्हे गोपाल जी	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	12225
7	महासतिया जी	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	11825
8	लक्ष्मीनारायण जी	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	12225
9	श्री राठौड़ जी	9000	24.3.08	25.3.09	-	25.3.11	1.5.12	12225
10	माजी सा का नया मन्दिर	9000	24.3.08	25.3.09	30.3.10	25.3.11	1.5.12	13725

नोट : वर्ष 2012 में भुगतान की राशि में भोगराग एवं उत्सव की राशि भी सम्मिलित है।

चयनित परिवारों को आटा वितरण हेतु आबंटित गेहूं

96. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ए.पी.एल./बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर आटा वितरित करती है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत छह माह में उक्त कार्य हेतु कितना-कितना गेहूं किस-किस फर्म को कब-कब उपलब्ध करवाया गया? संभागवार, जिलेवार, माहवार उपलब्ध करवाए गये गेहूं की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत अब तक कितना आटा परिवारों को वितरित किया गया? लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत छह माह में सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत फर्मों को जनवरी, 2013 तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? फर्मवार किये गये भुगतान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खाद्य विभाग के स्तर पर संभागीय मुख्यालय एवं चार जिला मुख्यालयों (बाड़मेर, चूरू, भीलवाड़ा एवं नागौर) की नगरीय सीमा में दिनांक 04.02.2011 से फोर्टीफाइड आटे का वितरण प्रारम्भ किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा अन्य 22 जिलों की नगरीय सीमा में दिनांक 14.06.2011 से तथा समस्त नगरपालिका, तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी ए पी एल योजनान्तर्गत 01.07.2011 से एवं दिनांक 06.02.2012 से राज्य के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ए पी एल योजनान्तर्गत फोर्टीफाइड आटे का वितरण किया जा रहा है। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत छह माह में उपलब्ध कराये गये गेहूं की फर्मवार, संभागवार, जिलेवार एवं माहवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 13,37,861.01 मै.टन आटा 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति के अनुसार उपलब्धता के आधार पर वितरित किया गया। जिलेवार वर्तमान लाभार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि वितरण दर एवं लागत दर के अन्तर की राशि संबंधित फर्मों द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि. को मासिक आधार पर जमा कराई जाती है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवीन राशन कार्ड हेतु प्रक्रिया

97. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं से नये राशन कार्ड के फार्म भरवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो नये राशन कार्ड कब तक वितरित करवा दिये जायेंगे।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि उपभोक्ताओं से नवीन डिजिटाइज्ड एवं कम्प्यूटराईज्ड राशन कार्ड के आवेदन फार्म भरवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। उपभोक्ताओं से भरे हुए प्राप्त आवेदन पत्रों को जांच पश्चात, कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सी को आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि, निर्धारित डाटाबेस में संधारण, समस्त प्रविष्टियों की चैकिंग, प्रुफरिडिंग, डाटा में शुद्धिकरण इत्यादि कार्य चयनित कम्प्यूटर एजेन्सी द्वारा संबंधित जिला रसद अधिकारी के पर्ववेक्षण में किया जा रहा है। समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जाकर यथाशीध्र नये राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वितरित करवा दिये जायेंगे।

बारां जिले में संचालित निजी विद्यालय

98. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता–बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के अंता एवं बारां ब्लाक में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित विद्यालयों में कौन-कौनसा विद्यालय प्राइवेट क्षेत्र में किस-किस नाम से एवं किस-किस दिनांक से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक

(श्रीमती निर्मला)

सत्र 2012-13 में कितने-कितने छात्र-छात्राएं नामांकित हैं? विद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निजी क्षेत्र के विद्यालयों के संचालनकर्ता कौन-कौन व्यक्ति व संस्थाएं हैं? संचालनकर्ता के पूर्ण नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के अंता एवं बारां ब्लाक में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का ब्लाकवार विवरण इस प्रकार से है :-

ब्लाक	माध्यमिक विद्यालय		उच्च माध्यमिक विद्यालय	
	राजकीय	गैर राजकीय	राजकीय	गैर राजकीय
अन्ता	33	29	16	18
बारां	29	32	07	33

(2) उक्त संचालित गैर राजकीय विद्यालयों के नाम एवं किस-किस माह एवं वर्ष से संचालित है के विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) उक्त राजकीय/गैर राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2012-13 में नामांकित छात्र-छात्राओं की विद्यालयवार संख्या के विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(4) उक्त गैर राजकीय विद्यालयों के संचालनकर्ता व्यक्ति एवं संस्थाओं के नाम पते सहित के विवरण का परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को आबंटित राशि का उपयोग

99. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा गत दो शिक्षा सत्रों के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को पुस्तक खरीदने तथा भवन मरम्मत हेतु राशि जारी की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त जारी राशि का विद्यालयों द्वारा उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि का एवं नहीं, तो कितनी राशि का किस-किस तहसील में किस कारण से उपयोग नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की क्रियान्वित हेतु किसी प्रकार की कोई मानिटरिंग की गई थी? यदि हां, तो किस-किस द्वारा एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में पुस्तक मद एवं भवन मरम्मत (माइनर एवं मेजर रिपेयरिंग) मद में जारी राशि का तहसीलवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'01' एवं '02' संलग्न है।

(2) उक्त जारी राशि का विद्यालयों द्वारा आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया है। चूंकि वर्ष 2010-11 में पुस्तक क्रय प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, अत: उक्त मद में राशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं की जा सकी। सत्र 2010-11 एवं 2011-12 में अब तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर तहसीलवार जारी राशि एवं अवशेष राशि के विवरण का परिशिष्ट-'01' एवं '02' संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त कार्य की क्रियान्विति हेतु राज्य/जिला स्तर के अधिकारीगण एवं विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के स्तर पर विभिन्न प्रकार की फील्ड विजिट, राज्य एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं निरीक्षणों की सहायता से सतत मानिटरिंग के पूर्ण प्रयास किए गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ के विद्यालयों में रिक्त पद

100. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों में से वर्तमान में रिक्त पद कब से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के लम्बित पेंशन प्रकरण

101. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण छह माह पूर्व प्रस्तुत होकर सेवानिवृत्त दिनांक को समस्त परिलाभ मिल जाने चाहिए? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में ऐसे कितने प्रकरण बकाया हैं, जिनमें व्याख्याता पदों से सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद दिनांक 31 जनवरी, 2013 तक समस्त परिलाभ प्राप्त नहीं हुए तथा अब सरकार द्वारा कब तक संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों को समस्त परिलाभ दे दिये जायेंगे?

(2) क्या गत तीन वर्षों में व्याख्याता पदों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों में पेंशन कार्यालय के सभी संभागों द्वारा समान आक्षेप लगाये गये हैं? यदि हां, तो संभागवार कितने-कितने कार्मिकों के आक्षेप लगाये गये? यदि समान प्रकरण होने पर भी किसी संभाग द्वारा निस्तारण किया गया व किसी संभाग द्वारा आक्षेप लगाये गये हैं, तो उन प्रकरणों का विवरण तथा पेंशन कार्यालय के संभाग कार्यालय के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विसंगति पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(श्री पानाचन्द)

(4) जिन व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति हो जाने के बावजूद पेंशन परिलाभ प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके क्या कारण रहे? क्या यह सेवानिवृत्त कार्मिकों की त्रुटि है या निदेशालय की? क्या सरकार उक्त राशि का भुगतान मय ब्याज के करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन परिलाभ समय पर स्वीकृत नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में प्रदत्त की जाने वाली सेवा क्रमांक 58 में सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन निस्तारण की व्यवस्था कर्मचारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के परिशिष्ट-11 में वर्णित कार्यवाही समय में पूर्ण करने की शर्त के अध्यधीन नियमित कर्मचारी के सेवानिवृति पर देय पेंशन के बारे में है।

वर्तमान में विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 72 प्रकरण बकाया हैं जिनमें मुख्यत: तदर्थ सेवा नियमित करने संबंधी आक्षेप है, जिसमें 55 में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक विभाग की सहमति से तदर्थ अवधि की सेवावृद्धि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष रहे पेंशन प्रकरण सामान्य आक्षेपों के तहत लम्बित है। इनमें मुख्यत: आक्षेप सेवानिवृति आदेश में अंकित नाम की वर्तनी त्रुटि एवं संबंधित व्याख्याता के पक्ष में जारी समेकित अदेय प्रमाण पत्र तथा सन्तोषजनक सेवा प्रमाणपत्र के आदेशों में संबंधित व्याख्याता के उपनाम में भिन्नता होने के कारण आक्षेपित हुए हैं। उक्त प्रकरणों में आक्षेपानुसार परीक्षणोपरान्त तदनुसार संशोधन किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में आक्षेपित 72 प्रकरणों का सम्भागवार विवरण निम्नानुसार है :-

संभाग का नाम	आक्षेपित प्रकरणों की संख्या
अजमेर	03
भरतपुर	10
चूरू	01

(शिक्षा मंत्री)

सम्भाग का नाम	**आक्षेपित प्रकरणों की संख्या**
जोधपुर	05
जयपुर	43
कोटा	02
उदयपुर	08
योग	**72**

(3) जी हां। लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति करने के क्रम में 55 प्रकरणों में वांछित सहमति जारी कर दी गयी है। शेष रहे पेंशन प्रकरण सामान्य आक्षेपों के तहत लम्बित है। इनमें मुख्यत: आक्षेप सेवानिवृति आदेश में अंकित नाम की वर्तनी त्रुटि एवं संबंधित व्याख्याता के पक्ष में जारी समेकित अदेय प्रमाण पत्र तथा सन्तोषजनक सेवा प्रमाणपत्र के आदेशों में संबंधित व्याख्याता के उपनाम में भिन्नता होने के कारण आक्षेपित हुए हैं। उक्त प्रकरणों में आक्षेपानुसार परीक्षणोपरान्त तदनुसार संशोधन किये जा रहे हैं।

(4) सेवानिवृति पश्चात सेवानिवृत कार्मिक को समस्त पेंशन परिलाभ प्राप्त नहीं होने का कारण बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित है। गत वर्षों में नियमित विभागीय पदोन्नति समिति नहीं होने के कारण रिक्त पदों को भरने हेतु तदर्थ पदोन्नति की प्रक्रिया छात्र हित में विभाग द्वारा अपनायी जाती रही थी। तदर्थ पदोन्नति पर कार्यरत कार्मिकों के पदावनति करने पर विभाग को न्यायिक विवाद का सामना करना पड़ा याचिका संख्या 3637/91 नीलम बनाम राज्य सरकार व याचिका संख्या 3033/90 संतोष यादव बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने निर्णय देते हुए इनके पदावनति आदेशों को इस कारण से अपास्त किया कि विभाग में उक्त पद अभी भी रिक्त है। माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह भी निर्देश दिये कि ऐसे समान प्रकरणों पर भी इन निर्देशों को लागू किया जाये। ऐसे प्रकरणों में तदनुसार तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था विभाग द्वारा छात्रहित में अनवरत जारी रखी गयी। इससे यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रियागत लापरवाही नहीं की गयी है। बल्कि परिस्थितिजन्य उत्पन्न तकनीकी आक्षेप है जिसकी पूर्ति हेतु विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है। जिसके फलस्वरूप ही पूर्व में प्राप्त 29 प्रकरणों में आक्षेप की पूर्ति करने के फलस्वरूप संबंधितों के पेंशन

(शिक्षा मंत्री)

परिलाभ प्राप्त हो चुके हैं। इसके पश्चात 26 समान आक्षेप के प्रकरणों में आक्षेप पूर्ति कर दी गयी है। अब तक कुल 55 कार्मिकों की तदर्थ पदोन्नति अवधि को नियमित किया जाकर पेंशन आक्षेप की पूर्ति की जा चुकी है। पश्चात प्राप्त आक्षेपित प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिस्थिति जन्य देरी हुई है। अत: इस स्तर पर किसी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

पेंशन परिलाभ में विलम्ब होने के कारण उक्त राशि का भुगतान मय ब्याज के करने का प्रश्न है इस संबंध में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के प्रदत्त की जाने वाली सेवा क्रमांक 58 में सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन निस्तारण की व्यवस्था कर्मचारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में परिशिष्ट-11 में वर्णित कार्यवाही समय में पूर्ण करने की शर्त के अध्यधीन नियमित कर्मचारी के सेवानिवृति पर देय पेंशन के बारे में है। प्रश्नगत प्रकरणों में सेवानिवृत कार्मिकों की तदर्थ पदोन्नति अवधि को नियमित किये जाने के आक्षेप पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये हैं। आक्षेपानुसार उनकी तदर्थ पदोन्नति की सेवा अवधि को नियमित किया जा रहा है।

(5) प्रश्न के भाग 4 के अनुसार।

वैर के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

102. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वैर के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वैर के कौन-कौन से विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में से अधिकांश में कम्प्यूटर विषय के अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो उन विद्यालयों में कब तक शिक्षक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (कल्प) के क्रियान्वयन के अन्तर्गत चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गई हैं। जिसमें कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, कम्प्यूटर फर्नीचर, सोलर पैनल इत्यादि आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं।

(2) सर्व शिक्षा अभियान में कल्प योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वैर में उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटरों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) कल्प योजनान्तर्गत उक्त विद्यालयों में अध्यापकों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।

परिशिष्ट–क

सर्व शिक्षा अभियान में कल्प योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वैर में उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटरों का विद्यालयवार विवरण

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	विद्यालय का नाम
1.	वैर	राउप्रावि किला वैर
2.	वैर	रामावि इटामडा
3.	वैर	राबाउप्रावि धनसौनी
4.	वैर	केजीबीवी निठार
5.	वैर	राउप्रावि सलैमपुरखुर्द
6.	वैर	राउप्रावि समराया
7.	वैर	राउप्रावि बा. ललिता मूडिया
8.	वैर	राउप्रावि खदराया
9.	वैर	राउप्रावि जीवद
10.	वैर	राउप्रावि उलूपुरा
11.	वैर	राउप्रावि कमालपुरा
12.	वैर	राउप्रावि दीवरी वैर
13.	वैर	राउप्रावि गडीसाद
14.	वैर	राउप्रावि बा. रणधीरगढ़
15.	वैर	राउप्रावि बा. सलैमपुरखुर्द
16.	वैर	राउप्रावि राधेय राघव भुसावर

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	विद्यालय का नाम
17.	वैर	राउप्रावि बा. वैर प्रथम
18.	वैर	राउप्रावि घाटरी
19.	वैर	राउप्रावि जाखड झारौटी
20.	वैर	राउप्रावि बा. पथैना
21.	वैर	राउप्रावि आमोली खुर्द
22.	वैर	राउप्रावि रमेश स्वामी भुसावर
23.	वैर	राउप्रावि तरगवां
24.	वैर	राउप्रावि महाराजपुरा
25.	वैर	राबाउप्रावि अलीपुर
26.	वैर	राउप्रावि बांसी
27.	वैर	राबाउप्रावि हलेना
28.	वैर	राउप्रावि बेवर
29.	वैर	राउप्रावि आजादपुरा
30.	वैर	राउप्रा संस्कृत वि. राजपूत बस्ती मजाजपुर
31.	वैर	राउप्रावि खेडली ब्राह्मण
32.	वैर	राउप्रावि बिचपुर पट्टी
33.	वैर	राउप्रावि इरनियां
34.	वैर	राउप्रावि लुहासा
35.	वैर	राउप्रावि सिरस
36.	वैर	राउप्रावि हतीजर
37.	वैर	राउप्रावि गांगरौली
38.	वैर	राबाउप्रावि रहीमगढ़
39.	वैर	राउप्रावि भोपर

संविदा पर कार्यरत लोक शिक्षकों का नियमन

103. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में वर्ष 2003 से संविदा पर कार्यरत लोक शिक्षा प्रेरकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय

(श्री अशोक डोगरा)

में अनुभव के आधार पर लोक शिक्षा प्रेरकों को समायोजित करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार लोक शिक्षा प्रेरकों को राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। लोक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत प्रेरकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर रखा हुआ है, जिन्हें 2000/- रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है।

(2) महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय में कार्यरत प्रेरकों को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर लोक शिक्षा केन्द्रों में अनुबंध के आधार पर समायोजित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। प्रेरकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अनुबंध के आधार पर रखा हुआ है।

अनूपगढ़ के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

104. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में किस-किस राजकीय विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल के कनेक्शन हैं और किन-किन विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन भुगतान के अभाव में कट गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2013 तक किस-किस विद्यालय में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुल 153 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन हैं और 259 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं। 335 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल के कनेक्शन हैं एवं 89 विद्यालयों में पेयजल कनेक्शन नहीं हैं, परन्तु पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था जैसे हैण्डपम्प, डिग्गी आदि हैं। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित समस्त 56 राजकीय विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र के 10 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन भुगतान के अभाव में कट गये हैं। जहां तक कटे हुए विद्युत कनेक्शन की राशि जमा कराने का प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में इस हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। लेकिन विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वार्षिक मिलने वाली "विद्यालय सुविधा अनुदान" राशि में से भुगतान किए जाने का निर्णय संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपने स्तर पर लिया जा सकता है। एक माध्यमिक विद्यालय में विद्युत कनेक्शन कटा हैं जिसके लिये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से राशि प्राप्त हो चुकी है, विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में पेयजल कनेक्शन बजट के अभाव में नहीं कटा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा के 50 विद्यालयों में कल्प योजनान्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कम्प्यूटर मय सामग्री उपलब्ध करवाये गये हैं, सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के शेष विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से बजट उपलब्ध होने पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की जा सकेगी। 12 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत उपलब्ध है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है।

शेष 44 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध नहीं है, उनको आई.सी.टी. योजना के तृतीय चरण के तहत क्रमबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जा सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(4) बिन्दु संख्या 03 के अनुसार।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सीकर जिले में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद

105. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में द्वितीय श्रेणी विषय अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद वर्तमान में भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त विषय अध्यापकों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला सीकर में द्वितीय श्रेणी विषय अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद, वर्तमान में भरे हुए पद एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:-

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
वरिष्ठ अध्यापक	2355	1992	363

जिला सीकर में द्वितीय श्रेणी विषय अध्यापकों के स्वीकृत पद, वर्तमान में भरे हुए पद एवं रिक्त पदों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां । राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट-क

जिला सीकर के विधान सभा क्षेत्रवार द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के विषयवार, स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण

प्रश्न के भाग 1 की सूचना)

विषय	विधान सभा क्षेत्र का नाम																							
	सीकर			धोद			लक्ष्मणगढ़			फतेहपुर			दांतारामगढ़			नीमा का थाना			श्री माधोपुर			खण्डेला		
	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद
विज्ञान	45	42	03	67	60	07	64	56	08	52	37	15	59	49	10	58	53	05	57	45	12	55	50	05
अंगेजी	41	41	00	63	60	03	58	54	04	48	41	07	61	55	06	57	47	10	57	44	13	52	45	07
गणित	45	42	03	67	57	10	64	55	09	52	44	08	61	27	34	57	37	20	57	26	31	55	28	27
हिन्दी	43	39	04	66	57	09	64	57	07	51	41	10	57	53	04	54	48	06	57	47	10	53	46	07
सामाजिक विज्ञान	35	34	01	52	51	01	50	49	01	35	32	03	45	44	01	46	46	00	30	29	01	44	43	01
संस्कृत	20	20	00	26	23	03	25	19	06	15	07	08	29	20	09	24	19	05	46	43	03	20	15	05
उर्दू	02	01	01	03	03	00	04	04	00	06	06	00	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग	**231**	**219**	**12**	**344**	**311**	**33**	**329**	**294**	**35**	**259**	**208**	**51**	**313**	**249**	**64**	**296**	**250**	**46**	**304**	**234**	**70**	**279**	**227**	**52**

प्रबोधक पद हेतु प्रभावी सेवा नियम

106. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008 में प्रबोधक पद पर कितनी नियुक्तियां की गई तथा क्या इनकी पूर्व सेवा काल को वर्तमान सेवा में जोड़ा गया है?

(2) प्रबोधक पद हेतु प्रभावी सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रबोधकों को उपार्जित एवं रूपान्तरित अवकाश देय है?

(4) क्या प्रबोधकों की स्थानान्तरण नीति बनाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 में 21965 प्रबोधक पदों पर नियुक्तियां की गई। इनकी प्रबोधक पद से पूर्व के सेवाकाल को वर्तमान सेवाकाल में जोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अपितु राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 2008 के नियम 37-क के अनुसार नियुक्ति से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/शैक्षणिक परियोजना में अपेक्षित न्यूनतम 5 वर्ष के निरन्तर अध्यापन अनुभव से आगे बिना किसी अन्तराल के, अर्जित प्रत्येक 3 वर्ष के निरन्तर अध्यापन अनुभव के लिए एक वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं।

(2) राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम-2008 की प्रति परिशिष्ट "क" तथा संशोधित नियम परिशिष्ट "ख" एवं "ग" पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीलवाड़ा जिले के मूलभूत सुविधा रहित विद्यालय

107. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में ऐसे कुल कितने राजकीय प्राथमिक, उच्च

(श्री शिवजीराम मीणा)

प्राथमिक शिक्षाकर्मी एवं संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, जिनके चारदीवारी नहीं है व पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है? विधान सभा क्षेत्रवार विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण/पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 1096 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, शिक्षाकर्मी एवं संस्कृत विद्यालयों में चारदीवारी तथा 344 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, शिक्षाकर्मी एवं संस्कृत विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं है। परन्तु सभी विद्यालयों में पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था हैं। विधान सभा क्षेत्रवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित होने वाली आगामी वर्षों की कार्य योजना में स्वीकृत बजट की सीमा में चारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती हैं।

पेयजल सुविधा विहीन 344 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 135 विद्यालयों में पी.एच.ई.डी. द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष विद्यालयों में स्वीकृति जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 की पालना

108. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 के तहत प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन तथा प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई बनायी गई

(श्री अभिषेक मटोरिया)

है एवं कितने पुलिस थानों में बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं? जिलेवार किशोर पुलिस इकाई व जिलेवार थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस अधिनियम की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 63 की प्रतिलिपि एवं राजस्थान किशोर न्याय नियम 2002 के नियम 49 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) राज्य के सभी 42 पुलिस जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई गई है व राज्य के 797 पुलिस थानों में बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जिलेवार व थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(3) अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना विभागीय नियमों के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत स्वीकृत एवं व्यय राशि

109. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से 2003-04 से जनवरी, 2013 तक स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय राशि का मदवार व जिलेवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1). राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सूत्र संख्या 10-अ के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1. अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता – (सूत्र 10 अ)

(क) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना मदों से संचालित)

(ख) अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित योजनाएं यथा शहरी पोप, ग्रामीण पोप, आटो रिक्शा, उन्नत नस्ल गाय/भैंस, कूप ब्लास्टिंग, कुओं का विद्युतीकरण, कृषि यंत्र, कार्यशाला (केन्द्र सरकार प्रवर्तित)

2. विशेष योग्यजनों एवं अनाथों का पुनर्वास सूत्र संख्या 16 के अन्तर्गत निम्न योजनाएं संचालित की जाती हैं:-

(क) विशेष योग्यजन की योजनाओं में दीनदयाल पुनर्वास योजना में (केन्द्र सरकार प्रवर्तित)

(ख) विशेष योग्यजन व्यक्तियों को शारीरिक उपकरण उपलब्ध कराने से संबंधित सहायता (राज्य सरकार योजना मद में)

(ग) अनाथों के पुनर्वास में शिशु गृह संचालन (राज्य सरकार गैर योजना मद में)

(घ) वृद्धों के कल्याण योजनाओं में डे-केयर सेन्टर एवं वृद्धाश्रम कार्यक्रम (राज्य सरकार गैर आयोजना मद में)

क्रम संख्या 1 में वर्णित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अनुसूचित जाति निगम द्वारा संचालित योजनाएं सभी जिलों में संचालित की जा रही हैं।

क्रम संख्या 2 में अंकित दीनदयाल पुनर्वास योजना स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव आधारित जिलों में, विशेष योग्यजन व्यक्तियों को शारीरिक उपकरण योजना सभी जिलों में, अनाथों के पुनर्वास हेतु सभी जिलों में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दत्तक ग्रहण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, वृद्धों के कल्याण हेतु डे-केयर सेन्टर 18 जिलों में, अजमेर में एक राजकीय वृद्धाश्रम एवं 5 जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। डे-केयर सेन्टर, वृद्धाश्रमों एवं समस्त कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 10अ व सूत्र संख्या 16 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में राज्य सरकार से 2003-04 से वित्तीय वर्ष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2012-13 (जनवरी, 2013 तक) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित राज्य सरकार के आयोजना व गैर आयोजना मद में योजनावार स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय राशि का जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

110. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को अप्रैल, 2012 से 26 जनवरी, 2013 तक छात्रवृत्ति दी गयी?

(2) सरकार द्वारा उक्त छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में अप्रैल 2012 से 26 जनवरी, 2013 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को दी गई छात्रवृत्तियों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित फकीर बिरादरी का दर्ज व्यवसाय

111. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में फकीर बिरादरी का व्यवसाय 'कब्रिस्तान में कार्य करने वाला' अंकित है?

(2) क्या यह भी सही है कि शेष जातियों के व्यवसाय उक्त सूची में अंकित नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार फकीर बिरादरी के व्यवसाय का उल्लेख हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के तृतीय प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित की गई है कि अब केवल फकीर वे लोग हैं एवं संबोधित किए जाते हैं जो कब्रों (कब्रिस्तान परिसर) में रहकर (महाब्राह्मण की तरह) कफन लेने का कार्य करते हैं। कब्रों में रहकर कफन लेने वाले ही अब फकीर कहे जा सकते हैं। कब्रों में रहकर कफन लेने वाले फकीरों का पृथक व्यावसायिक वर्ग है उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति भी पिछड़ी है।

अतः आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार महाब्राह्मण (अचारज) एवं फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले) वर्ग के लोगों को कार्य के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ा गया है। जिसके अनुसार राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 35 पर महा-ब्राह्मण (अचारज) के आगे 'फकीर (कबिस्तान में कार्य करने वाले)' वर्ग जोड़ा गया।

जी नहीं। क्योंकि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी जाति/वर्ग का नाम जोड़ा जाता है।

बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक में व्याप्त अनियमितताएं

112. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक में खाता धारकों की जमा राशि का भुगतान रोका गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अरबन को-आपरेटिव बैंक में भारी भ्रष्टाचार हुआ है? यदि हां, तो कितने खाताधारकों की कितनी राशि का और सरकार द्वारा अब तक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक यूबीडी नं. सीओएल एस डीआईआर./2004/08.07.241/2005-06 दिनांक 28.3.2006 के द्वारा 1000 रु. तक जमा राशि आहरण की सीमा को छोड़कर शेष निकासी पर प्रतिबंध लगाये गये थे। तत्पश्चात रिट याचिका संख्या 2363/06 में माननीय

(सहकारिता मंत्री)

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3-11-2006 के अनुसार असदस्यों को भुगतान पर कोई रोक प्रभावी नहीं है।

(2) बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. की सम्पन्न आडिट रिपोर्ट वर्ष 2003-04 तक भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण उल्लेखित नहीं हुआ है। वर्ष 2003-04 के पश्चात का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अंकेक्षण कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया है। उक्त अंकेक्षण सम्पन्न होने पर ही भ्रष्टाचार के होने या ना होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बैंक द्वारा अंकेक्षक को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय के आदेश क्रमांक फा-15 (4)सविरा/बैंक-1/बीकानेर/अर/जन/2007 दिनांक 18.7.2007 की पालना में क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, बीकानेर द्वारा बीकानेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. बीकानेर के संबंधित पदाधिकारी श्री शिवशंकर पुरोहित अध्यक्ष एवं श्री पूनमचंद पुरोहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 109(1) (एच) , 109(1) जे, 109 (1) (एल), सहपठित धारा 109(2) (एच),109 (2) (जे),109 (2) (एल),राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत परिवाद संख्या 639/2007 दिनांक 17.10.2007 दर्ज करवाया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आगामी सुनवाई की तिथि 24.5.2013 है। विभागीय निरीक्षक एवं संस्था के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रिकार्ड प्राप्त करने हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 31 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर को 03.3.2010 को आवेदन किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश की विकास दर में वृद्धि हेतु कार्य योजना

113. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में प्रदेश की विकास की गति धीमी पड़ी है? यदि हां, तो किस कारण से? यदि नहीं, तो वर्ष 2004 से 2012 तक की वार्षिक विकास दर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी भी प्रदेश की विकास दर किन-किन तथ्यों के आधार पर मापी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश की धीमी विकास दर को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। स्थिर (वर्ष 2004-05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक की वृद्धि दर निम्नानुसार है-

वर्ष	**वृद्धि दर (प्रतिशत में)**
2004-05	(-) 1.85
2005-06	6.68
2006-07	11.67
2007-08	5.14
2008-09	9.09
2009-10	6.70
2010-11 (प्रावधानिक)	15.28
2011-12 (त्वरित)	6.11

(2) किसी प्रदेश की विकास दर स्थिर (वर्ष 2004-05) कीमतों पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा -कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, खनन, पंजीकृत विनिर्माण, अपंजीकृत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जलापूर्ति, अन्य यातायात, भण्डारण, संचार ट्रेड होटल व रेस्टोरेंट, बैंकिंग व बीमा, गृह स्वामित्व, स्थावर सम्पदा, वैधानिक सेवाएं, व्यापार, लोक प्रशासन व अन्य सेवाएं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन व अन्य क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन व सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों में पिछले वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धि/कमी के आधार पर मापी जाती है।

(3) प्रदेश की विकास दर की गति धीमी नहीं है, वरन् राज्य सरकार प्रदेश की विकास दर की गति को और बढ़ाने का विचार रखती है, इसीलिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्व्यय 71731.98 क़रोड़ रु. से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 196992.00 क़रोड़ रु. रखा गया है।

प्रदेश में पंजीकृत वाहन

114. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से अब तक कुल कितने दुपहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों का पंजीयन किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य प्रदेशों से पंजीकृत वाहन भी संचालित हो रहे हैं? यदि हां, तो कितनी संख्या में? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अन्य प्रदेशों में पंजीकृत वाहनों का सर्वे करवाकर पुन: नवीन सिरे से पंजीयन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जोधपुर महानगर के लिये तीन पहिया वाहनों के अनुज्ञा पत्रों की संख्या सीमा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 4/2009 से 12/2012 तक कुल 25,45,535 दो पहिया, 51,129 तीन पहिया एवं 7,18,384 चार पहिया वाहनों का पंजीयन किया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां, प्रदेश में अन्य प्रदेशों से पंजीकृत वाहन भी संचालित हो रहे हैं। परन्तु इस प्रकार की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है। चूंकि ऐसे वाहन प्रदेश में स्थाई रूप से नहीं रहते हैं इसलिए उनकी संख्या का सही अनुमान लगाया जाना भी कठिन है।

(3) अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के सर्वे का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 47 (1) (परिशिष्ट-2) में उपलब्ध प्रावधानानुसार अन्य राज्य में पंजीकृत वाहनों का अस्थाई रूप से राज्य में 12 माह तक उपयोग किया जा सकता है, अत: वाहनों के आने-जाने के कारण सर्वे किया जाना अत्यन्त कठिन है। लेकिन समय-समय पर जांच के दौरान अन्य राज्यों के वाहनों का स्थाई रूप से राजस्थान में विस्थापन पाए जाने पर पुन: पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

(4) दिनांक 11.1.2013 को जारी अधिसूचना के अनुसार जोधपुर शहर में चलने वाले तीन पहिया ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या सीमा 6400 से 6700 की जा चुकी है। छाया प्रति परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

बायतू मुख्यालय पर निगम बस स्टैण्ड की स्थापना

115. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बायतू मुख्यालय पर वर्तमान में रोडवेज का अधिकृत बस स्टैण्ड नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि रोडवेज की बसें हाइवे पर रूक कर सवारियां लेती हैं? जिससे आवागमन अवरूद्ध होता है?

(3) क्या सरकार बायतू में आधुनिक सुविधायुक्त रोडवेज बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान परिवहन निगम की बसें साइड में रूककर यात्री चढ़ाती/उतारती हैं इससे यातायात अवरूद्ध नहीं होता है।

(3) वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीकर जिले में प्रस्तावित गौण मण्डी यार्ड

116. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में कृषि मंडी यार्ड की स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त मंडी यार्ड कब तक पूर्ण निर्मित होकर प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला सीकर के कस्बा लोसल, दांतारामगढ़ एवं खाटू में कृषि उपज मंडी समिति, सीकर के गौण मंडी यार्ड स्वीकृत हैं तथा यहां पर वर्षो से व्यापार हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार मंडी समिति की आय को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पलसाना की तर्ज पर गौण मंडी यार्ड निर्मित करवाकर गौण मंडी की दुकानों का आवंटन कर खुले रूप में हो रहे व्यापार पर नियंत्रण कर मंडी समिति, सीकर को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, फतेहपुर के अन्तर्गत लक्ष्मणगढ़ में गौणमण्डी यार्ड घोषित है। वर्तमान में यह गौणमण्डी लक्ष्मणगढ़ कस्बे के बाजार में निजी व्यवसाईयों के व्यवसाय स्थल पर संचालित है। लक्ष्मणगढ़ गौणमण्डी के नवीन यार्ड हेतु लक्ष्मणगढ़ कस्बे के समीप भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि की किस्म चरागाह है। इस भूमि के आवंटन हेतु जिला कलक्टर, सीकर के माध्यम से भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन के पश्चात मण्डी यार्ड के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर के अन्तर्गत कस्बा लोसल में गौणमण्डी यार्ड घोषित है। दांतारामगढ़ एवं खाटू में गौणमण्डी यार्ड घोषित नहीं है। यह दोनों मण्डी शुल्क संग्रहण केन्द्र हैं। इन तीनों कस्बों में काफी समय से नियमानुसार कृषि जिन्सों का व्यापार हो रहा है।

मण्डी शुल्क संग्रहण केन्द्र खाटू एवं दांतारामगढ़ में वर्तमान में गौणमण्डी यार्ड खोला जाना विचाराधीन नहीं है। मण्डी समिति से इस विषय में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। गौण मण्डी यार्ड लोसल के लिए नवीन यार्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण यार्ड का निर्माण वर्तमान में सम्भव नहीं है।

अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दर्ज/निस्तारित प्रकरण

117. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षो में अल्पसंख्यक आयोग में जिलेवार दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों की सुनवाई व निस्तारण का विवरण, प्रकरणों के प्रकार व सम्बन्धित विभागों की प्रगति का व निस्तारण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में आयोग अध्यक्ष द्वारा किये गये दौरों का दिनांक, स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिकायत व समस्या-निराकरण में आई बाधाओं व उनके समाधान के सम्बन्ध में प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों अल्पसंख्यक आयोग में जिलेवार दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट संख्या "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) मामलों की सुनवाई व निस्तारण का विवरण, प्रकरणों के प्रकार व संबंधित विभागों की प्रगति का व निस्तारण का विवरण परिशिष्ट संख्या "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(3) आयोग अध्यक्ष द्वारा किये गए दौरों का विवरण दिनांक, स्थान सहित परिशिष्ट संख्या "स" पर संलग्न है।

(4) जी हां। अल्पसंख्यक वर्ग की शिकायत व समस्या निराकरण में आई बाधाओं व उनके समाधान के संबंध में किये गये प्रयास परिशिष्ट संख्या "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के मदरसों में कार्यरत अध्यापकों को देय सुविधाएं

118. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में कुल कितने पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मदरसे संचालित हैं? मदरसों के ग्रामवार, स्थानवार नाम सहित उनमें कार्यरत अध्यापकों के नाम, पते एवं वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एवं मदरसा कर्मियों के वेतन, मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जैसलमेर में वक्फ बोर्ड की कितनी सम्पत्ति एवं भूमि कहां-कहां स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में मदरसा बोर्ड के अधीन 153 मदरसे पंजीकृत हैं। (संलग्न परिशिष्ट-1 गैर पंजीकृत मदरसों की सूचना बोर्ड में संधारित नहीं की जाती है। उक्त पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का ग्रामवार/स्थानवार नाम एवं दिया जा रहा मानदेय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

गई सहायतार्थ अनुदान राशि में से स्वीकृती के अनुसार मदरसों को शिक्षा सहयोगी, कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी, कम्प्यूटर, फर्नीचर उपलब्ध करवाये जाते हैं जैसलमेर जिले के मदरसों को उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है एवं उपलब्ध करवाए गये फर्नीचर की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों को न्यूनतम रु. 3500/- मानदेय दिया जाता है। प्रतिवर्ष एक जुलाई को रु. 400/- की मानदेय वृद्धि दी जाती है। शिक्षा सहयोगियों की अधिकतम मानदेय की राशि रुपये 6700/- निर्धारित है। प्रत्येक शिक्षा सहयोगियों को एक शैक्षणिक वर्ष में 15 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं महिला शिक्षा सहयोगियों को राज्य सरकार के दो बार 180 दिवस के प्रसूति अवकाश देय है।

(3) जिला जैसलमेर में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित 224 एवं वक्फ रिकार्ड दफा-26/37 में पंजीकृत 06 कुल 230 वक्फ सम्पित्तियां दर्ज हैं। जिसके विवरण हेतु राजस्थान राजपत्र की छाया प्रति परिशिष्ट-5 एवं दफा -26/37 की सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण, सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-80 का विवरण)

परिशिष्ट-क

नाम अधिकारी/कर्मचारी	कार्मिक का मूल विभाग में पद एवं विषय	मूल विभाग का नाम प्रतिनियुक्ति से पूर्व पद स्थापन स्थान	योग्यता (शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक)	परियोजना में प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक	वेतन श्रृंखला
श्री करण सिंह राठौड़	व्याख्याता इतिहास	माध्यमिक शिक्षा राउमावि माण्डावास	M.A./M.E.	एफ19(2) शिक्षा-2/07/ दिनांक 18.07.08	9300-34800 (4800-ग्रेड पे)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-82 का विवरण)

परिशिष्ट-1

शराब ठेकेदारों पर बकाया राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष 2008-09 तक	
बकाया शेष प्रकरण	बकाया राशि
163	रु. 155.02

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष 2009-10 तक	
बकाया शेष प्रकरण	बकाया राशि
164	रु. 152.07

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष 2010-11 तक	
बकाया शेष प्रकरण	बकाया राशि
106	रु. 151.28